राजभाषा भारती

अंक : 127 वर्ष : 32 अक्तूबर–दिसंबर, 2009

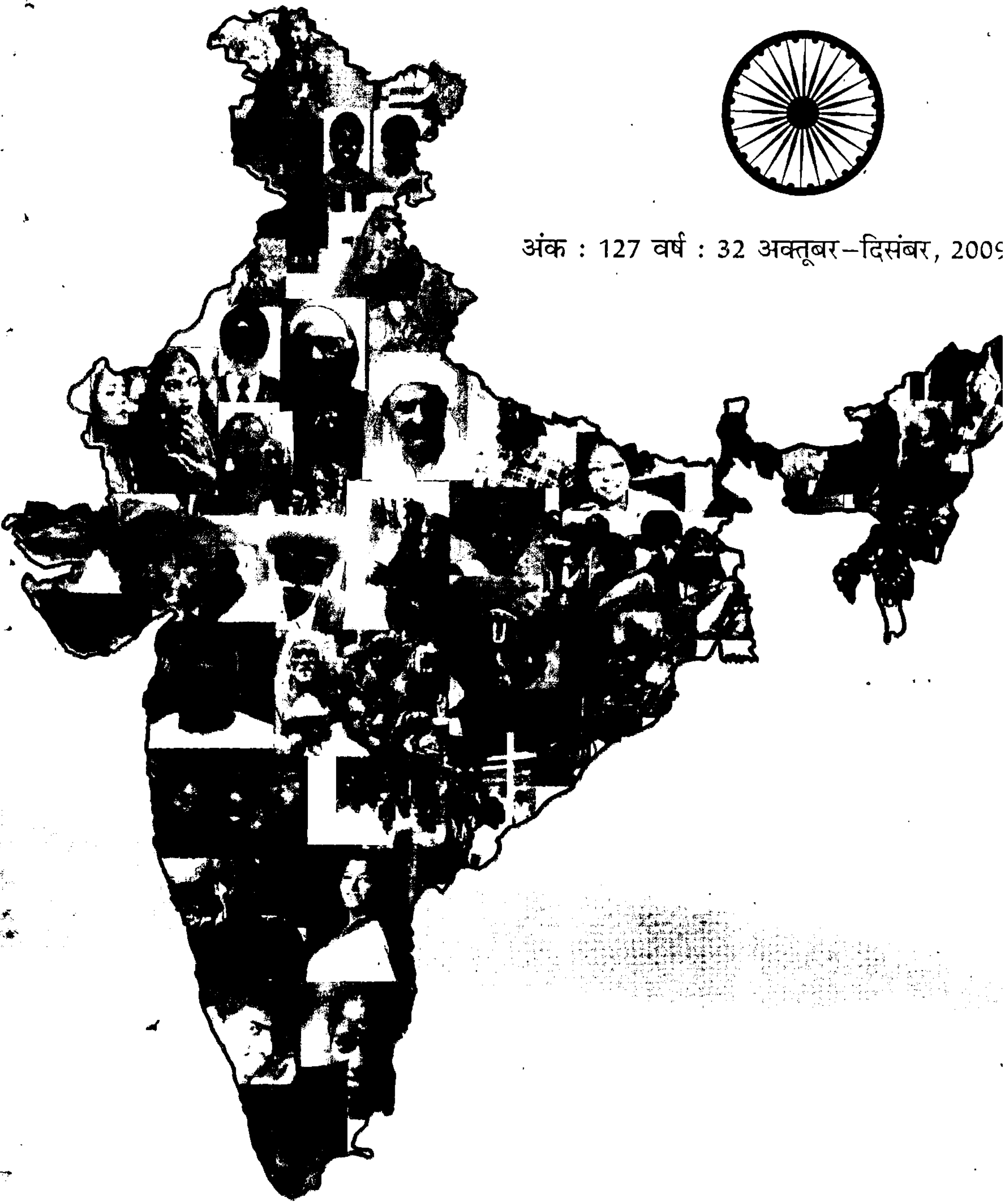

जन जन की भाषा है हिन्दी

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

देहरादून में आयोजित दिल्ली तथा उत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह में माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन जी ।

दिल्ली तथा उत्तर क्षेत्रों हेतु देहरादून में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह का उद्घाटन करते हुए, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन जी ।

भारति जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
—निराला

राजभाषा भारती

राजभाषा विभाग की त्रैमासिकी

वर्ष : 32

अंक : 127

अक्तूबर—दिसंबर, 2009

❑ संपादक
रमेशबाबू अणियेरी
निदेशक (अनुसंधान)
दूरभाष : 24643622

❑ सहायक संपादक
शांति कुमार स्याल
दूरभाष : 24698054

❑ निःशुल्क वितरण के लिए

पत्रिका में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार एवं दृष्टिकोण संबंधित लेखक के हैं। सरकार अथवा राजभाषा विभाग का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

❑ पत्र-व्यवहार का पता :
संपादक, राजभाषा भारती,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
लोकनायक भवन (द्वितीय तल),
खान मार्किट, नई दिल्ली-110003

ईमेल–ru-ol@mha.nic.in
patrika—ol@mha.nic.in
पोर्टल–www.rajbhasha.gov..in.

विषय-सूची

विषय-सूची		पृष्ठ
❑ संपादकीय		(iii)
❑ चिंतन		
1. संविधान में राजभाषा हिंदी की स्थिति और प्रास्थिति	–डॉ. एम. सी. पाण्डेय	1
2. रोजगार और हिंदी	–डॉ. परमानंद पांचाल	4
3. राजभाषा हिंदी की व्यावहार्यता	–डॉ. इंद्र सेंगर	8
4. हिंदी शब्दों का खूबसूरत लोकतंत्र	–ईश्वर चंद्र मिश्र	11
5. देवनागरी लिपि, वर्तनी एवं प्रयोग	–क्षेत्रपाल शर्मा	14
❑ साहित्यिकी		
6. काव्य के मूल्यों के संबंध में नवीन दृष्टिकोण	–डॉ. राजेश्वरी चौधरी	18
7. डॉ. राम कुमार वर्मा के साहित्य में दलित–विमर्श तथा नारी–विमर्श	–डॉ. विनोद कुमार सिन्हा	21
❑ विश्व हिंदी दर्शन		
8. विश्व हिंदी सचिवालय का सफरनामा	–राकेश शर्मा	25
❑ प्रबंधन		
9. प्रभावी नेतृत्व एवं शाखा प्रबंधन में शाखा प्रबंधक की भूमिका	–राजेन्द्र सिंह	28
❑ पत्रकारिता		
10. हिंदी भाषा विकास में आधुनिक जन संचार माध्यमों की भूमिका	–डॉ. देविदास इंगले	32
❑ संस्कृति		
11. तमिल प्रदेश में मंदिर संस्कृति का विकास	–डॉ. एम. शेषन्	36
❑ विविध		
12. गांधी विवेक–'हिंद स्वराज में'	–डॉ. आरसु	42
13. भावनात्मक बुद्धिमता	–सी. एस. टण्डन	47

383 HA/10—1A

विषय-सूची	पृष्ठ

❑ **राजभाषा संबंधी गतिविधियां :**

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 49

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण; गुवाहाटी; पूर्व रेलवे कोलकाता; दूरसंचार कटक; मुख्य आयकर आयुक्त अमृतसर; महालेखाकार ग्वालियर; केंद्रीय उत्पाद शुल्क; सीमा शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय कानपुर; केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क भोपाल; केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क गाजियाबाद; पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर; संपदा निदेशालय नई दिल्ली; एन. एच. पी. सी. मुख्यालय फरीदाबाद; पश्चिम मध्य रेल भोपाल; केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय नागपुर; पूर्व रेलवे मुख्यालय मालदा ।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें 55

भुवनेश्वर; दावणगेरे; गान्तोक; भावनगर; लुधियाना; अमृतसर; श्रीगंगानगर; जयपुर; बालाघाट; जयपुर; रायपुर; गुड़गांव; नीमच; दिल्ली (उपक्रम)।

(ग) कार्यशालाएं 62

केंद्रीय रेशम उत्पाद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बहरमपुर; ज्वार अनुसंधान निदेशालय हैदराबाद; केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय नागपुर; भारतीय कपास निगम लि. राजकोट; राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, हौजखास नई दिल्ली; भारी पानी संयंत्र तालचेर; केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान रांची; नराकास गान्तोक; आकाशवाणी नागपुर; मंडल रेल प्रबंधक भोपाल; एन.एच.पी.सी. लि. फरीदाबाद ।

(घ) हिंदी दिवस 67

आकाशवाणी हैदराबाद; दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली; दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद; मुख्य महाप्रबंधक टेलीफोन चेन्नई; आकाशवाणी गान्तोक; दूरसंचार कारवार; आकाशवाणी कडपा; परमाणु ऊर्जा विभाग हैदराबाद; विजया बैंक शिमोगा; विजया बैंक मंगलूर; कर्मचारी राज्य बीमा निगम भुवनेश्वर; कर्मचारी राज्य बीमा निगम कोयम्बत्तूर; हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लि. कोलकाता; दूरदर्शन गुवाहाटी; राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कोलकाता; राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे; आकाशवाणी पणजी; कर्मचारी राज्य बीमा निगम गोवा; दूरदर्शन केंद्र नागपुर; सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी एस. ए. एस. नगर; राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नागपुर; जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास मुंबई; कर्मचारी राज्य बीमा निगम चण्डीगढ़; रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक चण्डीगढ़; एनटीपीसी दादरी; आकाशवाणी इंदौर; आकाशवाणी इलाहाबाद; पश्चिम रेलवे मुख्य कारखाना प्रबंधक दाहोद; पश्चिम रेलवे मंडल राजकोट; केंद्रीय भण्डारण निगम हौजखास नई दिल्ली; पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो नई दिल्ली; कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय नई दिल्ली; भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लि. जनपथ नई दिल्ली; आकाशवाणी भोपाल; भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण जयपुर; आई टी आई रायबरेली; पोस्टमास्टर जनरल इन्दौर; दी ओरिएण्टल इंश्योरेंस कं. लि. क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली; आकाशवाणी राजकोट; केंद्रीय रेशम बोर्ड रांची; कर्मचारी राज्य बीमा निगम देहरादून; परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय जयपुर; भारत संचार लि. मदुरै; कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली ।

❑ **सम्मेलन/संगोष्ठी** 87

दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन पुडुचेरी; दिल्ली व उत्तर क्षेत्रीय सम्मेलन देहरादून; मुख्य महाप्रबंधक टेलीफोन चेन्नई; पश्चिम रेलवे राजकोट मंडल; पश्चिम रेलवे मुख्य कारखाना प्रबंधक दाहोद; भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून; बैंक ऑफ इंडिया आंचलिक कार्यालय नई दिल्ली ।

❑ **पुरस्कार/प्रतियोगिता** 93

आकाशवाणी इंदौर; केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय नागपुर; आकाशवाणी पणजी; केनरा बैंक दिल्ली अंचल कार्यालय नई दिल्ली ।

❑ **प्रशिक्षण** 95

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली; केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नीमच ।

❑ **पाठकों के पत्र** 99

संपादकीय

'राजभाषा भारती' के संपादक के रूप में 127वां अंक प्रबुद्ध पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए मुझे बेहद हर्ष हो रहा है । मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं । सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित गतिविधियों की सूचनाओं के प्रकाशन का ही नहीं, साहित्य को पुष्कल बनाने में भी 'राजभाषा भारती' का महत्वपूर्ण योगदान है । विगत कई अंकों में चिन्तोद्दीपक लेखों के प्रकाशन की वजह से 'राजभाषा भारती' की स्वीकार्यता निरन्तर बढ़ रही है और इसने संकुचित दायरे से निकलकर भव्य साहित्यिक आयाम प्राप्त कर लिया है ।

विभिन्न विधाओं की पाठ्य सामग्री पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करते हुए 'राजभाषा भारती' की सफल यात्रा में, इस अंक में 'चिंतन' स्तंभ के अंतर्गत डा. एम. सी. पाण्डेय ने 'संविधान में राजभाषा हिंदी की स्थिति और प्रास्थिति' नामक अपने लेख में संविधान में हिंदी के विभिन्न आयामों को ऐतिहासिक एवं व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है । डा. परमानन्द पांचाल के लेख 'रोजगार और हिंदी' में भूमंडलीकरण के प्रभाव, सूचना-प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में युगान्तरकारी परिवर्तन और कंप्यूटर जैसी तकनीक के सार्वजनिक जीवन में प्रवेश तथा एकल विश्व शक्ति की भाषा के रूप में अंग्रेजी के बढ़ते वर्चस्व के कारण हिंदी पर होने वाले प्रभाव के बारे में ओजपूर्ण विचार व्यक्त किए गए हैं । 'राजभाषा हिंदी की व्यावहारिकता' शीर्षक लेख में डा. इन्द्र सेंगर ने हमारे दैनिक एवं कार्यालयीन जीवन में राजभाषा हिंदी की व्यावहारिक भूमिका को उजागर किया है । 'हिंदी शब्दों का खूबसूरत लोकतंत्र' शीर्षक लेख में श्री ईश्वर चन्द ने भाषा में लोकतत्व के सूक्ष्म तंतुओं और उसकी बुनावट से परिचय कराते हुए सांस्कृतिक समृद्धि का आह्वादक बोध कराने का प्रयास किया है । 'देवनागरी लिपि, वर्तनी एवं प्रयोग' नामक लेख में श्री क्षेत्रपाल शर्मा ने देवनागरी लिपि, वर्तनी एवं उनके प्रयोग पर प्रकाश डाला है । 'साहित्यिकी' स्तंभ में डा. राजेश्वरी चौधरी ने काव्य के मूल्यों पर नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है । डा. विनोद कुमार सिन्हा ने डा. राम कुमार वर्मा के साहित्य में दलित-विमर्श तथा नारी-विमर्श का सटीक वर्णन किया है । 'विश्व हिंदी दर्शन' स्तंभ के अंतर्गत श्री राकेश शर्मा ने विश्व हिंदी साहित्य के सफरनामे का परिचय कराया है । 'प्रबंधन' स्तंभ में श्री राजेन्द्र सिंह ने अपने लेख के माध्यम से प्रभावी नेतृत्व एवं शाखा प्रबंधन में शाखा प्रबंधक की भूमिका को रेखांकित किया है । 'पत्रकारिता' स्तंभ में डा. देविदास इंगले ने हिंदी भाषा के विकास में आधुनिक जन-संचार माध्यमों के बढ़ते प्रभाव को बड़ी सूक्ष्मता से इंगित किया है । 'संस्कृति' स्तंभ में डा. एम. शेषन् ने अपने जानकारीपरक लेख के सहारे तमिल प्रदेश में मंदिर संस्कृति के विकास का बोध कराया है । 'विविध' स्तंभ के अंतर्गत 'गांधी विवेक-हिंद स्वराज' नामक डा. आरसु के लेख में सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा देने वाले विचारोत्तेजक एवं दिशा-निर्धारक तत्वों का समावेश किया गया है । 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता' शीर्षक लेख में श्री सी.एस. टंडन ने आकर्षक, सरल एवं सुबोध भाषा का प्रयोग बड़ी चतुराई से किया है ।

राजभाषा संबंधी गतिविधियों तथा अन्य नियमित स्तंभ भी इस अंक में पहले की तरह दिए जा रहे हैं । प्रस्तुत अंक को भी रोचक एवं उपयोगी बनाने का प्रयास किया गया है । पाठकों के सहयोग एवं प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा हमें रहेगी । आपके उपयोगी सुझाव पत्रिका की गुणवत्ता सुधारने में कारगर साबित होंगे ।

—संपादक

राजभाषा विभाग के नए सचिव

श्री बी. एस. परशीरा, आई. ए. एस. ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सचिव के रूप में 04 नवंबर, 2009 को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है ।

श्री बी. एस. परशीरा हिमाचल प्रदेश से हैं । आपकी शिक्षा-दीक्षा भी वहीं पर हुई । आपने 1973 में भारतीय पुलिस सेवा ज्वाइन की और एक वर्ष बाद आप भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए चुने गए । आपने सेवा में आने के पश्चात् ब्रेडफोर्ड विश्वविद्यालय (यू.के.) से एमएससी की उपाधि भी प्राप्त की ।

श्री परशीरा भारतीय प्रशासनिक सेवा के आंध्र प्रदेश संवर्ग से हैं । आपने आंध्र प्रदेश शासन और केंद्र सरकार प्रत्येक में 15 वर्ष तक विभिन्न पदों पर कार्य किया । इसके अलावा आपने साढ़े तीन वर्ष हिमाचल प्रदेश में भी अपनी सेवाएं प्रदान कीं ।

आपने दस वर्ष से अधिक समय तक पर्यावरण क्षेत्र में कार्य किया और पिछले माह वर्तमान पद पर आसन्न होने से पूर्व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर आसन्न थे । आपका दूसरा दीर्घावधिक अनुभव आदिवासी विकास के क्षेत्र में रहा, जहां पर आपने लगभग 7 वर्ष तक सेवा की । आपको शिमला, विजयवाड़ा और हैदराबाद के तीन विभिन्न नगर निगमों में आयुक्त और विशेष अधिकारी के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त है । इसके अतिरिक्त आपने आंध्र प्रदेश सरकार में कृषि एवं सहकारिता, चिकित्सा और स्वास्थ्य, पर्यटन विकास उद्योग, खेल आदि जैसे क्षेत्रों में कार्य किया । आपने हिमाचल प्रदेश में जिला मण्डी के जिला मजिस्ट्रेट के पद पर भी सेवा की है ।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के इन कर्मठ प्रशासक के कुशल मार्ग-दर्शन एवं नेतृत्व में राजभाषा के रूप में हिंदी अपने लक्ष्य तक पहुंचने में अग्रसर होगी ।

—संपादक

चिंतन

संविधान में राजभाषा हिंदी की स्थिति और प्रास्थिति

–डॉ. एम. सी. पाण्डेय*

भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी भाषा का महत्वपूर्ण योगदान था। संपूर्ण भारत में ऐसी कोई एक भाषा नहीं थी जो देश के अधिकांश लोगों के बीच संपर्क का माध्यम बन सकती। इसलिए, सभी प्रमुख नेताओं ने हिंदी को स्वतंत्रता आंदोलन को उद्वेलित करने के लिए एक प्रबल साधन के रूप में अपनाया।

स्वतंत्रत भारत में विधि की प्रथम पुस्तक अर्थात् संविधान की रचना का कार्य अंग्रेजी भाषा में आरंभ हुआ। संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ। इस संविधान सभा में देश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के मनीषियों, समाज सुधारकों और विद्वानों का प्रतिनिधित्व था। लगभग सभी सदस्य हिंदी भाषा अच्छी तरह से जानते थे किन्तु कुछ सदस्य अंग्रेजी भाषा में अधिक पारंगत थे। फिर भी हिंदी को संविधान बनाने की भाषा न अपनाते हुए मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में बनाने का प्रयास किया। अंततः, अंग्रेजी भाषा में ही संविधान सभा द्वारा संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया।

यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि अधिकांश भारतीयों की भाषा हिंदी होने के बावजूद हमारा संविधान हिंदी में तैयार नहीं हो सका। संविधान सभा के पास इतना भी समय नहीं था कि वह संविधान हिंदी में तैयार करती या कम से कम हिंदी रूपांतरित पाठ को संविधान सभा स्वयं पारित करती। संविधान सभा ने ऐसा नहीं किया बल्कि एक संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को यह प्राधिकार दिया कि वह अपने प्राधिकार से संविधान का हिंदी अनुवाद 26 जनवरी, 1950, जिसको संविधान प्रवृत्त होना था, तक तैयार कराएं और प्राधिकृत पाठ के रूप में इसे प्रकाशित कराएं। लगभग चालीस वर्ष बीत जाने के बाद भी संविधान का राजभाषा हिंदी का प्राधिकृत पाठ तैयार नहीं हो सका। अंत में हिंदी प्रेमियों के अथक प्रयास से और संसद में सभी सांसदों के राजनैतिक प्रयास से संविधान (अठावनवां संशोधन) अधिनियम, 1987 की धारा 2 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 394 क अंतःस्थापित किया गया। जो इस प्रकार है :-

'394 क, हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ-राष्ट्रपति, इस संविधान के हिंदी भाषा में अनुवाद को, जिस पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ऐसे उपांतरणों के साथ जो उसे केंद्रीय अधिनियमों के हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठों में अपनायी गई भाषा, शैली और शब्दावली के अनुरूप बनाने के लिए आवश्यक हैं, और ऐसे प्रकाशन के पूर्व किए गए इस संविधान के ऐसे सभी संशोधनों को उसमें सम्मिलित करते हुए, तथा अंग्रेजी भाषा में किए गए इस संविधान के प्रत्येक संशोधन के हिंदी भाषा में अनुवाद को अपने प्राधिकार से प्रकाशित कराएगा। खंड (1) के अधीन प्रकाशित इस संविधान और इसके प्रत्येक संशोधन के अनुवाद का वही अर्थ लगाया जाएगा जो उसके मूल का है और यदि ऐसे अनुवाद के किसी भाग का इस प्रकार अर्थ लगाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राष्ट्रपति उसका उपयुक्त पुनरीक्षण कराएगा। इस संविधान का और इसके प्रत्येक संशोधन का इस अनुच्छेद के अधीन प्रकाशित अनुवाद, सभी प्रयोजनों के लिए उसका हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।'

इसके पश्चात् राष्ट्रपति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 394क के अनुसरण में अपने प्राधिकार से संविधान का हिंदी भाषा में अनुवाद कराया जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुवाद 1क खंड xxiv, संख्यांक 7, तारीख 23 अगस्त, 1988 के पृष्ठ 289 से 481 पर प्रकाशित किया गया। संविधान के अनुच्छेद 393क के खंड (3) में यह अधिकथित है कि संविधान का इस प्रकार प्रकाशित अनुवाद सभी प्रयोजनों के लिए उसका हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

* सहायक विधायी परामर्शी, राजभाषा खंड, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

383 HA/10—2A

संविधान सभा के समक्ष राजभाषा से संबंधित प्रश्न विचारार्थ सितंबर, 1949 में लाया गया और 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया, इसलिए 14 सितंबर, 1949 को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है । संविधान की उद्देशिका के अनुसार ''हम भारत के लोग'' भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं । यह एक ऐतिहासिक विडंबना ही थी कि भारत के लोग जिस भाषा को समझ ही नहीं सकते थे उसी भाषा में उन्हें अपने संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित करना पड़ा था । संविधान में भारत के लोगों के प्रतिनिधित्व की बात को वस्तुत: तभी स्वीकार किया गया माना जा सकता था यदि विभिन्न क्षेत्रों के संविधान सभा के प्रतिनिधि अपनी भाषा में विचार व्यक्त करते और उनकी आशाओं और आकांक्षाओं के अनुसार विचार विमर्श के पश्चात् उनकी ही भाषा में या कम से कम भारत की भाषा हिंदी में संविधान तैयार होता । संविधान निर्माण तो मात्र छलावा था जो भारतीय अंग्रेजी प्रेमियों द्वारा उत्साही भारतीय स्वतंत्रता सैनानियों के साथ किया गया था । भारतीयों के संवेदनाओं की तो इस संविधान में लेशमात्र भी जगह नहीं थी । यह संविधान तो इंग्लैंड, अमरीका, कनाडा, आयरलैंड और आस्ट्रेलिया जैसे देशों के संविधानों की मुख्य-मुख्य बातों का मात्र एक संकलन था जिसे संविधान निर्माताओं ने अपनी सुविधा अनुसार अपना लिया था । भाषा और भाव तो समाज की अपनी पहचान होती है । समाज का व्यक्ति अपने भाव को उसी भाषा में पिरो सकता है जिसका वह सदस्य है । भाषा और भाव को अलग नहीं किया जा सकता । जिस भाषा-भाषी के भाव को प्रकट किया जाना हो वह उसी भाषा में ही तभी सटीक होगा अन्यथा उसमें मिलावट जैसी बू आने लगेगी ।

संविधान के भाग 17 के राजभाषा शीर्षक के अधीन अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक में संघ की राजभाषा, प्रादेशिक भाषा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा और विशेष निदेश सहित राजभाषा से संबंधित सभी विषयों को समाहित किया गया है । संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी । अनुच्छेद 344 में यह उपबंध है कि राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ के प्रत्येक पांच वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग का गठन करेगा जो अनुच्छेद 344 के खंड (2) और (3) में वर्णित कार्यों का संपादन करेगा । इस अनुच्छेद का खंड (4) में यह उपबंध है कि एक संसदीय समिति गठित की जाएगी जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होंगे और उस समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह उपर्युक्त आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करे और राष्ट्रपति को अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन करे । खंड (6) में यह उपबंध है कि रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रपति समुचित निदेश दे सकेगा । अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषाओं से संबंधित शासकीय प्रयोजनों के लिए की जाने वाली भाषा के बारे में उपबंध है । अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा के बारे में उपबंध है । अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उपबंध है ।

संविधान में राजभाषा से संबंधित दो अनुच्छेद और भी है, वे हैं अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210 । अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में है और दूसरा अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा के संबंध में है । अनुच्छेद 120 का उपबंध इस प्रकार है- भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी, किन्तु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाएगा : परंतु, यथास्थिति, राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को, जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा । इसके अतिरिक्त खंड (2) में यह उपबंध है कि जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक का इस संविधान के प्रारंभ से पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो ''या अंग्रेजी में'' शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो ।

अनुच्छेद 120 के खंड (2) के उपबंध के परिशीलन से यह प्रकट होता है कि पंद्रह वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् संसद का कार्य हिंदी में ही किया जाएगा । लेकिन यह अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन है और अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में है । इस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी तथा संसद और विधानमंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों या उसके अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे । इसी प्रकार दूसरा अनुच्छेद 210 राज्य के विधानमंडल में कार्य की भाषा राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में अंग्रेजी में किए

383 HA/10—2B

जाने के बारे में है । लेकिन यह अनुच्छेद भी अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन है जिसकी भी प्रास्थिति अनुच्छेद 120 के लगभग जैसी है । कुल मिलाकर हिंदी और अन्य राज्य की राजभाषाओं की स्थिति लगभग एक जैसी की है ।

इससे बढ़कर आश्चर्य की बात क्या हो सकती है कि भारत जैसे स्वतंत्र हिंदी भाषी राष्ट्र में आज की उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अधिनियमों, नियमों, उपविधियों, अधिसूचनाओं और सरकारी आदेशों के अंग्रेजी पाठ की ही प्रामाणिकता है । आज भी संसद् में विधेयकों के अंग्रेजी पाठ को ही पारित किया जाता है और इसका अनुमोदन राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त किया जाता है । संसद् मे विधेयकों के अंग्रेजी पाठ के साथ हिंदी पाठ पेश करना महज एक औपचारिकता बन कर रह गयी है । क्योकि न तो हिंदी पाठ संसद् द्वारा पारित किया जाता है न ही संसद् में हिंदी पाठ पर कोई चर्चा या बहस होती है । चर्चा हो भी क्यों जब संविधान ने ही अपने अनुच्छेद 384 द्वारा उच्चतम न्यायालय को केवल अधिनियम के अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक मानने या मान्यता प्रदान करने का हक दे दिया हो । यही नहीं कोई भी नागरिक राजभाषा हिंदी में अपना आवेदन उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकता । यदि किसी नागरिक की कोई शिकायत है या अनुरोध है तो संविधान में अनुच्छेद 350 के अधीन व्यथा निवारण के लिए अभ्यावेदन हेतु संघ में या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने के हक के बावजूद उसे अपने की देश के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पहले अंग्रेजी सीखने होगी या मोटी रकम अपने अधिवक्ता को देनी होगी जिससे वह आपका पक्ष प्रस्तुत करे लेकिन आपको यह पता ही नहीं होगा कि आपकी पक्षपोषक अधिवक्ता क्या लिख रहा है या न्यायालय के समक्ष क्या कह रहा है । आप तो एक मूक दृष्टा की तरह न्यायालय कक्ष की सीमा के बाहर से भगवान का स्मरण करते रहें और भगवान से अपने विजय की कामना करते रहे चाहे विधि के उपबंध या तर्क आपके पक्ष में है या नहीं ।

संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में उपबंध है । इसमें यह उपबंध है कि जब तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होगी । इस अनुच्छेद में यह भी उपबंध है कि संसद् के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधान-मंडल के सदन या प्रत्येक सदन में पुर:स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के, संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित सभी अधिनियमों के और राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों के, और इस संविधान के अधीन अथवा संसद् या किसी राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेशों, नियमों, विनियमों और उपविधियों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे ।

आज देश की स्वतंत्रता के 63 वर्ष बीत जाने के बाद भी अंग्रेजी भाषा ही भारतीयों के लिए सभी उच्चतर न्यायालयों में व्यवहार और प्रयोग की भाषा है । संविधान के अनुच्छेद 349 में भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उपबंध है । लेकिन यह उपबंध केवल संविधान के प्रारंभ से पन्द्रह वर्ष की अवधि के दौरान भाषा के संबंध में विशेष प्रक्रिया से संबंधित है । पन्द्रह वर्ष का समय काफी पहले व्यतीत हो गया है । अत: इस अनुच्छेद की अब कोई प्रासंगिकता नहीं है ।

आपको यह पूरी तरह से ज्ञात है कि आज भी विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि विषयों की तो बात ही क्या, स्वतंत्र भारत में विधि, न्याय और प्रशासन जैसे संविधान से प्रमुख रूप से जुड़े विषयों की भाषा भी अंग्रेजी ही है । संविधान में राजभाषा से संबंधित सभी उपबंधों के प्रवृत्त होने की अवधि काफी पहले बीत चुकी है, इसलिए राजभाषा से संबंधित अधिकांश उपबंध अप्रासंगिक हो गए हैं, अत: राजभाषा हिंदी से संबंधित संविधान के सभी उपबंधों पर पुन: उच्चस्तरीय विचारविमर्श की आवश्कता है। मैं पाठकों का ध्यान विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 348 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । इस अनुच्छेद के अनुसार जब तक अंग्रेजी भाषा में कानून बनते रहेंगे तब तक हिंदी भाषा को वास्तविक रूप से राजभाषा का दर्जा देना मात्र हास्यास्पद होगा । इस अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी भाषा ही अधिनियमों और विनियमों का प्राधिकृत पाठ है जिसका ही अवलंब सभी न्यायालयों को लेना है । यदि किसी अन्य भाषा में कानून है भी और कोई न्यायालय उस पाठ का अवलंब लेता है तो दोनों पाठों में विसंगति की दशा में इस अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी भाषा वाला पाठ ही अभिभावी होगा । सुधी पाठकों से मेरा यह अनुरोध है कि संविधान के अनुच्छेद 348 के संशोधन के लिए संसद् पर राजनैतिक दवाव डालने के सारे हथकंडे अपनाने पर जोर दें जिससे कि स्वयं संविधान के इस अनुच्छेद में मूल रूप से विधेयकों और उनके सभी संशोधनों को संसद् या विधान-मंडल द्वारा अंग्रेजी भाषा के साथ-साथ हिंदी भाषा में भी पारित किया जाए और हिंदी भाषा वाले पाठ को भी वही स्थान और प्राथमिकता प्राप्त हो जो अंग्रेजी भाषा वाले पाठ को प्राप्त होती है । ■

रोज़गार और हिंदी

—डॉ. परमानंद पांचाल*

आजीविका का प्रश्न मनुष्य के सामने सदा से रहा है। हजारों वर्षों से मानव समूह एक स्थान से दूसरे स्थान तक और एक देश से दूसरे देश तक रोजगार की तलाश में भाग्य आजमाते रहे हैं। आज भी यही स्थिति है। आज का प्रत्येक नवयुवक भी वही भाषा और वही तकनीकी सीखना चाहता है, और वहीं जाना चाहता है जहाँ उसे रोजगार मिल सके। इसके लिए आज अधिकांश नवयुवक विदेशों, विशेषकर अमरीका की ओर ताकते हैं। उसके रोजगार का ग्राफ भी आज अमेरीका में काम करने के बढ़ते अवसर पर ही निर्भर करता है। लगता है कि हमने अपनी शिक्षा को विदेशों में नौकरी की संभावनाओं को तलाशने का आधार ही बना दिया है। यही कारण है कि आज भी एक विदेशी भाषा जो इस देश में विजेता की भाषा के रूप में थोप दी गई थी, रोजगार की प्रमुख भाषा बनी हुई है। हमारे नवयुवकों का भाग्य एक विदेशी भाषा पर टिका है। हाल ही के एक समाचार पत्र की सुर्खी है कि "बेल आउट पैकेज पाने वाली अमेरिकी कंपनियां नहीं दे सकेंगी एच-1 बी धारकों को नौकरी।" इस प्रावधान से सबसे अधिक प्रभावित होंगे भारतीय आई. टी. पेशेवर। इससे पहले भी एक ऐसी ही खबर आई थी कि "ब्रिटेन ने अपने दरवाजे बंद किए नौकरी चाहने वाले विदेशियों के लिए।" इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा भारतीयों पर और निश्चय ही अंग्रेजी शिक्षा-दीक्षा प्राप्त कर वहां नौकरी पाने वालों पर। प्रश्न उठता है कि क्या हम अपने देश में उन्हें ये अवसर उपलब्ध नहीं करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं। किन्तु इसमें हमारी शिक्षा नीति आड़े आती है, जिस पर हम आगे विचार करेंगे।

हम इतिहास के कुछ पन्ने पलटें तो पाएगें कि यहां अंग्रेजी के आने से पहले फारसी राजभाषा थी। सिकन्दर लोधी के समय से फारसी को राजभाषा बनाया गया और मुगल सम्राट के समय में राजा टोडर मल के परामर्श पर इस आशय का पुनः फरमान जारी कर फारसी को सरकारी भाषा बना दिया गया। कहा जाता है कि मुगल शासन में 70 प्रतिशत पद फ़ारसी जानने वालों को ही दिए जाते थे। इससे देश में फारसी भाषा का वर्चस्व बढ़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आगमन और सत्ता पर काबिज़ होने के बाद लार्ड मैकाले के परामर्श से अंग्रेजी को शासन की भाषा बनाया गया। 1844 ई. में लार्ड हार्डिंग की ओर से एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसके द्वारा सरकारी नौकरी के लिए कर्मचारियों का चयन केवल अंग्रेजी भाषा का ज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्ति के आधार पर किया जाने लगा। स्पष्ट है कि ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य जनता को शिक्षित करना नहीं था। उन्हें तो ऐसे बाबुओं और कर्मचारियों की आवश्यकता थी जो सरकारी आदेशों को लोगों तक पहुंचाने, शासन व्यवस्था को चलाने, लगान तथा कर आदि वसूल कराने में उनकी सहायता कर सकें और अंग्रेजी साम्राज्य के स्वामी-भक्त बने रहें। यह कार्य अंग्रेजी भाषा की शिक्षा ने ही किया।

देश के स्वतंत्र होने के बाद के महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य नेता नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों के जाने के बाद अंग्रेजी भाषा इस देश के शासन की भाषा बनी रहे। इसी लिए भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। आशा की जाती थी कि हिंदी रोजगार से जुड़ेगी और शासन तथा निजि क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग बढ़ेगा। किन्तु ऐसा नहीं हो सका। आज हमें यह कहते हुए खेद है कि हिंदी और भारतीय भाषाएं अंग्रेजी का उचित स्थान नहीं ले सकीं। सरकार के सारे प्रयत्नों के बावजूद हम हिंदी को पूर्णतः सरकारी कामकाज की भाषा नहीं बना सके। जबकि आजादी से पूर्व राजपूताना और मध्य प्रदेश के रजवाड़ों की सरकारी भाषा हिंदी ही थी। स्वतंत्रा के बाद इतना अवश्य हुआ कि हिंदी के नाम पर कुछ पद बने और

*232-ए, पाकेट-1, मयूर विहार, दिल्ली-110091

हिंदी में रोज़गार के कुछ अवसर उपलब्ध हुए । हिंदी के पूर्णत: राजभाषा न बनने के अनेक कारण हो सकते हैं, जिनमें राजनैतिक इच्छा शक्ति की कमी, भूमंडलीकरण का प्रभाव, सूचना प्रोद्योगिकी के क्षेत्र में युगांतरकारी परिवर्तन और कम्प्यूटर जैसी तकनीकी का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश तथा एकल विश्व शक्ति की भाषा के रूप में अंग्रेजी का बढ़ता वर्चस्व आदि । किन्तु यह बात अवश्य है कि हम विश्व के एक सबसे बड़े लोकतंत्र की राजभाषा हिंदी को विश्व पटल पर स्थापित करने की बात तो करते रहे हैं, सही अर्थों में अपने ही देश में इसे प्रतिष्ठित नहीं कर सके । हम इसे साठ वर्षों के बाद भी न तो पूर्णत: राजकाज की भाषा बना सके और न इसे रोज़गार के साथ जोड़ सके ।

रोज़गार की संभावनाओं के दो प्रमुख क्षेत्र हो सकते हैं । एक सरकारी क्षेत्र और दूसरा निजी क्षेत्र । जहां तक सरकारी क्षेत्र का प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद जैसाकि पहले कहा गया है हिंदी के लिए रोज़गार के अवसर तो बढ़े किन्तु वे सम्पूर्णता की तुलना में नगण्य ही हैं । यदि हम सरकारी सेवा में उपलब्ध रोज़गार के अवसरों पर विचार करें तो देखेंगे कि भारत सरकार में रोज़गार प्राप्ति का सबसे प्रमुख अभिकरण संघ लोक सेवा आयोग है । उसी के द्वारा अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी और भारतीय भाषाओं के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि की परीक्षाएं ली जाती हैं और उच्चतम पदों तक पहुंचने के दरवाजे यही से खुलते हैं । यह अच्छी बात है और इससे सरकारी सेवाओं में रोज़गार के अवसर सभी के लिए उपलब्ध हैं । किन्तु खेद है कि सरकार द्वारा 1968 का वह संकल्प अभी भी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है जिसमें कहा गया है कि "संघ सेवाओं अथवा पदों के लिए भर्ती करने हेतु उम्मीदवारों के चयन के समय हिंदी अथवा अंग्रेजी में से किसी एक का ज्ञान अनिवार्यत: अपेक्षित होगा ।" इस प्रकार सरकारी सेवा में प्रवेश के लिए अंग्रेजी की अनिवार्यता तो बनी हुई है, हिंदी की नहीं । फलत: हिंदी के ज्ञान के बिना तो केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में आ सकते हैं, किन्तु अंग्रेजी के बिना नहीं । परिणामत्: अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व आज भी बना हुआ है, जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का प्रसार करता है । यही कारण है कि आज अंग्रेजी माध्यम के पब्लिक स्कूलों की गाँव-गाँव, नगर-नगर में एक बाढ़-सी आ गई है । इन्होंने एक उद्योग का रूप ले लिया है । कहना न होगा कि इनमें उद्योगपतियों, अनेक जनप्रतिनिधियों अर्थात् संसद् सदस्यों से लेकर, विधायकों, पार्षदों और पूंजीपतियों का पैसा लगा है, जो अपने लाभ के लिए हिंदी और भारतीय भाषाओं के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन गए हैं । यदि इस संकल्प के अनुसार अंग्रेजी की अनिवार्यता हटा दी जाए तो इससे देश तो नहीं टूटेगा, जैसा कि बहुधा भ्रमित किया जाता है, किन्तु अंग्रेजी माध्यम के इन स्कूलों का यह मायाजाल अवश्य ध्वस्त हो जाएगा और हिंदी तथा भारतीय भाषाएं रोज़गार से सीधे जुड जाएंगी ।

कहना न होगा कि ज्ञान आयोग के अध्यक्ष श्री सैम पित्रोदा का यह सुझाव कि अंग्रेजी को पहली कक्षा से ही अनिवार्य बना दिया जाएं, भ्रम पैदा करता है और अनावश्यक रूप से हिंदी और भारतीय भाषाओं की उपेक्षा करता है । समझ में नहीं आता कि उन्होंने देश की मान्य राजभाषा हिंदी के प्रयोग पर क्यों चुप्पी साध ली । इसका संदेश निश्चय ही विपरित दिशा में जाता है ।

हिंदी के क्षेत्र में रोज़गार की संभावनाएं :

आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है । भारत भी इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है । रोज़गार के अनेक अवसर इस क्षेत्र में मिल रहे हैं, किन्तु उनका माध्यम अंग्रेजी भाषा ही बना हुआ है । जब हम रोज़गार के क्षेत्र में हिंदी की वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि अंग्रेजी की इस चकाचौंध में भी हिंदी का भविष्य उज्जवल है । आवश्यकता इसके प्रयोजन मूलक पक्ष को आगे बढ़ाने और ऐसे क्षेत्रों को युवकों की जानकारी में लाने की है, जहां हिंदी में रोज़गार की संभावनाएं अधिक उपलब्ध है । यहां हम ऐसे कुछ क्षेत्रों पर विचार करेंगे ।

1. "**भाषाई उद्योग**" के रूप में अंग्रेजी का वर्चस्व सर्वविदित ही है । आज अंग्रेजी (अमेरीकन) ने रूस, चीन और जापान आदि देशों में भी अपनी जगह बना ली है । अंग्रेजी का यह स्थान निश्चिय रूप से एक साहित्यिक या अंग्रेजी अस्मिता का न होकर केवल व्यापारिक और औद्योगिकी ही है । अत: औद्योगिक परिप्रेक्ष्य में एक उद्योग के रूप में भी आधुनिक हिंदी का प्रशिक्षण दिया जाए । आज हिंदी देश-विदेश में

383 HA/10—3A

पढ़ाई जाती है । अकेले अमेरीका में ही लगभग 150 विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होती है । हिंदी शिक्षण हेतु पाठ्यक्रम आधारित दृव्य-श्रव्य सामग्री की बड़ी मांग रहती है । इस दिशा में कार्य किया जाए । यह अपने में एक बड़ा मार्केट सिद्ध होगा । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति श्री बुश अमरीकी लोगों को हिंदी सिखाने का आह्वान कर ही चुके हैं ।

2. आज मनोरंजन उद्योग के क्षेत्र में भी हिंदी की अपार संभावनाएं हैं । सिनेमा जगत में विभिन्न कार्यों के लिए हिंदी का ज्ञान उपयोगी ही नहीं, आवश्यक भी है । हिंदी में पटकथा लेखन और सशक्त संवाद के लिए कुशल लेखक चाहिए, काव्य और संगीत रुचि के साहित्यकार इस उद्योग के लिए निश्चय ही अपना उच्च स्थान प्राप्त कर सकते हैं । कहना न होगा कि हिंदी फिल्मों की लोकप्रियता अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में दिनोंदिन बढ़ रही है । इस पर श्री मनोज रघुवंशी ने अपनी फिल्म 'बालीवुड में हिंदी' में अच्छा प्रकाश डाला है । शिक्षा के क्षेत्र में भी हिंदी फिल्मों का प्रयोग देश में ही नहीं विदेशों में भी बढ़ रहा है । यहां हिंदी ही रोजगार की कुंजी है । एनीमेशन फिल्मों तथा कार्टून फिल्मों में हिंदी का प्रचलन बढ़ रहा है । विदेशी 'प्रोडक्शन्स' भी हिंदी में डब होकर आ रहे हैं । हाल ही में आई फिल्म "स्लमडोग" में गुलजार की भूमिका इसका उदाहरण है । आज अधितकर चैनल जैसे स्टार न्यूज, जी टी वी, सहारा, आज तक 24 घंटे समाचार हिंदी में प्रसारित कर रहे हैं ।

3. जनसंचार के क्षेत्र में हिंदी माध्यम का प्रयोग निरंतर लोकप्रिय होता जा रहा है । अधिकतर चैनल अब हिंदी में ही अपना प्रसारण करते हैं । देखने में आया है कि राजनीति से जुड़े अधिकतर व्यक्ति हिंदी में समाचार सुनना अवश्य पसंद करते हैं वो जानते हैं कि उनका संदेश हिंदी के माध्यम से ही ठीक प्रकार से जनता तक पहुंच सकता है । "डिस्कवरी", नेशनल ज्योग्राफिक" और "कार्टून" एनीमल वर्ल्ड तथा खेल जगत से जुड़े अंग्रेजी प्रसारण अब हिंदी में डब होकर या रूपांतरित होकर आ रहे हैं । इस क्षेत्र में अनुवाद, डबिंग, सब-टाइटलिंग, सार-लेखन, संवाद लेखन तथा ई-मेल आदि के लिए हिंदी के ज्ञान की आवश्यकता है । टी.वी. चैनलों पर अधिकांश चर्चा कार्यक्रम, खेल और चुनाव समीक्षाएं आदि हिंदी में आ रहे हैं । बी.बी.सी. वाईस ऑफ अमेरीका तथा अन्य अनेक देशों के प्रसारण हिंदी में भी हो रहे हैं । समाचारों का वाचन हो या अंग्रेजी समाचारों का हिंदी में अनुवाद या भाषांतरण हो, हिंदी ज्ञान आवश्यक है । रेलों तथा विमानों में उदघोषकों के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक है ।

4. **"प्रबंधन विज्ञान"** के क्षेत्र में तो हिंदी की भरमार संभावनाएं मौजूद हैं । प्रसन्नता की बात है कि महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा में बी.बी.ए. और एम.बी.ए. के पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण हिंदी माध्यम से प्रारंभ हो गया है । इससे हिंदी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने वालों के लिए रोजगार के द्वार निश्चय ही खुल जाएंगे । अन्य विश्वविद्यालयों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए ।

5. **इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी और चिकित्सा** के क्षेत्र में भी हिंदी आरंभ होने से हिंदी की संभावनाएं बढ़ जाएंगी । आवश्यकता इस दिशा में पहल करने की है । सभी उन्नत देशों में इन विषयों की शिक्षा वहां की भाषाओं में ही दी जाती है । फिर, भारत में क्यों ऐसा नहीं हो सकता ।

6. **अनुवाद** के क्षेत्र में तो हिंदी की विश्व व्यापी मांग है । सरकारी दफ्तरों के अतिरिक्त अच्छे अनुवादक, उद्योग, वाणिज्य, सूचना, मनोरंजन, पत्रकारिता, साहित्य और पर्यटन के क्षेत्र में बड़ी सफलता से रोजगार प्राप्त कर सकते हैं । संसद में हिंदी अनुवादकों के बिना कार्य संचालन असंभव है । दुभाषियों की आवश्यकता राजनयिक क्षेत्र में रहती ही है । इसके लिए भी हिंदी भाषा का ज्ञान आवश्यक है ।

7. जहां तक विज्ञापन के क्षेत्र का प्रश्न है यहां तो हिंदी भाषा का कौशल अपना चमत्कारी प्रभाव रखता है । जादू वह है जो सिर पर चढ़कर बोले । अंग्रेजी समाचार चैनल में भी, आप देखेंगे कि हिंदी में विज्ञापन देना आज मजबूरी बन गई है ।

383 HA/10--3B

8. खेल जगत में भी हिंदी लोकप्रिय हो रही है । क्रिकेट के खेल में साधारण व्यक्ति भी रूचि लेता है । कमेंट्री अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी होती है । विज्ञापन दिए जाते हैं । ऐसे में हिंदी सीधे खेल जगत के आर्थिक पक्ष से जुड़ जाती है । खेल पत्रकारिता से जुड़े पक्षकारों के लिए विशेष पाठ्यक्रम चलाए जा सकते हैं ।

9. भारत में हिंदी सबसे बड़ी संपर्क और बोलचाल की भाषा है । अत: बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र का बड़ा भाग हिंदी क्षेत्र में ही उपलब्ध है, जहां करोड़ों रुपए का व्यापार होता है । इस क्षेत्र के कर्मी हिंदी का ही सहारा लेते हैं ।

10. **कोर्ट, कचहरी** की भाषा के रूप में भी हिंदी लोकप्रिय स्थान रखती है । हिंदी भाषी राज्यों में तो न्यायालयों में हिंदी का ही अधिक प्रयोग होता है । वकील, मुंशी, टंकक और आशुलिपिक तथा रजिस्टरी और आवेदन पत्र आदि लिखने वाले सभी हिंदी का प्रयोग करते हैं । यदि इन राज्यों के उच्च न्यायालयों में निर्णय भी हिंदी मे ही होने लगें तो हिंदी से संबंधित रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी ।

11. पत्रकारिता और मीडिया जगत में तो हिंदी की संभावनाएं अपार हैं । भारत में हिंदी के पत्र-पत्रिकाओं की संख्या सब से अधिक है । देश में सबसे अधिक छपने वाला दैनिक पत्र भी हिंदी का ही है ।

इनके अतिरिक्त और भी अनेक अन्य कार्य है जहां हिंदी ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है ।

कम्प्यूटर और इंटरनेट पर हिंदी के प्रयोग से दुकानदारों, व्यापारियों और उद्योगधंधों से जुड़े लोगों को अंग्रेजी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा । हमे हिंदी को रोजगार और बाजार की जरूरतों से जोड़ना होगा, उद्योग और वाणिज्य से जोड़ना होगा तभी जाकर हिंदी के लिए रोज़गार के अधिक से अधिक अवसर प्राप्त हो सकेंगे । इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अब अनेक विश्वविद्यालयों ने हिंदी में साहित्य के अतिरिक्त प्रयोजनमूलक हिंदी के पाठ्यक्रम भी आरंभ किए हैं । इससे हिंदी को व्यावहारिक भाषा बनाने में सहायता मिलेगी ।

भूमंडलीकरण के कारण जहां अंग्रेजी का दायरा व्यापक हुआ है, वही हिंदी की भी जरूरत बढ़ी है । देश की बहुत बड़ी जनसंख्या हिंदी बोलती है । भारत के बाहर भी कई देशों में हिंदीभाषियों का बाहुल्य है, इसलिए व्यापारिक कंपनियां चाहे देशी हों या विदेशी अपना माल बेचने के लिए हिंदी की उपेक्षा नहीं कर सकती । अत: व्यापारिक संस्थानों में हिंदी की जानकारी रखने वालों की आवश्यकता तो रहेगी ही । विश्व बाजार ने तो हिंदी की ताकत को पहचाना है, किन्तु हिंदी अपनी इस ताकत को कब पहचानेगी? निश्चय ही इसके लिए राष्ट्रीय सोच की आवश्यकता है, मानसिकता बदलने की आवश्यकता है और आवश्यकता है राजनीतिक इच्छा शक्ति की । तभी जाकर हम नवयुवकों को हिंदी के प्रति आकर्षित कर सकेंगे । ■

हमारी भाषा हमारा प्रतिबिंब है ।

—महात्मा गाँधी

राजभाषा हिंदी की व्यावहार्यता

–डॉ. इन्द्र सेंगर*

हमारे दैनिक जीवन में भाषा की विशेष महत्ता है। हम अपने भावों, विचारों और अनुभूतियों को व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे ही व्यापक अर्थ में भाषा कहा जाता है। भाषा का लिखित रूप प्रदान करने वाले माध्यम को हम लिपि कहते हैं। लिपियाँ दो प्रकार की होती हैं– चित्रात्मक लिपि और ध्वन्यात्मक लिपि। भारत में आदिकाल से दो प्रकार की ध्वन्यात्मक लिपियाँ मिलती हैं, जिन्हें खरोष्ठी और ब्राह्मी नाम से जाना जाता है। जिस लिपि में हिंदी लिखी जाती है, उसे नागरी लिपि कहते हैं। यह लिपि ब्राह्मी लिपि की ही वंशजा है। यह लिपि विश्व की लिपियों में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक है क्योंकि इस लिपि में जो लिखा जाता है, वही पढ़ा भी जाता है। यह लिपि सब लिपियों से सरल है और भाषा विज्ञान की सभी कसौटियों पर खरी उतरती है। इस लिपि में विश्वभर की भाषाओं को व्यक्त करने की क्षमता है। इसी विशेषता के फलस्वरूप हिंदी आज विश्व मंच पर छा चुकी है।

लगभग दो शताब्दियों की परतंत्रता के उपरान्त 15 अगस्त, 1947 ई. को जब भारत को स्वतंत्रता मिली, दासता का अन्धकार तिरोहित हुआ, स्वावलम्बन और स्वाभिमान के सूर्य का उदय हुआ, तो देश ने नई उमंगों के साथ अपनी समस्याओं के निरसन की दृढ़ संकल्पना की। देश के शासन की बागडोर जननायक पं. जवाहरलाल नेहरू के सशक्त हाथों में आई कई वर्षों के अनवरत परिश्रम के उपरान्त भारत के संविधान निर्माताओं ने देश को अपना नूतन संविधान प्रदान किया, जो राष्ट्र की सर्वांगीण समृद्धि की कल्पना का साकार रूप है। इस संविधान को भारत की जनता ने, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न, लोक तंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, दृढ़ संकल्प होकर अधिनियमित और अंगीकृत किया है। इसमें यदि एक ओर नागरिकों के मौलिक अधिकारों, उनके उत्थानप्रद मार्गदर्शक सिद्धान्तों, केंद्र और राज्यों के सम्बन्धों, न्यायपालिका और अर्थव्यवस्था के नियंत्रण आदि से सम्बन्धित व्यवस्थाओं का समुचित समावेश है तो दूसरी ओर प्रशासन के सुचारु संचालन के लिए, संघ की राजभाषा के रूप में, देवनागरी में लिखित हिंदी के प्रयोग की समुचित व्यवस्था भी की गई है।

हिंदी को राजभाषा होने का महत्व मात्र इसलिए नहीं दिया गया कि यह सारी भारतीय भाषाओं में ऊँची है, बल्कि इसे राजभाषा के रूप में इसलिए अनुमोदित किया गया कि हिंदी को जानने, समझने और बोलने वाले देश के कोने-कोने में विद्यमान हैं। यह लोग भले ही व्याकरण की भूलें करते हों, अशुद्ध उच्चारण करते हों, परन्तु बोलते हिंदी ही हैं और उसी में अपने भाव व्यक्त करते हैं तथा दूसरों की बात भी समझ लेते हैं। यह केवल एक धर्म विशेष या क्षेत्र विशेष के मुट्ठी भर लोगों की भाषा नहीं है, प्रत्युत यह देश के कोटि-कोटि कंठों की पुकार और उनके हृदय का सुरभित हार है।

मेरी ऐसी मान्यता है कि सरकारी काम्-काज में हिंदी पत्राचार में अभिवृद्धि करने के लिए आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। हिंदी में काम-काज करने वाले कर्मचारी और अधिकारी कार्यालयीन भाषा में कठिन शब्दों का प्रयोग करके उसे बोझिल न बनाएँ। यदि हम सच्चे अर्थों में हिंदी का प्रचार-प्रसार करके भारत सरकार के संकल्प को पूरा करना चाहते हैं, तो हमारा यह नैतिक कर्तव्य है कि सरल से सरल भाषा का प्रयोग करें। इसे सरल भाषा में व्यक्त करने का सबसे सहज तरीका है कि संबंधित कर्मचारी उसे सरल हिंदी में सोच कर तैयार करें। उसके बारे में पहले अंग्रेजी में सोचना और फिर उसे हिंदी में तैयार करना दोगुनी ऊर्जा और समय का अपव्यय करना होगा, जो आज की यांत्रिक व्यस्तता के युग में अव्यावहारिक ही नहीं अपितु राजभाषा हिंदी की व्यवहार्यता के प्रतिकूल भी है।

*सदस्य सचिव, नराकास, ए-13, सैक्टर-1, नोएडा-201301

सार्वजनिक उपक्रमों में दैनिक व्यवहार के बहुत से पत्र ऐसे होते हैं, जिनको यदि एक बार हिंदी में मानक रूप में तैयार करके मुद्रित करा लिया जाए और उनका प्रयोग शुरू कर दिया जाए तो हिंदी में किए गए पत्राचार का प्रतिशत कई गुना बढ़ सकता है । उदाहरण के लिए जिन उपक्रमों से किसी भी प्रकार का भुगतान होता है, वहाँ चेक के साथ भेजने वाले अग्रेषण पत्र को मानक रूप में हिंदी में मुद्रित कराके हिंदी पत्राचार की प्रतिशतता में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है । उपक्रमों में तैनात कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा अन्य विभागों में सेवा के लिए भेजे जाने वाले आवेदन पत्रों के अग्रेषण पत्रों को भी हिंदी में मानक रूप में तैयार कराके मुद्रित करा लिया जाए तो हिंदी पत्राचार के आँकड़े पर्याप्त बढ़ सकते हैं ।

इसी प्रकार जिन उपक्रमों का आम जनता से प्राय: समान प्रवृत्ति का पत्राचार होता रहता है, उन पत्रों को भी यदि हिंदी में मानक रूप में तैयार कराके मुद्रित करा लिया जाए तो हिंदी पत्राचार के आँकड़े काफी संख्या में बढ़ सकते हैं ।

हमें अपने राष्ट्र की भाषा के निस्सीम प्रचार-प्रसार के लिए विदेशों से प्रेरणा लेनी चाहिए । फ्रांस में अंग्रेजी बोलने अथवा लिखने पर 6 महीने का कारावास या 50,000 फ्रैंक का जुर्माना है । इतना ही नहीं चीन, फ्रांस, जापान, जर्मनी और रूस ने यह सिद्ध कर दिया है कि तकनीकी विकास के लिए अंग्रेजी अनिवार्य नहीं है । इन सभी देशों ने अपनी टेक्नोलॉजी को अपनी भाषा में विकसित किया है, और एक हम हैं कि यही बहाना छू लेते हैं कि हमारा उपक्रम या विभाग तकनीकी किस्म का है इसलिए हिंदी में काम नहीं हो सकता है । जबकि हिंदी तो अगाध समुद्र के समान उदार है जिसके विशाल हृदय में किसी भी भाषा का शब्द आया वह उसका अपना हो गया । हिंदी में ऐसे अनेक विदेशी शब्द हैं, जो आज हिंदी के आंचल में हंस-खेल रहे हैं । 'रेल' अंग्रेजी का शब्द है, 'सिगनल' अंग्रेजी का शब्द है । 'ट्रेन लेट हैं' इसमें दो शब्द अंग्रेजी के हैं, मात्र एक शब्द 'है' ने ही पूरा वाक्य हिंदी का बना दिया । इसी के अनुसरण में मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि कोई तकनीकी अथवा गैर तकनीकी ऐसा शब्द है जिसका आपको हिंदी पर्याय नहीं आता तो उसे देवनागरी में जैसे का तैसा लिखने की आपको पूर्ण स्वतंत्रता है ।

हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रमों का जाल बिछा हुआ है । अधिकांश उपक्रम आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं । कार्यवृत्ति के आधार पर उपक्रमों का और जनता का संबंध आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता का होता है । इन दोनों के बीच आदान-प्रदान का अटूट रिश्ता व्यापार-प्रक्रिया का ही एक स्वरूप है । आप यह भली प्रकार से जानते हैं कि व्यापार की अपनी निजी कोई भाषा नहीं होती । व्यापार की भाषा वह होती है जो उपभोक्ता जनमानस की भाषा होती है । अत: उपक्रमों में हिंदी में कार्य व्यापार चलाया जाना उनकी व्यापारिक अनिवार्यता है । परिवहन के क्षेत्र में आने वाले 'केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम', 'भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण', 'दिल्ली परिवहन निगम', 'भारतीय पर्यटन विकास निगम', सभी उपक्रम जनता के उपयोग के लिए बने हैं । इनका जनता से अत्यन्त निकट का सम्पर्क है, वाहनों में विभिन्न प्रकार के लिखित निर्देश, उनके कार्य व्यवहार, तत्सम्बन्धी कागजात से हिंदी को फूलने-फलने का पर्याप्त अवसर मिलता है ।

जीवन बीमा से संबंधित अनेक उपक्रम हैं, जैसे-'भारतीय जीवन बीमा निगम', 'नेशनल इंश्योरेंस कार्पोरेशन (लि.)', ऑरियन्टल बीमा कम्पनी', 'भारतीय यूनिट ट्रस्ट', 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम', (ई. एस. आई. कार्पोरेशन) आदि उपक्रमों का जनता से एकदम सीधा संबंध है । बीमा पॉलिसी हिंदी और अंग्रेजी में जारी की जा रही है । 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम' में अधिकांश कार्य हिंदी में ही हो रहा है । सभी हिदायतें हिंदी में भी उपलब्ध होती हैं । अत: हमारे किसान भी इन संस्थाओं के साथ आसानी से हिंदी में पत्राचार कर लेते हैं ।

इस क्षेत्र में भारतीय बैंक भी पीछे नहीं है । 'बैंक ऑफ इंडिया', 'पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक', 'पंजाब नेशलन बैंक', 'विजया बैंक', 'भारतीय स्टेट बैंक', 'सिण्डीकेट बैंक', 'आन्ध्र बैंक' आप किसी भी बैंक में चले जाएँ, पैसे जमा करने के लिए अथवा निकालने के लिए आप नि:संकोच हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं । आपको किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं होगी । बैंकों में ऋण-आवेदन पत्र भी हिंदी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में मिल जाते हैं । 'पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक' के मुख्यालय से तो एक पत्रिका का भी प्रकाशन होता है, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और गुरुमुखी तीनों भाषाओं में सामग्री प्रकाशित होती है ।

383 HA/10—4A

अब हम विकास सम्बन्धी उपक्रमों की ओर आते हैं 'राष्ट्रीय बीज निगम', 'लघु किसान विकास निगम', 'राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम', 'राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम', 'राष्ट्रीय वस्त्र निगम', 'कृभको' आदि निगमों में भी हिंदी किसी भी रूप में विकलांग नहीं है । अब एक नजर ट्रस्टों पर भी डाल लें । 'चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट', नेशनल बुक ट्रस्ट' अपनी साहित्यिक पुस्तकें प्रकाशित करके पूरे विश्व में हिंदी की जो पावन भागीरथी प्रवाहित कर रहे हैं, उनका प्रयास सराहनीय है । ये दोनों ट्रस्ट भारत की संस्कृति का पूरे विश्व में प्रचार-प्रसार करके अपना उच्चतम स्थान प्राप्त कर चुके हैं ।

राजभाषा हिंदी की व्यवहार्यता की संवृद्धि में शैक्षणिक संगठनों की भूमिका निस्संदेह महत्वपूर्ण है । केंद्रीय विद्यालय संगठन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान आदि संस्थानों द्वारा शिक्षा के माध्यम के रूप में में जो राजभाषा हिंदी का व्यवहार्य स्वरूप छात्रों को पाठ्य-पुस्तकों के माध्यम से प्रदान किया जाता है उसे ही छात्र अपने में आत्मसात् करके अपने ज्ञान का अमित भंडार भरते हैं । साथ ही इन संगठनों के पास अनुभवी शिक्षाविदों और अध्यापकों की बहुलता होती है अत: राजभाषा हिंदी की व्यवहार्यता को साकार करने में इनका भी भरपूर सहयोग लिया जा सकता है ।

ध्यातव्य है कि सभी सार्वजनिक उपक्रम आर्थिक सम्पन्नता में कामधेनु के समान हैं, जो हमारे राष्ट्र के लिए सुदृढ़ मेरुदण्ड का काम करते हैं और भाषायी क्षेत्र में ऐसे कल्पवृक्ष हैं, जिन्हें राजभाषा प्रयोग के लिए किसी का मुंह ताकना नहीं पड़ता है । जन सामान्य से जुड़े रहने के कारण यदि एक ओर से आम जनता से कार्य व्यवहार द्वारा अर्थ प्राप्ति करके देश को सशक्त बनाते हैं तो दूसरी ओर जनता से ही अर्थ के साथ-साथ शब्द-सम्पदा प्राप्त करके ये राजभाषा शब्द कोश की वृद्धि में भी अपना अनुपम योगदान करते हैं । यहाँ मैं विशेष उल्लेख करना चाहूँगा कि सार्वजनिक उपक्रम अर्थ-व्यवस्था जैसे किसी भी मामले में स्वतंत्र का सकते हैं लेकिन राजभाषा नीति के उल्लंघन के लिए उन्हें किसी भी प्रकार की छूट नहीं है ।

आपके मानस में इस समय अनेक ऐसी समस्याएँ घुमड़ रही होंगी जिनसे आप हिंदी में काम करने में हिचक महसूस करते हैं । आपकी यह हिचक निर्मूल है । यह आपकी हिचक नहीं प्रत्युत आपके मानस में बैठे अविश्वास का भूत है । विश्वास जगाकर अभ्यास करने से हर रास्ता आसान बन जाता है । हमें अपने मानस में हिंदी में काम करने की चाह की किरण को आलोकित करना होगा, हिचक का अन्धकार स्वयं भाग जाएगा । अब तक हम अंग्रेजी की बैसाखियों पर बहुत चल लिए, मेरा विनम्र निवेदन है कि आप हिंदी के हिंडोले में एक बार बैठकर देखें । आपको असीम आनन्द की अनुभूति होगी । इस आनन्द की अनुभूति का वर्णन करते हुए सुकवि पं. हरिशंकर शर्मा ने सत्य ही कहा है-

बिहारो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे,
सूर की कुटी में अड़ आसन जमाइए ।

केशव की कुंज में किलोल केलि कीजिए या,
तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए ।

देव की दरी में दुर दिव्यता निहारिये या,
भूषण की सेना के सिपाही बन जाइये ।

अन्य भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख,
हिंदी के हिंडोले में जरा तो बैठ जाइए ।

आइये हम सभी संकल्प लें राजभाषा हिंदी की नि:स्वार्थ सेवा करने का, इसके स्पंदन को निरंतर प्रेम के पंथ पर बढ़ाते रहने का, इसके प्रचार-प्रसार के लिए प्रेरणा, प्रोत्साहन जैसे अभिप्रेरक तत्वों की सक्रियता को बढ़ाने का, इसे सहज और सुबोध भाषा बनाकर इसकी व्यवहार्यता को जन-मानस तक पहुँचाने का । जय हिंदी । ■

हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का स्रोत है ।

—सुमित्रानंदन पंत

383 HA/10—4B

हिंदी शब्दों का खूबसूरत लोकतंत्र

–ईश्वर चंद्र मिश्र *

भाषा अपने चरित्र में लोकतांत्रिक होती है और प्रकृति में बहुलतावादी । भाषा किसी एक व्यक्ति की नहीं, पूरे समाज और जाति की होती है । भाषा में शब्दों, वाक्यांशों तथा लोकोक्ति एवं मुहावरे जैसे अभिव्यक्ति रूप वाणी के अद्‌भुत वैभव हैं । यह वैभव जन-मन के प्राणों और भावनाओं में बहने वाली सरस्वती के कारण फैलता-फूलता है । लोक-जीवन में सरसता और जीवंतता के तत्व काँटों के बीच फूलों की तरह खिले दिख सकते हैं; बशर्ते देखने वाली आँखें हों । लोकतंत्र, जनतंत्र, लोकमत, जनपद, नगर, नगरी, पुर और पुरी से परिचय की चेष्टा हमें अपनी सांस्कृतिक समृद्‌धि का आह्‌लादक बोध कराती है । यह समृद्‌धि भाषा में लोकतत्व के सूक्ष्म तंतुओं और उसकी बुनावट से आती है । भाषा की संरचना में सांस्कृतिक सम्पन्नता को खोलना पूरे शब्द तंत्र को समझना है ।

हिंदी में प्रजातंत्र, जनतंत्र और लोकतंत्र- इन तीन शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी के डेमोक्रेसी के लिए होता है । वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) ने मानकीकरण करते हुए लोकतंत्र पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी है । यहां जानने की बात है कि प्रजातंत्र और जनतंत्र से लोकतंत्र का अंतर कहां और कैसा है । प्रजा और राजा एक-दूसरे के संपूरक और सापेक्ष शब्द हैं । प्रजा का राजा होता है और राजा की प्रजा होती है । प्रजा वत्सल राजा को महान मानते थे । प्रजा की भावना का आदर और सम्मान करने वाले बहुत-से राजा भारत में हुए । फिलहाल चूँकि भारत में कोई राजा नहीं है, तो प्रजा भी नहीं है । प्रजा नहीं है तो प्रजातंत्र क्या? भारत में आज जनता है और नागरिक हैं । जनता जागरूक होती है, पब्लिक होती है । पब्लिक के बारे में प्रसिद्‌ध है: "पब्लिक है, सब जानती है; पब्लिक है ।" (फिल्मी गीत) नागरिक को मताधिकार प्राप्त है । ये नागरिक सामान्य जनता और व्यक्तियों में उम्र की दृष्टि से पात्रता वाले होते हैं । भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं और उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए सांविधानिक उपाय भी किए गए हैं । किंतु प्रजा राजतंत्रीय व्यवस्था से जुड़ी संकल्पना है । राजा अपने राज्य का सबसे संप्रभु, सबसे शक्तिशाली तथा सत्ता का केंद्र होता था । उसकी तुलना में प्रजा शक्तिविहीन, विवश और लाचार होती थी । स्वातंत्र्योतर भारत की व्यवस्था में प्रजा प्रजा नहीं, वरन जनता है । वह सत्ता की नियामक शक्ति हो चुकी है । इसलिए डेमोक्रेसी को प्रजातंत्र कहना उचित नहीं है । भारत में अंग्रेजी उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद यह राजनीतिक लाभ बहुत ही मूल्यवान है । हमारे लिए आम चुनाव महोत्सव हो गया है ।

जनतंत्र और लोकतंत्र में मूल शब्द 'जन' और 'लोक' हैं । आर्य और विशप के समान संस्कृत में 'जन' शब्द काफी प्रचलित था । 'जन' प्राय: संभ्रात और शिष्ट लोगों को कहते थे । समाज के विद्वान शिल्पी, व्यापारी, कवि, शासन के प्रतिनिधि 'जन' संज्ञा की व्याप्ति में आते थे । 'जन' में विशिष्ट लोगों को 'गण' कहा जाता था । गणेश और शिव के गण प्रमाण हैं कि पुराणों में 'गण' देवताओं को कहा गया है तथा आज जनों में विशिष्ट और श्रेष्ठ को गण कहते हैं । जन-प्रतिनिधि 'गण' होते हैं और इसलिए रिपब्लिक का हिंदी अनुवाद 'गणतंत्र' किया गया है यानी जन-प्रतिनिधियों का शासन प्रमुख जन जहां निवास करते थे, उसे 'जनपद' कहा जाता था । आज भी उत्तर प्रदेश में इन्हीं कारणों से जिला अथवा डिस्ट्रिक्ट को 'जनपद' कहते हैं । गणमान्य, जन-नायक, जन-गणमन जैसी अभिव्यक्तियां संस्कृतिमूलक हैं ।

कालान्तर में जनपदों की दो श्रेणियां हो गई- एक विशिष्ट जनपद जो नगर हो गए यानी राज्य की राजधानी और दूसरे सामान्य जनपद । नगर प्राय: जनपदों में प्रमुख तथा शासन के केंद्र होते थे । शासन के कार्य-कलाप को लेकर नगरों का महत्व जनपदों से अधिक था । नगर और नगरी में नगर बड़े थे । पाटलिपुत्र नगर था, उज्जियिनी नगरी थी । नगर

*अनुवाद तथा प्रशिक्षण अधिकारी, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, केंद्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलूर-560034

में सत्ता और शासन का वर्चस्व निहित था, नगरी धर्म और संस्कृति का केंद्र थी । नगर और पुर एक-दूसरे में समकक्ष थे । हस्तिनापुर था तो मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र 'नगर' था । बाद में अहमदनगर, बीजापुर अथवा पुष्पपुर (पटना) शासन के केंद्र थे । नगर और पुर की तरह नगरी और पुरी में अर्थों की समानता थी । पुरी या जगन्नाथपुरी के साथ-साथ द्वारकापुरी अथवा वाराणसी नगरी जैसे नाम साबित करते हैं कि प्राचीन एवं पूर्व मध्यकालीन भारत में पुरी और नगरी का धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व अधिक था, उनका राजनीतिक महत्व कम था । धीरे-धीरे नगर, पुर, पुरी तथा मुगलकाल में 'बाद' (जैसे-हैदराबाद आदि) स्थानवाची अर्थ में रूढ़ हो गए । केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की बात करें तो वहां चाणक्यपुरी, विकासपुरी, जनकपुरी, सीतापुरी, मंगोलपुरी, गोकुलपुरी, इंद्रपुरी, सरोजिनीनगर, नौरोजीनगर, लाजपतनगर, उत्तमनगर, नंदनगरी या मानसरोवर गार्डन, दिलशाद गार्डन गोरखपार्क, शालीमारबाग, मोतीबाग, सफदरजंग इन्क्लेव, फरीदाबाद, वजीराबाद जैसे नामों में पुरी, नगरी, नगर, पार्क, इन्क्लेव, बाद, बाग आदि स्थानवाची संज्ञाएं हैं । स्थानवाची अर्थ में ये शब्द रूढ़ और प्रयोग पुष्ट हो चुके हैं ।

भाषा के विकास में व्युत्पत्तिजन्य अर्थ गौण एवं संकेतार्थ मुख्य होता जाता है । यहां स्पष्ट यह है कि आरंभ में पुर अथवा नगर शब्दों का प्रयोग अनायास नहीं, बल्कि सुविचारित तरीके से होता था । सभ्यता के विकास क्रम में ग्राम से जनपद, जनपदों से नगरी, नगरों, पुरों अथवा पुरी का विकास हुआ था । इसी विकास प्रक्रिया का नतीजा हुआ कि इन पुराने शब्दों के अर्थों में तरलता आती गई । जन और जनपद के संदर्भ के कारण हम 'लोक' और 'जन' मुख्य विषय से कुछ हट गए थे । उस पर अब लौट आना चाहिए । हम लोकतंत्र और लोकमत के माध्यम के कुछ जरूरी सांस्कृतिक पहलुओं की चर्चा करना चाहते हैं ।

साहित्य ही नहीं, भाषाओं में आकर्षण और सरसता का कारण उसमें मौजूद लोकतत्त्वों की उपस्थिति होती है । 'लोकमत' को 'पब्लिक स्फीयर' के लिए उचित पर्यायवाची मानना चाहिए जो कि मराठी भाषा के अखबार 'लोकमत समाचार' के नाम से प्रमाणित है । आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रिय शब्दों में 'लोक' और 'शास्त्र' का अनूठा स्थान रहा है । शास्त्रों से जुड़ा वर्ग शिष्ट होता है । स्वभावतः यह वर्ग भद्रजनों का होता है । किंतु जो जन-समुदाय अनपढ़ और अधपढ़ हैं तथा जो अनगढ़ पत्थरों की तमाम संभावनाओं के बावजूद कदाचित उपेक्षित हैं, वही लोक है और वही तमाम लोक-मूल्यों का निर्माता भी है । आज के लोकनायक इन बातों का स्मरण नहीं रखते । हमारे देश में भोग को नहीं त्याग को, दिखावा को नहीं सादगी और सरलता को महान गुण मानते हैं । ये बातें हमारे लोकमूल्य हैं ।

लोक और लोकमत की अवहेलना करके लोकप्रिय बना नहीं जा सकता । नेहरू को लोकदेव कहा गया, लोकनायक जयप्रकाश हुए, लोकमान्य तिलक और भी पहले हुए- इन उदाहरणों से साबित होता है कि लोकप्रिय होना पॉपुलर होने से बड़ी बात है । पॉपुलर तो कई बेवकूफियां हो जाती हैं । पॉपुलर स्टेट का आशय है वह राज्य जहां की आबादी अधिक है । पॉपुलर तो पब्लिसिटी, पब्लिक, पॉपुलेशन आदि के परिवार का सदस्य है । पॉपुलर शुद्ध रूप से चलताऊ और बिकाऊ होता है, इसमें सांस्कृतिक ताकत नहीं होती । दूसरी तरफ लोकप्रियता आंतरिक ताकत से आती है, इसलिए यह बिकाऊ नहीं, टिकाऊ होती है । लोक प्रशंसा अर्जित किए बिना एवं लोकहित के कार्य किए बगैर लोकप्रियता हासिल नहीं होती । इसलिए लोकप्रियता राष्ट्रीय अथवा सामाजिक मूल्यों पर आधारित होती है । मास (कल्चर) में कुछ दिनों के लिए स्वीकार्य हो जाए, यह व्यावसायिक नज़रिया पॉपुलरिटी में है । इसलिए पॉपुलरिटी को लोकप्रियता मानना पूरी तरह उचित नहीं है । कभी-कभी जो प्रिय नहीं है, हितकर भी नहीं है उसे पसंद किया जाने लगता है । एक खास तरह की जनता को जो पसंद हो जाए, वह पॉपुलर हो जाता है । इस प्रकार लोकप्रिय और पॉपुलर दो भिन्न संस्कृतियों के प्रतिनिधि हैं ।

लोकतंत्र और लोक तथा जनतंत्र और जन के बहाने हम स्वातंत्र्योत्तर भारतीय जनता और उसकी आकांक्षाओं को मूर्त करने वाली भावनाओं से जुड़ना चाहते हैं जिसके लिए लोक और जन एवं जनादेश आदि बीज शब्द हैं । लोक देश के सांस्कृतिक और जातीय जीवन की आंतरिकता को समेटे भारतीय पहचान को परिभाषित करने वाला शब्द है । लोक की संकल्पना में सामूहिक सर्जनात्मकता निहित होती

है। इसकी तुलना में जन व्यक्तिबोधक यानी थोड़ा-बहुत इंडिविजुअलिस्टिक सेंस रखता है। लोक की अर्थ-व्याप्ति में जन और जन-परिवेश, वहां की प्रकृति, रीति-नीति, पर्व-त्यौहार, मान्यताएं और विश्वास-सभी शामिल हैं। लोक का अर्थ जन से अधिक समावेशी है। यह बात लोकगीत, लोककला, लोकनृत्य, लोक परंपरा, लोककथा जैसे शब्दों से विशेषकर जाहिर होता है।

जन और लोक इन शब्दों में से दूसरे के अंदर अर्थ का घनत्व ज्यादा है। लोकतंत्र को स्वीकार करने के पीछे यह धारणा काम करती है कि व्यक्ति की मनोरचना उसके विवेक और विचार के निर्माण में जटिल रूप से लोक की भूमिका होती है। आज के विश्व में लोकतांत्रिकता मानवीय मूल्य का द्योतक है जो इन मूल्यों की अवहेलना करता है उसकी लोक प्रतिष्ठा की हानि होती है। अंग्रेजी शब्दों मैनडेट और वर्डिक्ट के लिए जनमत और लोकमत में से दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। लोकमत अधिक भावपूर्ण है,जनमत में भावना का घनत्व कम है। जनमत तो विचार का नाम है। अंग्रेजी के एक और शब्द रेफरेंडम को जनमत संग्रह कहते हैं। जेनरल सेंटिमेंट को जनभावना कहते हैं। मास मूवमेंट को जनांदोलन तथा मास मीडिया को जन-माध्यम कहते हैं। टेलिविजन और रेडियो जैसे साधनों को जन संचार के साधन कहते हैं। यह जन संचार मास कम्युनिकेशन का हिंदी अनुवाद है। लोकसभा या विधानसभा के लिए होने वाले आम चुनाव (जेनरल एलेक्सन) में किसी राजनीतिक दल को प्राप्त जन-समथर्न (पब्लिक सपोर्ट) या जन-विरोध (पब्लिक अन-सपोर्ट) ही जनमत है। जनमत किसी दल के पक्ष में हो तो वह सत्तासीन हो जाता है और उसके पक्ष में न हो तो सत्ताच्युत हो जाता है। जनगीत, जनवादी आंदोलन, जन जागरण जैसे शब्द अत्यंत भावपूर्ण हैं और उनके अर्थ निश्चित हो चुके हैं। प्रयोग का धरातल भी शब्दार्थ को पुष्ट कर देता है। लोक परलोक, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, इंद्रलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, भावलोक जैसे शब्दों से जाहिर है कि भावात्मक प्रगाढ़ता लोक में उत्कर्ष पर है। संस्कृत की क्रिया-धातु लुच् से लोक निष्पन्न हुआ है। मजेदार है कि इसी लुच् से अंग्रेजी क्रिया 'लुक' भी निकली हुई प्रतीत होती है। उसका लुक अच्छा है अर्थात वह जैसा दिखता है वह सम्मोहक है। लुक का यह अर्थ आलोक के निकट है। आज भी 'लुचपुचाती नजरें' हिंदी का मुहावरा है। जंगल और वृक्ष-लताओं को भेदकर सूर्य की प्रातःकालीन किरणें नदी की बहती जलधारा पर पड़ती थीं। ये किरणें परावर्तित होकर किनारे की बस्तियों पर पड़ती थीं। और वे आलोक में नहा जाती थीं। ये बातें आलोक और बस्तियों के जीवन को लोक कहने के अर्थ और औचित्य को स्पष्ट करने के लिए काफी हैं। लोक -जीवन इसी कारण एक अभिव्यक्ति है।

शब्दों में अर्थ के कई स्तर होते हैं जिनका कारण संस्कृति और सामाजिक परिवेश होता है। कहना चाहिए कि शब्द व्यक्तियों के व्यापक समूह द्वारा प्रयुक्त होते हैं और उनकी भावनाएं शब्द प्रयोग से जुड़ती हैं। शब्द मानवीय चेतना का संमूर्तन करते हैं। मनुष्य की संवेदना, संवेग आदि शब्दमय होते हैं। शब्दार्थ की गत्यात्मकता के यही कारण हैं। समान अर्थों वाले शब्द भाषा में जितने होते हैं, वह भाषा उतनी समृद्ध होती है। विष, जहर, हलाहल, गरल, कालकूट यदि हिंदी में परस्पर पर्यायवाची हैं तो इसका कारण भारतीय वाङ्मय में इन शब्दों के पौराणिक, ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ हैं। प्रेम, प्यार, प्रणय, अनुराग, स्नेह, ममत्व, लगन, स्नेह, मुहब्बत, इश्क, आशिकी आदि आपस में एक-दूसरे के समानार्थी हैं तो उनका अपना-अपना व्यक्तित्व भी है। कोई भाषा अनुवाद अथवा बोलचाल के स्तर पर जितनी अधिक भाषाओं से जुड़ती है, उसका अर्थ संसार उतना ही व्यापक बनता है। तुलसी 'दल' कहने में दल पत्ता का अर्थ देता है। दल से दाल बना है है-सभी दलहनों में, अंदर दो हिस्से (दल) होते हैं- वस्तुगत रूप में यही तथ्य दाल और दलहन शब्दों की व्युत्पत्ति का कारण है। किंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक दल कहना 'दल' शब्द का अर्थ विस्तार है। दल के इस नए अर्थ ने निर्दलीय, दलबदलू, दलविरोधी, द्विवि-दलीय राजनीतिक प्रणाली, जनतादल, राष्ट्रीय जनतादल जैसी संज्ञाओं और संकल्पनाओं के लिए आधार-भूमि तैयार की है। दल समूहवाची अर्थ रखने लगा है जिसके कारण टास्कफोर्स को कार्यदल कहते हैं। शब्दों में निहित लोकतत्वों की संभावना अकूत होती है। यही ताकत लोकतंत्र को भी सर्वोत्तम शासन प्रणाली साबित करती है। हिंदी शब्दों का लोक तत्व उसका खूबसूरत लोकतंत्र है जिसकी मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। इन लोक तत्वों का अवगाहन रमणीयार्थ का प्रतिपादन है, मनभावन है और मनोरंजक है। ■

383 HA/10—5A

देवनागरी लिपि, वर्तनी एवं प्रयोग

–क्षेत्रपाल शर्मा*

यह सर्वविदित है कि शब्द ब्रह्म है अर्थात् अक्षर जो मरे नहीं, ईसाई मत में भी 'There was a word' शब्दों की उत्पत्ति हिन्दु धर्मशास्त्रों के अनुसार कुछ व्यक्ति शिव के डमरु से और कुछ 'सती' के जहां-जहां अंग गिरे, उन स्थानों से (अर्थात् शक्ति पीठों से) उत्पन्न बताए हैं, इस संबंध में काशी नगरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी के मुख-पत्र में एक लेख भी छपा है। नागरी लिपि पर देवनागरी का विकास : मानकीकरण एवं परिवर्द्धन विषय पर एक पुस्तक केंद्रीय हिंदी निदेशालय : नई दिल्ली ने प्रकाशित की है। नागरी लिपि पर उत्कृष्ट शोध कार्य डा. सुनीति कुमार चाटुर्ज्या ने भी किया है। हिंदी व्याकरण पर कलकत्ता में 1800 के आसपास एक विदेशी-विद्वान ने पहली पुस्तक लिखी। यह वही समय है जब बिखरी हुई देशज भाषाएँ 'खड़ी-बोली' के रूप में हिंदी नाम से उठ खड़ी हुई, जो कि संस्कृत का तद्भव रूप है। जैसे मिष्ट धातु से मिठाई। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण पाणिनी की अष्टाध्यायी है। हिंदी में दो व्याकरणाचार्य हैं; (1) पं. कामता प्रसाद गुरू (2) आचार्य किशोरी दास बाजपेई। डा. हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी एक पुस्तक अच्छी हिंदी में लिखी है। भाषा या भाषा-प्रयोग करने वाले कभी व्याकरण के आश्रित तो नहीं रहते लेकिन सभ्यता विकास का क्रम है, अत: भाषा भी बंधन में रहे, इसलिए व्याकरण जरूरी है।

भारत की अधिकांश भाषाओं की लिपि 'देवनागरी' है, जैसे संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, नेपाली, गढ़वाली, बोडो अंगिका, मगधी, भोजपुरी, मैथिली व संथाली। अब कंप्यूटर-वैज्ञानिकों ने यह बात मानी है कि संस्कृत भाषा कंप्यूटर के लिए उपयुक्त है। प्रत्येक ध्वनि को सही तरीके से एक वर्ण अभिव्यक्त करता है।

नागरी लिपि विक्रमादित्य के समय में भी थी और उससे भी पहले थी।

लिपि की सर्वग्राह्यता के लिए विनोबा भावे जी ने संपूर्ण भारत में एक लिषि अपनाने का आन्दोलन चलाया था। अब नागरी के लेखन, उच्चारण पर निम्न बातें ध्यान रखी जाएँ :

(1) श्री का यही रूप प्रचलित रहेगा।

(2) अंक 1, 2, 3, 4, 5 इसी तरह मान्य होंगे।

(3) 'तू' 'तुम' और 'आप' का हम ध्यान रखें।

'तू' का प्रयोग अपने छोटे से (लेकिन अब भद्रजन बच्चों से भी 'तू' नहीं बोलते, तुम का प्रयोग है 'तू' एक गाली है)। अपने से बड़ों के लिए आपका संबोधन करें। जैसा मैंने बताया, भाषा का जन्म घर, आंगन एवं बाजार में होता है, व्याकरण बाद में बनता है। शब्दों के बोलचाल के अर्थ बदल जाते हैं। 'शब्द' किस तरह प्रयोग किए जा रहे हैं, उससे उनकी 'तारक', और 'मारक' शक्ति का पता चलता है। हर भाषा के शब्द में अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना की शक्ति है अथवा यह गुण मौजूद होते हैं। भाषा से व्यक्ति का पता चल जाता है। इस पर एक कहानी इस प्रकार है कि एक सेनापति सेना लेकर गुजर रहा था। आगे सैनिक थे एक सैनिक ने राह में बैठे अंधे साधु से पूछा 'ए अंधे शहर को. कौन सा रास्ता जाएगा' ? साधु ने बता दिया। उससे बड़ा आया उसने पूछा 'सूरदास शहर को कौन सा रास्ता जाएगा', उसने फिर बता दिया। अंत में सेनापति आया और शिष्टता से पूछा, 'बाबाजी, शहर को रास्ता कौन सा जाएगा' ? तो उसने जवाब दे दिया, सेनापति को आदर भाव देकर। इस पर सेनापति ने पूछा कि 'तुम अंधे हो, तुमने कैसे जाना कि मैं कौन हूँ जो आदरयुक्त वचन कहे'। इस पर साधु ने पहले हुए वार्तालाप को कह सुनाया। इसी तरह एक ज्योतिषी अकबर के दरबार में आया। अकबर का हाथ देखकर उसने कहा कि 'आपके परिवारीजन आपके

*संयुक्त निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम मुख्यालय आई. टी. ओ. नई दिल्ली

383 HA/10—5B

देखते-देखते अल्लाह का प्यारे हो जायेंगे । इस पर उस ज्योतिषी को तुरंत ही बाहर किया गया । बीरबल मिले । हाल सुना । फिर वेष बदलकर अकबर के सामने फिर मौका देने की पेशकश के बाद, वही बात कि आप 'दीर्घजीवी हैं' कहा इस पर अकबर खुश हुआ । बात संभलकर बोलें और लिखें । जीवित व्यक्तियों के बीच बिना एक-दूसरे की भाषा जाने, संकेत से भी काम चल जाता है । चीन की लिपि चित्र-लिपि सर्वविदित है । बोलचाल में एक शिक्षक के लिए अगर कोई छात्र यह बोले कि 'शिक्षक आ रहा है'। तो यह अशुद्ध है । अपने से बड़े; माता-पिता व आदरणीय व्यक्तियों को संबोधन को आदरयुक्त बनाने के लिए (व्याकरण के नियम से थोड़ा बाहर जाकर) क्रिया को बहुवचन बना दें-शुद्ध वाक्य तब इस तरह होगा-'शिक्षक आ रहे हैं । कक्षा लेंगे । कुछ पूछेंगे ।' आदि । हिंदी भाषा का अपना संस्कार एवं संस्कृति है । भाषा में मात्र नुक्ते से अर्थबदल जाता है, रोको मत जाने दो ।

लिपि-की आवश्यकता हमें तब पड़ी जब लेखन की बारी आई । लिपि का विकास वर्षों के परिश्रम का फल है । संसार में कोई भी वस्तु स्थाई नहीं । लिपि भी नहीं । सिंधु घाटी की लिपि ब्राहमी लिपि से भी डेढ़, दो हजार वर्ष पुरानी थी । ब्राहमी लिपि में सम्राट अशोक के लिखाए सांची के स्तूप हैं ।

(1) खरोष्ठी

(2) बाहमी लिपि (प्राचीन)

(3) गुप्त लिपि (कूट लिपि)

(4) देवनागरी (गुजरात के नागर ब्राहमण एवं दक्षिण के विजयनगर राजाओं के दानपात्रों की लिपि)

दरअसल यह देवनागरी लिपि अत्यत वैज्ञानिक है । इसका प्रत्येक अक्षर एक विशेष ध्वनि का द्योतक है । और प्रत्येक ध्वनि के लिए एक अलग वर्ण है । समान वर्णाकृतियां हैं । अंक और अक्षर लिपि के ही अंग हैं । बाद में भारत ने ही सातवीं-आठवीं शताब्दी में शून्य की खोज की । (लिपि पर विशेष जानकारी के लिए-

(1) इस्पांत भाषा भारती पृष्ठ-41 (अगस्त-सितम्बर 2006) ।

(2) भारत में लिपि की प्राचीनता (राजभाषा पुष्पमाला अंक 107 मार्च 97) एवं

(3) केंद्रीय हिंदी निदेशालय की साइट www.hindinideshalay.nic.in कृपया देखें ।

भारत सरकार की शब्दावली समन्वय समिति, भी शब्दों की एकरूपता एवं भाषा के सही प्रयोग पर श्रम-साध्य कार्य कर रही है । जैसा शिक्षा मंत्रालय के 'पारिभाषिक शब्द संग्रह' का प्राक्कथन इसे समझने में काफी मदद करता है। इंजीनियर को या तो देवनागरी में इंजीनियर ही लिखना मान्य है या पूरे भारत में 'अभियंता'-यंत्री हरगिज नहीं । फाइल को पंजी/मिसिल से भी पर्याय हैं । वाक्य में स्वर एवं व्यंजनों का ठीक-ठीक प्रयोग । उदाहरण-गये, नयी (दोनों व्यंजन न होकर, गए, नई, लिखें । हिंदी के राजभाषा के अखिल भारतीय रूप के लिए सभी भाषा-भाषी सत्प्रयास करें । दफ्तर में काम करने का अभीष्ट अपनी वाणी (अभिव्यक्ति) को सरल शब्दों में व्यक्त करना है, जैसे कि गालिब ने कहा

'अपने कहे को खुद समझे तो क्या समझे

मजा कहने का तब है जब एक कहे, दूसरा समझे ।'

ऋ-स्वर है । कृपा, क् + ऋ + प् + आ, कृषि, क् + ऋ + ष् + इ

कुछ पुराने रूप छ (छ), झ (झ) ख (ख), के लिए कोष्ठक वाले स्वीकृत हैं ।

र-व्यंजन है । तीनों रूप जारी रहेंगे –

धर्म, र् + व्यंजन = बाद वाले व्यंजन पर अर्द्ध वृत्ताकार रेफ

राष्ट्र, र + व्यंजन (ट वर्ग छोड़कर) = बायीं तरफ तिरछी रेखा ट में नीचे प्रवचन, आधे र का चिह्न वहीं प्रयोग करना है जहां र का उच्चारण उस वर्ण से पहले होता हो । श्रोत-कान, स्रोत -साधन ।

ड ढ- स्वीकृत हैं, वर्णमाला में । इनके नीचे बिन्दु इन वर्णों के शब्द के अंत अथवा बीच में आने पर लगता है जैसे सड़क, गाढ़ लेकिन प्रथमाक्षर होने पर नहीं, जैसे डलिया, ढक्कन ।

बार-बार-एक शब्द की पुनरावृत्ति होने पर बीच में हाइफन-चिन्ह लगाएं, जैसे जोर-जोर से न बोलो ।

ह्रस्व व दीर्घ- 'कि' that है और की Past tense ' 'करने = का 'बात की है' । में - in है (कारक) और 'स्वयं' के लिए मैं-I है (सर्वनाम)

विराम-चिन्ह (1) ब्रेकेट में जो है प्रयोग होगा/एक का बहुवचन 'अनेक'-अनेकों लिखना अशुद्ध है ।

बोलचाल में एवं लेखन वाचन में अशुद्ध भाषा जब व्यवहार होती है, वह अच्छा संकेत नहीं देती । देखिए एक सज्जन का कथन 'हमको बड़ी चमचागीरी करनी पड़ती है । आप ढीठ हैं ।'

ढीठ शब्द इसलिए कहा गया कि आप चमचागीरी नहीं जो करते हैं । नुक्ता पर अर्थ बदलते हैं जैसे रोको, मत जाने दो और रोको मत, जाने दो । एवं मांग, माँग आदि ।

पंचमाक्षर के स्थान पर वही होने पर अनुस्वार (.) लगा सकते हैं क. ख. ग. ज. -बिदेशी ध्वनियों के (नुक्ता) नीचे बिन्दी लगाएं, जैसे अनुकम्पा-अनुकंपा आदि । ख-ख, ण-ण, ल-ल, झ-झ इस तरह लिखे ।

रेफ का प्रयोग-र अंतरस्थ व्यंजन है और इसी का स्वरविहीन रूप जब किसी अन्य व्यंजन के साथ संयुक्त होता है, तो उसके ऊपर लगाया जाता है । असावधानी वश इसे गलत व्यंजन पर भी लगा देते हैं जैसे पुर्नविवाह, गर्वनर प्रार्दुभाव आदि । सही है पुनर्विवाह, गवर्नर एवं प्रदुर्भाव ।

यह कभी स्वर के ऊपर नहीं लगाया जा सकता । संधि में विसर्ग के बाद व्यंजन आने पर विसर्ग रेफ में बदल जाता है । विसर्ग के बाद स्वर आता है तो 'र' रह जाता है । जैसे पुनः + आवृत्ति = पुनेरावृत्ति । (कुछ विद्वान आधे व्यंजन पर भी रेफ न लगाने का सुझाव देते हैं जैसे पार्ट्स) कारण जो व्यंजन खुद आधा है, वह दूसरे का भार कैसे ढो सकता है । रेफ के संबंध में 'प्रभात खबर' समाचार पत्र' कलकत्ता ने दिसंबर 07 माह में श्री रवीन्द्र कुमार की लेखमाला छापी हैं ।

'व' एवं (ब) का अंतर :

ब-प वर्ग का है । दोनों ओष्ठ मिल जाते हैं और (उच्छ्वास) मुंह से वायु बाहर नहीं निकलती ।

व-दोनों ओष्ठ नहीं मिलते और मुँह से वायु बाहर निकल जाती है । = बहाव

• संस्कृत से बने हिंदी शब्द में 'व' का ब होते पाया गया है । विंशति = बीस

नोट : देवनागरी में वेब-पेज़ और ई मेल के लिए अंग्रेजी के html से केलीग्राफी (हिंदी) के लिए की-बोर्ड सुविधा : http;//www.wandel.person.dk/html देखें ।

अन्य साइटों में www.webdunia.com, www.lango.com एवं www.sify.co देखें UTF & / हिंदी पेज के लिए wwwbbchindi.com देखें । या www.baraha.com देखें ।

चंद्रबिन्दु = 'माँ' को 'मां' की तरह लिखते हुए देखकर, बच्चे भ्रमित हो जाते हैं । दोनों ही रूप प्रचलित हैं । ऐसा चंद्रबिन्दु से अनुस्वार के कारण है । शब्दों के सही उच्चारण के लिए यह जानना जरूरी है कि किस शब्द का अनुस्वार पंचमाक्षर के बदले आया है और किस का चंद्रबिन्दु से पहले । चंद्रबिन्दु नाक एवं मुँह दोनों से बोला जाता है । यह वर्ण को मुख्यतः अनुनासिक-और बनाने वाला चिह्न मात्र है । तत्सम शब्द से जो तद्भव चंद्रबिन्दु से सैकड़ों शब्द हैं जैसे दंत से दाँत, बाह से बाँहु से बाँह अङ्गुष्ठ से अँगूठा, श्यामल से साँवला, वंश से बाँस आदि ।

हंस देता है, सरोवर में हंस (पहले में अनुस्वार चंद्रबिन्दु के लिए है । दूसरे में अनुस्वार है) । मुद्रण की परेशानी से बचने के लिए (शिरोरेखा व मात्रा के कारण) प्रायः चंद्रबिन्दु का प्रयोग लोप हो गया है । जैसे ईंट, ईंधन, खींचना, चोंच, यों सिंचाई, तुम्हें । ऊंधना, गूंथना, डांटना, पहुंचना, फंसना, बंटना, अंगीठी, झांसा, फांसी, में अनुस्वार समझकर पंचमाक्षर का उच्चारण नितांत गलत प्रयोग है ।

(सिर्फ टंकण और मुद्रण की सुविधाओं की दृष्टि से)

अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का वर्ण आता है, उसी वर्ग के पंचमाक्षर के सम्मान अनुस्वार का उच्चारण हो जाता है, अर्थात तब उनका प्रतिनिधित्व करता है । जो स्वर का अनुसरण करे, वह अनुस्वार होता है । यह स्वर नहीं है और न व्यंजन । अतः आयोगवाह है ।

यदि, पंचमाक्षर के बाद अन्य वर्ग का कोई वर्ण आये अथवा वही पंचमाक्षर दुबारा आये तो पंचमाक्षर अनुस्वार में परिवर्तित नहीं होगा । दो पंचम वर्ण में यह (.) प्रयोग नहीं होता जैसे अन्न, सन्नाटा, खन्ना आदि दो भिन्न पंचम वर्ण में भी नहीं जैसे वाङमय, चिन्मय, सन्मार्ग, उन्माद, प्रद्युम्न, निम्न आदि । किसी प्रकार का वर्ण न रहने पर भी कुछ शब्दों के अनुस्वार का प्रयोग होता है जैसे सायं, एवं, अहं आदि नियमों के विपरीत अनुस्वार के प्रयोग के उदाहरण हैं, इंफरमेशन,

इंफोटेक आदि फलतः इनका उच्चारण अशुद्ध होने की संभावना है 'न' के बजाय म । अतः स्ववर्गीय त, थ, द, ध, न होने की बजह से पंचम वर्ण का ही प्रयोग होगा, अनुस्वार नहीं । शब्दावली आयोग के शब्दावली निर्माण सिद्धान्त के नियम 14 में यह वर्णित है- 'पंचम वर्ण' के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए LENS, PATENT को लेन्स, पेटेन्ट ही लिखा जाए । लेकिन सरलता के लिए इंक, इन्क, संगर, सिन्गर म्में जटिलता है । इसलिए पंचमाक्षर व अनुस्वार का विकल्प रहने पर हिंदी के प्रमुख सभी भाषाओं के शब्दों में अनुस्वार का प्रयोग करना चाहिए ।

कि-'समुच्च बोधक' है शब्दों व वाक्यों को जोड़ने में, (कि-अंग्रेजी का or and that की -क्रिया की भूतकालिक अवस्था (उन्होने इस संबंध में बात की है) ।

लेखन में, व्याकरण की, अशुद्धियाँ इस तरह की हो सकती हैं ।

(1) शब्दावली,

(2) लिंग संबंधी,

(3) कारक संबंधी ।

सर्वनाम की विभक्तियों का सही प्रयोग-मैं + के = मेरे

मैं + को = मुझको (मुझे), मैं + का = मेरा, मैं + से =मुझसे, यह-इस

यहां यह संस्कृत भाषा पर आश्रित है । यह ध्यान रखना है कि स्वाभाविक रूप से भाषा के व्याकरण का लिंग निर्णय प्राकृतिक रूप से बिल्कुल भिन्न है । हिंदी का खड़ी बोली रूप 19 वींशती के पूर्वार्द्ध में विकसित हुआ । कई भाषाएं, समृद्ध, इसमें खप गई, जैसे ब्रज अवधी । चूकिं संक्रमण काल-, फारसी व्याकरण के अनुरूप व्याकरण के लिंग-निर्धारण हुए, लेकिन संस्कृत भाषा के अनुरूप नहीं । मशीन भी inanimate है, operation भी जबकि पहला स्त्रीलिंग है दूसरा पुर्लिंग ।

'अ कारान्त' प्रायः पुल्लिग तथा 'इ कारान्त' स्त्रीलिंग होता है । लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जैसे दही लेकिन अपवाद नियम नहीं होते ।

देखवाल (देखभाल), मामुलि (मामूली) आदि जैसी गलतियां । प्रीफिक्स व सफिक्स जस का तस लिख दीजिए (छुट्टी के आवेदनों में) या पूर्व-योजन और अनुयोजन ।

'ने' का नियम- क्रिया जब भूतकाल की होगी तो कर्ता के साथ 'न' जुड़ जाएगा जैसे उसने कहा । infinitive form (चाहिए) में को instrumental या ablative में से ।

प्रायः हिंदी भाषी भी बोलचाल में ऐसी हिंदी का प्रयोग करते हैं जिसमें 'कारक-चिन्ह' का लोप कर देते हैं । जैसे 'घर जलाने के लिए केरोसिन तेल दे दीजिए' । सही था 'घर में जलाने -के अकेले 'लगने' के अनेक अर्थ हैं -अंग्रेज जैसा लगता है, लग गई दवा लगा दे, आदि ।

शब्द अपरिचित होते हैं तो हसीन, शागिर्द, तालीम, मदरसा आदि उर्दू शब्दों को भी हिंदी का समझने की भूल करते हैं । भाषा की कसावट (brevity) एवं समास-युक्त मुहावरेदारी से पूर्ण भाषा विशिष्ट होती है। संधि समास और मुहावरे भी प्रयोग किए जाएँ। अर्थ के आवेग में अनुवाद न करें । सोचें भाव संश्लिष्ट, House Number (घर + अंक =घरांक) ।

कारक कर्त्ता (ने) Nominative कर्म (को) Objective करण (से व द्वारा) Instrumental संप्रदान (के लिए) Dative, अपादान (ने/अलग होना) ablative संबंध (का, की, के) Possessive अधिकरण (में पर) Locative एवं संबोधन-हे, अरे, औ (यह लगने पर बहुवचन में भी बिंदु नहीं लगता) माली ने क्यारियों में लगे, सभी पौधों को पानी दिया और फूलों से एक सुंदर माला बनाई । कारकों के प्रयोग के साथ हिंदी क्रियाएं लगा दें तो हिंदी से अलग बंगला नहीं कर सकेंगे। हिंदी में चमत्कार संज्ञा है जबकि बगला में दृश्य का विशेषण । हिंदी से मिलते जुलते विदेशी शब्द बंगला में बहुत हैं । विकृत रूप में व्यवहृत आमीर (अमीर) ओरफे (उर्फ) गोलाप (गोलावें) कोवर (कवर) बंगला में 'ओ' ध्वनि का अत्यधिक प्रचलन है । उकिल (वकील) (याद रखें संज्ञा के साथ विभक्ति चिह्न प्रथक लेकिन सर्वनाम मे मिलाकर लिखें ।

अभ्यासः (शुद्ध करें) दवाईयाँ, भाषाएं, सूई, गुरु, नेतृत्व, इसीलिए, स्रोत, दुशमन, सडक मैं परसों सुबह को जाऊँगा। मैंने रवि को पूछा । सबसे नमस्ते कहना । में तेरे घर गया । सात बजने की दो मिनट हैं । आसमान से सूरज निकला । आपने मुस्करा दिया । सुखा पढ गया । ध्यान दीजिए कि संज्ञा या सर्वनाम कभी भी अपने संबंध-कारक रूपांतरों के साथ प्रयोग नहीं किया जाता जैसे मैं का-मेरा, हम हमारा, तुम-तुम्हारा । अंतर समझें बड़ा, बढ़ा । ■

383 HA/10—6A

साहित्यकी

काव्य के मूल्यों के संबंध में नवीन दृष्टिकोण

–डा. राजेश्वरी चौधरी*

काव्य 'वाङ्:मय का प्राण है। जिस प्रकार समस्त अवयवों के होते हुए प्राणों के बिना मनुष्य निर्जीव व कान्तिहीन होता है' उसी प्रकार काव्य के अभाव में विरचित वाङ्:मय सर्वथा निष्प्रभ और लावण्यहीन ही होता है 'श्रीमद्भागवत् गीता' में ब्रह्मा जी की वन्दंना 'आदिकवि' के अभिधान से मिलती-जुलती है ।

साहित्य में 'काव्य शब्द' "कवि" से ही व्युत्पन्न हुआ । काव्य 'शब्द' और 'अर्थ' को ही यदि काव्य कहा जाए तो उसमें चतुर्वर्ग –'धर्म' 'अर्थ' 'काम' और "मोक्ष" के लिए काव्य को स्वीकारा जाता है । कवि विश्वनाथ ने यही स्वीकार किया था ।

काव्यं यशसेअर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये

सद्य: परनिवृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे।(काव्य प्रकाश)

हिंदी भाषा और साहित्य –पृ. 3

काव्य पत्नी के समान उपदेश देने वाली शक्ति का स्वरूप है ।

धर्मअर्थ काममोक्षेयु वैचक्षण्यं कलासुच

करोति कीर्ति प्रीति ये साधु काव्य निबन्धनम्–भामह।

उपर्युक्त प्रयोजनों में से "धर्म" जीवनदायिनी शक्ति 'कल्याण बुद्धिबर्धन' यशं परनिवृत्ति आदि कवि और सहृदय दोनों के लिए होती है । वैसे ही काव्य के शास्त्रीय अंगों के अंतर्गत नहीं है 'वह काव्येत्तर है' । भारतीय दृष्टि में "सत्य" "शिव" और "सुन्दर" में अभेद है । इन सबका संबंध मानव जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है । 'अर्थ' और 'काम' प्रत्यक्षत: "लौकिक और भौतिक" हैं । किंतु भारतीय दृष्टि इनका परोक्षत: विनियोग 'धर्म' और 'मोक्ष' में ही मानती है । तात्पर्य यह है कि सद्य: परिनिवृत्ति ही काव्य का प्रयोजन है । इसी प्रकार 'धर्म' अर्थ 'काम' और मोक्ष (आनंदमयी स्थिति–एक प्रकार की जीवन मुक्ति है)

जिसे साहित्यक मूल्य माना जाता है । उसमें सरसता मधुरता आदि की चर्चा की जाती है किंतु इनकी सार्थकती है "चमत्कार में कौतूहल में 'जिज्ञासा' में, 'पांडित्य प्रदर्शन में नैपुण्य में' 'अलंकृति में' रीति' वक्रोक्त' ध्वनि' 'औचित्य' अर्थात् यही 'आनंद' प्राप्ति के साधन हैं ।

"कला कला के लिए" "काव्य काव्य के लिए" मान लेने पर भी मानव जीवन का शिवत्व और आनंदमय गौण ही समझो । मावन जीवन में 'सत्य शिव' और सुदंर का संबंध है परंतु काव्य के मूल प्रयोजन से इनका क्या प्रयोजन?

'सत्य और शिव' के प्राबल्य से सुन्दर 'दुर्बल' हो जाता है । प्राचीन आधुनिक अथवा समकालीन साहित्य के साथ युगपतभावेन स्वीकार्य है। काव्य को कला के लिए मानने पर उसका मूल्य "सौंदर्य" ही स्वीकार होगा । सत्य ज्ञानात्मक मूल्य है और बुद्धिवर्धन का प्रतिपादक है।

"शिव" धार्मिक मूल्य है ।

"धर्म " नैतिक मूल्य है ।

"अर्थ " धनागम का साधन है ।

"काम" कामशास्त्रीय एवं मोक्ष अध्यात्मवादी मूल्य है ।

अन्तत: प्रथम तीनों का मूल्य भी "मोक्ष" ही है।

धर्म का क्षेत्र इस 'लोक और परलोक' "प्रेयस और श्रेयस" दोनों से है । क्योंकि शिव की साधना दोनों ही करते हैं । बस काव्य में 'आनंद' विशेष है इसलिए विशिष्ट है । देशकालाति कान्तिदर्शिनी प्रकृति दोनों की है 'जिसमें रमणीयता सरसता, मधुरता, कल्पना, चमत्कृति, अलंकृति' के कारण काव्य की पृथकइयता है । आनदविधायक सौंदर्य के अंगभूत 'शिव' एवं 'सत्य' का अंगीकार काव्य का वैशिष्टय है ।

हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन साहित्य विवादों से घिरा काव्य रहा है । विवेच्य जो चुना है वह काव्य का मूल्य है कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व है क्या ?

* हिंदी विभाग, गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल-246174

383 HA/10—6B

काव्य और साहित्य:–साहित्य शब्द की सर्वप्रसिद्ध व्युत्पत्ति साहित्यो:"शब्दार्थयो: भाव: सहितव्यम्"अर्थात् शब्द और अर्थ के सार्थक समन्वय विधान को साहित्य कहते हैं।

अर्थात् साहित्य उस रचना को कहते है जिसमें शब्द और अर्थ की परस्पर स्पर्धामय मनोहारिणी स्थिति रहती है। संस्कृत साहित्याचार्यों की परिभाषाओं पर यदि हम विचार करें तो स्पष्ट हो जायेगा कि उन्होंने काव्य पर दो दृष्टियों से विचार किया। एक काव्य के शरीर की दृष्टि से दूसरा काव्य की आत्मा (प्राण) की दृष्टि से। काव्य के शरीर से संबन्धित मत दो भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। एक शब्दनिष्ठ संबन्धी दूसरा शब्द और अर्थ उभयनिष्ठ संबन्धी काव्य की आत्मा के संबन्ध में प्राचीन साहित्यचार्यों में बड़ा मतभेद रहा है। किसी ने रस को तो किसी ने अलंकारों को औचित्य 'रीति', 'वक्रोक्ति' को काव्य की आत्मा माना। जिस प्रकार काव्य के प्राण को लेकर संस्कृत में विभिन्न संप्रदाय बन गए।

'रस संप्रदाय' 'अलंकार संप्रदाय' 'ध्वनि संप्रदाय' 'रीति' औचित्य 'वक्रोक्ति' हिंदी एवं संस्कृताचार्यों सबने अपनी–अपनी बुद्धि कौशल का प्रयोग किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी आधुनिक आचार्यों में सर्वोपरि हैं।

काव्य और कविता के शीर्षक में उन्होंने लिखा–"जब मनोभाव शब्द का रूप धारण कर लेते हैं तब वही कविता कहलाने लगती है चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक"। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र–डा. यतीन्द्र तिवारी पृ. 121

रामचन्द्रशुक्ल ने कविता क्या है ? शीर्षक में इस प्रकार लिखा–"जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है।

"वाणी" हृदय की मुक्ति की साधना के लिए शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। पुस्तक वही पृ.122

पाश्चात्य विचारकों में शेक्सपियर ने कविता को "कल्पना" की दुहिता व्यंजित कहा है।

वर्ड्सवर्थ ने काव्य में "कल्पना" के स्थान पर भावना को महत्व दिया है।

मैथ्यू (आर्नाल्ड) Poetry is at bottom a criticism of life (कविता अन्तत: जीवन की आलोचना है)

कविता उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम विधान है–कॉलिरिज

पाश्चात्यों के मतों का विवेचन किया जाए तो विदित होगा कि उसमें कई संप्रदाय निर्दिष्ट कर सकते हैं।

कल्पनावादी

सत्यवादी

भाववादी

कलावादी

ये सभी अपने–अपने मतों के आधार पर कविता को देखना चाहते हैं। कविता को जीवन की ही अभिव्यक्ति मानते हैं। आलोचना मानते हैं। 'भाव', 'बुद्धि', 'शैली', 'कल्पना', जिसमें ये चारों तत्व हैं वही काव्य सुन्दर है वही रोचक है वही पठनीय है।

नये आयाम : भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिपादित 'रस' 'अलंकार' 'रीति' 'ध्वनि' 'वक्रोक्तित' तथा औचित्य सिद्धान्तों की तुलना में ही रस सिद्धान्त की ही सर्वाधिक समीक्षा आधुनिक काल में हुई है। प्रस्तुत सिद्धान्त की विवेचना में अनेक भारतीय तथा पाश्चात्य शास्त्रों में प्रतिपादित दृष्टिकोणों तथा भिन्न–भिन्न विचारधाराओं का आश्रय लिया गया है। 'सौंदर्यशास्त्र' 'मानसशास्त्र' 'समाजशास्त्र' 'नीतिशास्त्र' 'धर्मशास्त्र' के साथ–साथ सांख्य वेदान्त मीमांसा योग आदि दर्शनशास्त्रों की मान्यताओं एवं अवधारणाओं के परिप्रेक्ष्य में भी रस–सिद्धान्त के विभिन्न पक्षों का पुनराख्यान पुनर्विश्लेषण किया गया है। इन सभी काव्य के तत्वों के संबंध में विचार करने पर यह विदित होता है कि सबसे पहले "भाव का" स्वरूप क्या है ? इसी भाव शब्द पर आज विचार करने की तीव्र आवश्यकता है। क्योंकि काव्य भारतीय रस–सिद्धान्त का मूलभूत आधार तत्व है। भरतमुनि के नाट्यशास्त्र में प्रतिपादित 'विभाव' 'अनुभाव' 'संचारीभाव' 'सात्विकभाव' आदि सभी नाट्यतत्वों में भाव शब्द संलग्न है।

भरतमुनि प्रतिपादित भाव स्वरूप के मुख्यत: तीन रूप उपलब्ध होते हैं।

1. रस–निर्माण में समर्थ तत्वों या सहायक तत्वों का नाम भाव है। अर्थात् भाव रस का निमार्ण करते हैं।

2. 'विभाव' 'अनुभाव' 'वाचिक' 'आँगिक' तथा 'सात्विक' अभिनय से प्रतीयमान काव्यार्थ का नाम भाव है।

3. कवि हृदयगत भाव या आसय का नाम ही भाव है।

'वाचिक' 'आँगिक' 'सात्विक' और मुखराग से कवि के आन्तरिक भाव

(आसय) या मनोभाव का भावन कराने से ही वह भाव कहलाता है। इससे स्पष्ट है कि भरतमुनि ने (भाव)

शब्द का आशय केवल मनोभाव रूप ही ग्रहण नहीं किया वरन मनोभाव के अतिरिक्त काव्यार्थ तथा रस-निर्माण में सहायक तत्व के रूप में भी (भाव) के आशय को ग्रहण किया है। भारतोत्तरयुग में (भाव) शब्द प्राय: मनोभाव के अर्थ में ही व्यवहृत होने लगा।

डॉ. श्यामसुन्दरदास ने पाश्चात्य और भारतीय मान्यताओं का पृथक विवेचन किया है। परिभाषा भाव की वह बताते हैं--"भाव प्रत्येक व्यक्ति की अन्तरात्मा का एक विशेष धर्म है" अतएव शब्दों की सहायता से इस बात का वर्णन कराना असम्भव है कि वास्तव में भाव क्या है ? मनुष्य उनका अनुभव कर सकता है परन्तु उसके वास्तविक स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता है। भारतीय काव्यशास्त्र के नये आयाम--पृ. 4

भरतमुनि ने भाव के अन्तर्गत 8 स्थायीभाव 33 व्यभिचारी भाव 8 सात्विकभावों का समावेश किया है। 49 भावों को काव्य रस की अभिव्यक्ति का हेतु माना है। पृ. 8 पुस्तक वही

भावना का अर्थ 'क्रोध' 'शोक' आदि मनोविकार नहीं अर्थात् भाव शब्द का अर्थ देखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसका भाव क्या है ?

अत: श्री बेडेकर के मत में (भावना) और मनोविकार का समीकरण अनुपयुक्त है। क्योंकि प्राचीन समय में मनोविकारों के लिए 'वेदना' शब्द का प्रयोग होता रहा है। पाश्चात्याचार्यों में सुकरात (दार्शनिक विचारक) प्लेटों के गुरू थे। अरस्तू ने काव्य को नए ढंग से प्रस्तुत किया। अपने गुरू प्लेटो से भी आगे अरस्तू निकल गए थे। क्योंकि अरस्तु के पिता स्वयं चिकित्सक थे वे जानते थे कि रोग का उपचार औषधि ही कर सकती है। चिकित्सा पद्धति जैसा प्रयोग अरस्तू ने अपने विरेचन सिद्धान्त में कर दिखाया। 'मन और आत्मा' की शुद्धि "विरेचन" के सिद्धान्त से जुड़ी हुई है। पेट की शुद्धि विकारों से दूर अर्थात् मल के रूप में गंदगी दूर हो जाती है 'उसी प्रकार विकृत मनोभाव निष्कासित होने से शरीर हल्का-फुल्का हो जाता है' 'करूणा' 'त्रास' 'दया' 'ममता' 'सेवा' 'सहानुभूति' आदि कोमल भावों से चित्त आनंद का अनुभव करता है। सुख आनंद पाता है यही आनंद अरस्तू का विरेचन सिद्धान्त है। अन्तत: आनंदानुभूति ही काव्य का उद्देश्य नहीं उसमें उचित उपदेश भी हो सकते हैं। यही काव्य का मर्म होना चाहिए। राजा जयसिंह से जब राजकार्य की लापरवाही होने लगी तो विहारी दरवारी कवि को कविता देवी की शरण में जाना पड़ा। क्योंकि राजा से बैर नहीं कर सकते थे मगर कविता देवी के माध्यम से कहलाना पड़ा--

"नहिं पराग नहिं मधुर मधु
नहिं विकासु इहि काल
अली कली ही सों बिन्ध्यों
आगे कौन हवाल।"

जिसका प्रभाव तुरन्त राजा पर दिखा और विहारी को पारितोषित में कई धन धान्य अर्पित किया। वही शब्द या भाषा का प्रभाव देखिए--

"एक बार एक राजा ने किसी ज्योतिषी को बुलाया और कहा-बताइए महाराज मेरी आयु कितनी है ? ज्योतिषी बोला आप सो साल में मर जायेंगे"। राजा क्रोधित हुआ और उसे दण्ड दे दिया। दूसरे ज्योतिषी को बुलाया वही बात पूछी ज्योतिषी बोला अरे महाराज! आप तो सतायु हैं, किसने कह दिया ? राजा प्रसन्न हो गया और उसे कई इनाम दे दिया। जबकि उसके कहने का भी वही अर्थ था जो अर्थ पहले वाले ज्योतिषी का था 'मगर शब्द का प्रभाव देखिए एक को सजा तो दूसरे को इनाम'।

"वाक्यं रसात्मकम काव्यम्"।

यही है शब्द 'भाषा' 'वाक्य' या 'शास्त्र' 'काव्य' 'गद्यात्मक' 'पद्यात्मक' मिश्रित' चम्पू' गीत' गजल 'नवगीत'। भाषा गद्यात्मक या पद्यात्मक दोनों होती हैं, मगर पद्य की तुलना में गद्य का क्षेत्र आज विस्तृत है। वह आमजन की भाषा है, पद्य का क्षेत्र जटिल है वह मात्र क्षेत्रीयता में अधिक स्थान प्राप्त करती है। साहित्यिकता जटिल शब्द आम जन से कोसों दूर होते हैं। उसका अर्थ वे नहीं जानते जिस कारण वर्तमान का कवि विद्वान् होते हुए उपेक्षित है। उस दृष्टि से देखें वर्तमान की शिक्षा "न्यूजपेपर" को पढ़ते हुए एक साधारण मजदूर भी देखें गए हैं वे उसकी भाषा जानते हैं मगर उसके स्थान पर साहित्यिक वर्णों को रखा जाय तो कोई एक शब्द का अर्थ नहीं लगा पाएंगे। जिस कारण आज कविता का क्षेत्र संकुचित दिखने लगा है। गद्य अपनी चरम सीमा पर आरूढ़ हो गया है। खड़ीबोली अपना स्थान बनाती गई व बना रही है। क्षेत्रीयता में विवाद है। वह सर्वश्रेष्ठ के आधार पर चाहे वह अवधी या ब्रज का ही क्षेत्र क्यों न हो। यही हमारे धर्म ग्रन्थों की भाषा रही है या संस्कृत। वह संस्कृत विद्वानों की वाणी है एकलव्य को वह शिक्षा कहाँ ? वह मात्र राजपुत्रों को प्रदान की जाती है। काव्य अभ्यास का विषय रहा है व रहेगा। उसमें नवीनता बौद्धिकता की आज आवश्यकता है। प्रगतिशीलता का पुट काव्य में होना चाहिए। प्रगतिशील विचारधारा काव्य को नया स्वरूप प्रदान करती है। ■

डॉ. रामकुमार वर्मा के साहित्य में दलित-विमर्श तथा नारी-विमर्श

–डॉ. विनोद कुमार सिन्हा*

कभी-कभी साहित्यिक शब्दों का भी राजनीति से घालमेल हो जाता है-उस अवस्था में समाज में एक हलचल पैदा हो जाती है। इन दिनों साहित्य में भी दो शब्द हलचल पैदा कर रहे हैं। वे शब्द हैं- 'दलित-विमर्श' और 'नारी -विमर्श'। लगभग एक दशक से दलित और नारी शब्द की व्याख्या और विवेचना साहित्य में बहुत तीव्रता के साथ हो रही हैं।

अभी कालजयी साहित्य-सृष्टा डॉ. रामकुमार वर्मा की जन्म शताब्दी का समापन-काल है। दलित और नारी के संबंध में डॉ. वर्मा का क्या-क्या विमर्श है-क्या विवेचना है तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी क्या प्रासंगिकता है-इस पर मैं कुछ विचार कर रहा हूँ।

डॉ. वर्मा के खंड-काव्य 'एकलव्य' पर विचार करने के बाद दलित-विमर्श की बात स्पष्ट हो जाती है। 'एकलव्य' महाभारत युग की कथा पर आधारित है। महाभारत युग राजनीति प्रेरित युग था। उन दिनों ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र में संघर्ष चल रहा था। ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग राजनीति के मूल में चक्र चला रहे थे क्योंकि सत्ता और संपत्ति उन दोनों के पास थी। आज राजनीति बदल गई है। ब्राह्मण और क्षत्रिय के हाथ से सत्ता और संपत्ति खिसकने लगी है- स्वाभाविक है कि आज दलित-चेतना आने लगी है। दलित-चेतना अपने युवा रूप में है। युवा रूप में लोग आवश्यकता के कुछ अधिक बोलने लगते हैं। इसी युवा चेतना के वशीभूत यह भी उछाला जा रहा है कि आज तक दलितों के संबंध में साहित्यकारों को जितना लिखा जाना चाहिए था-नहीं लिखा गया। यह बात सत्य से परे जान पड़ती है। निराला, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, दिनकर, डा. रामकुमार वर्मा आदि साहित्यकारों ने दलितों के विषय में बहुत कुछ लिखा और कहा।

डॉ. वर्मा ने आर्य संस्कृति के चिर दलित अछूत वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में 'एकलव्य' को नायक बनाकर उसके जीवन के मनोवैज्ञानिक पक्ष को उभारा है। जिस तरह से महाभारत के पात्र कर्ण को गुरू द्रोणाचार्य ने शूद्र तथा अछूत कहकर उसे शस्त्र-विद्या श्री शिक्षा देने से इन्कार कर दिया था-उसी प्रकार एकलव्य के प्रति गुरू-द्रोण को पहले तो मोह, अपनत्व एवं आकर्षण उत्पन्न हो गया-परन्तु बाद में संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि यह शूद्र है तो यह जानकर उदासीना उत्पन्न हो गई। डॉ. वर्मा ने एकलव्य को अछूतों का प्रतिनिधि बनाकर मानवतापूर्ण सहानुभूति प्रदर्शित की है।

जिस तरह से कर्ण से कवच-कुंडल मांगने के बाद राष्ट्रकवि दिनकर का इन्द्र बहुत लज्जित होता है और अपने को पापी मानता है :-

तू दानी, मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र मैं पापी।
तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी॥

ठीक उसी तरह डॉ. रामकुमार वर्मा का राजगुरू द्रोण भी कातर स्वर में यह स्वीकार करता है :- 'एकलव्य' हे; तुम विप्र हो, हे शिष्य गुरू द्रोण शूद्र है।

हां, तुम्हारी गुरुता में गुरू दुआ लघु है।
सारा वर्ण भेद घुल गया रक्त-धार से।
वीर एकलव्य ! जिस साधना के तरू को
सूर्य-चन्द्र-किरणों से सींचा दिन-रात है
उसको उखाड़ दिया, एक क्षण मात्र है।

गुरू द्रोण ने एकलव्य की शक्ति और भक्ति दोनों से प्रभावित होकर एकलव्य को शूद्र नहीं- दलित नहीं-निष्कलंक द्विज मानता है। धर्म शास्त्रों में लिखा भी गया है- 'जन्मना जायते शूद्रे-जन्म से सभी लोग शूद्र होते हैं। एकलव्य आश्चर्य चकित है:-

गुरु द्रोण चौंक उठे- यह शिष्य कैसा है
है तो शूद्र किन्तु जैसे निष्कलंक द्विज!
बालक निषाद का है किन्तु तेजोमय है।
जैसे मणि रत्न है विशाल विषधर का।

* ग्राम व पोस्ट-बेलाही, वाया-अथरी, जिला, सीतामढ़ी-843311 (बिहार)

383 HA/10—7A

अंत में गुरु द्रोण को यह भी कहना पड़ा कि एकलव्य शूद्र नहीं है-समय शूद्र है:-

'तुम नहीं वत्स यह समय ही शूद्र है'

डॉ. वर्मा ने बहुत पहले यह रहस्योदघाटन किया कि समय ही शूद्र है अर्थात तत्कालीन राजनीति ही शूद्र है । यह बात आज के लिए भी प्रासंगिक है । आज की शिक्षा में भी राजनीति घुस गई है । कभी कथा सम्राट प्रेमचंद की पुस्तक कोर्स से निकाली जाती है, कभी कहा जा रहा है कि धर्म के लिए धमकाते थे सम्राट अशोक, कभी राम और कृष्ण के अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जाते हैं तो कभी विश्वविद्यालय के गुरु मंत्रियों का गुणगान कर राजगुरु बन जाते हैं ।

डॉ. वर्मा ने बहुत पहले कहा था कि यहां गुरुकुल कहाँ है-राजकुल है—यहां शिक्षा-नीति राजनीति के पदों पर ही चलती है :-

राजगुरु हूं, विशेष पद की मर्यादा है । शिक्षा नीति राजनीति के पदों पर है चलती शारदा की वाणी यहाँ बोलती है स्वर्ण में, गुरूकुल है कहाँ- यहाँ तो राजकुल है । आध्यात्मिक संतों की तरह डॉ. वर्मा भी भविष्यवाणी करते हैं कि इस राजनीति का अवश्य ही विनाश होगा :-

ऐसी राजनीति का विनाश होगा शीघ्र ही
जो महर्षियों को राजनीति से चलती है ।
जिसने किया है भेद मानव के पुत्रों में,
भूमिपति, भूमिपुत्र वर्ग हो गये हैं दो ।।

विश्व में धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना के आभाव जगाने वाले स्वामी विवेकानन्द ने भी भविष्यवाणी की थी :-

" प्रथम तीन तो अपने दिन भोग चुके । अब चौथी अर्थात् शूद्र जाति का समय आया है । उनको उसका भाग मिलना ही चाहिए । सबसे अंत में मजदूर या शूद्र का राज्य आएगा उससे लाभ होगा- भौतिक सुख -साधनों का समान रूप से वितरण और हानि होगी-संस्कृति का अध:पतन । नवभारत का उदय हल चलाने वाले किसानों की कुटियों से मछुवारों, मोचियों और मेहतरों की झोपड़ियों से होगा । ये मुटठी भर अन्न से पेट भरकर संसार को कंपा सकते हैं ।

स्वामी विवेकानन्द की तरह डॉ. रामकुमार वर्मा ने प्रगतिशील चेतना को नया आयाम दिया है । वह सामाजिक न्याय की भी मांग करता है । डॉ. वर्मा कहते हैं :-

हमने सहन की है वर्ग की विगर्हणा । शूद्र कहलाते रहे सेवा भाव मान दे किंतु जब मानव को विद्या का निषेध हो, बात क्या नहीं है, क्रांतिकारी बन जाने की ।

सच्चा साहित्यकार युग और धर्म के अनुसार पौराणिक कथाओं में भी कुछ अन्तर ला देता है । लोकनायक तुलसीदास ने भी वाल्मीकी रामायण में कुछ अन्तर लाकर रामचरित्र मानस की रचना की थी। यहां पर डॉ. रामकुमार वर्मा ने भी युग और धर्म के अनुसार कुछ परिवर्तन कर दिया है । डॉ. वर्मा का द्रोण अंगूठा मांगता नहीं- बल्कि एकलव्य स्वयं अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरू दक्षिणा के रूप में दे देता है । यहां डॉ. वर्मा ने गुरू द्रोण के आचार्यत्व को निष्कलंक बनाया है । एकलव्य अपना दाहिना अंगूठा देकर भी गुरू के प्रति अश्रद्दालु नहीं होता और विदा के समय कहता है:-

गुरू देव ! शिष्य का प्रणाम है ।
साथ-साथ मैं चलूंगा देव ! पहुंचाने को,
जहां तक मेरी यह वन खन्ड-सीमा है ।

जब अर्जुन एकलव्य को युद्ध के लिए ललकारता है तब वह गर्वोन्नत होकर चुनौती स्वीकार कर बाण चढ़ा लेता है परन्तु गुरू को दी गई प्रतिज्ञा यादकर नत हो जाता है । वह कह उठता है :- अकीर्ति गुरूदेव की

होगी नहीं, जब तक जीवित हूं जग में,
पार्थ ही सदा के लिए अद्वितीय धन्वी हैं ।

फिर गुरू की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा के लिए प्रण करता है :-

हाथ में न लूगा कभी शर शरासन मैं
सर्प के समान फेंका चाप एकलव्य ने
और बाण तोड़ दिए सर्प- मंत्ररेखा -से ।

धन्य है डॉ. राजकुमार वर्मा का एकलव्य जो द्रोण को भी निष्कलंक बना देता है;

इस तरह डॉ. वर्मा ने एकलव्य को दलित का प्रतिनिधि बनाकर दलितों पर मानवता पूर्ण संवेदनशीलता प्रदर्शित कर दलित-विमर्श किया है जो आज भी प्रासंगिक है । जब हम डॉ. रामकुमार वर्मा के 'नारी-विमर्श' की बात करें ।

हमारे पौराणिक कथाओं में हल्या को 'काम की प्रतिमूर्ति मान' लिया गया है । वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 48वें सर्ग के 20वें श्लोक में लिखा गया है:-

383 HA/10—7B

मुनि वेरों सहस्त्राक्ष विज्ञाय रघुनन्दन ! मतिंचकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलाता रामचन्द्र जी के पूछने पर विश्वामित्र ने कहा कि हे रघुनन्दन ! मुनि वेश में इन्द्रको जानकर भी इस दुर्मति वाली अहल्या ने देवराज के प्रति कुतूहल से अपनी स्वीकृति दे दी । फिर इन्द्र से बोली- हे इन्द्र ! मैं हृदय से कृतार्थ हूं- तुम चले जाओ ।

इतिहास के इतने बड़े झूठ को तमिल के महाकवि कंबन, तेलगू के महाकवि रंगनाथ और बंगला के कवि कृतिवास से लेकर हिंदी के महाकवि तुलसीदास ने भी सत्य मानकर अहल्या के शापित होने तथा पाषाण में परिवर्तित हो जाने की कथा दुहराई है । परन्तु डॉ. रामकुमार वर्मा ने पहली बार इस झूठ का पर्दाफास करते हुए आदि कवि से क्षमा याचना की हैं:-

आदि कवि ! मैं मांगता हूं क्षमा शत-शत बार,
मैं अहल्या की कथा का वास्तविक विस्तार ।
व्यक्त करना चाहता हूं सत्य का आधार ।
ले रहा हूं आप भी इसको करे स्वीकार ।।

डॉ. वर्मा का इन्द्र अहल्या के साथ संभोग नहीं करता बल्कि अपनी काम पियासी की शन्ति हेतु जबरदस्ती उसके तन को स्पर्श करता है उसी समय गौतम लौट आते हैं फिर भी अहल्या इन्द्र दूसरा तन-स्पर्श भी पाप समझती है:-

मेरी देह का स्पर्श किया है : काम वृत्रि से तो क्या
यह देह अपवित्र नहीं हो गई !
पतित, पाषाण-सी इसे हूं देव: मानती, निश्चय
करूंगी नष्ट देह अग्नि ज्वाला में ।।

अहल्या अग्नि-प्रवेश कर आत्मदाह करना चाहती है । । राम ने अहिल्या का उद्धार तो कर दिया परन्तु उसके चरित्र पर लगाया गया दाग 'नारी जाति' के लिए कमजोर काम-वासना के रूप में दर्द बन गया- उस दाग को मिटाया डॉ. वर्मा ने । एक ऋषि तुल्य साहित्यकार को न एक ऋषि-पत्नी को अभिशाप मुक्त कर सकता है । फिर अहल्या एक पतिव्रता नारी की तरह एक जीवन-दशर्न भी देती है:-

तदुपरान्त कोमल वाणी से, वधू अहल्या की वाणी ।
गूंज उठी- मैं पति के प्रति ही, सदा रहूँगी कल्याणी ।।

नारी मात्र भोग्या नहीं- वह कर्त्तव्य एवं सेवा की प्रतिमूर्ति है । उसके आंचल के तले क्या नहीं है मय भी और पय भी साधना भी और सेवा भी । 'अहल्या' के रूप में डॉ. वर्मा का यह 'नारी -विमर्श' नारी को उच्चतम शिखर पर ले जाने का चिन्तन है । डॉ. वर्मा का एक लघु महाकाव्य है- 'उत्तरायण' । आपने 'उत्तरायण' की भूमिका में ही अपनी चिंतनधारा का संकेत किया है- ''उत्तरायण' तटस्थ रूप से मेरी चिन्ताधारा की ऐसी दिशा है जिसमें राम राज्याभिषेक के बाद सीता-वनवास का प्रसंग सत्य -संपन्न नहीं है । शताब्दियों से वाल्मीकि-रामायण के उत्तर कांड में भगवती सीता पर आरोपित यह लांछन शल्य की भांति कसकता रहा है ।''

डॉ. वर्मा ने नारी के प्रति सहानुभूतिपूर्ण तथा संवेदनामुक्त दृष्टिकोण बनाते हुए राम-कथा में सीता-निर्वासन के प्रसंग को निराधार बतलाया है:-

जब सीता लांछन-रहित, चले क्यों निर्वासन का कटु प्रसंग?
जब पूर्ण गर्भ की गरिमा से, थे शिथिल हो रहे अंग-अंग?
जब लघु मानव भी हो जाते है, करूण देख कर यह प्रसंग?
तब रामचन्द्र के उर में क्या, निर्वासन की होगी उमंग?

फिर उत्तरायण के अंतिम सर्ग में स्वप्नावस्था में आदि कवि 'वाल्मीकि' इस महाकाव्य के नायक तुलसीदास को स्पष्ट रूप से बता देते हैं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के आदर्शों तथा चरित नायकों को आधार बनाकर राम-कथा संबंधी यह प्रबन्ध लिखा था, परन्तु कालांतर में अन्य धर्मों के कवियों ने इसे विकृत कर दिया:-

कालांतर में मेरी रचना में, जोड़ें कुछ प्रक्षेप भ्रष्ट ।
जिससे सीता-निर्वासिन हो, हो राम चरित का रूप नष्ट ।।
अपनी संस्कृतिका ले स्वरूप, मैंने रचना की साभिमान ।
मैंक्या जानूँ ? विषय स्वर भरकर, कु-कवि करेंगे विकृत
गान ।।

डॉ. वर्मा का चिन्तन है कि प्राचीन काल में वैदिक-धर्म का आधिपत्य स्थापित था और कालांतर में बौद्ध, जैन आदि धर्मावलम्बी वैदिक-धर्म की शोभा को मिटाकर इन धर्मों का प्रसार करना चाहते थे अत: बौद्ध धर्मी कवि गुणाढय, सोमदेव आदि ने राम कथा संबंधी ग्रंथ लिखकर उसमें सीता-निर्वासन का प्रसंग जोड़ दिया और यही विकृत प्रसंग कालांतर में पवित्र रूप में वाल्मीकि रामायण के साथ लगा दिया गया :-

सीता-निर्वासन का प्रसंग, किस भाँति चला यह सुनो आज ।
वैदिक-दर्शन की प्रगति देख, था विकल बौद्ध लेखक-समाज ।।
वह बोला-'स्थिर हो बौद्ध-धर्म, इसलिए करो यह युक्ति प्राप्त ।
जिससे वैदिक मत मिटे और, साहित्य नीतियाँ हो समाप्त ।।

इस तरह डॉ.वर्मा 'सीता-निर्वासन' के प्रसंग को ही अस्वीकृत कर देते हैं । तुलसीदास जी ने भी रामचरित मानस में 'सीता-निर्वासन' का प्रसंग नहीं जोड़ा है । डॉ. वर्मा ने महाकवि तुलसी की कारण रहित मजबूरी का उत्तर देते हुए उत्तरायण की रचना की है और साहित्यिक निर्णय दिया है:-

''कह दिया कि उत्तर कांड व्यर्थ है
जैसे मधु में मिली रेत ।''

महाकवि तुलसी ने 'सीता-निर्वासन' के प्रसंग को टालने का कोई तर्क नहीं दिया है । परन्तु डॉ. वर्मा ने तुलसी के भ्रम का भी संकेत किया है और तुलसी के वाल्मीकि से प्रश्न का उल्लेख कर तुलसी के तर्क को युक्तिसंगत बनाया हैं । तुलसी भ्रमित हैं- विश्वास नहीं करते और कहते हैं:-

जब अग्नि-परीक्षा स्वयं राम ने ले ली
तब भ्रांति-भूल क्यों जान बूझकर झेली ।।

फिर डॉ. वर्मा के तुलसी वाल्मीकि से भी प्रश्न पूछते हैं :-

हे आदि कवि ! क्या मति थी भय-भीता ?
क्यों कह न सके तुम दोष मुक्त है सीता ?

इस प्रकार डॉ. वर्मा ने सीता और अहल्या के माध्यम से नारी-विमर्श की बात ही नहीं उठाई, नारी को निष्कलंक किया, शापमुक्त किया और अपने काव्यों के माध्यम से नारी को हिमालय की उच्चता तथा गंगाजल की दिव्यता प्रदान की ।

इस तरह डॉ. रामकुमार वर्मा के साहित्य में दलित-विमर्श एवं नारी-विमर्श को जहाँ तक मैनें जाना, पढ़ा, समझा-अपनी कलम से लिपिबद्ध कर दिया । अब कलम मेरी-नजर पाठकों की ।

याद रखें !

(1) देवनागरी लिपि में हिंदी आपकी राजभाषा है ।

(2) राजभाषा का प्रयोग स्वाभिमान एवं गौरव का विषय है ।

(3) आप अपना काम-काज हिंदी में बेरोक-टोक करें ।

(4) कठिन हिंदी की बजाय सरल हिंदी का उपयोग करें ।

(5) हिंदी में लिखें या हस्ताक्षर किए गए, पत्रों, आवेदनों आदि का उत्तर देने के लिए हिंदी का प्रयोग करें ।

(6) हिंदी भाषी राज्यों में स्थिति कार्यालयों और व्यक्तियों को अपनी ओर से लिखे पत्रों के लिए हिंदी का प्रयोग करें ।

(7) हिंदीत्तर भाषी राज्यों को पत्र आदि द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में भेजें ।

(8) केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ पत्रादि में हिंदी का प्रयोग करें ।

(9) सभी कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश, परिपत्र तथा विज्ञापन आदि द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में जारी करें ।

(10) सभी सरकारी समारोह के निमंत्रण पत्र व बैनर हिंदी तथा अंग्रेजी में बनाएं ।

(11) रबर की मोहरें, लेखन सामग्री, रजिस्टरों के शीर्ष, कार्यालय साइन बोर्ड तथा नाम पट्टिकाएं द्विभाषी हों ।

(12) अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद करते समय सरल से सरल शब्दों का प्रयोग करें ।

विश्व हिंदी सचिवालय का सफरनामा

–राकेश शर्मा*

अमेरिका में हिंदी की स्थापना लाला हरदयाल, करतार सिंह सराया एवं सोहन सिंह मकाना ने 1913–15 के मध्य गदर पार्टी की स्थापना के साथ की। युवा अमर शहीद करतार सिंह सराया ने लिखा-"मैं हिंदी, ठेठ हिंदी, खून हिंदी, जात हिंदी हूँ, यही मजहब, यही फ़िरका, यही है खानदाँ मेरा।" इन स्वाभिमानी देशभक्तों की राष्ट्र और राष्ट्रभाषा के प्रति अगाध श्रद्धा को विश्व में हिंदी की स्थापना की दिशा में प्रवासी भारतीयों के प्रथम प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, कभी दिल्ली और इसके आसपास के क्षेत्र की ठेठ देहाती भाषा रही हिंदी आज देशकाल की सीमाओं को तोड़ कर विश्व मंचों पर अपना परचम लहरा रही है। इस क्रम में मारीशस में विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना शायद हिंदी के विश्वभाषा बनने के सफरनामें में मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, परन्तु इस सचिवालय के स्थापना का भी अपना एक इतिहास रहा जिस पर हम इस लेख के माध्यम से प्रकाश डालेंगे।

सन् 1975 हिंदी जगत का ऐतिहासिक वर्ष था। इसी वर्ष में भारत के शहर नागपुर में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मार्के की बात यह थी कि प्रवासी भारतीय, मारीशस के प्रधानमंत्री डा.शिवसागर राम गुलाम को उस सम्मेलन का अध्यक्ष पद संभालने के लिए निमंत्रित किया गया था। इससे साबित होता है कि उनके प्रति भारतीयों की कितनी भावभीनी आत्मीयता थी। डॉ. शिवसागर रामगुलाम के बचपन के समय देश में हिंदी पढ़ाने का प्रावधान नहीं था। डाक्टरी विधा के अध्ययन में वे 14 वर्ष तक विलायत में रहे। फिर भी वे धाराप्रवाह हिंदी बोलते थे। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी में ही अध्यक्षीय भाषण देकर उन्होंने लाखों हिंदी प्रेमियों का दिल जीत लिया था। अपने भाषण में उन्होंने एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय हिंदी केंद्र की स्थापना का विचार रखा जहां से भारत के बाहर के देशों में भी हिंदी का प्रचार हो। डॉ. रामगुलाम ने यह भी स्वीकृति दी कि अगले वर्ष यानी कि 1976 में मारीशस में हिंदी का दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया जाए।

सन् 1976 में हिंदी के इतिहास का द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन मारीशस में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में एक अन्तरराष्ट्रीय हिंदी केंद्र की मारीशस में स्थापना को प्रस्ताव रूप में स्वीकार किया गया। 1976 के पश्चात् आगे चलकर 1983 में नई दिल्ली में 1993 में पुनः मारीशस में तथा 1996 में त्रिनिडाड में इस प्रस्ताव को समर्थन प्राप्त होता रहा।

15 दिसंबर 1985 को डॉ. शिवसागर रामगुलाम का देहावसान हो गया। उनके सुपुत्र डॉ. नवीनचन्द्र राम गुलाम देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने अपने पिता सर शिवसागर के महान सपने को साकार करने की ओर कदम उठाया। उन्होंने भारत सरकार की सलाह से स्थानीय शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में मारीशस में एक 'विश्व हिंदी सचिवालय' का दफ्तर खुलवाया। सचिवालय की स्थापना के लिए सलाहकार के रूप में श्रीमती सरिता बुद्ध को नियुक्त किया गया। बाद में श्री अजामिल माताबदल जी सचिवालय के संयोजक नियुक्त हुए। फिर सचिवालय के लिए एक अलग दफ्तर और अतिरिक्त कर्मचारी नियुक्त किए गए। सचिवालय के दफ्तर में एक पुस्तकालय की

*हिंदी अधिकारी, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, दोना पावला, गोवा-403004।

383 HA/10—8A

व्यवस्था की गई और एक विश्व हिंदी पत्रिका के प्रकाशन पर कार्य आरम्भ हुआ । संयोजक के प्रयास से एक कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ जिसमें भाग लेने के लिए दिल्ली से डॉ. केदार नाथ सिंह तथा डॉ. राजेन्द्र गौतम को आमंत्रित किया गया । इस प्रकार काम आगे बढ़ता रहा और अंतत: विश्व हिंदी सचिवालय की नींव डालने का समय आ गया ।

मारीशस में महात्मा गांधी का पदार्पण 30 अक्टूबर 1901 को हुआ था । गांधी आगमन के शताब्दी समारोह (1 नवंबर 2001) में भाग लेने तथा इसी अवसर पर मारीशस में विश्व हिंदी सचिवालय की नींव डालने के लिए भारत के मानव संसाधन विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास मंत्री डॉ. मुरली मनोहर जोशी पधारे हुए थे । शिलान्यास समारोह के अवसर पर उन्होंने एक सारगर्भित भाषण दिया जिसकी चंद पंक्तियों को यहाँ उद्धृत करना अप्रासंगिक ना होगा ।

"आज मेरी आंखों के सामने एक सपना मारीशस की सुंदर धरती पर साकार हो रहा है, जो 26 वर्ष पूर्व 1975 में आपकी-हमारी पितृ-भूमि में देखा गया था । अवसर पर नागपुर में आयोजित प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का । इस दौरान हिंदी को अन्तरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने के उत्साहपूर्ण वातावरण में स्वतंत्र मारीशस के प्रथम प्रधानमंत्री सर शिवसागर रामगुलाम ने मारीशस में स्थायी विश्व हिंदी सचिवालय बनाए जाने का प्रस्ताव रखा । वे चाहते थे कि हिंदी को प्रतिष्ठा दिलाने का काम नियमित तथा सुसम्बद्ध तरीके से चलाया जाए ।"

हिंदी की अस्मिता का प्रतीक-हिंदी सचिवालय बनाने का सपना विश्व भर के हिंदी प्रेमियों के मन में बना रहा । मारीशस, भारत, फिर मारीशस और उसके बाद त्रिनिडाड में हुए विश्व हिंदी सम्मेलन में हर बार यह संकल्प दोहराया गया । भारत और मारीशस ने इस सपने को साकार करने के लिए आगे बढ़कर पहल की और लंदन में छठे विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन से पूर्व 20 अगस्त, 1999 के शुभ दिन, विश्व हिंदी सचिवालय को परस्पर सहयोग से मारीशस में स्थापित करने के समझौते पर स्वीकृति की मुहर लगा दी गई । 12 नवंबर, 2002 को मारीशस के मंत्रिमंडल द्वारा विश्व हिंदी सचिवालय अधिनियम पारित किया गया और भारत सरकार तथा मारीशस की सरकार के बीच 21 नवंबर, 2001 को एक द्विपक्षीय करार सम्पन्न किया गया । लंदन सम्मेलन ने इस सद्प्रयास का हार्दिक स्वागत किया और आज हम इस सुंदर भूमि पर उस सपने को साकार होते देख रहे हैं । विश्व हिंदी सचिवालय ने 11 फरवरी 2008 से औपचारिक रूप से कार्य करना आरंभ कर दिया है ।

मारीशस स्थित विश्व हिंदी सचिवालय का पहला भव्य विचार गोष्ठी समारोह गुरुवार 10 मई, 2007 को इंदिरा गांधी भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में देश के शिक्षा एवं संसाधन मंत्री माननीय धरमवीर गोकुल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ । इस अवसर पर कला एवं संस्कृति मंत्री महेन्द्र गौरेसु, देश की हिंदी संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा बहुत से अन्य हिंदी प्रेमी उपस्थित थे । विचार-गोष्ठी का विषय था, 'हिंदी का उन्नयन: चुनौतियां एवं समस्याएं ।'

कार्यक्रम एक वन्दना गीत से शुरू हुआ । प्रसिद्ध गायिका वर्षा रानी बिसेसर ने अपने मधुर स्वर में गीत प्रस्तुत किया:

'जन-जन की अभिलाषा ।
कि हिंदी बने विश्व भाषा ।।'

श्रीमती वीणु अरुण ने अपने स्वागत भाषण में विश्व हिंदी सचिवालय के उद्देश्यों को संक्षेप में बताया । शिक्षा मंत्री, जो सचिवालय के पैट्रन हैं, उन्होंने हिंदी की समुन्नति के लिए संगठित होकर कार्य करने को कहा । संगोष्ठी में भारतीय उच्चायोग के द्वितीय सचिव श्री जयप्रकाश कर्दम, कला और संस्कृति मंत्री माननीय महेन्द्र गौरेसु, आर्य सभा के महासचिव श्री सत्यदेव प्रीतम, हिंदी संगठन के प्रधान श्री अजामिल माताबदल, साहित्यकार रामदेव धुरन्धर, महात्मा गांधी संस्थान के हिंदी विभाग की डॉ. आर. गोबिन ने भाग लिया और हिंदी को विश्व भाषा बनाने पर बल दिया । वक्ताओं का विचार था कि पहले हिंदी को राष्ट्रसंघ में प्रायोगिक भाषा के रूप में मान्यता दिलाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए । इस दौरान हिंदी के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों और समस्याओं पर भी चर्चा की गई । विचार गोष्ठी अपने उद्देश्य में पूर्णत: सफल रही ।

संगठन

विश्व हिंदी सचिवालय की एक शासी परिषद् (गवर्निंग कौंसिल) तथा एक कार्यकारी मंडल (एग्ज़िक्यूटिव बोर्ड) है । विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं ।

शासी परिषद्

विश्व हिंदी सचिवालय की शासी परिषद् में भारत तथा मॉरीशस, दोनों पक्षों, की ओर से 5-5 सदस्य हैं जो निम्नानुसार है :-

भारत की ओर से

- विदेश मंत्री
- मानव संसाधन विकास मंत्री
- संस्कृति मंत्री

मारीशस के ओर से

- विदेश कार्य, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सहयोग मंत्री
- शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्री
- कला एवं संस्कृति मंत्री

गैर-सरकारी सदस्य

- डॉ. रत्नाकर पांडेय,
- श्री अजामिल माताबदल
- डॉ. बालकवि बैरागी,
- श्री सत्यदेव टेंगर

शासी परिषद् की बैठक

शासी परिषद् की प्रथम बैठक, भारत के विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में 28 जनवरी 2008 को नई दिल्ली में आयोजित की गई । बैठक में भारत की ओर से श्री प्रणव मुखर्जी, विदेश मंत्री, अर्जुन सिंह, मानव संसाधन विकास मंत्री, श्रीमती अम्बिका सोनी, संस्कृति मंत्री, डॉ. रत्नाकर पांडेय, डॉ. आर पी मिश्र, नामित उपमहासचिव, विश्व हिंदी सचिवालय तथा विदेश मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय के अधिकारीगण उपस्थित थे । मारीशस की ओर से श्री डी. गोखुल, शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्री, श्री एम. एम. डल्लु, विदेश कार्य, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सहयोग मंत्री, श्री मुकेश्वर चुन्नी, मारीशस के उच्चायुक्त, डॉ. (श्रीमती) विनोद बालार अरूण, महासचिव, विश्व हिंदी सचिवालय, श्री अजामिल माताबदल, श्री सत्यदेव टेंगर तथा भारत में मारीशस के उच्चायोग से अन्य अधिकारी उपस्थित थे ।

कार्यकारी मंडल

सदस्य

भारत की ओर से

- सचिव, विदेश मंत्रालय
- सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय
- सचिव, संस्कृति मंत्रालय
- मारीशस में भारत का उच्चायुक्त

मारीशस के ओर से

- स्थायी सचिव, विदेश कार्य, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं सहयोग मंत्रालय
- स्थायी सचिव, शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्रालय
- स्थायी सचिव, कला एवं संस्कृति मंत्रालय
- स्थायी सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, मारीशस

कार्यकारी मंडल की बैठक

कार्यकारी मंडल की प्रथम बैठक श्री आर. पी. अग्रवाल, सचिव (उच्चतर शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में 24-25 को मारीशस में आयोजित की गई । बैठक में भारत की ओर से श्री आर. पी. अग्रवाल, सचिव (उच्चतर शिक्षा), मानव संसाधन मंत्रालय, श्री वी. पी. हरन, संयुक्त सचिव विदेश मंत्रालय, श्री आर. सी. मिश्र, संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय, श्री बी. जयशंकर, मारीशस में भारत के उच्चायुक्त उपस्थित थे और मारीशस की ओर से श्री एस. रेगन, स्थायी सचिव, शिक्षा एवं मानव संसाधन मंत्रालय, श्री एन. के. बल्लाह, स्थायी सचिव,

शेष पृष्ठ 48 पर

प्रभावी नेतृत्व एवं शाखा प्रबंधन में शाखा प्रबंधक की भूमिका

–राजेन्द्र सिंह*

अधिकांश तौर पर यह देखा गया है कि जब बैंकों में अधिकारी/कर्मचारी भर्ती होते हैं तो उनमें उत्कृष्ट कार्य निष्पादन के द्वारा पदोन्नति पाने का उत्साह काफी होता है। परन्तु जैसे-जैसे समय बीतता जाता है उनका यह उत्साह ठंडा पड़ने लगता है और वे लक्ष्य से भटक जाते हैं।

इसके दो कारण हो सकते हैं–पहला बैंकों में कारोबार का माहौल और दूसरा अच्छे नेतृत्व की कमी। यदि हमें बैंक कर्मचारियों से अच्छा कार्य लेना है और साथ में यह भी सुनिश्चित करना है कि कर्मचारियों में अनुशासन की भावना बनी रहें, ग्राहकों को उत्तम सेवा मिले, प्रति कर्मचारी उत्पादकता बढ़े तो हमें नेतृत्व एवं नियंत्रण पर ठोस ध्यान देना होगा। यदि बैंकों में नेतृत्व का स्तर बढ़ जाता है तो नियंत्रण स्वत: अच्छा हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि बैंक का व्यवसाय बढ़ने लगता है।

बैंकों में जब पदोन्नति होती है उस समय कर्मचारी के सेवाकाल का रिकार्ड, शैक्षणिक, पेशेवर योग्यता और लिखित परीक्षा में निष्पादन को ही महत्व दिया जाता है, उस समय नेतृत्व संबंधी गुणों को महत्व नहीं दिया जाता। नेतृत्व का संबंध स्वभाव से है, यदि किसी व्यक्ति में जन्म से ही नेतृत्व के गुण मौजूद है तो परिश्रम, प्रशिक्षण और लगन से उनको और निखारा जा सकता है। हाँ जिन व्यक्तियों में जन्म-जात नेतृत्व का गुण नहीं होता, वे परिश्रम, प्रशिक्षण एवं लगन से नेतृत्व के गुणों का विकास अपने आप में कर सकते हैं।

अतएव हमें यह स्वीकार करना होगा कि हम अपने मानव संसाधन को प्रशिक्षण एवं प्रेरणा द्वारा उसके कार्य निष्पादन और कार्य कुशलता में सुधार ला सकते हैं।

जैसा कि पहले कहा गया है कि लीडर का स्वभाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अधीनस्थ कर्मचारियों के सोचने और अनुभव करने के तरीकों को प्रभावित करता है। वाल्ट इमर्सन के अनुसार, "हमारे पीछे जो है और सामने जो है वह उसकी तुलना में कम महत्वपूर्ण है जो हमारे अंदर है।"

इसी तरह विलियम जेम्स ने कहा था, "हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज है कि इंसान अपना नजरिया बदलकर अपनी जिन्दगी को बेहतर बना सकता है।"

अच्छे नेतृत्व के बारे में एक दूसरा प्रश्न यह भी अक्सर उठता रहता है कि क्या अच्छे नेतृत्व के लिए उसका बाहरी व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली होने की आवश्यकता है? यह भी एक टेढ़ा प्रश्न है क्योंकि यह स्वाभाविक है कि पहला प्रभाव तो उसके बाहरी व्यक्तित्व का होता ही है और इस एक अतिरिक्त योग्यता तो कहा ही जा सकता है। परन्तु वास्तविकता यह भी है कि बाहरी रूप से कमजोर व्यक्ति भी लीडर बन सकते हैं। अतएव यह कहा जा सकता है कि एक व्यक्ति जो बाहरी रूप से प्रभावशाली नहीं है वह भी एक अच्छा लीडर बन सकता है। उदाहरण के लिए नेपोलियन बोना पार्ट और लाल बहादुर शास्त्री।

नेतृत्व (लीडर) के विशिष्ट गुण :–

- संकल्पना (विजन): एक लीडर के लिए योग्य संकल्पना की आवश्यकता है जिसकी जानकारी पूरे संगठन को हो।
- आत्म विश्वास: संस्था द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रबल आत्म विश्वास की आवश्यकता हैं।

*मुख्य प्रबंधक, इण्डियन ओवरसीज बैंक (से.नि.) 15/141, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016.

- जोखिम: व्यवसाय में निहित जोखिम की पहचान, आकलन एवं प्रबंधन ।
- संप्रेषण (कम्यूनिकेशन): नेतृत्व करने के लिए प्रभावी संप्रेषण कला की आवश्यकता होती है ।
- सम्बद्धता (इनवाल्वमेन्ट): लक्ष्य हासिल करने के लिए स्वयं के उदाहरण से लोगों को प्रेरित एवं सम्मिलित करना ।
- निर्णय लेना और कार्य सौपना: एक लीडर में निर्णय लेने की क्षमता, समुचित एवं प्रभावशाली निर्णय लेने की कुशलता एवं मातहत कर्मचारियों को सोच-समझकर कार्य सौपना ।
- विविध: उसे संस्था के प्रति निष्ठावान, सबका प्रेमी, सक्रिय और अच्छा स्रोता होना चाहिए ।

लीडर के गुण :-

लीडर का कार्य वास्तविक लक्ष्य निर्धारण करना और उसमें अग्रणी भूमिका निभाते हुए और टीम के सदस्यों के सक्रिय सहयोग से इन लक्ष्यों की पूर्ति करना है । इसके गुण यहाँ दिए जा रहे हैं :-

- चरित्र: एक लीडर को दृढ़ चरित्र का व्यक्ति होना चाहिए ।
- आकर्षण: एक लीडर में ऐसा आर्कषण होना चाहिए जिससे पूरी टीम के साथ मिलकर लक्ष्य के प्रति केन्द्रित रहे ।
- स्पष्टता: एक लीडर को संस्था के लक्ष्यों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए ।
- मानसिक शांति: एक लीडर को संतुलित मस्तिष्क का होना चाहिए ।
- उत्साही: बिना उत्साह के लक्ष्यों की पूर्ति असंभव है अतएव लीडर में उत्साह होना आवश्यक है ।
- सामर्थ्य: एक लीडर में कुशलता होनी चाहिए ।
- दृढ़ विश्वास: एक लीडर के विचारों में दृढ़ता होनी चाहिए ।

प्रभावी नेतृत्व के लिए कुशलताएँ :

- साफ्ट कुशलताएं: आपस में सूचनाओं का आदान-प्रदान करना, आपसी मेल-जोल, समय प्रबंधन, भावनाओं का नियंत्रण, तनाव का प्रबंधन ।
- टीम का विकास: नेतृत्व को समूह की गतिशीलता का ज्ञान रखना चाहिए जिससे प्रत्येक सदस्य एवं टीम की आवश्यकताओं की पहचान कर सके और दोनों को जोड़ा जा सके ।
- प्रेरणात्मक कुशलताएँ: नेतृत्व को पहले स्वयं प्रेरित होना चाहिए और प्रेरित लोगों को ही ठीम में चयन करना चाहिए । टीम के सदस्यों में यह भावना जागृत करना चाहिए कि संस्था के निर्धारित लक्ष्य को पूरा होने से प्रेरणा मिलती है ।

नेतृत्व आचरण एवं व्यवहार

किसी लीडर में गुण देखने के लिए हमें बार-बार अपने परिवार का उदाहरण लेना होगा । हमारा कार्यालय या शाखा एक परिवार से भिन्न नहीं है । जिस तरह से परिवार में बच्चे अपने माँ-बाप का अनुसरण करते हैं उसी तरह कार्यालय में भी कर्मचारी/मातहत अधिकारी अपने उच्च अधिकारियों का अनुसरण करने को प्रेरित होते हैं । यदि एक लीडर चाहता है कि उसके मातहत कर्मचारी/अधिकारी आदर्श बनें तो हमें पहले स्वयं को एक आदर्श लीडर बनना पड़ेगा । यदि हमारी यह अपेक्षा है कि हमारे अधीनस्थ कर्मचारी/अधिकारी मन लगा कर कार्य करें, अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करें, बैंक के हितों का ध्यान रखें तो सबसे पहले हमें यह कर के दिखाना होगा । इसी प्रसंग में स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कहा जाता है कि एक बार उनका एक भक्त अपने लड़के को लेकर पहुंचा और कहा कि स्वामी जी मेरा यह लड़का गुड़ बहुत खाता है । इसे समझाएं कि इतना गुड़ खाना अच्छा नहीं है । स्वामी जी ने कहा कि "इसे बाद में हमारे पास लाना, तब मैं इसे समझाऊंगा" । बाद में फिर भक्त जब स्वामी जी के पास अपने लड़के को लेकर गया तो स्वामी जी ने कहा, "बेटा बहुत ज्यादा गुड़ खाना अच्छा नहीं होता । थोड़ा कम गुड़ खाया करो" । भक्त ने विस्मित होकर पूछा स्वामी जी यदि आपको केवल इतना ही कहना था तो आप इसे पहली बार ही कह सकते थे । स्वामी जी ने कहा-हाँ, मैं कह तो सकता था परन्तु शायद उसका असर नहीं होता क्योंकि इसके पहले मैं भी गुड़ खाता था परन्तु तुम्हारे बात करने के बाद मैंने गुड़ छोड़ दिया और आज मैं इस लायक था, कि मैं आपके लड़के को उचित शिक्षा दे सकूँ ।

383 HA/10—9A

नेतृत्व और समय प्रबंधन

अनुशासन की दृष्टि से और ग्राहक सेवा की दृष्टि से समय का विशेष महत्व है । अतः एक कुशल एवं योग्य लीडर में बेहतर नेतृत्व करने के लिए 'समय प्रबंधन' का गुण केवल वांछनीय ही नहीं है बल्कि विशेष परिस्थिति में अनिवार्य भी । हम किसी भी प्रकार से बीते हुए समय को हासिल नहीं कर सकते । इस बारे में निम्नलिखित बिंदु महत्वपूर्ण हैं ।

- सुनिश्चित करना कि समय से सभी कर्मचारी कार्यालय आएं ।
- एक समय में एक ही कार्य करने पर ध्यान केन्द्रित करना ।
- दैनिक, अल्प अवधि, मध्य अवधि एवं दीर्घ अवधि वाले कार्यों की प्राथमिकता स्थापित करना ।
- पत्राचार कार्य का निपटान तेजी से करना ।
- अनावश्यक कार्यों को एकत्रित न होने देना ।
- सभी कार्यों हेतु अंतिम समय-अवधि निर्धारित कर लेना ।
- दूसरे व्यक्तियों के समय को भी अमूल्य समझ कर उनके समय की बर्बादी को रोकना ।
- सुनिश्चित करना कि सभी बैठकों के उद्देश्य एवं समय सीमा निर्धारित किए गए हैं और केवल आवश्यक लोग ही इसमें बुलाए गए हैं ।

नेतृत्व और अनुशासन

जैसा कि ऊपर कहा गया है हमें कार्यालय को घर अथवा परिवार की तरह ही समझ कर चलना चाहिए । घर में आपके बच्चे कई गलतियां करते हैं, तब आप क्या करते हैं? आप उन्हें समझाते हैं, ऐसी गलती न करने के लिए कहते हैं ।

यदि बच्चे पुनः वही गलती दोहराते हैं तो आप उन्हें चेतावनी देते हैं । यदि आप बहुत अनुशासन प्रिय माता-पिता, बड़े भाई या बहन हैं तो गुस्से में आकर दो-चार हाथ भी लगा देते हैं । परन्तु यह गुस्सा, ताड़ना और भर्त्सना हमेशा के लिए नहीं रहता । अगले दिन फिर आप उसी बच्चे से बात करेंगे । उसका अहित कभी नहीं चाहेंगे ।

एक लीडर को भी यही दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है । यदि कोई मातहत कर्मचारी/अधिकारी गलती करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, अनुशासन भंग करता है, तो लीडर का यह कर्तव्य है समझाना, धमकी देना और आवश्यकता पड़े तो उसको सजा भी देना । परन्तु किसी भी स्थिति में उसे अपना शत्रु न समझे ।

अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के करियर के प्रति गंभीर होना

एक सफल लीडर तभी आप बन सकते हैं जब आप कर्मचारियों/अधिकारियों के भविष्य की चिन्ता करते हैं । यदि आप केवल काम लेते हैं और चिकनी-चुपड़ी बातें कर उन्हें खुश करने की सोचते हैं और उनके कल्याण के लिए कोई ठोस कार्य नहीं करते तो आप के कहने-सुनने का असर कर्मचारियों पर नहीं होगा । इससे लीडर प्रभावशाली नहीं हो सकता ।

नेतृत्व शैली

प्रबंध विज्ञान के आधार नेतृत्व की तीन शैलियां होती हैं-अधिकारात्मक (आटो क्रेटिक) शैली, सहभागिता पूर्ण (पार्टिसिपेटिव) शैली और स्वतंत्र व नियंत्रण हीन (फ्रीरन) शैली ।

अधिकारात्मक शैली में लीडर समस्त अधिकार और निर्णय लेने का उत्तरदायित्व अपने तक सीमित रखते हैं । ऐसी लीडरशिप आमतौर पर नकारात्मक होती है, और इसमें दंड एवं पुरस्कार दोनों की ही सम्भावना होती है । ऐसे लीडर टीम के अन्य सदस्यों के नजरिए की परवाह किए बिना अपनी व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर रहते हुए निर्णय लेते हैं । टीम के सदस्य ऐसे लीडर को नापसन्द करते हैं और उनमें भय, असंतोष और टकराव की स्थितियां पैदा होती है ।

सहभागिता शैली में लीडर अपने अधिकारों को विकेन्द्रित करता है और टीम के अन्य सदस्यों की राय का सम्मान करते हुए इनके अनुभवों से लाभ उठाता है और निर्णय लेता है । यह सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय होता है ।

स्वतंत्र और नियंत्रणहीन शैली में लीडर अपने समस्त अधिकार एवं उत्तरदायित्व टीम को सौंप देता है । वह लक्ष्य निर्धारण एवं उसकी प्राप्ति के तरीकों से संबंधित सारे कार्य

383 HA/10—9B

एवं जिम्मेदारी टीम के सदस्यों पर छोड़कर खुद एक नगण्य भूमिका ही अदा करता है । इस प्रकार की लीडरशिप में व्यवस्था व अनुशासन की अक्सर कमी पाई जाती है ।

इन तीनों शैलियों में अधिकारात्मक शैली कुछ दिनों तक तो सफल रहती है परन्तु आगे चलकर अपने आप ध्वस्त हो जाती है क्योंकि इसमें तानाशाही प्रवृत्ति पनपने लगती है । अतएवं सहभागिता शैली ही लोकप्रिय होती है क्योंकि इसमें लोकतांत्रिक पद्धति अपनाई जाती है । सलाह-मशविरे के बाद लिए गए निर्णय का पालन सदैव ज्यादा अच्छा होता है ।

नेतृत्व और अनुशासनहीनता

परिवार में जब बच्चे अनुशासनहीन तौर-तरीके अपनाने लगते हैं । इस प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए मां-बाप अनुशासनहीन बच्चे को होस्टल में डाल देते हैं, कई बार सजा भी देते हैं । इसी आधार पर एक लीडर को अपने मातहत अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में भी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं ।

कठोर निर्णय लेते समय एक लीडर को कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए । यदि एक लीडर कठोर निर्णय का मामला टाल देता है तो यह बात मान लेनी चाहिए कि नेतृत्व फीका पड़ गया है । इसमें बिगड़े हुए अधिकारियों/कर्मचारियों को बल मिलता है और उनकी हिम्मत बढ़ जाती है । दूसरी तरफ अच्छे अधिकारी/कर्मचारी भी निराश हो जाते हैं क्योंकि उनमें और दूसरे कर्मचारियों में कोई अन्तर नहीं रह जाता है । अनुशासनहीनता को जो भी लीडर सहन करता है वह कमजोर होकर अनुशासनहीनता को और बढ़ावा देता है ।

अनुशासनहीनता को नियंत्रण करने में कठोर निर्णय होने पर कुछ समय के लिए कठिनाई तो आती है परन्तु बाद में संगठन में कार्य का वातावरण भी अनुकूल हो जाता है । एक लीडर को अपने कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहिए । एक लीडर को सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए नहीं नियुक्त किया जाता बल्कि उचित समय पर उचित निर्णय लेने के लिए रक्खा जाता है भले ही उस निर्णय से कुछ समय के लिए वह अलोकप्रिय ही क्यों न हो जाए ।

अनुशासनहीनता शाखाओं में कई रूपों में देखी जाती है अभद्र व्यवहार, ग्राहक सेवा प्रदान करने में ढिलाई गुमनाम शिकायतों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाना । ऐसे माहौल में धैर्य और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है । एक सबसे आवश्यक बात यह है कि निर्णय लेने से पहले एक लीडर को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी अपनी कमजोरियां न हों जिसका लाभ कर्मचारी/अधिकारी उठा सके और आपको ब्लैकमेल कर सके ।

नेतृत्व और नियंत्रण

यदि कोई अच्छा नेतृत्व दे रहा है और कर्तव्यों का निर्वहन सफलतापूर्वक कर रहा है तो उस संस्था में नियंत्रण स्वतः बना रहेगा । हां इसको सुनिश्चित करने के लिए हमें कर्मचारियों की भावनाओं मान-सम्मान और आकांक्षाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा ।

बैंकों में प्रबंधक वर्ग की अक्सर शिकायत यह रहती है कि उन्हें शीर्ष अधिकारियों का सहयोग और समर्थन नहीं मिलता अतएवं वे उचित नेतृत्व नहीं प्रदान कर पाते । परन्तु यहां यह बात भी ध्यान देने लायक है कि एक प्रशासकीय कार्यालय के अधीन अनेक शाखा प्रबंधक कार्य करते हैं परन्तु उनके प्रभावशाली होने में अन्तर होता है जबकि प्रशासकीय सहयोग और समर्थन सभी के लिए बराबर होता है ।

बदलते समय में बैंकों की कार्यप्रणाली का वातावरण बदल रहा है । सूचना प्रौद्योगिकी आने से ज्ञान संपन्न कर्मचारी का महत्व आवश्यकता से अधिक बढ़ गया है । इसलिए परिवर्तनकारी नेतृत्व संस्था को अपेक्षा से अधिक परिणामदायक सिद्ध हो रहा है । अतएव नेतृत्व का भी अनुयायियों का अनुयायी बनाना आज की आवश्यकता है । नेतृत्व की क्षमता को लगातार परखना परम आवश्यक है ।

बदलते समय में सकारात्मक सोच को बढ़ावा देकर व्यावसायिक अवसरों को तलाश करने वाले नेतृत्व की आवश्यकता है । साथ ही साथ संस्थागत संरचना में आवश्यक परिवर्तन, कर्मचारी केन्द्रित प्रबंधन प्रणाली, नवोन्मेषी सोच और अधीनस्थ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाना ही वर्तमान समय में नेतृत्व की प्राथमिकता होनी चाहिए ।

हिंदी भाषा विकास में आधुनिक जनसंचार माध्यमों की भूमिका

–डॉ. देविदास इंगले*

7वीं शती में शौरसेनी अपभ्रंश से उत्पन्न हुई अपभ्रंश मिश्रित हिंदी भाषा विकास की एक-एक सीढ़ी को चूमते एवं पार करते हुए आज 21वीं शती में इंटरनेट एवं ई मेल के कदम तक पहुँच चुकी है । 14 सौ वर्षों के इस इतिहास में डिंगल, पिंगल, ब्रज, अवधी और खड़ीबोली इन रूपों से होते हुए वह आज इस मुकाम तक पहुँची है । हिंदी भाषा का अपने इस सफर में उसका अन्य देशी-विदेशी भाषाओं के साथ मेल-जोल होता रहा । इस मेल-जोल में वह कुछ अपना देती हुई और कुछ दूसरों का लेती हुई विकसित होती रही है । हिंदी भाषा का सही रूप में विकास आधुनिक काल में विशेषत: भारतेन्दु युग से हुआ है । बीसवीं शती के उतरार्ध में या उत्तर शती के कालखंड में जनसंचार के विविध माध्यमों ने उसके विकास में चार चाँद लगा दिए हैं । आज हिंदुस्तान के बाहर विश्व के चालीस से भी अधिक देशों में हिंदी भाषा को बोलने वाले लोग है । आज विश्व में हिंदी बोलने वालों की संख्या प्रथम स्थान पर है । उसकी गणना विश्व की प्रमुख भाषाओं में की जाती है । हिंदी अब संघ की भाषा बनने की तैयारी में है । हिंदी भाषा को इस स्थान तक पहुँचाने में या उसे यह सम्मान देने में पत्रकारिता, आकाशवाणी, चित्रपट, दूरदर्शन और इंटरनेट आदि जनसंचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्व की रही है ।

1. पत्रकारिता :

हिंदी भाषा के विकास में पत्रकारिता की भूमिका अत्यंत महत्व की रही है । जनसंचार के माध्यमों का प्रारंभ भी और विकास भी पत्रकारिता से ही हुआ है । पत्रकारिता यह जनसंचार का सबसे प्रारंभिक और प्रभावी माध्यम रहा है । हिंदी भाषा ही नहीं तो भारत की सभी भाषाओं का सही मायने में विकास मुद्रण कला के आगमन के पश्चात हुआ है । मुद्रण कला यह अंग्रेजों की देन है । मुद्रण कला का आगमन होते ही हिंदी में 'उदंडमार्तण्ड' यह पहली पत्रिका प्रकाशित हुई । इसी दरम्यान भारत के कोने-कोने से प्रान्तीय भाषाओं में 'केसरी', 'मराठा' जैसी पत्रिकाएँ निकलने लगी । स्वातंत्र्य-पूर्व काल में आजादी के आन्दोलन को प्रखर बनाने का और उसे हमेशा उस्फूर्त रखने का कार्य इन्ही पत्रिकाओं ने किया था । लोग इन पत्रिकाओं को पढ़ते थे और उन्हें देश के कोने-कोने की खबरों का, साहित्य में हो रहे परिवर्तनों का पता चलता था । लोगों की पढ़ने की रुचि बढ़ने से भाषा अपने आप विकसित होती गई । इन्ही पत्रिकाओं के कारण भाषा के स्वरूप में परिवर्तन होने लगा । भाषा का व्याकरण परिवर्तित होने लगा । भाषा धीरे-धीरे परिमार्जित होते हुए परिनिष्ठत बन गई । आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने काल में अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से यही कार्य किया और हिंदी भाषा सजती, संवरती गई ।

उदंडमार्तण्डके पश्चात हिंदी में भारतेन्दु द्वारा 'हरिश्चन्द्र मॅगेझिन', 'कविवचन' सुधा, पत्रिकाएँ शुरू की गई । हिंदी भाषा एवं साहित्य के विकास में इनकी भूमिका महत्व की रही है । इसके पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' का, प्रेमचन्द जी ने 'हंस' और 'जागरण' पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया । इसके पश्चात हिंदी में पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू किया । इसके पश्चात हिंदी में पत्र-पत्रिकाओं की बाढ़ सी आ गई । दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक और त्रैमासिक आदि रूपों में हिंदी पत्रकारिता विकसित होती गई । 'नवभारत टाइम्स' आज का आनंद, जनसत्ता, लोकमतसमाचार, दोपहर का सामना, हिंदु, जनशक्ति, सहारासमय, धर्मयुग, इंडिया टुडे, भारतीय साहित्य समाचार, भारतीय साहित्य, वाड:मय रचनाकर्म, परिकथा,

*'शिवनेरी' शिक्षक कॉलोनी, बार्शी नाका, उस्मानाबाद (महाराष्ट्र)-413501.

सारिका, वागर्थ, मधुमति, नयाज्ञानोदय, समीक्षा, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रवाणी, वाक्, नागरी संगम समकालीन साहित्य, गंगनाचल, भाषा-पियुष, संकल्प, साहित्य सरोवर, साहित्य-अमृत, प्रकर, अनभै, संचारिका, विवरण पत्रिका, पहल, समकालीन भारतीय साहित्य, आजतक, प्रगतिशील वसुधा,वर्तमान साहित्य,समग्र दृष्टि, अमरपर्व, मीडिया विवर्श, मीडिया मीमांसा, पक्षधर शब्दयोग आदि 300 तक पत्र-पत्रिकाएँ निकलती हैं । इसमें से कुछ पत्र-पत्रिकाएँ समाचार, खेल-कूद, राजनीति, आदि से हैं तो कुछ साहित्यिक गतिविधियों से संबंधित हैं । इन पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने वाले-पाठकों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है । जैसे-जैसे पढ़ने वाले पाठकों की संख्या बढ़ती जाती है वैसे-वैसे भाषा अपने आप विकसित होती है । हिंदी की उपर्युक्त पत्र-पत्रिकाओं को देश-विदेश में पढ़ा जाता है । अत: स्पष्ट है कि देश में क्या विदेशों में भी हिंदी का प्रचार, प्रसार करने में पत्र-पत्रिकाओं की भूमिका महत्व की रही है ।

2. आकाशवाणी :

आकाशवाणी श्रव्य माध्यम है और वह जनसंचार का प्रभावी माध्यम है । पत्रकारिता यह माध्यम पढ़े-लिखे लोगों तक पहुँच सकता है जब कि आकाशवाणी पढ़े-लिखों के साथ-साथ अनपढ़ और ग्रामीणों तक भी पहुँचता है । आकाशवाणी को सभी सुन सकते हैं और उसकी व्यापकता अधिक है । आकाशवाणी के द्वारा किसी वार्ता को किसी समाचार को अथवा किसी कार्यक्रम के प्रसारण को तुरंत और एक साथ अनेक लोगों तक और देश के कोने-कोने तक पहुँचाया जाता है । पत्रकारिता के द्वारा इन्ही बातों को लोगों तक पहुँचाने के लिए कम से कम 24 घंटों का समय लगता है । आकाशवाणी गरीब, निरक्षर और सामान्यों की दृष्टि से उपयोगी माध्यम होने से हिंदी भाषा के विकास में उसकी भूमिका महत्व की रही है ।

आकाशवाणी या रेडियो 19वीं शती की देन है । रेडियो तरंग के अविष्कार का श्रेय मार्कोनी को दिया जाता है । भारतीय वैज्ञानिक प्रो. जगदीशचन्द्र बसु ने तरंग संग्राहक की खोज उसके पहले की थी । आकाशवाणी प्रसारण केंद्र का प्रारंभ सन 1920 में अमेरिका के पिट्सबर्ग में हुआ । भारतीय रेडियो का इतिहास अगस्त 1921 से शुरू होता है । सर्वप्रथम बंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया के जरिये संगीत कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था । इसके पश्चात इंडियन ब्राडकास्टिंग से एफ. एम. तक आकाशवाणी की प्रगति होती रही है । आज लगभग 20 चैनलों के माध्यमों से आकाशवाणी के कार्यक्रमों का प्रसारण हो रहा है और 164 तक एम. एम. केंद्र भी कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं । राष्ट्रभाषा हिंदी और प्रत्येक प्रांत की प्रांतीय भाषाओं के माध्यम से आकाशवाणी के कार्यक्रमों का प्रसारण होता है, इसमें हिंदी में प्रसारण करने वाले केंद्र अधिक हैं ।

राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में रेडियो तथा आकाशवाणी की भूमिका महत्व की रही है । आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित किया जानेवाला कोई भी कार्यक्रम अथवा कोई भी प्रसारण दूर-दूर तक के प्रदेश में एक साथ पहुँचने से उसका आनंद और अस्वाद लेनेवालों की संख्या बढ़ती गई । इन्हें सुनने वालों का भाषा-ज्ञान अपने आप बढ़ता रहा । एक जमाने में जैसे देवकी नंदन खत्री के चंद्रकांता संतति को पढ़ने के लिए अनेक लोगों ने हिंदी सीखी थी । उसी तरह सिलोन केंद्र से हर बुधवार को प्रसारित किए जाने वाले बिनाका गीत माला कार्यक्रम को सुनने और आनंद लेने के लिए अनेक लोग हिंदी भाषा को आत्मसात करने लगे थे । इसे प्रसारित करने वाले अमीन सयानी की जादू भरी आवाज ने अनेकों का दिल जीता था । मनोरंजन के कार्यक्रमों के साथ-साथ कृषि, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति और व्यवसाय विषयक प्रसारित किए जानेवाले कार्यक्रमों से सुनने वालों की तादाद बढ़ती गई । साहित्य से संबंधित कार्यक्रमों में एकांकी, रेडियो नाटक कहानी का रूपांतरण, उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण, तुलसी के मानस का प्रसारण, कबीर, मीरा, सूरदास के पदों का प्रसारण, तरह-तरह के विज्ञापन आदि के प्रसारण से हिंदी भाषा का विकास होता रहा है और हिंदी भाषा जनमानस तक पहुँच गई है ।

3. चित्रपट या सिनेमा :

चित्रपट अथवा सिनेमा यह भी जनसंचार का एक माध्यम रहा है । चित्रपटों का प्रारंभ होने के पूर्व लोगों के मनोरंजन के लिए अच्छा साधन नहीं था । रामलीला, नौटंकी एवं नाटकों के माध्यम के कुछ मनोरंजन होता था परंतु उसकी मर्यादा थी । आ. भरतमुनि ने इस दृष्टि से ही नाटक को सर्वसामान्यों के मनोरंजन का साधन मानते हुए उसे 'पंचमवेद' भी कहा है । चित्रपट या सिनेमा यह नाटक की अगली कड़ी है । नाटकों की तुलना में चित्रपटों का विकास अधिक तेज गति से हुआ है और लोगों ने इसे भी जल्दी से अपनाया है । किसी भी भाषा के विकास में इस माध्यम की भूमिका महत्व की रही है । हिंदी भाषा के विकास में भी चित्रपटों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है ।

383 HA/10—10A

भारत में सिनेमा का प्रारंभ अमरिका, फ्रांस, और इंग्लैंड के पश्चात हुआ है । पेरिस में ल्युमियारे बंधुओं ने सन् 1885 में पहली गतिशील फिल्म बनाई परंतु सन् 1818 में ही इस दिशा से प्रयत्न शुरू हुए थे । हिंदुस्तान में दादासाहब फालके ने 1913 में 'राजा हरिशचंद्र' नामक मूक पट बनाया था । यही हिंदुस्तानी फिल्म जगत की शुरूआत है । (इसके पूर्व हिंदुस्थान में ल्युमियारे बंधुओं के द्वारा फिल्म प्रदर्शन का आयोजन हुआ था ।) अर्देशिर ईरानी ने सन् 1931 में चलचित्र को प्रथम वाणी दी और 'आलमआरा' भारत की प्रथम सवाक् फिल्म बन गई । सन् 1937 से रंगीन फिल्म बनना शुरु हुआ और 'किसान कन्या' को प्रथम रंगीन फिल्म बनने का सम्मान प्राप्त हुआ । उत्तरोत्तर फिल्म जगत का विकास तेजी से हुआ है । आज भारत में फिल्म इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री के रूप में विद्यमान है । फिल्में रूपक और वृत्तचित्र के रूप में बनती है और रूपक फिल्मों में भी कलात्मक फिल्म और व्यावसायिक फिल्म का स्वरूप अलग-अलग रहता है । आज हिंदी चित्रपट को लगभग सौ वर्षों की लम्बी परम्परा है ।

आकाशवाणी तरह की चित्रपट के कारण हिंदी भाषा देश के दूर दराज के इलाकों में पहुँच गई है । चित्रपट देखने की सुविधा बड़े बड़े शहरों में थियेटरों के कारण अधिक उपलब्ध जरूर थी परंतु गाँव-गाँव के मेलों में टुरिंग टॉकीज के जरिये लोग चित्रपटों का आनंद लेते थे । हिंदी फिल्मों के गीतों को सुनने से लोगों की हिंदी भाषा सुधर गई । लोगों का हिंदी भाषा का ज्ञान बढ़ता गया । हिंदी भाषा की बोधगम्यता और मधुरता के कारण एवं फिल्मों के आकर्षण के कारण लोग हिंदी भाषा को आत्मसात करने लगे और दैनंदिन जीवन के व्यवहार में उसका उपयोग भी करने लगे । दक्षिण भारत के जिन लोगों ने हिंदी भाषा का विरोध किया था । उन्होंने भी हिंदी फिल्मों को देखने और उसका आस्वाद लेने के लिए हिंदी का विरोध कम किया और वे भी हिंदी भाषा को आत्मसात करने लगे । चित्रपटों के कारण हिंदी भाषा ने बच्चों से लेकर बूढ़ों तक की जुबान पर कब्जा कर लिया । शोले फिल्म का "अरे ओ सांबा कितने आदमी थे?" "दो सरकार" जैसे संवादों ने लोगों की जुबान पर वर्षों से घर कर लिया है । हिंदी चित्रपटों के कितने ऐसे गीत हैं, कितनी गजलें हैं जिन्हें लोग अत्यंत चाव से सुनते भी हैं और गुनगुनाते भी हैं कुछ हिंदी चित्रपट ऐसे हैं, जिन्हें लोग बार-बार देखते हैं इन सभी बातों का अच्छा परिणाम ऐसा हुआ कि हिंदी भाषा जनसामान्यों की भाषा बनती गई । हिंदी का वर्ग बढ़ता गया । हिंदी भाषा अपने आप विकसित होती गई । वह अहिंदी भाषिक लोगों की दहलीज को लाँघकर उनके घर में क्या उनके दिलों में कब घर करके बैठी इसका पता उन्हें भी लगा । अत: स्पष्ट होता है, कि आज हिंदी भाषा को इस मुकाम तक पहुँचाने में चित्रपट इस जनसंचार माध्यम की भूमिका महत्त्व की रही है ।

4. दूरदर्शन :

बीसवीं शती के अंतिम दशक में दूरदर्शन के कारण क्रांति हुई है । आज वह जनसंचार का सबसे प्रभावी माध्यम बन गया है । आकाशवाणी श्राव्य माध्यम है, तो दूरदर्शन दृक-श्राव्य माध्यम है । चित्रपट दृकश्राव्य होकर भी दूरदर्शन उसकी तुलना में अधिक प्रभावी बन गया है । इसका कारण चित्रपट को किसी विशिष्ट जगह पर देखा जा सकता था जब दूरदर्शन को एक साथ देश के कोने-कोने के लोग देख सकते हैं । आज दूरदर्शन घर-घर तक पहुँच गया है । सी. डी. के कारण चित्रपट भी घर-घर पहुँचा है फिर भी उसे मर्यादा है । दूरदर्शन ने लोगों के जीवन में क्रांति ही कर दी है । इसके कारण लोगों के जीवन में, सोचने की शक्ति में और जीने के तौर तरीकों में परिवर्तन आ गया है । दूरदर्शन घर-घर में पहुँचने से घर का प्रत्येक व्यक्ति हिंदी भाषा समझ रहा है, हिंदी भाषा बोल रहा है, हिंदी भाषा सीख रहा है और हिंदी भाषा को अपना रहा है । हिंदी भाषा के प्रचार, प्रसार एवं विकास की दृष्टि से दूरदर्शन की भूमिका अत्यंत महत्व की रही है ।

हिंदुस्थान में दूरदर्शन का प्रारंभ प्रयोगिक स्तर पर सन 1959 में हुआ । 15 सितंबर, 1959 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों प्रथम दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन हुआ । सन 1965 से दूरदर्शन की सामान्य सेवा हर रोज एक घंटे के लिए शुरू हुई । प्रारंभ में दूरदर्शन पर स्कूली शिक्षा के एवं कृषि विकास के कार्यक्रम प्रसारित होते थे । धीरे-धीरे दूरदर्शन में प्रगति होती गयी और उस पर से मनोरंजन के और सामुदायिक विकास के कार्यक्रम प्रसारित होने लगे । 1982 के पश्चात दूरदर्शन श्वेत-श्याम की जगह पर रंगीन हो गया और उसके प्रसारण में एवं नए-नए कार्यक्रमों में वृद्धि होती गयी । आज स्थिति ऐसी है कि दूरदर्शन के अनेक चैनेल्स विकसित हो गये हैं । 100 के आसपास उनकी संख्या है समाचार, खेल, संगीत, चित्रपट, मनोरंजन, ज्ञान-विज्ञान, डिस्कवरी, आदि के स्वतंत्र चैनेल्स विकसित होकर उनपर से स्वतंत्र कार्यक्रम प्रसारित होते हैं । आज 80% लोग उसका लाभ उठा रहे हैं ।

383 HA/10—10B

हिंदी भाषा के विकास में दूरदर्शन इस माध्यम का योगदान अत्यंत महत्त्व का रहा है । ऐसा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दूरदर्शन के कारण हिंदी भाषा देश के कोने-कोने में क्या देश के घर-घर में पहुँच गई है । रामायणं, महाभारत, कृष्णा, चन्द्रकांता जैसे अनेक धारावाहिकों के कारण हिंदी भाषा जन-जन के मन-मन तक पहुँच गई है । चित्रपटों से दूर रहने वाला और घर की चार दीवारों के अन्दर रहनेवाला एक वर्ग इन धारावाहिकों के कारण हिंदी भाषा के नजदीक पहुँच गया और वे भी इन धारावाहिकों के प्रेम के कारण हिंदी भाषा को आत्मसात करने लगे और उसे सीख गए । इसके कारण हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार बढ़ता गया । आज स्थिति ऐसी है कि अहिंदी भाषी प्रदेश के किसी घर में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी दूरदर्शन के कार्यक्रमों को देखते हैं, उसे समझते हैं और उसका आनंद भी उठाते हैं । धारावाहिकों की भाषा और विज्ञापनों की भाषा से हिंदी भाषा के मूल रूप में परिवर्तन भी होने लगा है । देशी-विदेशी भाषा के शब्दों की भरमार होने से विशेषत: अंग्रेजी के शब्दों के अधिक्य से अब उसे हिंग्लीश भाषा भी कहा जाने लगा है । जो भी हो दूरदर्शन की भूमिका के कारण हिंदी भाषा सभी देशवासियों के अंतर्मन की भाषा बन रही है और सभी की जुबान पर आ गई है ।

5. इंटरनेट :

हिंदी भाषा के विकास में इंटरनेट की भूमिका भी महत्व की रही है । पत्रकारिता, आकाशवाणी, चित्रपट और दूरदर्शन, सी.डी., व्ही.सी.डी., डी.व्ही.डी. की अगली कड़ी के रूप में इंटरनेट का उल्लेख किया जा सकता है । इंटरनेट कम्प्यूटर-कम्प्यूटर के बीच का अंतर्जाल एवं नेटवर्क है । इंटरनेट के कारण आज दुनिया पूरी कंप्यूटर में की स्थिति निर्माण हुई है । कम्प्यूटर के कारण दुनिया नजदीक आ चुकी है । इंटरनेट का प्रारंभ आज से 30-35 साल पहले हुआ है । लांस एंजिल्स के डाक्टर क्लामिराक और उनके साथियों ने सन् 1969 को दो कम्प्यूटर के बीच संवाद कायम करने में सफलता प्राप्त की और 20 अक्तूबर, 1969 के दिन उन्होंने इसका प्रारंभ किया दो कम्प्यूटर के बीच संवाद ही इंटरनेट है ।

हिंदी आज कम्प्यूटर की भाषा बनी हुई है । कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग दुनिया के किसी भी कोने में किया जा सकता है । दुनिया के किसी कोने का व्यक्ति हिंदी भाषा के संदर्भ में, हिंदी भाषा के साहित्यकारों के संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो वह जानकारी उसे अपने घर में भी मिल सकती है, इसके लिए आवश्यकता है हिंदी के संदर्भ में वेबसाईट बनाने की । आज हिंदी भाषा हिंदी की लिपि, हिंदी का साहित्य आदि के संदर्भ में, हिंदी में उपलब्ध ज्ञान-विज्ञान विषयक जानकारी के संदर्भ में भिन्न-भिन्न वेबसाईट को बनाया गया है । चित्रपट, आकाशवाणी और दूरदर्शन के कारण हिंदी भाषा देश के कोने-कोने तक पहुँची हुई थी इंटरनेट के कारण वह दुनिया के कोने-कोने तक पहुँच गई है । जापान या अमरीका में स्थित व्यक्ति भी हिंदी भाषा के संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता है तो वह उसे इंटरनेट के द्वारा मिल सकती है इसका अर्थ स्पष्ट है कि इंटरनेट के कारण हिंदी भाषा दुनिया के कोने-कोने तक, अर्थात जहाँ कम्प्यूटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ तक पहुँच गई है । आज इस कारण देश-विदेश के लोग और विदेशों में बसे भारतीय लोग हिंदी भाषा का प्रयोग अपने जीवन में कर रहे हैं । अपनी जगह पर से ही हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी चित्रपट, हिंदी जीव, हिंदी धारावाहिक, हिंदी विज्ञापन आदि सभी का आनंद ले रहे हैं । इसका अच्छा परिणाम यह हो रहा है कि हिंदी भाषा का प्रसार एवं प्रचार विदेश में होने लगा है । अत: स्पष्ट है कि हिंदी भाषा के विकास में इंटरनेट की भूमिका महत्व की रही है ।

सारांशत: यह कहा जा सकता है कि आधुनिक काल में अर्थात बीसवीं शती के उत्तरार्ध में हिंदी भाषा का विकास अत्यंत तेज गति से हुआ है । हिंदी भाषा के विकास में पत्रकारिता, आकाशवाणी, दूरदर्शन, चित्रपट और इंटरनेट इन संचार माध्यमों की भूमिका महत्व की रही है । संचार माध्यम का अर्थ है जिसका जन-जन में संचार होता है । संचार माध्यम ही लोगों को दुनिया के साथ अपडेट रखते हैं । और इन माध्यमों की जो भाषा होती है । वही भाषा भी अपने आप विकसित होती है । इन माध्यमों के साथ जुड़ी भाषा को यह कहने की आवश्यकता नहीं होती कि तुम्हें विकसित होना है, वह तो अपने आप विकसित होती है ।

आधार ग्रंथ :

1. हिंदी के अधुतन अनुप्रयोग - डॉ. माधव सोनटक्के
2. हिंदी के अधुनातन आयाम - डॉ. अंबादास देशमुख
3. प्रयोजनमूलक हिंदी - डॉ. महेंद्रसिंह राणा
4. मिडीया की हिंदी - डॉ. विनोद गोदरे
5. विकलप जनसंचार विशेषांक - अप्रैल-जून-2008, देहरादून

तमिल प्रदेश में मंदिर संस्कृति का विकास

–डॉ. एम. शेषन्*

प्राचीन काल से तमिलनाडु दिव्य भूमि के रूप में माना गया। प्रागैतिहासिक काल से ही यहाँ ईश्वरोपासना प्रचलित थी। कई सहस्राब्दियों पूर्व ही मानव ने अपनी बुद्धिशक्ति, क्षमता, कार्यकुशलता से परे एक परमसत्ता के अस्तित्व का अनुभव किया था। उस परमसत्ता को सूचित करने के लिए तमिल में प्रयुक्त शब्द हैं "कन्दलि" "कड़वुल" और "इयवुल"।

तमिल भाषा में इच्छा या मोह के लिए "कन्दु" शब्द प्रयुक्त है। "अली" शब्द का अर्थ उसे मिटाना या नष्ट करना या दूर करना। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ है जो अपनी समस्त इच्छाओं और मद-मोहादि को मिटा चुके हों और अपने भक्तों को भी इसी प्रकार करने को प्रेरित करते हों। सभी धर्मों ने ईश्वर की सत्ता और उसकी पारदर्शिता पर ज़ोर दिया है। तमिल में "कड़वुल" और "इयवुल" दोनों ही शब्द इसी अर्थ को सूचित करते हैं। ("कड़वुल" शब्द का अर्थ हुआ भौतिक विश्व की सीमा से परे तथा "इयवुल" का अर्थ सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान जो इस पृथ्वी की सभी वस्तुओं पर अपना अंकुश रखनेवाला) इस प्रकार तमिलों ने ईश्वर एवं परमसत्ता को मोहपाश रहित होने की कल्पना की है। फिर भी "अणोरणीयान" तथा "महतो महीयान्" के रूप में परमसत्ता अपने को व्यक्त करती है तथा सभी जीवित प्राणियों की प्राणसत्ता भी वही है।

ईश्वर सत्ता के बारे में मानव के अभिज्ञान के साथ-साथ उसकी उपासना की परंपरा भी चली आई होगी। ईसा के जन्म के एक सहस्र वर्ष पूर्व रचा गया एवं तमिल का प्राचीनतम तथा प्रथम लक्षणग्रंथ के रूप में समादृत "तोलकाप्पियम्" उस परम सत्ता की उपासना के मार्गों का उल्लेख करता है। यह देखा गया कि इस प्रदेश में ईश्वरवन्दना और उपासना की पद्धतियों में समय-समय पर परिवर्तन होते आए हैं। मुख्य रूप से ईश्वरोपासना की तीन प्रमुख पद्धतियां मानी गई हैं। वे हैं :–

1. मूर्तिपूजा – सगुणोपासना जिसे तमिल में "ऊरुव वलिपाडु" कहते हैं।

2. निर्गुणोपासना जिसे तमिल में "अरुव वलिपाडु" कहते हैं और

3. भावोपासना जिसे "अरुव ऊरुव वलिपाडु" कहा जाता है।

इनमें से मूर्ति पूजा या सगुणोपासना अन्य दो उपासना पद्धतियों की अपेक्षा बहुत बाद की मानी जाती है।

दो सहस्र वर्ष पूर्व रचित प्राचीन तमिल साहित्य जिसे हम "संगम् साहित्य" के नाम से अभिहित करते हैं–उसमें मंदिरों में कहीं भी मूर्ति या देवता की उपासना का उल्लेख नहीं है, लेकिन द्वितीय शताब्दी के प्रबंध काव्य "शिलप्पदिकारम्" तथा "मणिमेखलै" - ये दोनों काव्य देवी देवताओं के मंदिरों का उल्लेख करते हैं। तमिल प्रदेश में तब तक बहुदेवोपासना का प्रचलन रहा होगा और मानव कल्पना के अनुकूल देवी या देवता के लिए अलग अलग मूर्तियाँ भी बतायी गई हैं तथा उनके लिए अलग अलग मंदिर भी नियत हैं इन सबका उल्लेख इन काव्य ग्रंथों में प्राप्त है।

इस प्रकार संगकालीन प्राचीन तमिल लोग ईश्वर को "रूपरहित एक अरूप ईश्वरीय सत्ता के रूप में मानकर उपासना करते थे। इसी उपासना पद्धति को तमिल में "अरुववलिपाडु" कहते हैं। तीसरी उपासना पद्धति में तो

*गुरुकृपा, प्लाट, 790, डॉ. राम स्वामी सालै, के. के. नगर, चैन्नई-600078.

अन्य दो उपासना मार्गों के बीच तालमेल बैठती है । अरुव ऊरुव वलिपाडु और कुछ नहीं सिर्फलिंगोपासना पद्धति है और हम निश्चित रूप से बता नहीं पाते कि लिंग सगुणोपासना में स्वीकृत है या नहीं । प्रागैतिहासिक काल से ही लिंगोपासना रही है ऐसा माना जाता है। सर जॉन मार्शल तथा अन्य इतिहासकारों की मान्यता यही रही कि यह लिंगोपासना पद्धति निश्चित रूप से हिंद घाटी सभ्यता का सूचक है । यह मानने का प्रमाणिक विवरण हमें प्राप्त होते हैं कि इसी प्रकार की उपासना पद्धति बहुत पहले दक्षिण अमेरिका में रही होगी । प्रसिद्ध इतिहासकार श्री पी.टी. श्रीनिवास अय्यंगार अपनी पुस्तक "भारत में प्रस्तर युग" में बताते हैं कि लिंगोपासना की पद्धति प्राचीन तमिल प्रदेश से शुरू हुई होगी, क्योंकि यह "प्राचीन प्रस्तर युग" (Old stone age) के युग में भी रही होगी। संक्षेप में प्राचीन तमिलनाडु में लोग पहले ईश्वर को एक अदृश्य परमसत्ता के रूप में मानकर उपासना करते थे । बाद में लिंगोपासना की पद्धति आयी होगी, तत्पश्चात् अनेक मूर्तियों की पूजा उपासना तथा बहुदेवोपासना की पद्धति विभिन्न रूपों में मंदिरों में प्रचलित रही होगी ।

तमिलनाडु के इतिहास लेखकों ने मूर्ति पूजा के इतिहास का पता लगाने का प्रयास किया है । प्राचीन युग में बड़ी वीरता और साहस के साथ युद्धभूमि में लडाई लड़कर जो व्यक्ति वीर मृत्यु को प्राप्त करता है उस वीर पुरूष के सम्मान और स्मरण में पत्थर गाड़कर गाँवों में उसकी पूजा करने की प्रथा का प्रचलन रहा जिसे तमिल में "वीर वलिपाडु" कहते हैं । उस सुदूर पूर्व युग में वीरता को सर्वोच्च गुण के रूप में मान्यता प्राप्त थी और उन वीरों को देवता-तुल्य मानने की प्रथा चल पड़ी । अत: गाँवों में पत्थर गाड़कर उसकी पूजा की जाती थी, क्योंकि उन पत्थरों में उन वीरों का देवत्व निहित था ऐसा विश्वास था । तमिल में इसे "नडुकल" कहते हैं ।

मूर्ति पूजा के उद्‌गम को हम यहीं से जान सकते हैं। संग साहित्य के "पुरनानूरु" काव्य में कहा गया है :

"ओन्ना तेवर मुन् निन्रु विल्गी

ओलिरन्दु मरुप्पिन् कलिरु एरिन्दु विलिमुतेन्

कल्ली पराविन् अल्लवु

(नेलु कुत्तु परवुम् कडवुलुम् इलवे" (पुरम 335)

इसी भांति अपने नेक व्यवहार, सच्चरित्रता और नारी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध नारियाँ भी मृत्यु के पश्चात् पत्थर की मूर्तियों के रूप में पूजी जाती थीं । आज भी तमिल प्रदेश में परिवार या कुनबों में ऐसी पतिव्रता नारियों की पूजा होती है । कण्णकि की पूजा न केवल तमिल प्रदेश में होती है जिसे हम "शिलप्पदिकारम्" महाकाव्य से जान पाते हैं । चेरन् चेंगुट्टुवन ने पत्नी देवी कण्णकि के सम्मान में एक मंदिर का निर्माण किया था । आज वह पत्नी देवी के मंदिर के रूप में माना और पूजा जाता है । हिमालय से लाए गए प्रस्तर खण्ड से कण्णकि की प्रतिमा बनवाई गई थी । उस मंदिर में कण्णकि की उस प्रतिमा की स्थापना के शुभ अवसर पर अड़ोस-पड़ोस के अनेक राजा, महाराजा दर्शनार्थ वहां एकत्रित हुए थे । उस मंदिर के उत्सव के अवसर पर उत्तर भारत से, मालवा नरेश, श्रीलंका से राजा गजबाहु, कुडगु राज्य से भी राजा तथा अन्य अनेक राजवंश के प्रमुख लोग एकत्रित हुए थे । इन सबका उल्लेख तमिल काव्य में है । बाद में कण्णकि की मूर्ति को विभिन्न स्थलों में परिक्रमा के रूप में ले जाया गया था ।

इस प्रकार वीर पुरूष तथा पत्नी देवियाँ प्रस्तर मूर्तियों के माध्यम से पूजे जाने लगीं । कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि मृत व्यक्तियों की पूजा की प्रथा शनै शनै देवी देवताओं की पूजा के रूप में वरिणत हुई होगी । अपने हृदयस्थ देवी देवताओं के लिए साकार रूप देकर पूजा करने की तीव्र लालसा या कामना बाद में मूर्ति पूजा का रूप धारण कर चुकी होगी और बाद में प्रस्तर खण्ड से विविध प्रकार की मूर्तियाँ गढ़ने तथा उन्हें मंदिरों में स्थापित करने की प्रथा विकसित हुई होगी । ये मंदिर शनै: शनै: धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यकलापों के केंद्र के रूप में विकसित हुए होंगे जो परवर्ती काल में हमारी संस्कृति और कलाओं के स्थायी स्मारक का भव्य रूप धारण कर चुके होंगे ।

तमिलनाडु के सहस्राधिक मंदिरों में शिव और विष्णु के मंदिर ही संख्या में अधिक पाए जाते हैं । उनमे भी शिवजी के मंदिर संख्या में अधिक हैं । ऐसी अनुश्रुति है शिवजी के लिए 1008 मंदिर निर्मित हैं इनमें से कुछ मंदिर तमिलाडु के बाहर भी हैं । इनके अतिरिक्त कुछ जैन, बौद्ध मंदिर भी हैं ।

भगवान विष्णु की उपासना केवल मूर्तियों द्वारा ही की जाती है । विष्णु के दस अवतारों-विशेषकर, राम और कृष्ण की मूर्तियों की उपासना बहुप्रचलित है । शिव के मंदिरों में गर्भगृह के अंदर मूल विग्रह या प्रधान मूर्ति शिवलिंग ही है । इसके अतिरिक्त अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों भी

383 HA/10—11A

वहाँ स्थापित हुई होती हैं । ये सब मूर्तियाँ प्रस्तर खण्डों में से उत्कीर्ण मूर्तियाँ हैं ।

तमिलनाडु के मंदिरों में पंचधातुओं की बनायी मूर्तियाँ भी हैं जिन्हें मंदिरों में उत्सव पर्व के अवसर पर नगर की चारों वीथियों में शोभा यात्रा के रूप में बाहर परिक्रमा में ले जाते हैं । इन विभिन्न अर्चावतार मूर्तियों की स्तुति में अनेकानेक कवियों ने हजारों की संख्या में गीत गाए हैं, कविताएं रची हैं । शिवभक्त "नायनमार" कहे जाते हैं जबकि विष्णुभक्त "आळवार" कहे जाते हैं । इन दोनों वर्गों के कवियों द्वारा गाए गए ये स्तुति-गीत भक्तों के हृदय के वास्तविक उदगार हैं जिनमें काव्य के उत्तमगुण समाहित हैं । ये भक्त कवि तमिल प्रदेश में तीसरी शताब्दी तथा दसवीं शताब्दी के मध्य रहे । इनके स्रोत गीतों में छोटे-छोटे मंदिरों भी अमरकीर्ति प्राप्त कर बाद में, परवर्ती युगों में तमिलनाडु के प्रशस्त राजा महाराजाओं और सामंतों क्षेत्रपतियों के प्रयास से भव्य मंदिरों के रूप में पुनर्निर्मित किये गये हैं जिससे उन मंदिरों में दर्शनार्थ आने वाले भक्तों की अपार भीड़ उनमें समा सके ।

तमिलनाडु के मंदिरों के इतिहास के संबंध में एक रोचक सिद्धान्त प्रचलित है । प्राचीनकाल में गाँव की आवश्यकताओं एवं ग्रामीण जनता की शिकायतों की सुनवाई के निमित्त ग्रामीण जनता की पंचायत एक निर्दिष्ट स्थान पर एकत्रित होती थी । ऐसी भीड़ अपराधियों को दंडित करने के न्यायालय का रूप भी धारण कर लेती थी । अक्सर ये सभाएं किसी बड़े वृक्ष के तले हुआ करती थीं । इन वृक्षों की छाँह तले गाँव के सज्जन एवं चरित्रवान व्यक्ति मिलकर अपना निर्णय सुनाया करते थे । ग्रामीण जनता भी ऐसे स्थलों को एक पुनीत स्थल के रूप में मानने लगी थीं । उन लोगों की मान्यता थी कि भगवान स्वयं वहाँ आविर्भूत होकर उन्हें शांतिपूर्ण एवं सुखी जीवन बिताने में मार्गदर्शन देते हैं ।

स्वभावत: वहाँ कोई भी व्यक्ति न असत्य भाषण करने का साहस कर सकता था और न ही कोई अपराधपूर्ण विचार मन में रख सकता था । उनका संकल्प और विश्वास था कि गाँव के सज्जन एवं चरित्रवान लोग गाँव वासियों को सही न्याय अवश्य प्रदान करेंगे । इस प्रकार तरू तले ईश्वर के सान्निध्य में न्याय प्रदान किया जाता था । स्वाभाविक था कि यह तरू तथा उसके आसपास का स्थान गाँव के एक पुनीत स्थल के रूप में माना जाने लगा । बरगद, पीपल और नीम के पेड़ अति पवित्र पेड़ों के रूप में माने जानें लगे । और आज भी तमिलनाडु की ग्रामीण जनता इन वृक्षों की विशेष पूजा करती पाई जाएगी । धीरे-धीरे इन पवित्र तरू तले देवी देवताओं की मूर्तियाँ नाग (सर्प) युगल मूर्तियां स्थापित होने लगीं । मध्य युग में भी जनता का यह विश्वास बढ़ता गया कि ईश्वर मंदिरों की अपेक्षा इन पवित्र वृक्षों के नीचे रहना अधिक पसन्द करते हैं । तीसरे संगम काल के पश्चात् अर्थात् ई. सन् दूसरी तीसरी शताब्दियों में शिलप्पदिकारम् जैसे प्रबन्ध काव्यों की रचना होने लगी । उस युग में ईंट और गारे से इन पवित्र वृक्षों के इर्द गिर्द मंदिरों का निर्माण होने लगा ।

तमिलनाडु के इतिहास की द्वितीय शताब्दी तथा पांचवी शताब्दी को एक प्रकार से अन्धकारमय युग माना जाता है । इन शताब्दियों में तमिलों के सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार के उथल पुथल होने लगे । खासकर, धार्मिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के परिवर्तनों से होकर यह प्रदेश अवश्य गुजरा है । ई. सन् प्रथम शताब्दी के अन्त में धर्म के क्षेत्र में शैव एवं वैश्णव संप्रदाय के बारे में हमें मालूम होने लगा है ।

अगली कुछ शताब्दियों में बौद्ध एवं जैन धर्म ने इस प्रदेश में अपना प्रभाव डाला था । यद्यपि यहाँ के अनेक शासकों ने, इन धर्मों को पोषित और प्रोत्साहित किया था, तथापि शैव एवं वैश्णव धर्मों ने इनके प्रभाव को घटाने में कोई कसर न उठा रखी, और अपने ढंग से उनका विकास होता ही रहा । बौद्ध एवं जैन धर्मों के अत्यधिक प्रभाव को कम करने के निमित्त तत्कालीन शासकों, राजा महाराजाओं ने बड़े ही उत्साह से मंदिरों का निर्माण करना शुरू किया । इसके पूर्व मंदिर निर्माण में शासकों द्वारा इतना उत्साह प्रदर्शन न देखा गया । इसी समय प्रसिद्ध "चिदम्बरम्" में जिसे "आकाशस्थल" कहा जाता है बहुत बड़ा मंदिर निर्मित किया गया । चेंकणणान् नामक चोल राजा ने अपने शासन काल में सत्तर से भी अधिक मंदिरों का निर्माण किया था । अन्य अनेक शासकों एवं सेनापतियों ने भी अनेक मंदिरों का निर्माण किया था । ये सारे मंदिर ईंटों से बनवाए गए थे ।

सातवीं शताब्दी के प्रारंभ में पल्लववंश बहुत प्रभावी शासक के रूप में उभर आया । शैव और वैश्णव मतावलंबियों ने अत्यधिक उत्साह और जोश के साथ धर्म की सेवा की

* 'एण्तोन् ईसरकु एलिल माडम् एयुपदु चेय्दोन्' (तिरूमंगे आळवार)

383 HA/10—11B

जिससे जैन धर्म का प्रभाव बहुत कुछ घट गया । बौध धर्म का प्रभाव तो इससे पूर्व ही घट चुका था । तमिल प्रदेश में बौध धर्म अपना पैर न जमा सका । ये सबके सब शैव भक्त नायनमार एवं वैशणव भक्त आळवार दूर-दूर तक पैदल यात्रा कर मंदिरों में जाकर अपने स्त्रोत्र गीतों द्वारा धर्म का प्रचार बडी तीव्रता से करने लगे थे । कहा जाता है कि जनता में विश्वास पैदा करने के निमित्त इन भक्तों ने अनेक प्रकार के चमत्कार भी कर दिखाए थे । इन भक्त कवियों के स्रोत गीतों का संकलन ही बाद में शैव एवं वैष्णव शास्त्रों के लिए आधारशिला बने थे । परवर्ती युग के भक्तों ने इन स्रोत गीतों का विधिवत् संकलन किया था जो बाद में "तेवारम्"और "दिव्य प्रबंधम्" के नाम से प्रचलित हुए । ये दोनों ही भक्तिग्रंथ आज धार्मिक साहित्य के महान ग्रंथों के रूप में समादृत हैं ।

पल्लवयुग के ये "तेवारम्"और "दिव्य प्रबंधम्" ही भक्ति आन्दोलन के विकास के लिए सबसे बड़ा योगदान माना जाता है । पल्लव शासकों ने बहुत बडी संख्या में मंदिरों का निर्माण किया था । यहाँ ध्यान देने की बात है कि शुरू में इन शासकों ने गुफा मंदिरों और पहाड़ी पर शिल्पकला कौशल का प्रदर्शन किया था । उनकी सौन्दर्यानुभूति और भक्तिपूर्ण और प्रयास दोनों ने पहाड़ों पर अद्भूत करिश्मे कर दिखाए ।

तत्पश्चात् पहाड़ों को छोड़कर, समतल भूमि पर मंदिर निर्माण करना शुरू किया । इनमें भी पत्थरों का बहुत प्रयोग किया गया । सातवीं शताब्दी के अंतिम दशक में कांचीपुरम् के निकट "कूरम्" नामक स्थल पर पहला प्रस्तर मंदिर परमेश्वर पल्लवन् ने बनवाया था । कालान्तर में पल्लवों ने कैलाशनाथ मंदिर और बैकुंठ पेरूमाल मंदिरों का निर्माण किया था । ये दोनों ही मंदिर प्रस्तर मंदिरों में अपनी सुन्दरता, कलाकृतियों के लिए विशेष महत्व रखते हैं । साथ ही इस युग के इतिहास को पल्लवों ने अनेकानेक शिलालेखों में उत्कीर्ण कर उसे अमर बना दिया है ।

सातवीं, आठवीं, नौवीं शताब्दियों से वैशणव आलावर एवं शैव नायनमार भक्तों के स्त्रोत्र गीतों में इन सब मंदिरों और स्थानों का बारंबार उल्लेख हुआ है । बाद में ये स्थल भक्तों एवं यात्रियों के लिए पवित्र एवं दर्शनीय स्थल बन गए हैं । इन भक्तों द्वारा उनके गीतों में उल्लेखित ये पवित्र स्थल परवर्ती युगों में "पाडल पेट्र स्थलम्" (संतों, भक्तों द्वारा संकीर्तित पवित्र स्थल) के नाम से लोकप्रिय हुए ।

शैवों के लिए चिदम्बरम् तथा वैशणवों के लिए तिरूवरंगम के नाम से तमिल में विख्यात श्रीरंगम् पवित्र दैवी स्थल माना जाता है । नंबिआण्डार नंबि नामक शिवभक्त ने पहली बार इन शैव नायनमारों के स्त्रोत्र गीतों का विधिवत् संकलन तथा संपादन कर उसे आज जिस रूप में हम "तेवारम् गीत" मानते हैं उस रूप में उसे लोकप्रिय शैव स्त्रोत्र ग्रंथ के रूप में दिया था ।

परवर्ती युगों में पाण्डव राजाओं तथा धनाढ्य शैव भक्तों ने इन प्राचीन प्रख्यात मंदिरों का जीर्णोद्धार (पुनर्निर्माण) किया था । तंजाऊर का बृहदीश्वर मंदिर (तमिलनाम तंजै पेरिय कोयिल), गंगै कोण्ड चोळपुरम्, मुरूगन (कार्तिकेय मंदिरों में तिरूत्तणि, पलनी, तिरूचेन्दूर आदि अतिविख्यात मंदिर हुए ।

तमिलनाडु में एक ही मंदिर में शिवजी और विष्णु की पूजा होती है । चिदम्बरम् मंदिर इसका सुंदर उदाहरण पेश करता है । इस प्राचीन मंदिर में नटराज एवं गोबिन्दराज दोनों की भव्य मूर्तियाँ स्थापित्त हुई हैं । दोनों की पूजा समान रूप से होती है । इस प्रकार के अनेक मंदिर तमिलनाडु में हैं जहाँ दोनों मूर्तियों की पूजा एक ही मंदिर में होती है । मध्य युग में शैव और वैशणवों के बीच किसी प्रकार की कटुता या वैमनस्य का भाव नहीं उठता था ।

तमिल प्रदेश के मंदिरों के विकास के इतिहास में चोळ और पाण्ड्य राजाओं के अतिरिक्त विजयनगर साम्राज्य (सोलहवी शतीं) का भी बड़ा योगदान स्वीकारा जाना चाहिए । उत्तर भारत से आये इस्लाम धर्म के हमले को रोकने में विजयनगर साम्राज्य का बड़ा हाथ रहा । इन शासकों ने बड़े उत्साह और बड़ी तीव्रता के साथ इस्लाम धर्म को दक्षिण के अन्दर प्रवेश करने से रोकने का जबरदस्त प्रयास किया था । उन्होंने अनेक हिंदु मंदिरों का पुनरुद्धार करके उसके विकास के लिए भूमि संपत्ति देवस्व दान में दी थी । तमिलनाडु के मंदिरों के विशाल प्रकार (Corridor) और मंदिर के चारों और ऊँची ऊँची दीवारों को खड़ी करने में परवर्ती चोळ राजाओं का उत्साह देखने लायक था । साथ ही यहाँ के चट्टियार वर्ग (श्रेष्ठी कुल) के भक्तों ने बड़े-बड़े दान देकर मंदिरों की अमूल्य सेवा की है जिसे यहाँ स्मरण करना

उचित होगा । इतना होते हुए भी काल के प्रभाव से इन मंदिरों के पुराने शिलालेखों को बचा नहीं पाए । भारत सरकार का पुरातत्व विभाग इन शिलालेखों तथा इतिहास-प्रसिद्ध अद्भूत स्थलों की सुरक्षा एवं विकास के निमित्त अद्भुत कार्य कर रहा है।

तमिलनाडु के मंदिर केवल उपासना और भक्ति के स्थल नहीं रहे । ये मंदिर सभी प्रकार की ललित कलाओं के विकास और संवर्धन के मुख्य केंद्र बने । साहित्य, संगीत नृत्य, शिल्पकला, चित्र कला नाटक आदि संस्कृति के विभिन्न तत्वों का बखूबी विकास इन मंदिरों के माध्यम से होता रहा । तमिल के तेवारम् भक्ति गीत, दिव्य प्रबंधम के पाठ, वेदों का नित्यपाठ आदि इन मंदिरों में सदियों से अटूट चलता रहा है । इसकी एक लंबी परंपरा मानी जाती है । तमिल प्रदेश का जन जीवन इन्हीं मंदिरों के ईर्दगिर्द विकसित और पनपता आया है । तमिलों की भावनाओं और संस्कृति की खूबियों को ये मंदिर प्रतिफलित करते हैं । तमिलों के नित प्रति जीवन के कार्यकलापों से इन मंदिरों का अभिन्न संबंध माना जाता है । तमिलों के सामाजिक जीवन के विकास में इनका समुचित योगदान माना जा सकता हैं । इन्ही कारणों से हर गाँव और शहर में मंदिरों का होना आवश्यक माना गया है । तमिल में यह उक्ति प्रचलित है कि "कोयिल इल्ला ऊरिल कुडि इरुक्क वेण्डाम्" अर्थात् जहाँ मंदिर न हो वहाँ निवास न करें । तमिलों के जीवन के साथ मंदिरों का इतना अभिन्न संबंध माना गया है ।

मंदिर निर्माण के साथ साथ हमारे पूर्वज स्थल-वृक्ष (क्षेत्रीय प्रमुख पवित्र वृक्ष) के महत्व को न भूले । हमने इस आलेख के प्रारंभ में ही बताया कि पवित्र आम्रवृक्ष, पीपल या नीम के आसपास ही मंदिरों का निर्माण हुआ । यद्यपि सभी मंदिरों में स्थल वृक्ष नहीं होते थे, फिर भी परवर्ती युग में मंदिर निर्माण करने वालों ने जाना कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना आवश्यक है अत: इसकी व्यवस्था भी उन्होंने कर दी थी । स्थल पुराणों में उन स्थल वृक्षों की महिमा का वर्णन प्राप्त है । कांचीपुरम् मंदिर का आम्रवृक्ष, तिरूवानैक्कावल का जंबू वृक्ष, मदुरै मीनाक्षी मंदिर का कदम्ब वृक्ष, कुट्रालम् का कटहल पेड़ आदि विख्यात हैं ।

तमिलनाडु के नीलगिरी जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में मंदिर हैं । इनमें से अनेक मंदिर तेवारम् गीतों में स्थान पा चुके हैं या दिव्य प्रबंधम गीतों में । आज सरकार हिंदु धर्म विकास बोर्ड की स्थापना कर तमिल प्रदेश के सहस्राधिक मंदिरों की देखभाल की व्यवस्था में लगी है । अनेक मंदिरों में आगम पद्धति (शिवागम वैश्णव बैखानस, पांचरात्र आदि) से पूजा का विधि विधान नियमित रूप से होता आ रहा है। इन मंदिरों में तेवारम् या दिव्य प्रबंधम गीतों के नित्यगान की भी व्यवस्था हुई है । तमिलों के जीवन में ये मंदिर बड़ी महत्वपुर्ण भूमिका निभाते हैं । तमिलनाडु में यह आम विश्वास है कि यहाँ के मंदिर के पत्थर भी गीत गाया करते हैं । तमिल प्रदेश के इतिहास के साथ यहाँ के मंदिरों का इतना सुदृढ रूप से पिरा हुआ है कि दोनों को अलग करके देखने का प्रयास अपूर्ण अध्ययन ही माना जाएगा ।

यहाँ के मंदिरों के अदभुत चित्र, कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ अनगिनत शिलालेख ताम्रपट्ट हमें अद्भुत जानकारी और विवरण प्रदान करते हैं । इनमें रुचि रखनवालों के लिए तो ये मंदिर अद्भुत कोषागार हैं और जीवन भर अध्ययन करने पर भी अधुरा ही रह जाएगा । भारत में ही नहीं विश्वभर में ये मंदिर अपना सानी नहीं रखते ।

तमिलनाडु के मंदिरों का इतिहास बताता है कि यह किस प्रकार यहाँ के जन जीवन से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है । मंदिरों की संपति का उपयोग अच्छे कार्यों के निमित्त एवं जनकल्याण के लिए किया जाता है । तमिलनाडु के राजा महाराजा, पट्टमहिषियाँ, रानियाँ, धनी लोग आदि अपने जेवर, आभूषण आदि देवी देवताओं पर चढ़ाया करते थे । तिरूपति में भक्तों द्वारा दान में दिए गए अपार हीरे जवाहिरात गहने आभूषण, रूपये, पैसे की अपार संपत्ति, करोड़ों, अरबों की है । इन सबका वहाँ सदुपयोग जन कल्याण के निमित्त किया जा रहा है ।

संगीत, नृत्य, नाटक, काव्य रचना, काव्य पाठ आदि कलात्मक सांस्कृतिक कार्य मंदिरों में होते थे । कला, संस्कृति वहीं पनपती थी और उसका संवर्धन और विकास होता था। नाटक का प्रथम बार मंचन जिसे तमिल में "अरंगेट्रम" कहते हैं अथवा काव्य का प्रथम वाचन, कवियों, रसिकों के सम्मुख हुआ करता था । संगीत का कार्यक्रम तो मंदिर के विशालकाय मंडपों में ही हुआ करता था जिसका रसास्वादन हजारों लोग करते थे । बताया जाता है कि तिरूवरंगम् के नाम से तमिल में विख्यात श्रीरंगम् के सुविशाल

मंडप में तमिल के कविचक्रवर्ती कंबन ने स्वरचित तमिल रामायण का प्रथम वाचन कवियों, रसिकों, की सभा के सम्मुख किया था जिसे तमिल में "अरंगेट्रम" कहा जाता है। वह एक रोचक घटना थी। इसी भांति नाटकों का मंचन भी मंदिर के अहाते में ही हुआ करता था। सहस्त्र खंभों वाले बड़े मंडप में लोग देवी देवता के मंगल विवाह आदि दैवी उत्सव किया करते थे। जो पारिवारिक शुभ विवाहों के लिए मनौती रूप में समादृत थी। धार्मिक प्रवचन, व्याख्यान् आदि अवश्य मंदिरों में होते थे।

शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख केंद्र भी वही था। आज भी ऐसे कार्यक्रम तमिलनाडु के मंदिरों मे देखे जा सकते हैं। इसकी बहुत पुरानी परंपरा है जो आज तक अटूट चली आ रही है। मंदिर के शिलालेख से पता चलता है कि वहाँ बड़े वैयाकरणिक को भूमि दान में दी गई थी। मंदिरों में प्रयुक्त अनेक प्रकार के वाद्ययंत्रों के नाम भी हमें इन शिलालेखों से मालूम होते हैं। एक शिलालेख बताता है कि जनकल्याण के निमित्त मंदिर की ओर से बड़ी वैद्यशाला चलायी जाती थी जिसमें रोगियों की अच्छी चिकित्सा के प्रबंध थे।

तमिल साहित्य के प्राचीनकालीन कवियों ने मंदिरों में होने वाले वार्षिकोत्सव, जिसे दक्षिण भारतवासी ब्रहमोत्सव कहते हैं, आदि का उल्लेख किया है। तमिल के प्राचीन प्रबंध काव्य "मणिमेखलै" में मंदिर में होने वाले अनेक उत्सवों और उसके महत्व का उल्लेख प्राप्त है। उत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा अवश्य होती है, जिसमें दर्शनार्थी भीड़ की भीड़ में इकट्ठा होते हैं।

हमने पहले ही बताया है कि हम तमिलनाडु के मंदिरों के शिलालेखों के माध्यम से तद्युगीन इतिहास की झाँकी प्राप्त करते हैं। इसके साथ जन सामान्य के नित प्रति जीवन, उनकी सभ्यता और संस्कृति की भी झाँकी मिलती है। मंदिरों से संबंधित सैकड़ों पुराण, ग्रंथ भी उपलब्ध हैं। तमिल में हम उन्हें क्षेत्र पुराण या स्थल पुराण के नाम से जानते हैं।

संक्षेप में तमिल प्रदेश के मंदिरों के विकास क्रम के अध्ययन से यह स्पष्ट हेता है कि यहाँ के जन-जीवन और लोकसंस्कृति से उसका अभिन्न संवर्धक संबंध हैं। आज के इस वैज्ञानिक युग में भी हमारे यहाँ के लोग अपने पूर्वजों के द्वारा चलाई इस परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। व्यक्ति के जीवन में नैतिकता, सदाचार एवं सद्विचार आदि सांस्कृतिक गुणों का विकास जब तक अच्छी तरह से नहीं होगा, तब तक समाज की सच्ची प्रगति संभव नहीं है, देश की प्रगति भी सही ढंग से नहीं हो पाएगी। इन सबके लिए मंदिर संस्कृति का शुद्ध मन से पालन करना व्यक्ति, परिवार, कुल, समाज, शासन सत्ता एवं राष्ट्र के कल्याण के निमित्त अत्यावश्यक है। ■

राजभाषा प्रयोग की दृष्टि से क्षेत्र वर्गीकरण

संपूर्ण देश को राजभाषा प्रयोग के आधार पर तीन क्षेत्रों में रखा गया है।

"क" क्षेत्र : उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, अंडमान-निकोबार व दिल्ली।

"ख" क्षेत्र : महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब व चण्डीगढ़, संघ-राज्य।

"ग" क्षेत्र : आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, तमिलनाडु, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, गोवा, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर, केरला, नागालैंड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, दादर एवं नगर-हवेली, दमण-दीव, लक्ष्यदीव, पाण्डिचेरी।

383 HA/10—12A

विविध

गांधी विवेक-'हिंद स्वराज' में

-डॉ. आरसु*

हर कृति का संबंध एक युग विशेष से होता है। काल के प्राचीरों को लांघने की शक्ति होने पर कृति परवर्ती युगों में भी चर्चित होगी। कृति में अभिव्यक्त भाव और विचारों से उसकी गरिमा बढ़ेगी। 'हिंद स्वराज' गांधीजी की प्रारंभिक कृति है। होनहार बिरवान के होत चिकने पात वाली लोकोक्ति इस कृति के लिए लागू हो जाती है।

भावावेग की तुलना में विवेक पर टिकने के कारण गांधीजी के विचारों में कर्तव्यनिष्ठा, राष्ट्रानुराग और समाजोन्मुखता की भावनाएं प्रबल बन गई थीं । इस कृति के रचनाकाल में गांधीजी भारत में नहीं थे । दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों की व्यथाओं की प्रामाणिक जानकारी उनको मिली थीं। उसको मिटाने के प्रयत्न में वे निमग्न हो गए थे । परतंत्रता की जजीरों में फंसी जनता की मूक वेदनाओं को मुखरित करने का प्रयास वे तन मन धन से कर रहे थे। साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अभिशापों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए किस प्रकार की योजनाएं आवश्यक हैं, जनजागरण के लिए किस प्रकार के अभियान जरुरी हैं? शोषण के आधार भूत कारण क्या-क्या हैं ? सुधार की योजना में जनता किस बात को प्राथमिकता दें? जनता को जागरुक और सतर्क बनाने के लिए नेतागण क्या करें? इन सारी बातों पर हिंद स्वराज के लेखक ने मनोयोगपूर्वक सोचा है।

यह पुस्तक आकार में बहुत छोटी है। लेकिन प्रभाव में यह नावक के तीर के समान अत्यंत प्रभावशाली है। भारत दुर्दशा पर गांधीजी के सुलझे हुए विचार यहां संवाद रूप में संग्रहीत हुए हैं । बाहरी तौर पर यह एक सफर का संवाद है। लंदन से दक्षिण अफ्रीका लौटते हुए रास्ते में जो संवाद लिखा उसका बाद में पुस्तकाकार मिला था। एक समर्पित संपादक के रूप में उनका गहन और विशाल ध्यान देश और समाज के विभिन्न स्तरों पर गया था। 'इंडियन ओपीनियन' सही अर्थ में भारतीयों के अभिमतों का दर्पण बन गया था। मूल किताब गांधीजी ने गुजराती में लिखी थी। तब लेखक अंग्रेजों का कोप भाजन बन गया था। खतरनाक विचार जनता के सामने रखने के कारण अंग्रेज सरकार ने किताब जब्त कर ली थी। लेकिन गांधी के विचारों ने जन मानस में जो आंधी पैदा कर दी थी उसको सरकार अपने काबू में न रख सकी । क़ई भाषाओं में इसके अनुवाद प्रकाशित हो गए । भिन्न भाषाओं के लोग इसके विचारों के समझदार संमर्थक वन गए । किताब के नए संस्करण आते समय गांधी ने भाषा में कहीं-कहीं कुछ सुधार सुझाए थे । लेकिन मूलभूत विचारों से वे तनिक भी विचलित नहीं हुए थे।

'हिंद स्वराज' गांधीजी के मानस मंथन का परिणाम है। यह मनोरंजन की किताब नहीं है। देश की दुर्दशा को देखकर निस्सहाय, निस्संग और निष्क्रिय होकर वे बैठ न सके। अपना मन उनको मजबूर कर रहा था। प्रस्तावना में गांधीजी ने मार्के की कुछ बातें कहीं हैं- ''जब मुझ से रहा नहीं गया तभी मैंने यह लिखा है। बहुत पढ़ा, बहुत सोचा, विलायत में ट्रान्सवाल डेप्युटेशन के साथ मैं चार माह रहा , उस बीच हो सका उतने हिन्दुस्तानियों के साथ मैंने सोच विचार किया, हो सका उतने अंग्रेजों से मैं मिला। अपने जो विचार मुझे आखिरी मालूम हुए उन्हें पाठकों के सामने रखना मैं अपना फर्ज समझा।''

'हिंद स्वराज' का उद्देश्य भी लेखक ने यों स्पष्ट किया है- ''उद्देश्य सिर्फ देश की सेवा करने का और सत्य की खोज करने का और उसके मुताबिक बरतने का है। इसलिए अगर मेरे विचार गलत साबित हो, तो उन्हें पकड़ रखने का मेरा आग्रह नहीं है। अगर वे सच साबित हो, तो

*अध्यक्ष, हिंदी विभाग, कालिकट विश्वविद्यालय, केरल-673635

383 HA/10—12B

दूसरे लोग भी उनके मुताबिक बरतें, ऐसे देश भले के लिए साधारण तौर पर मेरी भावना रहेगी।''

देश की जीर्ण और जर्जर समस्याओं को सही और समग्र ढ़ंग से समझने का सोद्देश्य प्रयत्न किताब की खूबी है। इसमें बीस अध्यायों का नियोजन हुआ हैं । इस में प्रस्फुटित कई विचार आज भी मार्मिक तथा सारवान लगते है। एक अखबार का मूलभूत धर्म उनके अनुसार यह है, ''अखबार का एक काम तो है लोगों की भावनाएं जानना और उन्हें जाहिर करना, दूसरा काम है लोगों में अमुक जरुरी भावनाएं पैदा करना और तीसरा काम है लोगों में दोष हो तो चाहें जितनी भी मुसीबतें आने पर भी बेधड़क होकर उन्हें दिखाना।'' देश हित और समाज हित को खो बैठकर गुमराह होने वाले आज के कई अखबारों को गांधीजी के इस विचार से अवश्य मार्गदर्शन मिलेगा।

गाँधीजी के स्वराज संबंधी विचार में पारदर्शिता है। उनकी राय थी कि अंग्रेजों को देश से निकालकर भारतीय अंग्रेजों के समान रहें तो स्वराज्य बेमतलब हो जाएगा। एक प्रश्न के जवाब में गांधीजी का स्पष्ट उत्तर देखिए – ''आप बाघ का स्वभाव चाहते हैं, लेकिन बाघ नहीं चाहते। मतलब यह हुआ कि आप हिंदुस्तान को अंग्रेज बनाना चाहते हैं । और हिंदुस्तान जब अंग्रेज बन जाएगा तब वह हिंदुस्तान नहीं कहा जाएगा। लेकिन सच्चा इंग्लिस्तान कहा जाएगा। यह मेरी कल्पना का स्वराज नहीं है।'' केवल बाह्य तौर पर परिवर्तन लाने का विचार गांधीजी ने नहीं रखा था । मनोवृत्तियों में परिवर्तन और परिमार्जन नहीं लाएंगे तो देश की प्रगति संभव नहीं होगी। आज हमारे देश में लागू किए जाने वाले विकास अभियानों पर सोचने के लिए इस कथन से हमें प्रेरणा मिलेगी। आज की उदारीकरण नीति में सही उदार भावना नहीं है। वैश्वीकरण नीति से भारत हित को ठेस पहुंची है। अपनी संस्कृति, विरासत और दर्शन से विचलित होकर बाहरी चकाचौंध में हम बह रहें हैं।

हमारी सभ्यता की भलाइयों को विस्मृत तथा तिरस्कृत करके पश्चिम की सभ्यता के पीछे पड़ने से हमारी भलाई नहीं होगी वरन् अधिक हानि होगी। गांधीजी ने 'सभ्यता का दर्शन' शीर्षक अध्याय में इस ओर संकेत किया है। नीति के नाम से अनीति सिखलाई जाती है। उपर की बातों में नीति हो ही नहीं सकती, यह कोई बच्चा भी समझ सकता है। शरीर का सुख कैसे मिले यही आज की सभ्यता ढूंढ़ती है और यही देने की वह कोशिश करती है। परंतु वह सुख भी नहीं मिल पाता। यह सभ्यता तो अधर्म है और यूरोप में इतने दर्जे तक फैल गई है कि वहां के लोग आधे पागल जैसे देखने में आते हैं, उनमें सच्ची कूबत नहीं है वे नशा करके अपनी ताकत कायम रखते हैं। एकांत में बैठ नहीं सकते। धर्म बोध को छोड़कर, मैं मन और आत्मा के विकास को भूलकर बाहरी, चहलपहल की और आकृष्ट होकर आगे बढ़ूं तो प्रगति के स्थान पर अवनति ही आएगी। गांधीजी की यह चेतावनी आज अधिक विचारणीय है।

देश के उद्धार के लिए योजना बनाने के पहले उसकी दशा की सही पहचान आवश्यक है। बीमारी के लक्षण और हेतु जानने के बाद उपचार के उपाय बताना ठीक तरीका है। 'हिंदुस्तान कैसे गया' शीर्षक अध्याय में गाँधीजी ने इस बात पर रोशनी डाली है। ''हिंदुस्तान अंग्रेजों ने लिया सो बात नहीं है बल्कि हमने उन्हें दे दिया। हिंदुस्तान में वे अपने बल से नहीं टिके हैं बल्कि हम ने उन्हें टिका रखा है। ......सच्चा डाक्टर तो वह है जो रोग की जड़ खोजें। अगर हिंदुस्तान के रोग के डाक्टर होना चाहते हैं तो आप को रोग की जड़ खोजनी पड़ेगी'' । (पृ. 21-22) गाँधीजी का यह उद्बोधन वर्तमान संदर्भ में अधिक महत्व रखता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के मायाजाल में भारत के कुछ शासक फंस जाते हैं। उनके प्रलोभन में पड़कर देश के हित को दांव पर रखते हैं। दूसरे राष्ट्रों के साथ संधि-समझौते के दस्तावेजों पर दस्तख्त करते समय राष्ट्र के स्वाभिमान को वे भूल जाते हैं। जननी जन्मभूमिश्य स्वर्गदमि गरीससी वाले आदर्श को छोड़ना विवेक संगत नहीं है।

आज हमारे देश में धर्म के पावन आदर्श खतरे में पड़ रहें हैं। कुछ लोग धर्म को अंधविश्वास का अड्ड्ा और मानसिक गुलामी का प्रतीक मानते हैं। धार्मिक तत्वों के निषेध और निराकरण को धर्मनिरपेक्षता मानकर वे आगे बढ़ते हैं। धर्म को बाहरी तौर पर मानने वाले उसके कुछ अनुयाई आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के समर्थक बनते हैं । वे घातक हथियार अपने पास रखते हैं । संघ और संस्थाएं स्थापित करके विध्वंसक अभियान चलाते हैं । ऐसी स्थिति में धर्म राष्ट्र जीवन के लिए धूमकेतु के समान बन जाते हैं । धर्मनिरपेक्षता का तत्व एक आकर्षक कवच बन जाता है । गाँधीजी ने इस किताब में धर्म के बारे में अपने विचारों को स्पष्ट किया है – ''मुझे धर्म प्यारा है इसलिए पहला दुःख मुझे यह है कि हिंदुस्तान धर्मभ्रष्ट होता जा रहा है । धर्म का अर्थ यहां हिंदु, मुस्लिम या जरथोस्ती धर्म नहीं

करता । लेकिन इन सब धर्मों के अन्दर जो 'धर्म' है, वह हिंदुस्तान से जा रहा है, हम ईश्वर से विमुख होते जा रहे हैं ।'' (पृ. 24) सही तौर पर धर्म को समझकर और उसकी रक्षा करके आगे बढ़ने का आह्वान आज अधिक संगत लगता है ।

सर्वधर्म समभाव का आदर्श गाँधीजी को हमेशा प्रिय रहा है । धार्मिक क्षेत्र में ठेके की मनोवृत्ति को उन्होंने कदापि बर्दाश्त नहीं किया था । एक धर्म के अनुयायी दूसरे धर्मों के मूल्यवान आदर्शों पर भी चिंतन मनन करें, उनको आत्मसात् करें । गाँधीजी का अभिमत है – ''हिंदुस्तान में जिस धर्म के आदमी रह सकते हैं, उससे वह एक-राष्ट्र मिटने वाला नहीं है । एक राष्ट्र के होकर रहने वाले लोग एक-दूसरे के धर्म में दखल नहीं देते, अगर देते हैं तो समझना चाहिए कि वे एक राष्ट्र होने लायक नहीं है । अगर हिंदु माने कि सारा हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं से भरा होना चाहिए, तो यह एक निरा सपना है । मुसलमान अगर ऐसा मानें कि उसमें सिर्फ मुसलमान ही रहें, तो उसका सपना ही समझिए । फिर भी हिंदु, मुसलमान, पारसी, ईसाई जो हम देश को अपना वतन मानकर बस चुके हैं, एक देशी, एक मुल्की हैं, वे देशी भाई हैं और उन्हें एक-दूसरे के स्वार्थ के लिए भी एक होकर रहना पड़ेगा । दुनिया के किसी भी हिंस्से में एक राष्ट्र का अर्थ एक धर्म नहीं किया गया है, हिंदुस्तान में तो ऐसा था ही नहीं ।'' (पृ.31)

वकील और जजों पर कड़ा प्रहार करने वाले कुछ वाक्य 'हिंद स्वराज्य' में मिलते हैं । झगड़ा बढ़ाने के काम में दिलचस्प वकीलों पर उन्होंने अपना असंतोष प्रकट किया है । अपने कर्तव्य से विचलित होने वाले डाक्टरों पर भी गाँधीजी ने तीखी राय प्रकट की है । ''अस्पतालें पाप की जड़ हैं । उनकी बदौलत लोग शरीर का जतन कम करते हैं और अनीति को बढ़ाते हैं ।'' हम डॉक्टर क्यों बनते हैं, यह भी सोचने की बात है । उसका सच्चा कारण आबरूदार और पैसा कमाने का धंधा करने की इच्छा है । उसमें परोपकार की बात नहीं है । उस धंधे में परोपकार नहीं है । ''डॉक्टर सिर्फ आडंबर दिखाकर ही लोगों से बड़ी फीस वसूल करते हैं और अपनी एक पैसे की दवा के लिए कई रुपये लेते हैं । यों विश्वास में और चंगे होने की आशा में लोग डॉक्टरों से ठगे जाते हैं ।'' आज गलत और गंदे तरीकों से प्रवेश पाकर डॉक्टर बनने वालों की संख्या बढ़ती है । पेशे की निष्ठा और प्रतिबद्धता लुप्तप्राय है । जनता की सेवा करने के लिए समर्पित डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है । अस्पताल कमाल से कमाई करने वालों की व्यावसायिक संस्थाएं बन रही हैं । गाँधीजी का उक्त कथन अप्रिय लगने पर भी अधिक यथार्थ बन रहा है ।

सभ्यता के बारे में सोचते वक्त गाँधीजी ने कहा है कि हिंदुस्तान की सभ्यता आज भी अपनी बुनियाद में मजबूत है । हमारे पुरखों ने जो बीज बोए हैं उनकी बराबरी दूसरे देश कर नहीं सके । हिंदुस्तान की सभ्यता पर लगाए गए इल्जामों का भी उन्होंने ख्याल किया है । हमें जंगली और जीवन में फेरबदल न करने वाले कहकर औरों ने हमारी निंदा की है । इस पर गाँधीजी का स्पष्टीकरण है ''यह आरोप गुण है, दोष नहीं । अनुभव से हमें ठीक लगा है, उसे हम क्यों बदलेंगे? बहुत से अक्ल देने वाले आते जाते रहे हैं, पर हिंदुस्तान अड़िग रहता है । यह उसकी खूबी है, यह उसका लंगर है'' । (पृ. 42) इसी प्रकरण में भोगवादी मनोवृत्ति को नियन्त्रित करने की बात भी कही है । ''भोग भोगने से भोग की इच्छा बढ़ती जाती है । इसलिए हमारे पुरखों ने भोग की हद बांध दी । .... उन्होंने सोच समझकर कहा कि हमें अपने हाथ-पैरों से जो काम हो सके वही करना चाहिए । हाथ पैरों का इस्तेमाल करने में ही सच्चा सुख है, उसमें तंदुरुस्ती है । उन्होंने सोचा कि बड़े शहर खड़ा करना बेकार की झंझट है । उनमें लोग सुखी नहीं होंगे ।'' (पृ. 43)

आज हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माल खरीदार उपभोक्तावाद के शिकार बन रहे हैं । मेहनत का महत्व हम भूल रहे हैं । आरामवादी, उपभोक्तावादी और सुविधावादी बनकर देश को प्रगति के पथ पर ले चलना मुश्किल है । इसलिए गाँधीजी के विचार आज अधिक संगत साबित होते हैं ।

गुलाम देश को आजाद बनाने के तरीकों पर गाँधीजी ने अपने सुझाव दिए थे । जिस कारण से रोगी बीमार हुआ हो वह कारण अगर दूर किया जाए, तो रोगी अच्छा हो जाएगा यह जगमशहूर बात है । इसी तरह जिस कारण से हिंदुस्तान गुलाम बना वह कारण अगर दूर किया जाए, तो वह बंधन से मुक्त हो जाएगा । (पृ. 48) हम अपने ऊपर राज

करें वही स्वराज्य है, वह स्वराज्य हमारी हथेली में है । हमें नफरत अंग्रेजों से नहीं उनकी सभ्यता से करनी चाहिए ।

गाँधीजी दर्शन का बुनियादी तत्व साधन और साध्य के बीच का अटूट संबंध है । लक्ष्य की पवित्रता और मार्ग की पवित्रता अन्योन्याश्रित है । 'गोला बारूद' शीर्षक अध्याय में गाँधीजी ने यह बात स्पष्ट कर ली है । धतूरे का पौधा लगाकर मोगरे के फूल की इच्छा करना ठीक नहीं है । "साधन बीज है और साध्य हासिल करने की चीज पेड़ है । इसलिए जितना संबंध चीज़ और पेड़ के बीच है, उतना ही साधन और साध्य के बीच है । शैतान को भेजकर ईश्वर भजन का फल पाँऊ, यह कभी हो ही नहीं सकता" । (पृ.54) इस विश्वास को आज हमें जीवन के हर क्षेत्र में अपनाना आवश्यक हो गया है । मूल्यों का पतन आज का बड़ा संकट बन गया है । कई व्यक्ति, संस्थाएँ, संघटन आज तरह-तरह के आन्दोलन शुरू करते हैं । उनके लक्ष्यों की जाँच पड़ताल करें तो वे उत्कृष्ट लगेंगे । लेकिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वे विनाश और विध्वंस के मार्ग अपनाते हैं । नक्सलवाद, माओवाद और क्षेत्रीयतावाद के समर्थक कार्यकर्ता सामाजिक समता की स्थापना के लिए संघर्षरत हैं । रेलगाड़ियों को जलाना, सार्वजनिक संपत्तियों को स्वाहा करना, उच्च पदाधिकारियों को बंदी बनाना सड़क पर बम विस्फोट करना आदि उनके मार्ग बन गए हैं। क्रूरता के मार्ग को अपनाकर पावन लक्ष्यों की पूर्ति करने का तरीका समाज और देश को नुकसान पहुंचाएगा । जनता के असन्तोष को गलत मार्ग की ओर उन्मुख करने से समाज में अशांति फैलेगी । जनता को नेतृत्व देना और उनको भटकाना ये दोनों अलग-अलग काम हैं । गाँधीजी ने जनमंगल की बात कही थी । जनमंगल का मार्ग अपनाया था । जनमंगल के लक्ष्य पर वे अटल खड़े रहे थे ।

सत्याग्रह का महत्व उन्होंने दुनिया के सामने रखा था । उसका केंद्र बिंदु आत्मबल है । उसमें बलिदान का आदर्श मुख्य है । सत्याग्रह एक हथियार है । पर कमजोर और डरपोक लोगों का हथियार नहीं है । तन का नहीं वरन् मन का बल सत्याग्रही की योग्यता है । बहुत चिंतन-मनन के बाद गाँधीजी ने लिखा है - "सत्याग्रह ऐसी तलवार है, जिसके दोनों ओर धार है । उसे चाहे जैसे काम में लिया जा सकता है । जो उसे चलाता है और जिस पर वह चलाई जाती है, वे दोनों सुखी होते हैं । वह खून नहीं निकालती, लेकिन उससे भी बड़ा परिणाम ला सकती है । उसको जंग नहीं लग सकती । सत्याग्रह की तलवार को म्यान की जरूरत नहीं रहती" । (पृ. 65) विनाशकारी आंदोलन चलाने वाले संघटनों के कार्यकर्ताओं को गाँधीजी के इस उद्बोधन से सही दिशा मिलेगी । तोड़-फोड़, लूटपाट और खून खराबे के मार्ग से हटने से समाज मंगल को स्थायित्व मिलेगा ।

शिक्षा के बारे में गाँधीजी का दृष्टिकोण आज अधिक विचारणीय बन जाता है । अक्षर ज्ञान को वे शिक्षा का एक साधन मानते हैं । बहुत से लोग अक्षर ज्ञान का बुरा उपयोग करते हैं यों दुनिया को फायदे के बदले नुकसान ही हुआ है । भारत की वर्तमान दशा पर गाँधीजी का यह कथन अधिक लागू हो जाता है । आतंकवाद, बम-विस्फोट, रिश्वतखोरी, काला बाजार, भ्रष्टाचार कांड, मोबाइल फोन, इंटरनेट द्वारा धोखाधड़ी, तस्करी, बैंक डकैती, विश्वविद्यालयों के रैगिंग जैसे मामलों में साक्षर लोग ही अपराधी के रूप में पकड़े जाते हैं । गाँधीजी के अनुसार साक्षरों को सुसभ्य बनाना, इंद्रियों को बस में करना और नीति की नींव को मजबूत बनाना शिक्षा के प्राथमिक धर्म हैं । भाषा को गौण मानकर शिक्षाक्रम से उसको निकालने के बारे में आज के हमारे शिक्षाशास्त्री सिफारिश देते हैं । गाँधीजी का मानना है कि हमें अपनी सभी भाषाओं को उज्जवल-शानदार बनाना चाहिए । हमें अपनी भाषा में ही शिक्षा लेनी चाहिए । सबसे पहले धर्म की शिक्षा या नीति की शिक्षा दी जानी चाहिए । धार्मिक कृतियों को समझने के लिए उससे जुड़ी भाषाओं का ज्ञान आवश्यक होगा । सारे हिंदुस्तान के लिए जो भाषा चाहिए वह तो हिंदी ही होनी चाहिए । उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने की छूट रहनी चाहिए । हिंदी और मुसलमानों के संबंध ठीक रहें, इसलिए बहुत से हिंदुस्तानियों का इन लिपियों को जान लेना जरूरी है । धार्मिक सद्भाव को बनाए रखने के लिए भाषाई सद्भाव पर भी बल देना है । यह सबक गाँधीजी से हमें मिला था ।

मशीनों के उपयोग के बारे में गाँधीजी के विचार कई लोगों को उस युग में आपत्तिजनक लगे थे । प्रगति को रोकने का रास्ता गाँधीजी ने प्रशस्त किया था - ऐसा प्रचार व्यापक बन गया था । गुलाम भारत को प्रगति की ओर ले चलने के

383 HA/10—13A

बारे में ही गाँधीजी ने सोचा था । स्वराज्य, स्वदेशी और स्वावलंबन के बारे में एक साथ सोचकर ही उन्होंने अपनी योजनाएं बनाई थीं । उनको यह बात मालूम हो गई थी "मैंचस्टर ने हमें जो नुकसान पहुँचाया है, उसकी कोई हद ही नहीं हैं । हिंदुस्तान से कारीगरी करीब खत्म हो गई, वह मैंचस्टर का ही काम है । मैंचस्टर का दोष कैसे दिया जा सकता है? हमने उनके कपड़े पहने तभी तो उसने कपड़े बनाए ।" आज स्थिति काफी बदल गई है । भूमंडलीकरण और उदारीकरण की नीति ने भारत की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया है । उसके दोषों से बचने के लिए स्वदेशी ही एकमात्र विकल्प है । उत्पादन में पीछे पड़कर उपभोग में आगे आने से देश को प्रगति नहीं मिलेगी । हमारे देश की आर्थिक नीति दूसरे राष्ट्र बनाते हैं । हम आज अधिक परमुखापेक्षी बन रहे हैं । 'मशीनें' शीर्षक अध्याय में गाँधीजी ऐसे नीतिनिर्धारकों की याद दिलाते हुए कहते हैं - "आपको और मुझे दूसरों के करने की राह नहीं देखना है । हम तो ज्यों ही समझ लें त्यों ही उसे शुरू कर दें । जो नहीं करेगा वह खोएगा । समझते हुए भी जो नहीं करेगा, वह निरा दंभी भी कहलाएगा ।" (पृ. 78)

अंतिम अध्याय 'छुटकारा' में गांधीजी ने अपनी स्वराज परिकल्पना फिर एक बार स्पष्ट कर दी है । अपने मन का राज स्वराज है । उसकी कुंजी सत्याग्रह है, आत्मबल या करूणाबल है । उस बल को आजमाने के लिए स्वदेशी को पूरी तरह अपनाने की ज़रूरत है । मुझे लगता है कि "हम ने स्वराज का नाम तो लिया लेकिन उसका स्वरूप हम नहीं समझे हैं ।" (पृ. 79)

सौ वर्ष पहले रची गई किताब 'हिंद स्वराज' की अर्थवत्ता आज बढ़ गई है । देश की दशा समझने का अर्थ जनता की दशा समझना है । उस समझ में संस्कृति, समाज और जीवनमूल्यों की पक्की धारणा भी शामिल है । परतंत्र देश को स्वतंत्र देश बनाने के लिए यहाँ सुझाए मार्गों पर उन्होंने बल दिया था । स्वतंत्र बनने के बाद बनाई गई नीतियों में गाँधीजी के मार्गदर्शक तत्वों को वाँछित महत्व नहीं मिला । पश्चिम को नमूना मानकर हम आगे बढ़े । अपना रास्ता तब गौण हो गया । जनमानस में राष्ट्र संस्कृति की धारणा मज़बूत नहीं बन पाई । भाषा, धर्म और नदीजल के नाम पर कई स्थानों पर झगड़े पैदा हो गए । अलगाववाद और सांप्रदायिकता, वैमनस्य बढ़ने लगे । देश का आन्तरिक अनुशासन ढीला पड़ गया । कुटीर उद्योग और खेती को विकास योजनाओं में प्राथमिकता नहीं मिली । बड़े राष्ट्र छोटे राष्ट्रों को अपने अंगुली पर नचाने लगे । शिक्षा प्रणाली में कई परिवर्तन आए । लेकिन उसके अनुरूप समाज में चरित्र का उत्कर्ष नहीं हुआ । तकनीकी क्षेत्र में हमारा देश भले ही आगे बढ़ सका । तथापि नैतिक बल उसके अनुसार नहीं बढ़ा । राष्ट्रोत्कर्ष और सामाजिक प्रगति के संबंध में केवल राष्ट्रनायक ही सोचें, सामान्य जनता की उसमें कोई भूमिका नहीं है । ऐसा रूख कदापि ठीक नहीं है । 'हिंद स्वराज' में गाँधी विवेक के आरंभिक लक्षण प्रतिफलित हुए हैं । चालीस वर्ष की आयु में एक छोटी किताब लिखकर महान आदर्श राष्ट्र के सामने गाँधीजी पेश कर सके थे । यह आज भी विचारविमर्श और चिंतन मनन का आधार बना है । ■

संविधान की अष्म अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाएं

1. असमियां	2. उड़िया	3. उर्दू
4. कन्नड	5. कश्मीरी	6. गुजराती
7. तमिल	8. तेलुगु	9. पंजाबी
10. बंगला	11. मराठी	12. मलयालम
13. संस्कृत	14. सिंधी	15. हिंदी
16. नेपाली	17. कोंकणी	18. मणिपुरी
19. डोगरी	20. मैथिली	21. संथाली
22. बोडो		

383 HA/10—13B

भावनात्मक बुद्धिमत्ता

–सी. एस. टण्डन*

कुछ वर्ष पूर्व अमरीका में एक प्रयोग किया गया। एक वैज्ञानिक ने चार वर्ष के कुछ बच्चों को बुलाकर कहा कि तुम सब एक-एक मिठाई अभी ले सकते हो, लेकिन तुम इसे अभी न खाओ तो वापस आकर एक-एक मिठाई तुम्हें और खाने को दूंगा। यह कहकर वह बाहर चला गया। कुछ बच्चों ने तुरन्त मिठाई खा ली। कुछ का सब्र थोडी देर बाद जवाब दे गया। लेकिन कुछ उस वैज्ञानिक के लौटने का इन्तजार करते रहे और उसके लौटने के बाद एक के बजाय दो मिठाईयों का मजा लिया।

वहीं वैज्ञानिक उन बच्चों के बड़े होने का इन्तजार करने लगा। जब वे बच्चे हाई स्कूल में पहुंचे तो दूसरी मिठाई पाने का इन्तजार करने वाले बच्चे अधिक होनहार, स्कूल और सहपाठियों में अधिक लोकप्रिय और आत्म विश्वास से भरपूर थे। जो बच्चे इन्तजार न कर सकते थे, वे दब्बू, कुंठित, आक्रोशी और ढीठ निकले। चार वर्ष की कच्ची उम्र में दूसरी मिठाई के इंतजार में जिव्हा पर उनका संयम उनके भावी जीवन में भावनात्मक प्रौढ़ता का पहला लक्षण था।

मनुष्य की सफलता के लिए उसका बुद्धिमान अथवा प्रतिभाशाली होना ही सबसे बड़ा कारण माना जाता है। पढ़ाई में तेज छोटे बच्चों को देखकर आम धारणा बना ली जाती है कि अमुक बच्चा बड़ा आदमी बनेगा। विद्यार्थी जीवन में होशियार कुछ बच्चे बड़े आदमी बन भी जाते हैं। कुछ अच्छा पढ़ जाएं तो अपने को उसके योग्य साबित नहीं कर पाते। जबकि उन सबका बौद्धिक स्तर लगभग एक सा होता है।

1995 में बौद्धिक स्तर के महत्व की धारण, सबसे पहले अमरीका में टूटी। जहां यह स्पष्ट किया गया कि इमोशनल इंटीलीजेन्स यानि भावनात्मक बुद्धिमता या परिपक्वता ही सफलता ही सूत्र है। प्रतिभा के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इमोशनल इंटीलीजेन्सकोशंट (ई आई क्यू) के बिना प्रतिभा निरर्थक है। बुद्धिमत्ता जन्मजात और वंशानुगत होती है जबकि भावनात्मक बुद्धिमत्ता (ई आई क्यू) को विकसित किया जा सकता है। बचपन में भी और बड़े होकर भी। इस नए शब्द (ई. आई. क्यू) का मतलब था कि व्यक्ति अपनी निजी भावना और उसकी वजह को समझे और उसे इस तरह निर्देशित करें कि वे उसके लिए उपयोगी हो सके। व्यक्ति विभिन्न भावों, उद्वेगों उदाहरणार्थ, हर्ष, तनाव, क्रोध पर किस तरह प्रतिक्रिया व्यक्त करता है, काम या श्रम के बजाय शारीरिक सुख या मानसिक तृप्ति को कितना महत्व देता है, दु:ख में कितना टूटता है, सुख में कितना बेकाबू हो जाता है, अपने आसपास के वातावरण में खुद को किस तरह ढालता है, अपनी जिम्मेदारियों का किस तरह निर्वाह करता है और अपनी भावनाओं पर किस तरह संयम बरतता है यही उसके ई.आई.क्यू. की परख है।

आधुनिक युग में जीवन के हर क्षेत्र पढ़ाई, नौकरी, विवाहित जीवन और दूसरे संबंधों के निर्वाह में यही ई.आई.क्यू. महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रतिभा आपको नौकरी तो दिला सकती है लेकिन पदोन्नति नहीं। बड़ी-बड़ी कम्पनियां ऐसे लोगों की तलाश में रहती है जिनका ई.आई.क्यू. ऊँचा हो। उच्च पदों पर टीम का नेतृत्व करने, समस्याओं का परिणाम जनित हल खोजने, तनाव के समय धैर्य रखने और कठिन फैसले लेने में भावनात्मक बुद्धिमता ही काम आती है अर्थात् व्यवहारिकता और भावना के बीच सामन्जस्य स्थापित करती है।

*उप-महाप्रबंधक प्रभारी, दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कंपनी लि., क्षेत्रीय कार्यालय-1, जीवन भारती बिल्डिंग, नौंवी मंजिल, टावर-1, 124 कनॉट सर्कस नई दिल्ली-1.

हमारा उद्देश्य भावनाओं को दबाना, कुचलना नहीं होना चाहिए बल्कि उस भावना और उद्देश्य की वजह का उचित विश्लेषण करना जरूरी है । जो संभवत: नकारात्मक न हो । अरस्तु ने उचित ही लिखा है-गुस्सा करना एक सहज प्रतिक्रिया है लेकिन सही व्यक्ति पर सही समय पर सही मात्रा में और सही मकसद के लिए सही गुस्सा करना बहुत कठिन है । यही ई.आई.क्यू. का करिश्मा है । थोड़े उकसावे पर तेज गुस्सा या घर का गुस्सा दफ्तर में और दफ्तर का गुस्सा घर निकालने वाले दोनों जगह कितना तनाव ला देते हैं और अपना नुकसान कर बैठते हैं ।

वैवाहिक जीवन में भी यही बात होती है । पति-पत्नी भले ही एक दूसरे से कितना ही प्यार करते हों, उनका ई.आई.क्यू औसत से भी अच्छा हो, लेकिन भावनात्मक स्तर पर यदि वे अपरिपक्व है तो उनका विवाहित जीवन तनावपूर्ण रहेगा । विवाह संस्था के प्रति आदर, जीवन साथी से सामन्जस्य और अपनी भावना का सही संप्रेषण ई.आई.क्यू से ही आएगा ।

हमारे प्राचीन, ऋषियों, संतों का इंद्रियों पर संयम और नियंत्रण का उपदेश वही है जो अमरीका ने वर्षों के बाद खोजा । ■

पृष्ठ 27 का शेष

कला एवं संस्कृति मंत्रालय, श्री वी. चितू, प्रथम सचिव, विदेश कार्य मंत्रालय, श्रीमती एस. बहादुर, सहायक सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा डॉ. (श्रीमती) विनोद बाला अरूण, महासचिव, विश्व हिंदी सचिवालय उपस्थित थे ।

महासचिव

भारत सरकार तथा मारीशस की सरकार के बीच सम्पन्न द्विपक्षीय करार के अनुसार विश्व हिंदी सचिवालय का प्रथम महासचिव मॉरीशस से होगा और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा । तद्नुसार मारीशस से डॉ. (श्रीमती) विनोद बाला अरूण की विश्व हिंदी सचिवालय की प्रथम महासचिव के रूप में नियुक्ति की गई है ।

उपमहासचिव

भारत सरकार तथा मारीशस की सरकार के बीच सम्पन्न द्विपक्षीय करार के अनुसार विश्व हिंदी सचिवालय का प्रथम उपमहासचिव भारत से होगा और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा । तद्नुसार भारत से डॉ. राजेन्द्र प्रसाद मिश्र की विश्व हिंदी सचिवालय के प्रथम उपमहासचिव के रूप में नियुक्ति की गई है ।

उद्देश्य

हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रोन्नत करना । हिंदी को संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने की दिशा में सघन प्रयास करना ।

हिंदी में अन्तराष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठी, समूह विचार-विमर्श, चर्चा एवं कवि सम्मेलन जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना ।

हिंदी के विद्वानों को सम्मानित/पुरस्कृत करना ।

हिंदी में शोध कार्य के लिए प्रलेखन केंद्र स्थापित करना ।

अन्तरराष्ट्रीय हिंदी पुस्तकालय की स्थापना करना ।

अन्तरराष्ट्रीय हिंदी पुस्तक मेले का आयोजन करना ।

इस प्रकार भारत के हिंदी भाषी प्रदेशों से सुदूर दक्षिण में एक छोटे से देश मारीशस में स्थापित विश्व हिंदी सचिवालय दुनिया जहान में हिंदी के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोलने वाली पहली कड़ी है । 'हर महान परियोजना एक छोटे से विचार से जन्म लेती है' की अवधारणा को चरितार्थ करने वाला यह प्रयास आने वाले समय में हिंदी और शेष विश्व के मध्य प्रथम सेतु साबित होने जा रहा है । 1976 में मारीशस में आयोजित द्वितीय विश्व हिंदी सम्मलेन में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी के वर्तमान और भविष्य के बारे में प्रतीकात्मक ढंग से जो टिप्पणी की थी आज वो कदम दर कदम हिंदी की बढ़ती प्रगति को देखकर अक्षरश: सत्य लगती है । उन्होंने कहा था- "रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भगा," सूर्य का मंडल कितना छोटा सा, एक थाली जैसा उगता है लेकिन जिस दिन सूर्य का मंडल उदित हो जाता है उसी क्षण संसार का अंधकार दूर हो जाता है । हमारे सामने मारीशस देखने में छोटा लेकिन अपार तेजस्वी रूप है । यह देखें हमारे सामने यह जो संसार को निश्चित रूप से नया संदेश दे रहा है और यही नया संदेश आगे चलकर कदाचित विश्व संस्कृति का एक आर्दश रूप बनेगा । ■

चित्र समाचार

देहरादून में दिल्ली तथा उत्तर क्षेत्रों हेतु क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह में भाषण देते हुए श्री बी. एस. परशीरा, सचिव भारत सरकार, राजभाषा विभाग ।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जयपुर द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा में पुरस्कार वितरण करते हुए मुख्य अतिथि ।

कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित हिंदी दिवस के अवसर पर श्री एन. के. रघुपति, अध्यक्ष नगद पुरस्कार व प्रमाण-पत्र प्रदान करते हुए ।

पश्चिम रेलवे राजकोट मंडल द्वारा आयोजित हिंदी सप्ताह के अवसर पर "राजभारती" पत्रिका के 7वें अंक का विमोचन करते हुए मंडल रेल प्रबंधक श्री वेदपाल एवं अन्य अधिकारीगण ।

दि आरिएण्टल इंश्योरेंस कं. लि., नई दिल्ली द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा समारोह में श्री सी. के. गोला क्षेत्रीय प्रबंधक भाषण देते हुए, मंच पर उपस्थित हैं श्री सी. एस. टण्डन, श्री वी. के. गर्ग ।

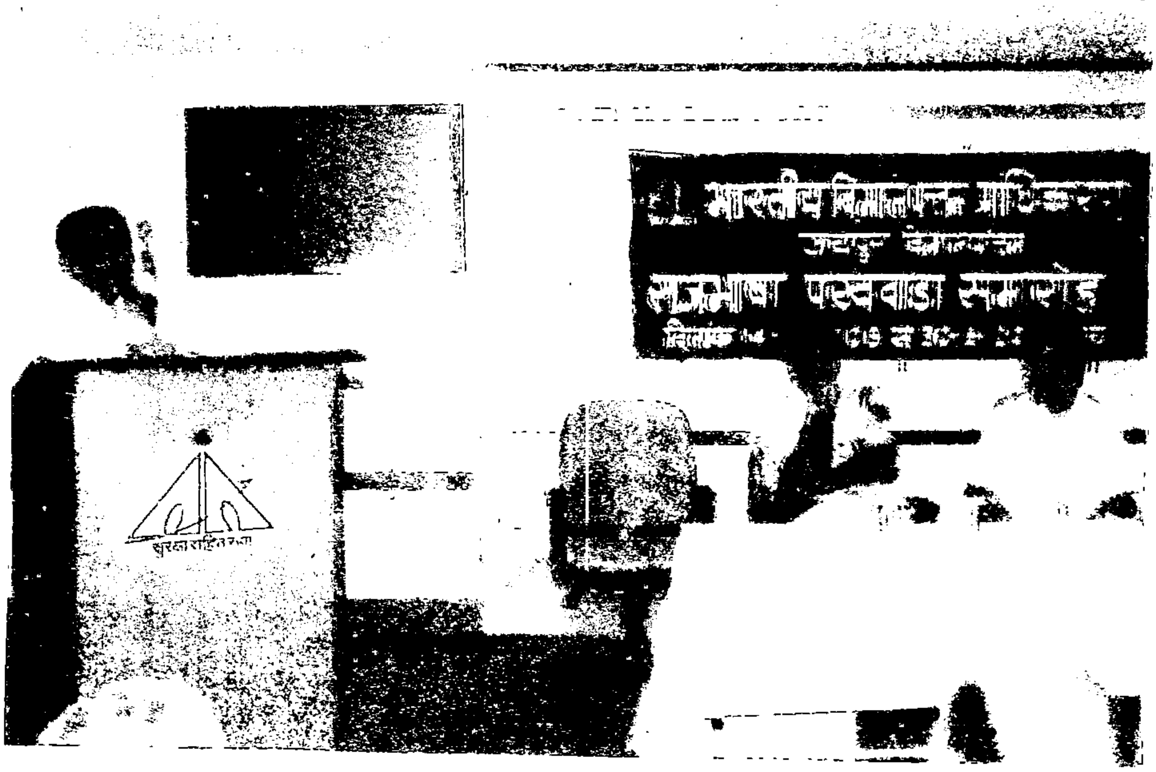

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जयपुर द्वारा आयोजित राजभाषा पखवाड़ा समारोह में निदेशक विमानपत्तन श्री अनुज अग्रवाल भाषण देते हुए ।

पश्चिम रेलवे राजकोट मंडल में आयोजित हिंदी दिवस के अवसर पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेते हुए अधिकारीगण ।

बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सहायक प्रबंधकों/मुख्य प्रबंधकों हेतु आयोजित "राजभाषा संगोष्ठी" में संबोधित करते हुए श्री राकेश कुमार, निदेशक (तकनीकी) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ।

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, नीमच में 21 दिवसीय गहन अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले कर्मी ।

एन एच पी सी लि. द्वारा आयोजित राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में सदस्यगण ।

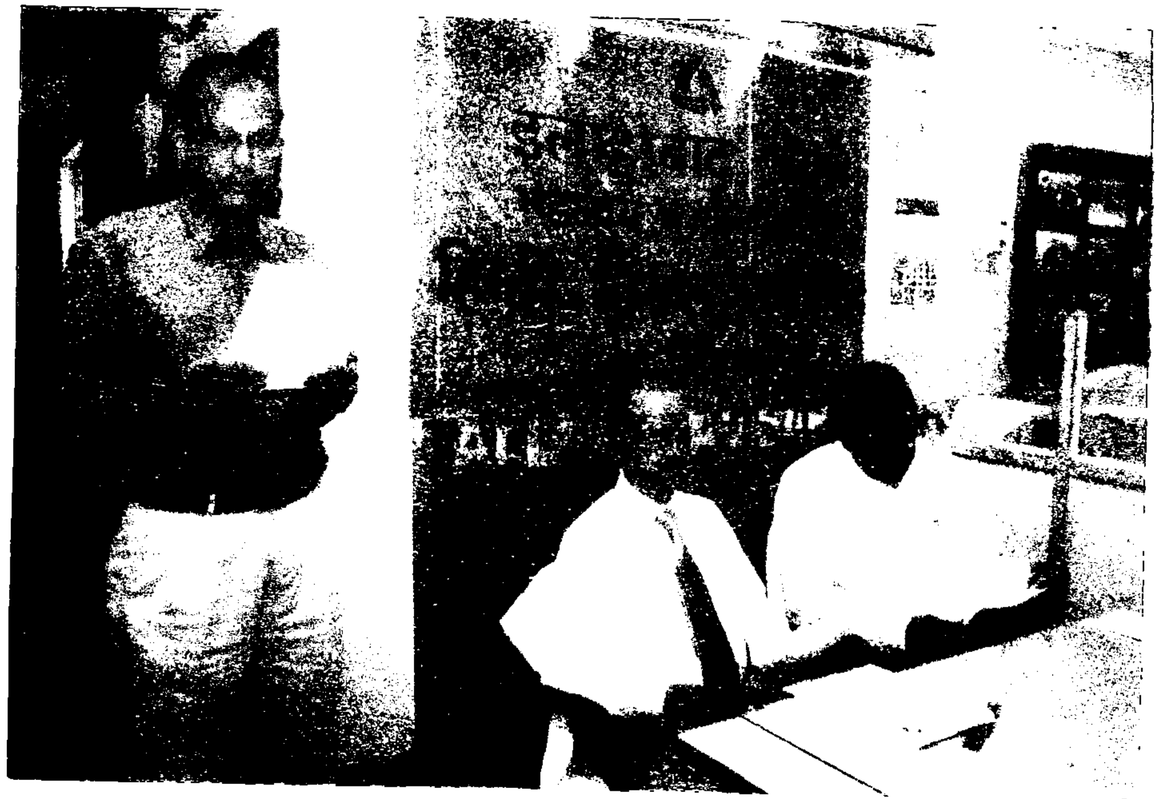

इलाहाबाद बैंक मंडलीय कार्यालय रांची द्वारा आयोजित हिंदी दिवस समारोह की एक झलक ।

नराकास बालाघाट की बैठक का एक दृश्य ।

नराकास (बैंक) श्री गंगानगर की बैठक का दृश्य ।

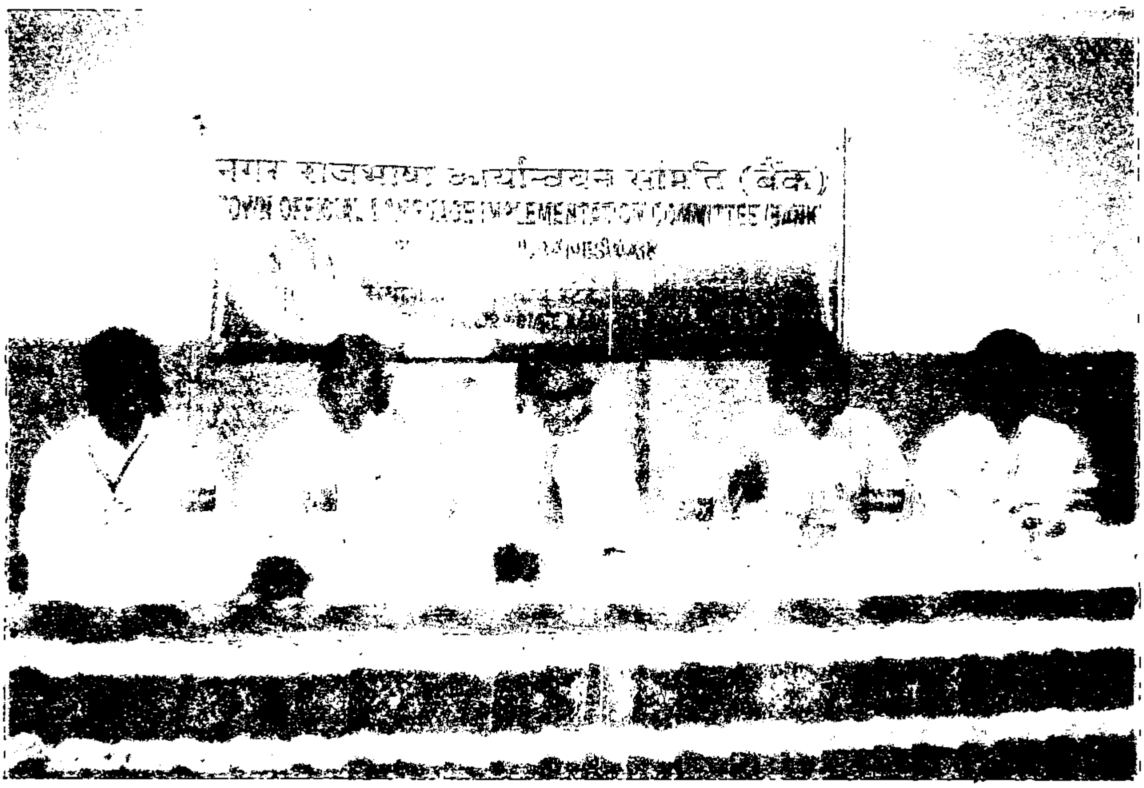

नराकास (बैंक) भुवनेश्वर की बैठक का दृश्य

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन कोलकाता द्वारा आयोजित हिंदी पखवाड़ा समारोह में भाषण देते हुए अधिकारी ।

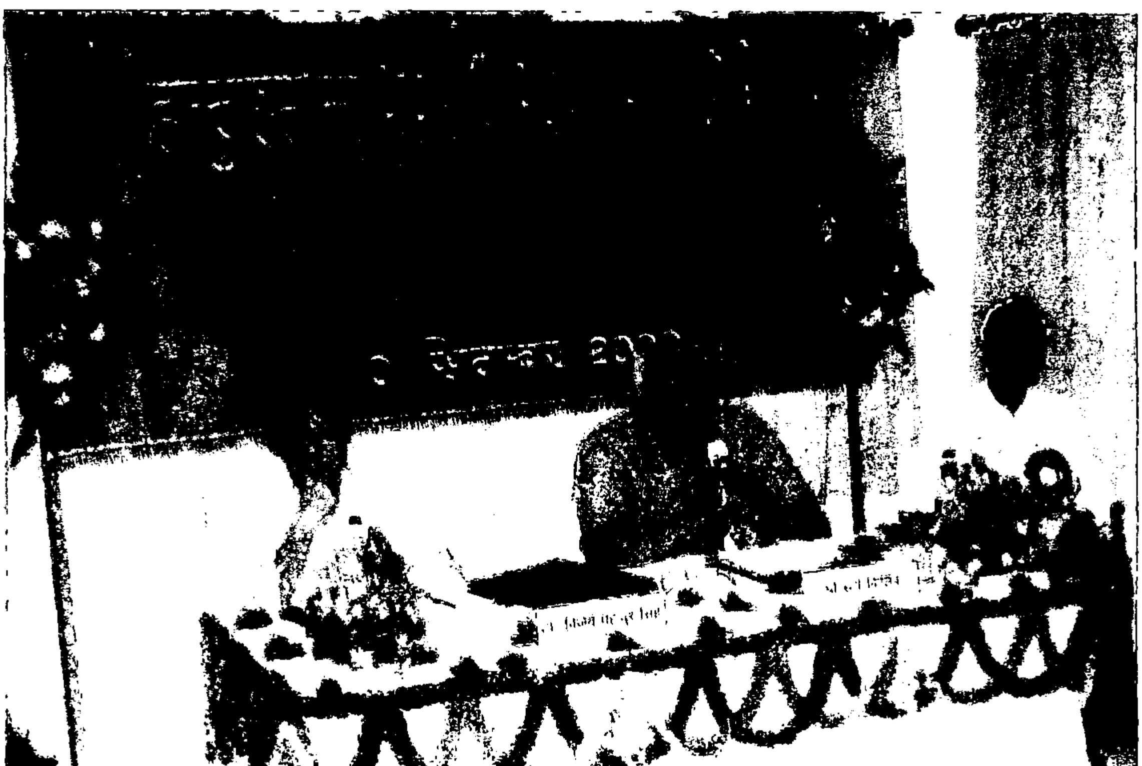

हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लि., कोलकाता में हिंदी सम्मेलन में निगम के अध्यक्ष सह प्रबंधक निदेशक श्री रजी फिलिप अपना भाषण देते हुए ।

राजभाषा संबंधी गतिविधियां

(क) विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

(क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पूर्वोत्तर क्षेत्र हवाई अड्डा मुख्यालय (गुवाहाटी)

राजभाषा कार्यान्वयन समिति के वर्ष 2009 की दूसरी तिमाही बैठक, दिनांक 30-6-2009 को अपराह्न चार बजे श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, कार्यपालक निदेशक (पूर्वोत्तर क्षेत्र), की अध्यक्षता में आयोजित हुई ।

अध्यक्ष महोदय ने समस्त विभागाध्यक्षों/अनुभागाध्यक्षों को अनुदेश देते हुए कहा कि वे अपने-अपने अनुभाग से जुड़े अँग्रेजी के प्रपत्रों (forms) मसौदों (drafts) को, राजभाषा अनुभाग को भिजवा दें ताकि उन्हें द्विभाषी रूप में छपवाया जा सके ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि सम्बद्ध अनुभागों द्वारा 'आंतरिक तिमाही प्रगति रिपोर्टों के आधार पर ही, निरीक्षण के सारे कागजात तैयार रखे जाने चाहिए । दूसरे शब्दों में, संबंधित तिमाही के कागजातों की फाइल ही अलग से तैयार कर ली जानी चाहिए ताकि निरीक्षण करते समय सम्बद्ध आंकड़ों (concerned data) की जानकारी, संबंधित कागजातों की फाइलों/रजिस्टरों से प्राप्त की जा सके ।

अध्यक्ष महोदय ने जनवरी-मार्च तिमाही (2009) के दौरान संचार, भंडार, सू.प्रौ. तथा उपस्कर अनुभागों द्वारा 100 प्रतिशत हिंदी पत्राचार किए जाने बात पर कहा कि इस बार चल वैजयंती शील्ड तथा नकद पुरस्कार प्रदान करने में तकनीकी परेशानी आ रही है । पुरस्कार दो हैं और दावेदार तीन । इस बाबत सर्वश्री जयन्त दासगुप्ता, संयुक्त महाप्रबंधक (एटीसी), हीरालाल दे, वरिष्ठ प्रबंधक (अग्निशमन) तथा सदस्य-सचिव को लेकर एक जांच समिति गठित की जाती है, जो इस बात की जांच करेगी कि क्या वास्तव में उक्त तिमाही के दौरान संबंधित अनुभागों द्वारा अंग्रेजी में एक भी पत्र जारी नहीं किए गए । उस रिपोर्ट के आधार पर ही संबंधित अनुभाग को पुरस्कृत किया जाएगा ।

बैठक के अंत में अध्यक्ष महोदय ने पूर्वोत्तर क्षेत्र मुख्यालय (गुवाहाटी) की आंतरिक त्रैमासिक संस्था पत्रिका 'नीलांचल' के तीसरे अंक का विमोचन किया तथा सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे अपने अधीनस्थों को 'नीलांचल' में रचनाएं देने वास्ते (अपनी भी रचना देते हुए) उत्साहित करें जिससे कि राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को और बल मिल सके ।

पूर्व रेलवे महाप्रबंधक (राजभाषा) कार्यालय, 17, एन. एस. रोड, कोलकाता-700001

क्षेरेराकास की तिमाही बैठक 29-6-2009 को महाप्रबंधक, पूर्व रेलवे श्री दीपक कृष्ण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई । इस बैठक के मुख्य अतिथि थे, माननीय सांसद/राज्यसभा श्री राजनीति प्रसाद ।

मुराधि एवं भंडार नियंत्रक श्री आर. सी. जाट ने कहा कि माननीय सांसद श्री राजनीति प्रसाद जी इस बैठक की शोभा बढ़ा रहे हैं । यह हम सबके लिए प्रेरणा की बात है । उन्होंने आगे कहा कि सरकार की राजभाषा नीति साम और दाम की है । इस नीति के अनुसार, हिंदी में काम करने वाले कार्मिकों को हिंदी संवर्धन विषयक पुरस्कार योजनाओं में पुरस्कृत किया जा रहा है । हिंदी के प्रयोग को सृजनात्मक आयाम देने के लिए रेलवे ई-मासिकी 'पूर्वादय' का प्रकाशन हो रहा है । इसके साथ ही, 'प्रतिबिम्ब' एवं 'वाणिज्य संसार' नामक दो हिंदी पत्रिकाएं भी निकाली जा रही हैं । हिंदी कार्यशाला हिंदी के प्रति अनुकूल मानसिकता बनाने का महत्वपूर्ण अनुष्ठान है । पूर्व रेलवे में इन कार्यशालाओं का आयोजन हो रहा है तथा हमारे कार्मिकों में हिंदी के इस्तेमाल के प्रति लगातार जागरूकता आ रही है ।

मुराधि ने निम्नांकित क्षेत्रों का जिक्र किया जिनमें कार्रवाई अपेक्षित है ;

(क) द्विभाषी जारी होने वाले दस्तावेजों की गार्ड फाइल हर विभाग/मंडल/कारखाने में रखना ।

(ख) पुरस्कार योजनाओं के तहत पात्र कार्मिकों को पुरस्कृत करना ;

(ग) कंप्यूटर प्रयोक्ताओं को कंप्यूटर पर निर्धारित मात्रा में हिंदी कार्य करने के लिए हिंदी टिप्पण/आलेखन प्रोत्साहन योजना का लाभ देना ;

(घ) सामान्य निरीक्षणों के दौरान अधिकारियों द्वारा निरीक्षित कार्यालय में हिंदी की स्थिति का जायज़ा लेना तथा इस बारे में टिप्पणी अपनी-अपनी निरीक्षण रिपोर्टों में शामिल करना। साथ ही, ये निरीक्षण रिपोर्टें अनिवार्यत: द्विभाषी जारी करना।

महाप्रबंधक एवं समिति अध्यक्ष ने माननीय सांसद श्री राजनीति प्रसाद, अपर महाप्रबंधक, मुख्य राजभाषा अधिकारी, प्रमुख विभागाध्यक्ष, मण्डलों, कारखानों से आए प्रतिनिधियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि पूर्व रेलवे में राजभाषा हिंदी को रुचिकर बनाने के लिए सांस्कृतिक अनुष्ठान, नाटयोत्सयव, गीत-संगीत का कार्यक्रम आदि आयोजित हो रहे हैं। कार्मिको को हिंदी में काम करने हेतु प्रेरित करने के लिए प्रगतियोगिताएं, कार्यशाला, डेस्क प्रशिक्षण आदि आयोजित कर हिंदी के प्रति सकारात्मक माहौल लगातार दृढ़ हो रहा है। ये सत्यप्रयास जारी रहने चाहिए। मुझे आशा है कि हमारे कार्मिक इन कार्यक्रमों से प्रेरणा लेकर हिंदी को मन से अपनाएंगे।

कंप्यूटर हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। हमारे रेल के सभी कंप्यूटरों में हिंदी की क्षमता है। आवश्यकता इस बात की है कि कंप्यूटरों पर अधिकाधिक कार्य हिंदी में ही हो।

कार्यालय महाप्रबंधक, दूर संचार जिला कटक दूरसंचार भवन, लिंक रोड, कटक-753012

दिनांक 17 जुलाई, 2009 को अपराह्न 16:00 बजे भारत संचार निगम लिमिटेड के कटक दूरसंचार जिला कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक का अयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता महाप्रबंधक का प्रतिनिधित्व कर रहे उपमहाप्रबंधक (नगर) श्री शैलेन्द्र नाथ दास ने की। 30 जून 2009 को समाप्त तिमाही के दौरान हुई राजभाषा कार्यान्वयन विषयक प्रगति की समीक्षा की गई और इस बाबत प्रतिवेदन को अनुमोदित कर दिया गया।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि राजभाषा अधिनियम के अनुच्छेद 3 (3) का शत-प्रतिशत कड़ाई से अनुपालन किया जाए, विशेषकर सामान्य आदेश, निविदा, पुयना, लिविदाप्रपत्र, संविदा और प्रशासनिक प्रतिवेदनों पर खास रूप से ध्यान दिया जाए। अध्यक्ष महोदय ने 100 दिनों के विशेष कार्य अभियान के बाद अक्तूबर या नवम्बर मास में दोनों तिमाहियों के लिए संयुक्त कार्यशाला अयोजित करने का अनुदेश दिया।

सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण : सेवाकालीन हिंदी प्रशिक्षण पर चर्चा के अपरांत अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित निर्णय लिए -

(क) जुलाई -नवंबर 2009 के सत्र में कम से कम 20 प्रशिक्षार्थियों को नामित किया जाएगा।

(ख) केंद्रीय नाटघर के परिसर में हिंदी प्रशिक्षण हेतु कक्ष खोलने के लिए एक प्रकोष्ठ उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) दूरसंचार भवन के द्वितीय तल पर स्थित प्रशिक्षण कक्ष के लिए एक अतिरिक्त डेस्क को उपलब्ध करा दिया जाएगा।

(घ) अक्तूबर 2009 में हिंदी प्रशिक्षण का रोष्टर और अर्धवार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।

(ङ.) जिन लोगों को पात्रता के बाबजूद (अबतक) हिंदी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद देय वित्तीय प्रोत्साहन नहीं मिल पाया है, उन्हें अविलम्ब उनका भुगतान कर दिया जाएगा।

आयकर भवन, मक्बूल रोड मुख्य आयकर आयुक्त, अमृतसर क्षेत्र, अमृतसर- 143001

मुख्य आयकर आयुक्त अमृतसर क्षेत्र की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक 14 सितंबर 2009 को 11.30 बजे, पूर्वाह्न आयकर आयुक्त, अमृतसर-1 (राजभाषा अधिकारी) श्री डी. पी. शर्मा की अध्यक्षता में उन्हीं के कार्यालय कक्ष में संपन्न हुई, इस बैठक में श्री रजिन्दर सिंह अपर आयकर आयुक्त (मुख्य प्रशा.) अमृतसर विशेष रूप से शामिल हुए। इस बैठक में मुख्यालय I-II के अधिकारियों तथा सभी डी. डी. ओ. स्तर के अधिकारियों ने भी भाग लिया। सहायक निदेशक

(राजभाषा) ने अध्यक्ष महोदय की ओर से सभी का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की ।

मुख्यालय में प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के अनुसार अमृतसर क्षेत्र में पिछली तिमाही में लगभग 64 प्रतिशत पत्र व्यंवहार हिंदी में हुआ, जब कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में 90 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किए जाने का लक्ष्य रखा गया है । अध्यक्ष महोदय ने सभी उपस्थित अधिकारियों से अनुरोध किया कि हिंदी में पत्राचार को और बढ़ावा दिये जाने के प्रयास किए जाएं ।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों अनुसार (ख) क्षेत्र में हिंदी नोटिंग का 50 प्रतिशत लक्ष्य रखा गया है । अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि छोटी-छोटी टिप्पणियों का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक हिंदी में नोटिंग की जाए ।

राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों के अनुसार पुस्तकालय हेतु उपलब्ध कुल अनुदान का 50 प्रतिशत तक हिंदी पुस्तकों पर खर्च किया जा सकता हैं । संसदीय राजभाषा की सिफारिशों के अनुसार सरल-सुबोध और उपयोगी हिंदी पुस्तकें खरीदी जानी है । अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि सभी कार्यालय हिंदी पुस्तकालय के लिए पॉच-पॉच पुस्तकों की खरीद हेतु प्रस्ताव दें । इस आशय का एक नोटिस सूचना बोर्ड पर भी लगाया जाए ।

समिति को सूचित किया गया कि संसदीय राजभाषा की सिफारिशों के अनुसार कंप्यूटर सहित यांत्रिक उपकरणों में देवनागरी लिपि में कार्य करने की व्यवस्था होनी चाहिए । समिति को सूचित किया गया कि अधिकतर स्थानीय कंप्यूटरों पर हिंदी साफ्टवेयर लोड करवा दिया गया है । अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि सभी कंप्यूटरों पर मानक यूनीकोड, सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की बेवसाइट www/ildc.in/hdownlodhindi.htm से डाउनलोड करवाकर लगवांने की व्यवस्था की जाए ।

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक)-द्वितीय मध्य प्रदेश, ग्वालियर

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वितीय म.प्र. ग्वालियर की त्रैमासिक बैठक दिनांक 24-8-09 को अपरान्ह 4 बजे कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता सुश्री ए. एस. लक्ष्मी महालेखकार (लेखा एवं हकदारी)-II म. प्र. द्वारा की गई ।

सर्वप्रथम समिति के समक्ष गत तिमाही बैठक दिनांक 27-4-09 के कार्यवृत्त का वाचन किया गया । यह कार्यवृत्त सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया । अध्यक्ष महोदया की अनुमति से सहायक लेखा अधिकारी (हि.क. II) ने दिनांक 27-4-09 को सम्पन्न राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई से समिति को अवगत कराया ।

इस तिमाही के दौरान कार्यालय में 13326 पत्र हिंदी में प्राप्त हुए । सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए । कार्यालय द्वारा जारी किए गए पत्रों की कुल संख्या 26239 रही । इस तिमाही में कुल 12800 टिप्पणियाँ हिंदी में लिखी गई । फाइलों पर संदर्भ तथा शीर्षक भी हिंदी में लिखे गए । साथ ही इस तिमाही में 06 शीर्षस्थ प्रशासनिक बैठकें आयोजित की गई । राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 (3) के अन्तर्गत जारी किये गए कागजातों की संख्या 09 रही ।

बैठक में हिंदी में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी पर चर्चा की गई । महालेखाकार महोदया ने कार्यालय के पुस्तकालय एवं पुस्तकों के संबंध में स.ले.अ./सा.अनु. II से जानकारी मांगी एवं क, ख एवं ग क्षेत्र में आने वाले राज्यों एवं उनमें किए जाने वाले हिंदी पत्राचार के संबंध में चर्चा की । सभी सदस्यों ने कार्यालय द्वारा किए जा रहे हिंदी के पत्राचार विवरण का अवलोकन किया तथा अपना संतोष व्यक्त किया ।

कार्यालयीन पत्रिका ''वीरांगना'' के 46 वे अंक का विमोचन महालेखाकार-II महोदया के कर कमलों द्वारा सम्पन्न कराया गया । अंक की सभी सदस्यों ने प्रशंसा की तथा करतल ध्वनि से अपना हर्ष व्यक्त किया ।

केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर आयुक्तालय, कानपुर

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठक दिनांक 5-8-2009 को प्रात: 11.00 बजे से कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई । बैठक की अध्यक्षता माननीय आयुक्त श्री संदीप मोहन भटनागर ने की ।

कुछ सदस्यों के समय से उपस्थित न होने पर सख्त आपत्ति प्रकट करते अध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया कि उनकी अध्यक्षता वाली बैठकों में सभी सदस्यों का समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है, देर से आने वाले सदस्यों का प्रवेश वर्जित कर दिया जाए ।

अध्यक्ष महोदय ने सदस्य सचिव से पूछा कि पिछली तिमाही में नियमित बैठक क्यों नहीं हो पाई? इस पर सचिव ने बताया कि बैठक की तारीख और समय दो बार निर्धारित हुआ, किन्तु स्थानान्तरण आदि अपरिहार्य कारणों से आयुक्त महोदय के उपलब्ध न होने के कारण बैठक स्थगित हो गई । तब अध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी कि भविष्य में कभी किन्ही कारणों से आयुक्त उपलब्ध न हो सकें तो निर्धारित बैठक स्थगित न की जाए, बल्कि अपर आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक हो, ताकि हिंदी कार्य पिछड़ने न पाए ।

समीक्षा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने सभी से लक्ष्य प्राप्त करने का अनुरोध किया तथा जहाँ का प्रतिशत घट गया है, उन्हें चिन्ता का विषय बताते हुए पुनः प्राप्त करने को कहा ।

कार्यालय आयुक्त केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क होशंगाबाद रोड, भोपाल

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त भोपाल की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 31-3-2009 को समाप्त तिमाही की बैठक आयुक्त महोदय श्री ए. के. अग्निहोत्री की अध्यक्षता में दिनांक 24-6-2009 अपराहन में 4 बजे आयुक्तालय के सभाकक्ष में आयोजित की गई ।

पिछली तिमाही की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का कार्यवृत पुष्ठि हेतु प्रस्तुत किया गया, समिति के सदस्यों द्वारा जिसकी पुष्टि की गई । अध्यक्ष महोदय द्वारा संतोष व्यक्त किया गया व निर्देश दिए कि आगे भी वार्षिक लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सभी शाखा प्रभारी एवं प्रभागीय कार्यालय शतप्रतिशत कार्य हिंदी में ही करने को प्राथमिकता प्रदान करें ।

अध्यक्ष महोदय ने प्रभागीय कार्यालयों द्वारा राजभाषा हिंदी में किए गए कार्यों व राजभाषा हिंदी के अनुपालन व प्रगति हेतु किए गए उपायों की समीक्षा करने हेतु आयुक्तालय के सभी प्रभागीय कार्यालय प्रभाग-1-2 भोपाल-सतना-सागर-छिन्दवाड़ा-जबलपुर एवं मुख्यालय की सभी शाखाओं का निरीक्षण करने के निर्देश सहायक निदेशक राजभाषा को दिए ।

संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के समय संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासन के संदर्भ में आयुक्तालय के हिंदी पुस्तकालय के लिए इस वित्त वर्ष में रु.10,000 (रु. दस हजार) तक की हिंदी पुस्तकें खरीदने के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किए ।

कार्यालय आयुक्त केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क, गाजियाबाद

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्तालय, गाजियाबाद की माह 01 अक्तूबर 2008 से 31 दिसंबर 2008 एवं 01 जनवरी, 2009 से 31 मार्च, 09 तक राजभाषा कार्यान्वयन समिति की हिंदी प्रगति की तिमाही बैठक दिनांक 17-8-09 को सांय 3.00 बजे से श्री हरिन्दर बंसी, आयुक्त महोदय (विभागाघ्यक्ष पदेन) राजभाषा कार्यान्वयन समिति संरक्षक की अनुमति से अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई ।

अघ्यक्ष महोदय द्वारा आयुक्तालय, गाजियाबाद के मण्डलों एवं शाखाओं से प्राप्त माह 01 अक्तूबर, 2008 से 31 दिसंबर, 2008 एवं 01 जनवरी, 2009 से 31, मार्च 09 तक की 'हिंदी तिमाही प्रगति' आख्याओं की बिन्दुवार समीक्षा की गई । इन 'हिंदी तिमाही प्रगति' आख्याओं के समीक्षा के उपरान्त यह पाया गया कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के वार्षिक कार्यक्रम 2008-09 के निर्धारित शतप्रतिशत लक्ष्य के सापेक्ष आयुक्तालय गाजियाबाद में हिंदी में कार्य की प्रगति का प्रतिशत इन तिमाही में क्रमशः 79.78 एवं 77.36 रहा है, जोकि पिछले तिमाही से 02.42 प्रतिशत कम रहा है । इस संबंध में अध्यक्ष महोदय ने असन्तोष व्यक्त करते हुए शाखाओं प्रभारियों एवं मण्डल प्रभारियों को यह निर्देश दिया कि सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के द्वारा शासकीय कार्य हिंदी में करने के निर्धारित शतप्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु निरन्तर प्रयास किए जाते रहने चाहिए तथा जिन शाखाओं में हिंदी कार्य का प्रतिशत 80 प्रतिशत कम या उनके पिछली तिमाही से कम हो गया है, वे अगली तिमाही में इसमें आवश्यक रूप से सन्तोषजनक सुधार करें । इस संबंध में संबन्धित शाखाओं प्रभारियों/मण्डल प्रभारियों द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि अगली तिमाही में और भी बेहतर परिणाम दिया जाएगा तथा प्राप्त निर्देशों व सुझावों का पालन किया जाएगा ।

कार्यालय महाप्रबंधक/राजभाषा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर

मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक दिनांक 30-6-2009 को मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य मालभाड़ा परिवहन प्रबंधक, श्री रण विजय सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई । बैठक में 31-3-09 को समाप्त तिमाही अवधि में हुई प्रगति की समीक्षा की गई ।

MGIPRRND - 383 HA/2010 5000 Copies

मुख्य राजभाषा अधिकारी, श्री रण विजय सिंह ने सभी सदस्यों से कहा कि बैठकों के माध्यम से हिंदी कार्यान्वयन की दिशा में विचार विमर्श का एक सार्थक मंच प्राप्त होता है । रेलवे बोर्ड द्वारा प्रदत्त दिशा-निर्देशों को अपने-अपने विभाग में लागू करने की व्यवस्था है । हिंदी का प्रयोग-प्रसार बढ़ाने के लिए रेलवे बोर्ड के पांच सूत्री कार्यक्रम संबंधी रिपोर्ट पर ध्यान दिया जाए । कुछ विभागों से यह रिपोर्ट समय से प्राप्त नहीं हो रही है । अधिकारीगण अपने निरीक्षण रिपोर्ट में राजभाषा का एक मद अवश्क शामिल करें । अपने विभागों में राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों का प्रोत्साहन भी करें ताकि उनमें हिंदी में कार्य करने के प्रति जागरूकता पैदा हो । उन्होंने उपस्थित राजभाषा संपर्क अधिकारियों से रेलवे बोर्ड के विभिन्न पुरस्कार योजनाओं को अपने विभाग में लागू करवाने हेतु कहा ।

उन्होंने आगे कहा आप सभी के सहयोग से इस रेलवे पर हिंदी के प्रयोग-प्रसार का कार्य निरंतर बढ़ रहा है । सभी विभागों ने सराहनीय प्रगति की है, फिर भी, अभी कमियां है । कमियों की ओर ध्यान देना जरूरी है । उच्चाधिकारी इस दिशा में पहल करके स्वयं हिंदी में काम करें तथा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रेरित करें ताकि कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को और गति मिले ।

शहरी विकास मंत्रालय, संपदा निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली

संपदा निदेशालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 114वीं बैठक संपदा उपनिदेशक (स्था.) श्री अशोक कुमार की अध्यक्षता में 16 सितंबर, 2009 को सांय 4.00 बजे संपदा निदेशालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई ।

जून, 2009 को समाप्त तिमाही में हिंदी पत्राचार पर चर्चा करते हुए अध्यक्ष महोदय ने कहा कि प्रत्येक अनुभाग हिंदी पत्राचार को और बढ़ाने का प्रयत्न करें ताकि वार्षिक कार्यक्रम 2009-2010 के अनुसार हिंदी पत्राचार का लक्ष्य, जो कि क तथा ख क्षेत्र के लिए 100 प्रतिशत तथा ग क्षेत्र के लिए 65 प्रतिशत है, पूरा किया जा सके । 02-11-2007 को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा संपदा निदेशालय के निरीक्षण के दौरान निदेशालय द्वारा समिति को यह आश्वासन दिया गया था कि निदेशालय द्वारा हिंदी पत्राचार के 100 प्रतिशत के लक्ष्य को शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा इसलिए जिन अनुभागों का हिंदी पत्राचार 70 प्रतिशत से कम है वे अपना हिंदी पत्राचार बढ़ाने का विशेष प्रयास करें ।

तिमाही प्रगति रिपोर्ट के संबंध में अध्यक्ष महोदय ने कहा कि तिमाही प्रगति रिपोर्ट केवल हिंदी अनुभाग की जिम्मेदारी नहीं है, सभी अनुभाग प्रभारियों का यह दायित्व है कि रिपोर्ट समय से तैयार करके हिंदी अनुभाग को भेज दी जाए । सभी उप निदेशक इस बात पर ध्यान दें कि प्रत्येक अनुभाग अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट (नए प्रोफार्मा में) तिमाही समाप्ति के बाद 10 तारीख से पहले हिंदी अनुभाग को भेज दें ताकि बार-बार अनुस्मारक भेजने की आवश्यकता न पड़े । तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि विभिन्न मदों के बारे में जो आँकड़े दिए जा रहें है, वह ठीक हैं तथा सभी कॉलम ठीक प्रकार से भरे गए हों ।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हिंदी के प्रति हमारा भावात्मक लगाव होना चाहिए तथा पुनः दोहराया कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करना प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी का कर्त्तव्य है इसलिए सभी अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा नीति के अनुपालन में सहयोग दें । मूल हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रोत्साहन योजना में भाग लेने वाले कार्मिकों की श्री आर. एन. यादव उपनिदेशक (नीति) द्वारा नकद पुरस्कार वितरण के साथ बैठक समाप्त हुई ।

एन. एच. पी.सी. मुख्यालय सैक्टर-33, फरीदाबाद-121003

निगम मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वर्ष 2009-10 की दूसरी तिमाही बैठक का आयोजन माननीय अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 25.9.2009 को किया गया था ।

माननीय अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक महोदय ने सर्वप्रथम निगम की राजभाषा पत्रिका ''राजभाषा ज्योति'' (अप्रैल से सितंबर, 2009) के छमाही अंक का विमोचन किया तथा बैठक में उपस्थित विभागाध्यक्षों के सुझावों की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि हमारे सभी विभागाध्यक्ष हिंदी के कार्य के प्रति रूचि रखते हैं । उन्होंने कहा कि सभी विभागाध्यक्षों को अपने विभाग के स्टाफ को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करना चाहिए । अध्यक्ष महोदय ने सुझाव दिया कि निगम मुख्यालय में वाद-विवाद प्रतियोगिता की शुरूआत की जाए । यह प्रतियोगिता हर तिमाही में आयोजित की जा सकती है । इससे नए विचार मिलेंगे तथा हिंदी में कार्य करने के लिए तथा हिंदी की प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए नए उत्साह व

स्फूर्ति का वातावरण बनेगा । उन्होंने कहा कि यह प्रतियोगिता निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों/पावर स्टेशनों/परियोजनाओं में भी शुरू की जा सकती है ।

निदेशक (वित्त) श्री ए. बी. एल. श्रीवास्तव महोदय ने बैठक में कहा हमारे निगम में अन्य संस्थानों की तुलना में हिंदी में अच्छा कार्य हो रहा है और हमें नई उपलब्धियां भी मिली हैं । उन्होंने कहा कि हमें हिंदी मे काम को और अधिक सहज और व्यावहारिक बनाना होगा ।

भोपाल मंडल, पश्चिम मध्य रेल मंडल, भोपाल

राजभाषा कार्यान्वयन समिति की मार्च 2009 को समाप्त तिमाही बैठक श्री पी. के. अग्रवाल, मंडल रेल प्रबंधक महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 26.6.09 को आयोजित की गई । अध्यक्ष महोदय ने सभी शाखा अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी के सम्मिलित प्रयासों से ही हम वार्षिक कार्यक्रम में राजभाषा कार्यान्वियन के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते है इसलिए यह हम सबका संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करे और मंडल में राजभाषा कार्यान्वयन करें और आगे बढाएं ।

बैठक के दौरान अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री एम. पी. सिंह ने मंडल में हिंदी में किए जा रहे कार्या की सराहना करते हुए कहा कि हमारे मंडल में राजभाषा हिंदी को बढ़ाने के कारगर प्रयास किए जा रहे है यह प्रशंसनीय है ।

श्री आर. डी. मीना, राजभाषा अधिकारी ने मंडल की राजभाषा कार्यान्वियन स्थिति की विस्तार से समीक्षा की और राजभाषा उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की गई ।

केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, मुख्यालय, नागपुर

हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बोर्ड में हिंदी दिवस मनाया जा रही है । बोर्ड के निदेशक श्री वे. परमेश्वरन ने दीप प्रज्ज्वलित करके दिनांक 15-9-2008 को हिंदी दिवस का उद्घाटन किया । निदेशक ने अपने उद्घाटन भाषण में यह भी कहा कि ''हिंदी को विकसित एवं गौरवान्वित करना हमारा फर्ज है एवं सभी अधिकारी/कर्मचारी अपना दैनंदिन कार्यालयीन कामकाज अधिकाधिक हिंदी में करें ।

श्री टी. सी. दास, अपर निदेशक ने निदेशक महोदय का स्वागत किया तथा अपने स्वागत भाषण में कहा कि हमें हिंदी में कामकाज करने में गर्व महसूस करना चाहिए ।

इस अवसर पर श्री बी. वी रमेश बाबू, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न गतिविधियों की संक्षिप्त जानकारी दी ।

कार्यक्रम में अन्य अधिकारियों के साथ-साथ बोर्ड के वित्तीय सलाहाकार श्री एम. आरुमुगम भी उपस्थित थे ।

इस संदर्भ में मुख्यालय द्वारा प्रकाशित 'श्रम किरण' गृह पत्रिका 2006-07 का विमोचन बोर्ड के निदेशक श्री वे. परमेश्वरन के करकमलों से किया गया ।

श्री अरविन्द यादव, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने कार्यक्रम का संचालन किया तथा श्रीमती उज्वला रामटेके, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने धन्यवाद ज्ञापन दिया ।

पूर्व रेलवे, मुख्यालय, राजभाषा विभाग, मालदा

मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मालदा की वर्ष 2009 की बैठक दिनांक 9-9-2009 को मंडल रेल प्रबंधक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई ।

अध्यक्ष एवं मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपने अघ्यक्षीय भाषण में कहा हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है इसका प्रयोग सरल है सहज है । हमें इसे अपनाना चाहिए । उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से आग्रह किया कि हिंदी प्रगति रपट पर स्वयं हस्ताक्षर कर समय से हिंदी अनुभाग के पास भेजना सुनिश्चित करें । उन्होंने आगे कहा कि अपने-अपने विभाग से नामित राजभाषा नोडल स्टाफ से छोटे-छोटे पत्राचार एवं छोटी-छोटी टिप्पणियाँ हिंदी में लिखवाने पर जोर दें । मंडल में साहित्यकारों की जयतियाँ मनाई जा रही है, इस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया । उन्होंने इस परम्परा को कायम रखने पर बल दिया ।

मंडल के अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं अपर मंडल रेल प्रबंधक ने उपस्थित समिति के सदस्यों से कहा कि अपने-अपने विभाग से राजभाषा अधिनियम 1976 की धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले प्रलेखों जैसे- परिपत्र, सामान्य आदेश, कार्यालय आदेश, लाइसेंस, परमिट इत्यादि हिंदी-अंग्रेजी द्विभाषीरूप में साथ-साथ जारी करवाएं और प्रत्येक प्रलेख की एक-एक प्रति अपने विभाग में गार्ड फाइल में रखें ताकि समय-समय पर इसकी जांच की जा सके । साथ ही साथ जारी प्रलेखों की एक-एक प्रति राजभाषा विभाग को भिजवाएं ताकि रपटों के साथ इसकी प्रति मुख्यालय को भेजी जा सके ।

(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें

भुवनेश्वर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), भुवनेश्वर की 26 वीं छमाही बैठक का आयोजन दिनांक 25-8-2009 को होटल प्रेसिडेंसी, नयापल्ली भुवनेश्वर में किया गया । इस बैठक की अध्यक्षता नराकास (बैंक), भुवनेश्वर के अध्यक्ष श्री भास्कर नियोगी ने की । बैठक में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में श्री राकेश कुमार, उप निदेशक (कार्यान्वयन), पूर्व क्षेत्र विशेष रूप से उपस्थित थे ।

नराकास सदस्य बैंकों द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की समीक्षा करते हुए श्री राकेश कुमार ने कहा कि सभी बैंकों को राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेने चाहिए व आवश्यकतानुसार आपस में सहयोग करना चाहिए ।

भारतीय स्टेट बैंक के उप महाप्रबंधक श्री के. देहुरी ने अपने उद्‌वोधन में कहा कि आज हमें आवश्यकता इस बात की है कि हम ऐसी स्थिति बनाए कि हम अँग्रेज़ी के नही हिंदी के शब्दों को क्षेत्रीय भाषाओं में मिलाएं साथ ही हिंदी बोलते समय क्षेत्रीय भाषाओं से शब्द लेने में हमें कोई झिझक न हो ।

अपने अध्यक्षीय भाषण में श्री नियोगी ने कहा कि यदि हमें अपनी संस्कृति को बचाना है तो अपनी भाषा को बचाना होगी, उसे संरक्षित करना होगा व उसका विस्तार करना होगा । अत: कार्यालय ही नही घर व समाज के लिए भी अपनी भाषा आवश्यक है ।

दावणगेरे

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दावणगेरे के संयोजक कार्यालय में (महाप्रबंधक दूरसंचार का कार्यालय, बी. एस. एन. एल., दावणगेरे) एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला दिनांक 28-8-2009 को संपन्न हुई । यह कार्यशाला उक्त दिनांक पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 5.00 बजे तक चलाई गई । कार्यशाला में उपस्थित सभी को जलपान, भोजन आदि की व्यवस्था की गई थी ।

कार्यशाला, नराकास के सदस्य सचिव श्री रमेश वी कामत जी के स्वागत भाषण से प्रारंभ हुई और वे ही इस कार्यशाला का आरंभिक सत्र लिए । उन्होंने अपने सत्र में दैनंदिन कामकाज में प्रयोग किए जानेवाले विविध पत्रों को हिंदी में कैसे लिखना चाहिए आदि और हिंदी में टिप्पणी लेखन के बारे में भी जानकारी दी । आपने 10.00 बजे से 12.00 बजे तक व्याख्यान दिया ।

कार्यालय के कनिष्ठ हिंदी अनुवादक श्री सी. एन. शेखर जी ने दूसरा सत्र लिया । वे अपने सत्र में बुनियादी हिंदी के बारे में संक्षिप्त रूप से जानकारी दिए और राजभाषी नीति में राजभाषा हिंदी संबंधी संवैधानिक व्यवस्थाएं, राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 के बारे में संक्षिप्त रूप से व्याख्यान दिये । आपने 12.00 बजे से 1.00 बजे तक और अपराह्न 2.00 बजे से 3.00 बजे तक व्याख्यान दिया ।

स्थानीय ए वी के महिला कॉलेज के हिंदी प्राध्यापक श्री जी. एस. अनंतराम ने 3.00 बजे से 5.00 बजे तक हिंदी व्याकरण के बारे में व्याख्यान दिए । वे अपने सत्र में हिंदी व्याकरण में भाषा, तत्सम तद्‌भव, लिंग, वचन, कारक आदि के बारे में बताए और प्रशिक्षार्थियों में इनके बारे में रहें भ्रम को दूर किया ।

कार्यशाला में शहर के विविध कार्यालयों के कुल 10 अधिकारी व कर्मचारी बहुत उत्सुकता से भाग लिया ।

गान्तोक, सिक्किम

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गान्तोक के तत्वावधान में नगर स्थित भारत सरकार के कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों आदि सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 5-8-2009 को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के सेमीनॉर हॉल में किया गया । जिसमें 45 अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे ।

कार्यालय का उदघाटन भारत मौसम विज्ञान केंद्र, गान्तोक के निदेशक श्री के. सीताराम ने किया । उन्होंने

कार्यशाला की उपादेयता पर बल देते हुए उपस्थित प्रतिभागियों से इसका लाभ उठाने का आह्वान किया ।

नराकास सचिव श्री एस. के. साहा (कार्यपालक अभियंता के.लो.नि.वि.) ने उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं नगर स्थित कार्यालयों में हिंदी के काम-काज को उत्तरोत्तर बढ़ाने हेतु सभी के सहयोग का आह्वान किया । उन्होंने हिंदी के प्रचार-प्रसार में समिति को मुख्य रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए हिंदी प्राध्यापक श्री दिनेश सिंह (राजभाषा विभाग के) का धन्यवाद ज्ञापित किया ।

नराकास गतिविधियों की जानकारी सचिव कार्यालय में हिंदी का काम-काज देख रहे श्री प्रणव कुमार दास ने दी ।

कार्यशाला का संचालन राजभाषा विभाग के श्री दिनेश सिंह ने किया । प्रथम चरण में हिंदी भाषा के मानक रूप, व्याकरणिय मूलें और निराकरण पर प्रकाश डाला ।

द्वितीय चरण में पत्राचार व टिप्पण पर विस्तृत प्रकाश डाला एवं अभ्यास कार्य करवाया । कम्प्यूटर पर हिंदी का प्रयोग विषय पर व्याख्यान व संबंधित जानकारी व सीडी का वितरण किया गया ।

भावनगर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भावनगर की वर्ष 2009 की प्रथम छमाही की 57वीं बैठक दिनांक 29-5-09 को पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल के मंडल कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित की गई । इस बैठक की अध्यक्षता, मंडल रेल प्रबंधक श्री दीपक छाबड़ा जी ने की बैठक की कार्रवाई का संचालन श्री सतीश वलवी, राजभाषा अधिकारी एवं सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भावनगर ने किया ।

अध्यक्ष महोदय ने सर्वप्रथम गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से पधारी श्रीमती साधना त्रिपाठी जी तथा उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और अपने संबोधन में कहा कि किसी भी भाषा का पूर्ण विकास तभी संभव है जब उसका अधिकाधिक प्रयोग किया जाए और अधिकाधिक प्रयोग तभी संभव है जब हम उसका आदर करें, उसे स्वीकारें तथा हिंदी पत्र-पत्रिकाएं, पुस्तकें पढ़ने में रूचि दिखाएं ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भावनगर की राजभाषा पत्रिका "राजदीप" के प्रवेशांक का विमोचन अध्यक्ष महोदय के कर-कमलों से किया गया । अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ऐसी पत्रिकाओं का प्रकाशन करने से हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बल मिलता है । इस कार्य को आगे निरंतर जारी रखने के लिए कहा गया ।

समिति के सदस्य सचिव ने पावरपॉइन्ट प्रस्तुतीकरण के जरिये कार्यसूची की मदवार समीक्षा की और कमियों पर सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित किया गया ।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग से पधारी, अनुसंधान अधिकारी श्रीमती साधना त्रिपाठी ने राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए कोशिश ही नहीं बल्कि हिंदी में कार्य करने हेतु संकल्प लेने को कहा । उन्होंने बैठक में उपस्थिति की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि सदस्य कार्यालयों के प्रमुखों का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि वे बैठक में उपस्थित रहें । साथ ही साथ यह भी निदेश दिए गए कि अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण दिलाएं और प्रशिक्षित कर्मचारियों/अधिकारियों से हिंदी का प्रचार-प्रसार कराएं । उन्होंने इस बैठक में दिखाए गए पावरपॉइन्ट प्रस्तुतीकरण तथा राजभाषा पत्रिका "राजदीप" के प्रवेशांक की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रयासों से हिंदी को काफी बल मिलता है ।

लुधियाना

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लुधियाना की 56वीं बैठक दिनांक 19-8-2009 को सांय 4.30 बजे दि न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी, सूर्या टावर, चौथी मंजिल, दि मॉल, लुधियाना के सभागार में आयोजित की गई । यह बैठक दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कं. के प्रादेशिक कार्यालय द्वारा प्रायोजित की गई थी । श्री आर. के. तिवारी, मुख्य आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने इस बैठक की अध्यक्षता की ।

डॉ. एस. एल. खोसा, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कं. ने श्री आर. के. तिवारी, मुख्य आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लुधियाना को स्मृति चिह्न भेंट करते हुए उनका अभिनन्दन किया ।

डॉ. एस. एल. खोसा, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कं. ने इस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए श्री आर. के. तिवारी, मुख्य आयकर आयुक्त एवं अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, लुधियाना का विशेष तौर पर धन्यवाद किया और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य कार्यालयों के प्रतिनिधियों के प्रति इस बैठक में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया । उन्होंने कहा कि यह, दि न्यू इंडिया एश्योरन्स कं. के लिए सौभाग्य का विषय है कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति लुधियाना की बैठक उनके कार्यालय परिसर में आयोजित की गई । भविष्य में भी यदि उनके कार्यालय को कोई भी दायित्व सौंपा जाता है तो वे इसे खुशी-खुशी निभाएंगे ।

अमृतसर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, अमृतसर की वर्ष 2009-10 की प्रथम बैठक आयकर आयुक्त, अमृतसर के मार्गदर्शन में श्री जी. आर. सूफी, आयकर आयुक्त , अमृतसर-1 की अध्यक्षता में 17 अगस्त, 2009 को 3.00 बजे बाद दोपहर, होटल कुमार इंटरनैशनल, अमृतसर में आयोजित की गई । अमृतसर नगर के केंद्रीय सरकार के कार्यालयों/निगमों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों से वरिष्ठ अधिकारियों तथा अन्य प्रतिनिधियों ने काफी अधिक संख्या में इस बैठक में भाग लिया ।

श्री जी. आर. सूफी, आयकर आयुक्त, अमृतसर-1 ने अपने अध्यक्षीय भाषण में समिति की बैठक के दौरान प्रस्तुत रिपोर्टों तथा समीक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि, समिति द्वारा समीक्षा का उद्देश्य कमियां निकालना नहीं बल्कि कमियों को दूर करने के सुझाव देना है । उन्होंने टिप्पणी की कि हमें अपने कामकाज में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए । हम लोग जनता के प्रति जबावदेह हैं, इसलिए हमारे कामकाज की भाषा जनता की समझ में आनी चाहिए । अंत में उन्होंने कहा कि अमृतसर नगर में हिंदी का प्रयोग अच्छी गति से हो रहा है, इसे और बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

श्री गंगानगर

दिनांक 25-6-2009 को पंजाब नैशनल बैंक के संयोजन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजन किया गया ।

कार्यक्रम के अध्यक्ष पद से बोलते हुए डॉ. राकेश गुप्ता, मंडल प्रमुख, मडंल कार्यालय श्रीगंगानगर ने अध्यक्षीय उद्‌बोधन में पंजाब नैशनल बैंक के सहा. महाप्रबंधक डॉ. राकेश गुप्ता ने कहा कि संवैधानिक जिम्मेदारी के अंतर्गत हमें यह सुनिश्चित करना है कि राजभाषा के सभी नियमों का सम्यक् रूप से अनुपालन किया जाए । सदस्य कार्यालय अपने काम के साथ-साथ छमाही प्रगति रिपोर्ट की सभी मदों को अच्छी प्रकार से समझ कर धारा 3(3), पत्राचार एवं रबर मोहरों की सही सूचना समय से प्रेषित करें । उन्होंनें कहा कि हमें हिंदी को व्यवहारिक आवश्यकता मानते हुए प्रभावी रूप से लागू करना होगा तभी श्रीगंगानगर नराकास का स्थान अग्रणी रह सकता है । नराकास हिंदी के साथ-साथ अन्य सांस्कृतिक व भाषायी गतिविधियों के लिए भी एक उपयुक्त मंच है । अत: सदस्य इसमें सक्रियता से भाग लेवें ।

मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल से पधारे, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, भारत सरकार, के सहा. निदेशक, श्री राम लाल शर्मा ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि राजभाषा के कार्य को गंभीरता से लिया जाए, नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए । श्री शर्मा ने कहा कि कार्यालय स्तरीय हिंदी की बैठकों में केवल आंकड़ों की ही समीक्षा नहीं की जाए वरन् वास्तविक रूप में भी हिंदी में कार्य किया जाए । कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करें कि टिप्पणियां हिंदी में की जाएं । मोहरे हिंदी/द्विभाषी हों तथा डाक प्रेषण कार्य भी हिंदी में हो ।

विशिष्ट अतिथि श्री ए. सी. सेठी, सहायक महाप्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर ने अपने उद्‌बोधन में कहा कि हम जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं वह क्षेत्र हिंदी भाषी क्षेत्र है। अंग्रेजी में कार्य करने से हमारी व्यवहारिक आवश्यकता पूरी नहीं होती । प्रत्येक संस्थान विकास पथ पर तभी अग्रसर हो सकता है जब वह आम लोगों में प्रचलित सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी को पूरी तरह से अंगीकार कर ले । इसे संविधान की बाध्यता न मानकर सहज रूप में कार्य करें । आज टेलीफोन, कम्प्यूटर, इंटरनेट, मोबाईल, एसएमएस एवं ई-मेल इत्यादि सभी में हिंदी धड़ल्ले से प्रयुक्त हो रही है इनमें कोई तकनीकी बाधा नहीं आई है । उन्होंने सदस्यों का आह्वान किया कि हिंदी कार्य में कोई गतिरोध न आने दें ताकि गंगानगर नराकास निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो ।

कार्यक्रम संचालक एवं सदस्य सचिव अजय सक्सेना ने सभी सदस्यों को सी-डैक पुणे द्वारा राजभाषा हिंदी के विभिन्न सॉफ्टवेयर, यूनीकोड, ट्रांसलेटर व फाईल कन्वर्टर की जानकारी देते हुए सदस्यों को बैठक में सक्रिय भागीदारी के लिए एवं बैठक में विशेष रूप से भाग लेने तथा मार्गदर्शन देने हेतु पधारे श्री राम लाल शर्मा, सहा. निदेशक (कार्यान्वयन) भोपाल का आभार व्यक्त किया ।

जयपुर

श्री सुब्रोतो वर्मा डीजीएम, की अध्यक्षता में दिनांक 28-8-2009 को अपराह्न तीन बजे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के आदर्श नगर स्थित कार्यालय में सम्पन्न हुई ।

उक्त बैठक में जयपुर स्थित केंद्रीय सरकार के करीब 21 उपक्रमों के विभाग प्रमुख/प्रतिनिधि उपस्थित थें ।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए नराकास सचिव श्री के. एल. चतुर्वेदी ने पिछली बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की । इस के साथ ही पिछली बैठक एवं आज की बैठक के बीच घटे घटनाक्रमों का ब्यौरा दिया ।

नराकास अध्यक्ष महोदय ने अपने संबोधन में उपस्थित उपक्रम प्रमुखों एवं राजभाषा अधिकारियों को नराकास उपक्रम के मंच से अधिक से अधिक राजभाषा के प्रयोग को दैनिक पत्र व्यवहार में बढ़ाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया । उन्होंने उपक्रम प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वर्ष 2009-10 के वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप सभी उपक्रम राजभाषा कार्यान्वयन में आशातीत प्रगति के लिए प्रयत्नशील रहें ।

उपक्रमों से प्राप्त तिमाही प्रतिवेदनों की समीक्षा करते हुए सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), मध्य क्षेत्र, भोपाल ने बैठक में राजभाषा अधिनियम के प्रावधानों को सदस्यों के समक्ष विस्तार से समझाया । समीक्षा के दौरान श्री शर्मा ने उपक्रम प्रमुखों के बैठक में भाग न लेने के मुद्दे को उठाया एवं उनकी उपस्थिति को बैठक में अनिवार्य बताया । इस दौरान उपस्थित प्रतिनिधियों की शंकाओं का समाधान भी उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया ।

सदस्यों को श्री मेघराज पहवा उपप्रबंधक (हिंदी) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली द्वारा यूनीकोड सॉफ्ट्वेयर के बारे में ऑनलाइन जानकारी प्रदान की गई । इस अवसर पर सहायक निदेशक (कार्यान्वयन), मध्य क्षेत्र, भोपाल ने सभी सदस्य कार्यालयों की सहूलियत के लिए इस विषय पर एक कार्यशाला आयोजित किए जाने की वकालत की ।

बालाघाट

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बालाघाट की आठवीं राजभाषा हिंदी प्रगति समीक्षा बैठक दिनांक 21-8-2009 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भरवेली, में डॉ. नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर महोदय के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुई । इस अवसर पर विशेष अतिथि श्री ब्रजेश सिंह, कमाण्डेंट, 123वीं बटालियन, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा दीप प्रज्जवलित कर बैठक का शुभारम्भ किया गया । मुख्य अतिथि महोदय ने हिंदी राजभाषा के संबंध में अपने विचार व्यक्त करते हुए सदस्य कार्यालयों से आग्रह किया कि अधिक से अधिक शासकीय कार्य हिंदी में करें, जिसके लिए आधुनिक संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है, जिससे राजभाषा हिंदी को बढ़ावा दिया जा सके । कलेक्टर महोदय द्वारा समिति का इस ओर भी ध्यान आकर्षित किया कि म. प्र. शासन के कार्यालयों में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग लगभग नगण्य है इसलिए त्वरित कार्रवाई के लिए हमें हिंदी में ही पत्राचार किए जाएं । विशेष अतिथि महोदय द्वारा हिंदी में प्रचार-प्रसार के लिए अधिक से अधिक कार्य करने पर बल दिया, जिससे हम शासकीय कार्यों को यथाशीघ्र निबटा सके । अध्यक्ष महोदय श्री देबाशीष दास, वैज्ञानिक-डी, केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा बालाघाट में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि के उपस्थित अधिकारियों का स्वागत करते हुए उनकी व्यस्त कार्यालयीन दिनचर्या से बैठक में भाग लेने के लिएं उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा कि यह हर्ष की बात है कि हम राजभाषा हिंदी की प्रगति के लिए एकजुट होकर राजभाषा कार्यान्वयन में अपना योगदान निश्चित करने लगे हैं तथा उनके द्वारा, केंद्रीय जल आयोग, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, गर्रा एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भरवेली के प्रबन्धकों की अनुपस्थिति पर गहरा रोष प्रगट किया गया । बैठक को आगे बढ़ाते हुए सदस्य सचिव श्री जी. बोरकर, प्राचार्य, केंद्रीय विद्यालय द्वारा बैठक का मंच संचालन करते हुए कार्यवृत्त को सदस्यों के समक्ष रखते हुए बिन्दुवार जानकारी दी गई

तथा सदस्यों से सुझाव भी लिए गए । अतिथि श्री हरिश सिंह चौहान, अनुसंधान अधिकारी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल द्वारा सदस्यों द्वारा प्रस्तुत राजभाषा हिंदी की प्रगति की तिमाही/वार्षिक रिपोर्ट की समीक्षा की गई एवं सुझावों का निराकरण किया गया एवं समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ सदस्य कार्यालय धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले पत्राचार में द्विभाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जो कि राजभाषा नियमों का घोर उल्लंघन प्रदर्शित करता है । उनके द्वारा बालाघाट के विभिन्न कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण भी किया गया, जिसमें यह पाया गया कि कुछ कार्यालय धारा 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित नहीं हुए हैं, जिस पर सदस्य कार्यालयों से इस पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया गया । इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों का ध्यान इस ओर दिलाया गया कि पिछली बैठक के दौरान समिति की वार्षिक पत्रिका के प्रकाशन हेतु श्री बी. एल. शर्मा, मुख्य प्रबंधक, रेलवे स्टेशन, बालाघाट को भार सौंपा गया था, किन्तु वे दिनांक 31-8-2009 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं अत: उनके बदले केंद्रीय रेशम बोर्ड के वैज्ञानिक-सी श्री राम जी लाल को उक्त भार सौंपा गया है । समिति के सदस्यों से आग्रह किया गया कि वे वर्ष 2008-09 की चल शील्ड योजना में भाग लेने हेतु पिछली बैठक में आपूर्ति किए वार्षिक राजभाषा प्रगति के प्रपत्र को दिनांक 30-9-09 तक अनिवार्यत: जमा करवा दें, अन्यथा उनके किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा । बैठक के दौरान सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि समिति की आगामी नवीं बैठक माह जनवरी, 2010 में भारतीय जीवन बीमा निगम, बालाघाट के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी । बैठक में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, रेलवे स्टेशन, केंद्रीय रेशम बोर्ड, आकाशवाणी, दूरदर्शन, आयकर, क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय, नेहरू युवा केंद्र, मुख्य डाकघर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, बालाघाट खान, भरवेली, भारत संचार निगम लिमि., बालाघाट, भारतीय जीवन बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कं. लिमि., इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सेन्ट्रल बैंक, बालाघाट एवं खैरी(भटेरा), सिंडीकेट बैंक, भरवेली एवं बालाघाट, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, बैंक आफ महाराष्ट्र आदि के कुल 40 कार्यालयाध्यक्ष/प्रतिनिधियों ने भाग लिया । अंत में अध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के सफल संचालन में केन्द्रीय रिजर्व सुरक्षा बल 123 बटालियन कैम्प के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दिए गए योगदान के लिए, जिलाधीश महोदय द्वारा बैठक में दिए गए अपने बहुमूल्य समय एवं विचार के लिए तथा समस्त सदस्यों की उनकी उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की गई ।

जयपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, जयपुर की 57वीं अर्द्ध वार्षिक बैठक दिनांक 26-8-2009 को अपराह्न 3.00 बजे महालेखाकार भवन जयपुर के मनोरंजन कक्ष में आयोजित की गई ।

इस बैठक में राजभाषा नीति के अन्तर्गत महत्वपूर्ण निर्देशों के शतप्रतिशत अनुपालन के लिए पावर पाइन्ट प्रजेन्टेशन के दौरान स्लाइड शो प्रदर्शन में बताया गया कि सभी केंद्रीय कार्यालयों के नाम पट्ट हिंदी में, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष हिंदी और अंग्रेजी में होने चाहिए । लिफाफों पर पता हिंदी में, रबड़ की मोहरें, रजिस्टरों के नाम, सामान्य आदेश, संकल्प, प्रशासनिक आदेश व प्रेस विज्ञप्तियां द्विभाषी होनी चाहिएं ।

बैठक के दौरान सहायक निदेशक राजभाषा विभाग (मध्य क्षेत्र) भोपाल ने सभी को बताया गया कि मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि पुरस्कारों के चयन हेतु गठित मूल्यांकन समिति ने तीन वर्ष से लगातार सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (केंद्रीय कार्यालय) जयपुर के सदस्य कार्यालयों को पुरस्कार प्रदान करने के बजाय अन्य कार्यालयों को हिंदी में अधिकाधिक कार्य करने हेतु पुरस्कार प्रदान कर उन्हें भी प्रोत्साहित किया जाने के नैतिक दायित्व की पालना की है, यह वाकई सराहनीय क़दम है ।

सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड फोन्ट इन्टरनेट से डाउनलोड कर लेना चाहिए इस फोन्ट में हिंदी में कार्य करना सुविधाजनक एवं सरल होता है साथ ही यह भी कहा कि राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा यूनिकोड पर प्रशिक्षण के लिए एक कार्याशाला रखी जानी चाहिए ।

रायपुर

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रायपुर की 60वीं बैठक दिनांक 26-5-2009 को 16.00 बजे, आदरणीय

श्री अनिल कुमार, आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, रायपुर की अध्यक्षता में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क भवन, टिकरापारा, रायपुर के प्रशिक्षण कक्ष में सम्पन्न हुई ।

अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में अध्यक्ष महोदय ने सर्वप्रथम बैठक में सदस्यों के समुचित प्रतिनिधित्व पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की । राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार को वास्तविक रूप से बढ़ाने के लिए उन्होंने इच्छाशक्ति का होना अति आवश्यक समझा । और उन्होंने समिति के सदस्य कार्यालयों को राजभाषा हिंदी के प्रयोग एवं प्रचार-प्रसार के लिए यथोचित सहयोग करने हेतु आह्वान किया ।

गुड़गांव

वर्ष 2009-10 की प्रथम बैठक दिनांक 15 जुलाई, 2009 को पूर्वाह्न 11.30 बजे समिति के अध्यक्ष अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में उनके कार्यालय के सम्मेलन कक्ष में आयोजित की गई ।

नराकास की इस बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत करने के उपरांत अध्यक्ष महोदय ने कार्यसूची के प्रथम बिन्दु नराकास की वर्ष 2008 की द्वितीय बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए, जिन निर्णयों पर कार्रवाई पूर्ण हो गई है उसके संबंध में समिति सदस्यों को अवगत कराया । इस संबंध में जिन निर्णयों पर अभी कार्रवाई पूर्ण नहीं हुई है उनका भी उल्लेख किया । अध्यक्ष महोदय ने नराकास द्वारा प्रस्तावित "राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान : चुनौतियां एवं समाधान" विषय पर कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय द्वितीय बैठक में लिया गया था । इस संबंध में समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि उक्त कार्यशाला का आयोजन राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से सम्पर्क करके दिनांक 15-7-09 को 12.00 आयोजित की गई ।

नीमच

छमाही बैठक का आयोजन दिनांक 24-7-2009 को सायं 1630 बजे ग्रुप केन्द्र, केरिपुबल नीमच में ब्रिग्रेडियर (रिटा.) मान सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक आर. टी. सी. नीमच व अध्यक्ष नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति नीमच की अध्यक्षता में किया गया । उन्होंने सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हिंदी का व्यवहार हमारे लिए गौरव एवं गर्व का विषय होना चाहिए तथा अच्छी हिंदी का व्यवहार गलत अंग्रेजी के व्यवहार के मुकाबले कहीं बेहतर है । उन्होंने कहा कि भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2009-2010 के लिए जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए शत-प्रतिशत प्रयास किए जाएं तथा राजभाषा अधिनियम/नियम और सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए आदेशों का अपने कार्यालयों में शत-प्रतिशत लागू करवाएं ताकि राजभाषा हिंदी में अधिक से अधिक कार्य हो व इस बैठक के आयोजन का उद्देश्य पूरा हो सके । अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों से राजभाषा का निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन एवं अनुपालन करने की अपील की । मंच संचालन निरीक्षक (हिं.अनु.) विनोद कुमार राणा, जो कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव हैं, के द्वारा किया गया ।

दिल्ली (उपक्रम)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली की 29वीं बैठक व गृह पत्रिका पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 26-6-2009 को पूर्वाह्न 11.00 बजे स्कोप ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में आयोजित किया गया । इस समारोह में डॉ. प्रदीप कुमार, सचिव (राजभाषा), भारत सरकार मुख्य अतिथि के रूप में पधारे । बैठक की अध्यक्षता एनटीपीसी लिमिटेड के निदेशक (मानव संसाधन) श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने की ।

बैठक के आरंभ में नराकास की सदस्य सचिव श्रीमती मधु नौटियाल ने आमंत्रित अतिथियों तथा पुरस्कार विजेता उपक्रमों का अभिनंदन किया । उन्होंने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि सभी सदस्य उपक्रम राजभाषा के निर्धारित लक्ष्यों को पाने की दिशा में निरंतर अग्रसर हैं साथ ही नए-नए कार्यों से हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं ।

एनटीपीसी लिमिटेड के उप महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री अमर नाथ वर्मा ने सबका स्वागत करते हुए

कहा कि हमारे सदस्य उपक्रम हिंदी पत्रिकाओं के प्रकाशन से भी हिंदी को रचनात्मकता से बढ़ावा दे रहे हैं । इससे राजभाषा कार्यान्वयन में भी सफलता मिल रही है । आपके कार्यालयों से प्राप्त छमाही रिपोर्ट से मालूम हुआ कि पिछली बैठक के निर्णयों पर नराकास के सदस्य उपक्रमों ने समुचित कार्रवाई भी की है । इससे हम राजभाषा के लक्ष्यों को पाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ।

एनटीपीसी लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) श्री स्वतंत्र कुमार ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी सदस्यों के सहयोग से राजभाषा विभाग के मार्गदर्शन में हम सब राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए पूरी निष्ठा से काम कर रहे हैं । अपने दायित्व के निर्वाह के लिए हमें राजभाषा कार्यान्वयन को समुचित महत्व देना होगा । इसके लिए हमें निरंतर सजग रहना होगा, जिससे कि हम अपने दायित्व को पूरी निष्ठा से निभा सकें ।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के निर्देशों का हमें दृढ़ता से अनुपालन करना होगा तभी हम राजभाषा को सही मायनों में प्रतिष्ठित कर पाएंगे । इसके लिए निम्न कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है ।

- वरिष्ठ अधिकारी स्वयं हिंदी में काम करके सभी को हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा दें ।
- शीर्ष स्तर की सभी बैठकों के कार्यवृत्त द्विभाषी होने चाहिएं । इन बैठकों से संबंधित समस्त पत्राचार हिंदी अथवा द्विभाषी रूप में करें ।
- हिंदी में मूल नोटिंग-ड्राफ्टिंग को बढ़ावा दें तथा 'क' व 'ख' क्षेत्र से अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी या द्विभाषी रूप में दें ।
- कार्यालय के सभी कंप्यूटरों में हिंदी सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाएं तथा हिंदी सॉफ्टवेयर प्रचालन के प्रशिक्षण को विशेष महत्व दें ।
- कार्यालय के सभी कर्मचारियों को वर्ष में एक बार हिंदी कार्यशाला में भाग लेने का अवसर अवश्य दें । हिंदी कार्यशालाओं में हिंदी साफ्टवेयर प्रचालन के प्रशिक्षण को भी शामिल किया जा सकता है ।
- गृह पत्रिकाओं में तकनीकी लेखों को विशेष महत्व दें इससे तकनीकी क्षेत्र में हिंदी को बढ़ावा मिलेगा।

अपने अध्यक्षीय भाषण में निदेशक (मानव संसाधन) श्री रमेश चंद्र श्रीवास्तव ने पत्रिका प्रकाशन के लिए नराकास शील्ड से सम्मानित होने वाले सदस्य उपक्रमों को विशेष रूप से बधाई देते हुए कहा कि पत्रिका के माध्यम से कर्मचारियों की रचनात्मक प्रतिभा उभरती है और कार्यालय में हिंदी का वातावरण भी बनता है । उन्होंने कहा राजभाषा हिंदी के अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार के लिए राजभाषा विभाग के मार्गदर्शन में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) बहुत महत्वपूर्ण काम कर रही है । राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए नराकास के सदस्य उपक्रम अनेक मौलिक प्रयास भी कर रहे हैं । साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से भी हिंदी का प्रचार किया जा रहा है । वास्तव में राजभाषा हिंदी को सही अर्थों में प्रतिष्ठित करने के लिए सभी सदस्य उपक्रम पूरे मन से काम कर रहे हैं । इस मंच से हम विविधता में एकता को साकार करने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं ।

समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. प्रदीप कुमार, सचिव (राजभाषा), गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने स्तरीय पत्रिका प्रकाशन के लिए विजेता उपक्रमों को बधाई दी । उन्होंने कहा कि दिल्ली की नराकास, उपक्रमों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वास्तव में सराहनीय कार्य कर रही है । यदि नराकास बैठकों में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित होगी राजभाषा कार्यान्वयन को और अधिक गति मिलेगी । उन्होंने कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग तथा राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किए गए यूनीकोड, श्रुतलेखन व अनुवाद सॉफ्टवेयर के प्रयोग करने व इसका समुचित प्रशिक्षण देने को कहा । साथ ही हिंदी प्रगति की सभी रिपोर्टों में तथ्यपरक आंकड़े प्रस्तुत करने को भी कहा । इससे प्रगति का समुचित आकलन संभव होगा । इसी क्रम में उन्होंने उपक्रमों में राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति के समुचित मूल्यांकन के आधार पर ही नराकास राजभाषा शील्ड से सम्मानित करने का सुझाव दिया ।

(ग) कार्यशालाएं

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, बहरमपुर-742101

केंद्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान बहरमपुर में दिनांक 5-8-2009 को संस्थान के वैज्ञानिक/तकनीकी संवर्ग के पदधारियों के लिए एक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा इस कार्यशाला में कुल 15 पदधारी प्रशिक्षित किए गए ।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता संस्थान के उप-निदेशक (प्रशा. व लेखा), श्री एच. सी. हाईबुरू ने किया । उन्होंने अपने अध्यक्षीय अभिभाषण में कार्यशाला की आवश्यकता व महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्यशाला पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के तरह ही लाभकारी होता है और इससे अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी कार्य राजभाषा हिंदी में निष्पादित करने में प्रेरणा व प्रोत्साहन के साथ-साथ एक नई दिशा प्राप्त होती है । इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागियों से यह भी अनुरोध किया कि वे अपना अधिकाधिक कार्य हिंदी में निष्पादित करने का हर संभव प्रयास करें ।

कार्यशाला के दौरान डॉ. (श्रीमती) एम. सेतुआ, वैज्ञानिक-सी, केरेउअवप्रसं, बहरमपुर (प.बं.) द्वारा ''अधिक शहतूत पत्ती उत्पादन एवं गुणवत्ता के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रयोग'' पर सविस्तार प्रकाश डालने के साथ-साथ तत्संबंधी तकनीकी से जुड़े अन्य विषयों पर लेखन का भी अभ्यास कराया । साथ ही, डॉ. (श्रीमती) रीता बनर्जी, वैज्ञानिक-सी, ने तकनीकी शब्दावली एवं उनके प्रयार्य पर पदधारियों के बीच व्याख्यान तथा उनके अनुप्रयोग के विविध आयाम पर अभ्यास कराया गया। इसके अलावे, श्री आर. बी. चौधरी, सहायक निदेशक (राजभाषा) द्वारा कार्यशाला में राजभाषा नियम एवं अधिनियम तथा ''टिप्पण-लेखन व आवतियों के निष्पादन'' की प्रक्रिया, ''पत्राचार के विविध स्वरूप एवं तत्संबंधी कार्रवाई'' एवं राजभाषा नीति एवं इसके अनुपालन जैसे विविध विषयों पर व्याख्यान के अतिरिक्त उन विषयों को सहजतापूर्वक हिंदी में प्रस्तुत करने की सरल पद्धति पर प्रकाश डाला गया । समापन सत्र के दौरान संस्थान के निदेशक, डॉ. ए. के. बाजपेयी महोदय द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को राजभाषा नीतियों के सफल कार्यान्वयन पर अमूल्य सुझाव व मार्ग-दर्शन प्रदान करने के अतिरिक्त इससे जुड़े विविध पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया जिसमें सभी प्रतिभागीगण उत्सुकता के साथ भाग लिए ।

ज्वार अनुसंधान निदेशालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद

ज्वार अनुसंधान निदेशालय में 6 जुलाई 2009 को निदेशालय में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला का उद्घाटन डॉ. एन. सीतारामा, निदेशक, ज्वार अनु. नि. ने किया तथा अपने भाषण में उन्होंने हिंदी कार्यशालाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस तरह की कार्यशालाओं के आयोजन से हिंदी कार्यान्वयन में बाधा बनने वाली हमारी मानसिक झिझक दूर होगी तथा हम निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकेंगे ।

कार्यशाला में डॉ. महेश कुमार, हिंदी अनुवादक, ज्वार अनु. नि. ने ''राजभाषा संबंधी सांविधानिक तथा विधिक उपबंध'' तथा ''टिप्पण एवं आलेखन'' विषयों पर स्लाइड्स प्रस्तुतीकरण के माध्यम से अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया । उन्होंने प्रतिभागियों को राजभाषा नीति-नियमों से अवगत कराया तथा बताया कि हमें राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना अत्यावश्यक है और यह हमारे संस्थान के हित में भी है । क्योंकि हमारा संस्थान कृषि संबंधित है, अतः हमारी प्रचार-प्रसार सामग्री का हिंदी में होना जरूरी है । उन्होंने उदाहरण देते हुए यह बताया कि अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी के वाक्य तथा वाक्यांशों में ज्यादा पारदर्शिता है तथा कार्यालय के नेमी कार्यो के लिए भी अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी ज्यादा आसान है चूंकि अन्य भारतीय भाषाओं तथा हिंदी में काफी समानताएं हैं । इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगर उच्च अधिकारी हिंदी में

कार्य की पहल करते हैं तो उनके अधीन कार्यरत कर्मचारी स्वयं ही हिंदी में कार्य प्रारंभ कर देंगे ।

केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, मुख्यालय, उत्तर अंबाझरी मार्ग, नागपुर

दिनांक 24-6-2009 से 26-06-2009 तक 03 दिवसीय हिंदी कार्यशाला तथा दिनांक 27-06-2009 को प्रशासन, शिक्षा एवं सामान्य विषय पर 01 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन होटल सम्राट, एम.जी. रोड, इन्दौर में किया गया ।

दिनांक 24-6-2009 को होटल सम्राट, महात्मा गांधी रोड, इन्दौर में केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के 19वें बैच के शिक्षा अधिकारियों के लिए मुख्यालय, नागपुर द्वारा क्षेत्रीय निदेशालय, इन्दौर के सौजन्य से आयोजित 79वीं राजभाषा हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. अजीत सिंह सेहरावत ने कहा–''किसी भी देश का स्वाभिमान, गौरव उस देश की राष्ट्रभाषा में झलकता है । जिस देश में एक भाषा होती है उस देश को प्रगति करने में उतना ही कम समय लगता है ।''

श्री रमेश बाबू, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने हिंदी कार्यशाला की रूपरेखा की संक्षिप्त जानकारी देते हुए प्रतिभागियों से अनुरोध किया कि कार्यशाला में बढ़ाये जाने वाले विषयों पर ध्यान दें एवं अपने कार्यक्षेत्र में इसका प्रयोग करें ।

दिनांक 24-6-2009 के दूसरे सत्र में डॉ. हरेराम बाजपेयी जी ने हिंदी के उद्गम व विकास पर अतिथिवक्ता के रूप में व्याख्यान दिया ।

कार्यक्रम के दूसरे दिन 25-6-2009 को 2 अतिथिवक्ताओं ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ायी । प्रथम वक्ता डॉ. रवीन्द्र नारायण जी ने 'पत्राचार' विषय पर व्याख्यान दिया एवं दूसरे सत्र में डॉ. चन्द्रा सायता, पूर्व सहायक निदेशक (राजभाषा), भविष्य निधि कार्यालय, इन्दौर ने 'हिंदी वर्तनी' विषय पर व्याख्यान दिया ।

भारतीय कपास निगम लि., रूडा बिल्डिंग, पांचवीं मंजिल, पो. बा. 425, जामनगर रोड, राजकोट-360001

भारतीय कपास निगम लिमिटेड शाखा राजकोट में दिनांक 31-8-2009 को डॉ. एस. के. चतुर्वेदी, शाखा प्रबंधक की अध्यक्षता में ''राजभाषा हिंदी के बढ़ते चरण'' विषय पर हिंदी कार्यशाला आयोजित की गयी । अतिथि वक्ता के रूप में श्री पी. बी. सिंह , हिंदी अधिकारी एवं सचिव नराकास को आमंत्रित किया गया था । इस अवसर पर डॉ. चतुर्वेदी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि हमारा कामकाज जनता की भाषा में हो । अतिथि वक्ता श्री सिंह ने भाषा की महत्ता बताते हुए मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के अंतर को स्पष्ट किया । उन्होंने यह भी कहा कि संचार माध्यम से लेकर व्यापार विज्ञान, आदि कई क्षेत्रों में आज हिंदी का प्रचलन अधिक है । हिंदी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती ही जा रही है ।

शाखा के राजभाषा प्रभारी श्री संतोषकुमार शर्मा ने कहा कि हिन्दुस्तान का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता हिंदी में है। आज वह राजभाषा ही नहीं विश्वभाषा बनने की दहलीज पर खड़ी है । कार्यशाला के समापन पर श्री एस. पी. प्रजापती, उप प्रबंधक (लेखा) ने सभी प्रतिभागियों को कार्यशाला के आयोजन को सार्थक बनाने के लिए अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने का अनुरोध करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया । कार्यशाला का संचालन राजभाषा प्रभारी संतोषकुमार शर्मा ने किया ।

राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान 5, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौजखास , नई दिल्ली-110016

संस्थान के अधिकारी/कर्मचारी अपना कामकाज हिंदी में सरलता से कर सकें, इसमें उन्हें सहायता देने के लिए संस्थान में नियमित रूप से हिंदी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है । इसी क्रम में संस्थान के संकाय और स्टाफ सदस्यों के लिए 8 सितंबर 2009 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया ।

इस कार्यशाला का उद्देश्य संस्थान के संकाय और स्टाफ सदस्यों को राजभाषा नियमों की जानकारी देना और सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होने वाली व्यावहारिक हिंदी का अभ्यास कराना था ।

इस कार्यशाला में संस्थान के कुल 22अधिकारियों / कर्मचारियों ने भाग लिया

श्री यशपाल शर्मा, सहायक निदेशक (राजभाषा), प्रशुल्क आयोग, नई दिल्ली इस कार्यशाला के अतिथि वक्ता

थे। इस कार्यशाला का उद्घाटन श्री एस. के. श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक (सामान्य सेवा) ने किया। उन्होंने अतिथि वक्ता श्री यशपाल शर्मा और उपस्थित सभी सहभागियों का स्वागत करते हुए आशा प्रकट की कि कार्यशाला सहभागियों के लिए उपयोगी रहेगी और हिंदी में कार्य करने में उनके सामने आने वाली कठिनाइयों का समाधान होगा। अतिथि वक्ता ने सहभागियों को राजभाषा के मुख्य नियमों की जानकारी दी और हिंदी और अंग्रेजी भाषा के शब्दों, वाक्यों और टिप्पणियों पर विचार-विमर्श करते हुए सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्हें राजभाषा नियमों से संबंधित सामग्री भी दी गई।

कार्यशाला का समापन करते हुए श्री पी. के. बरूआ, उप निदेशक (प्रशासन) ने संस्थान की ओर से अतिथि वक्ता श्री यशपाल शर्मा का आभार व्यक्त किया और कार्यशाला पद्धति की सराहना करते हुए उल्लेख किया कि यह कार्यशाला हिंदी में कार्य करने में सहभागियों के लिए सहायक होगी। सहभागियों ने कार्यशाला की अवधि तथा प्रशिक्षण पद्धति को उपयुक्त माना और उल्लेख किया कि कार्यशाला से प्राप्त जानकारी का इस्तेमाल वे अपने कामकाज में व्यावहारिक रूप से करेंगे।

भारी पानी संयंत्र, तालचेर

राजभाषा नियमों का अनुपालन करते हुए भारी पानी संयंत्र, तालचेर में दिनांक 3 से 5 सितंबर, 2009 तक 20वीं हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

हिंदी कार्यशाला का उद्घाटन दिनांक 3-9-2009 को अपराह्न में 14.00 बजे प्रशिक्षण कक्ष में किया गया।

प्रभारी अधिकारी (रा. भा.) श्री रामांजनेयुलु ने अपने उद्बोधन में उपस्थित कर्मचारियों को इस कार्यशाला का लाभ उठाते हुए अपने सरकारी कामकाज में यथासंभव हिंदी का प्रयोग करने का तथा राजभाषा हिंदी को उनका यथोचित स्थान दिलाने में अपना योगदान देने का आह्वान किया।

इस कार्यशाला में विभिन्न अनुभागों से नामित 13 कार्मिकों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला में श्री हरिराम पंसारी, सहा. प्रबंधक (रा. भा.), नालको द्वारा "कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य और यूनिकोड प्रणाली", श्री जगदीश राय, हिंदी अधिकारी, तालचेर थर्मल पावर स्टेशन द्वारा "राजभाषा हिंदी ही क्यों ?", सुश्री अन्विता त्रिपाठी, टी. जी. टी. (हिंदी), जवाहर नवोदय विद्यालय, विक्रमपुरा द्वारा "लिंग, वचन और कारक" तथा श्री धनेश परमार, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक द्वारा "संघ की राजभाषा नीति" और "पऊवि की प्रोत्साहन योजनाएँ" पर विद्वतापूर्ण व्याख्यान दिए गए। कार्यशाला के अंतिम चरण में सभी प्रतिभागियों को लिखने का अभ्यास कराया गया।

केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय रेशम बोर्ड, पो. पिस्का नगड़ी, रांची

केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रांची में दिनांक 8-7-2009 को एक दिवसीय पूर्णकालिक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रशासनिक एवं वैज्ञानिक/तकनीकी संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। कार्यशाला में प्रथम सत्र के दौरान कुल 29 प्रशासनिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया जबकि द्वितीय सत्र के दौरान कुल 52 वैज्ञानिक व तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर रांची विश्वविद्यालय के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर (सेवानिवृत्त) डॉ. अशोक प्रियदर्शी व्याख्यान देने हेतु आमंत्रित किए गए थे। उन्होंने प्रशासनिक संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी के विविध पहलुओं से अवगत कराया। प्रो. प्रियदर्शी ने हिंदी भाषा की लोकप्रियता एवं सर्वग्राह्यता को उसकी विशेषता बताया। सम्पूर्ण बतलाया। उन्होंने अधिकारियों/कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वे दृढ़ संकल्प से हिंदी में न केवल संचिकाओं में अपितु विज्ञान के क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। प्रो. प्रियदर्शी ने प्रतिभागियों को राजभाषा हिंदी के विभिन्न स्वरूप, हिंदी में वर्तनी की समस्या एवं लिंग आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया।

इसके पूर्व कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए संस्थान के वैज्ञानिक-डी श्री बी. एम. के. सिंह ने कहा कि हिंदी में कार्य करने में सबसे बड़ी रूकावट हमारी मानसिकता है। उन्होंने संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से यह अपील किया कि वे हिंदी कार्यशाला में प्रशिक्षित होकर अधिकाधिक कार्य राजभाषा हिंदी में निष्पादित करें।

संस्थान के उपनिदेशक (प्रशा.) श्री परशुराम शर्मा ने अधिकारियों/कर्मचारियों को वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार लक्ष्यों की प्राप्ति पर जोर दिया। संस्थान के सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री सुरेन्द्र कुमार उपाध्याय ने इस

अवसर पर यह अनुरोध किया कि सभी अधिकारी/कर्मचारी राजभाषा गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लें तथा राजभाषा कार्यान्वयन में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर हिंदी अनुभाग की सहायता लें ।

द्वितीय सत्र में वैज्ञानिक/तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों को संत जेवियर कॉलेज के हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष श्री कमल कुमार बोस ने प्रशिक्षण प्रदान किया । इस सत्र में प्रो. बोस ने राजभाषा की प्रगति में होने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों का विस्तार से चर्चा किया । अंग्रेजी में उपलब्ध कार्यालयीन अभिव्यक्तियों का सटीक हिंदी पर्याय रूपान्तरित करने में विशेष रूप से ध्यान रखने वाले बिन्दुओं पर भी उन्होंने प्रकाश डाला । श्री बोस ने भाषा के विभिन्न स्वरूप यथा राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं लोक भाषा की चर्चा करते हुए विभिन्न भारतीय भाषाओं के प्रयोग से हिंदी को समृद्ध करने की बात कही । सामान्यत: राजभाषा के प्रयोग में आनेवाली कठिनाईयों एवं इसके समाधान के बारे में भी उन्होंने विस्तार से चर्चा किया । इस सत्र के दौरान वैज्ञानिक अधिकारियों के अलावा तकनीकी अधिकारी/कर्मचारी भी प्रशिक्षित किए गए ।

द्वितीय सत्र की अध्यक्षता संस्थान के निदेशक की अंनुपस्थिति में वरिष्ठतम वैज्ञानिक-डी श्री एम. के. सिंह ने किया । उन्होंने इस अवसर पर वैज्ञानिकों से अनुरोध किया कि वे कार्यशाला के आयोजन को सार्थक बनाने हेतु प्रशिक्षण के उपरान्त पत्राचार के अलावा अनुसंधान के विविध पहलुओं यथा मूल वैज्ञानिक आलेख व अन्य तकनीकी साहित्य सृजन के क्षेत्र में भी हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को सुनिश्चित करें ।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गान्तोक, सिक्कम पता : पोस्ट राजभवन, बलुवाखानी, पिन:737103

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गान्तोक के तत्वावधान में नगर स्थित भारत सरकार के कार्यालयों, बैकों, उपक्रमों आदि सदस्य कार्यालयों के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन दिनांक 5-8-2009 को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सेमीनार हॉल में किया गया । जिसमें 45 अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे ।

कार्यशाला का उद्घाटन भारत मौसम विज्ञान केंद्र, गान्तोक के निदेशक श्री. के. सीताराम ने किया । उन्होंने कार्यशाला की उपादेयता पर बल देते हुए उपस्थित प्रतिभागियों से इसका लाभ उठाने का आह्वान किया ।

नराकास सचिव श्री एस. के. साहा (कार्यपालक अभियन्ता के.लो.नि.वि.) ने उपस्थित प्रतिभागियों का स्वागत किया एवं नगर स्थित कार्यालयों में हिंदी के काम-काज को उत्तरोत्तर बढ़ाने हेतु सभी के सहयोग का आह्वान किया । उन्होंने हिंदी के प्रचार-प्रसार में समिति को मुख्य रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए हिंदी प्राध्यापक श्री दिनेश सिंह (राजभाषा विभाग के) का धन्यवाद व्यक्त किया ।

नराकास गतिविधियों की जानकारी सचिव कार्यालय में हिंदी का काम-काज देख रहे श्री प्रणव कुमार दास ने दी ।

कार्यशाला का संचालन राजभाषा विभाग के श्री दिनेश सिंह ने किया । प्रथम चरण में हिंदी भाषा के मानक रूप, व्याकरणिय मूलें और निराकरण पर प्रकाश डाला ।

द्वितीय चरण में पत्राचार व टिप्पण पर विस्तृत प्रकाश डाला एवं अभ्यास कार्य करवाया । कंप्यूटर पर हिंदी का प्रयोग विषय पर व्याख्यान व संबंधित जानकारी व सीडी का वितरण किया गया ।

आकाशवाणी : नागपुर

दिनांक 26 अगस्त, 2009 को "एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला" का आयोजन किया गया । आकाशवाणी नागपुर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का शुभारम्भ, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष श्री मोहन सिंह, अधीक्षण अभियंता का उपस्थिति में संपन्न हुआ ।

इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता श्री मोहन सिंह ने कहा कि हिंदी कार्यशाला के आयोजन का उद्देश्य यह है कि कार्यालयीन मसौदा, टिप्पणी लेखन एवं पत्र व्यवहार हिंदी में करते समय आप लोगों को कठिनाई महसूस न हो ।

कार्यशाला का मार्गदर्शन डॉ. एस. डी. सोनावणे, प्रभारी हिंदी अधिकारी, आकाशवाणी, औरंगाबाद ने किया । "प्रशासनिक हिंदी व्याकरण एवं पत्राचार" विषय पर बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया तथा वर्णमाला के स्वर, व्यंजनों का प्रयोग हिंदी लिखते समय कैसे किया जाता है इसे उदाहरण के साथ प्रस्तुत किया तथा कार्यालयीन पत्र कैसे लिखे जाते हैं इसकी जानकारी उन्होंने अपने दूसरे सत्र में प्रस्तुत की जिसका लाभ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने लिया। कार्यशाला में आकाशवाणी, नागपुर के 22 अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे ।

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय भोपाल

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय भोपाल में दिनांक 6-7-2009 से 10-7-2009 तक हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया । कार्यशाला का उद्घाटन श्री पी.के. अग्रवाल मंडल रेल प्रबंधक महोदय ने किया । उन्होंने अपने उद्घाटन संबोधन में राजभाषा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डाला । साथ ही कार्यशाला की आवश्यकता तथा महत्व पर बल देते हुए कहा कि कार्यशाला एक ऐसा मंच है जहां पर कार्यालय में हिंदी में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, हिंदी में कार्य करने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है तथा काम करने की झिझक को दूर किया जाता है । उन्होंने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह कार्यालय 'क' क्षेत्र में है तथा सभी को हिंदी का बहुत अच्छा ज्ञान है । हिंदी में कार्य करना न केवल हमारा संवैधानिक दायित्व है बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है । उन्होंने सभी कर्मचारियों से अनुरोध किया कि कार्यालय में अधिक से अधिक हिंदी में कार्य करें और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें ।

इसके उपरांत श्री एम.पी. सिंह, अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी ने हिंदी में पत्राचार विषय पर व्याख्यान दिया। उन्होंने हिंदी पत्राचार, पत्रों के प्रकार तथा पत्रों के लिखने व प्रारूप तैयार करने के बारे में कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी दी।

एन एच पी सी लि. मुख्यालय, सैक्टर-33 फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)

दिनांक 17 जुलाई, 2009 को निगम मुख्यालय में एक हिंदी कम्प्यूटर कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें 24 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

इस कार्यशाला का उद्घाटन कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) श्री आनन्द बिहारी अग्रवाल ने किया। उन्होंने कार्यशाला में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। इसलिए हिंदी का प्रचार-प्रसार करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों से अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करने का आह्वान किया। उन्होंने संसदीय राजभाषा समिति द्वारा किए जाने वाले राजभाषा निरीक्षणों के बारे में बताते हुए कहा कि निरीक्षण के दौरान समिति को जो राजभाषा संबंधी आश्वासन दिए जाते हैं उन लक्ष्यों को आप सबके सम्मिलित प्रयासों से ही पूरा किया जा सकता है। उन्होंने छोटे-छोटे पत्र तथा अग्रेषण पत्र आदि हिंदी में ही भेजने के लिए प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे निगम मुख्यालय के सभी कम्प्यूटरों पर हिंदी सॉफ्टवेयर लोड है। इसलिए हमें अधिक से अधिक कार्य कम्प्यूटर पर हिंदी में ही करना चाहिए ।

इससे पहले डॉ. राजबीर सिह, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) ने कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) तथा उपस्थित प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत किया। उन्होंने हिंदी कार्यशालाओं की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि इन कार्यशालाओं के आयोजन की सार्थकता तभी है जब हम इन कार्यशालाओं में दी जाने वाली जानकारी का भरपूर लाभ उठाएं और उसका उपयोग अपने कार्यालीन कार्यों में करें। उन्होंने आज के युग में कम्प्यूटर के उपयोग को देखते हुए कम्प्यूटरों पर अधिक से अधिक कार्य हिंदी में ही करने पर जोर दिया ताकि निगम में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जा सके और राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

कार्यशाला के प्रथम सत्र में डॉ. सोना शर्मा, प्रबंधक (राजभाषा) ने प्रतिभागियों को राजभाषा नीति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी । उन्होंने स्लाइडों के माध्यम से प्रतिभागियों को राजभाषा नियमों और अधिनियमों के बारे में बताया। निगम में लागू प्रोत्साहन योजनाओं तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि कार्मिक अपना अधिक से अधिक कार्यालयीन कार्य हिंदी में करते हुए राजभाषा की प्रगति में अपना योगदान दें। इसके साथ ही उन्होंने कार्यालयीन कार्यों में आने वाली प्रतिभागियों की समस्याओं का समाधान भी किया ।

कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को विभिन्न हिंदी सॉफ्टवेयरों और उसके प्रयोग से संबंधित राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय से श्री केवल कृष्ण, तकनीकी निदेशक (राजभाषा) प्रतिभागियों को मंत्रा व श्रुतलेखन हिंदी सॉफ्टवेयर की जानकारी दी और यह बताया कि हिंदी की टाइपिंग न जानते हुए भी हम किस प्रकार आसानी से कंप्यूटरों पर हिंदी में टाइपिंग कार्य कर सकते हैं । उन्होंने प्रतिभागियों को अनुवाद कार्य से संबंधित हिंदी सॉफ्टवेयर की जानकारी देते हुए बताया कि किस प्रकार हम आसानी से अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं । उन्होंने प्रतिभागियों को इन सॉफ्टवेयर के प्रयोग का अभ्यास भी कराया तथा कंप्यूटर पर हिंदी कार्य में आने वाली समस्याओं का समाधान भी किया ।

(घ) हिंदी दिवस

आकाशवाणी : हैदराबाद

हिंदी पखवाड़ा दिनांक 4-9-2009 से 18-9-2009 तक बडे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ।

अधिकारियों/कर्मचारियों में राजभाषा हिंदी के प्रति अभिरुचि जागृत करने तथा उन्हें प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पखवाड़े के दौरान दिनांक 8-9-2009 को ''श्रुतलेखन'', दिनांक 9-9-2009 को ''अनुवाद'', दिनांक 10-9-2009 को ''आकाशवाणी पर एक मिनिट के लिए हिंदी में बात करें'' एवं ''वाक्'', दिनांक 11-9-2009 को ''प्रश्नमंच'', दिनांक 14-9-2009 को ''सामान्य जानकारी'' और दिनांक 16-9-2009 को ''अंताक्षरी'' प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । केंद्र पर कार्यरत ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए दिनांक 15-9-2009 को अलग से दो प्रतियोगिताएं ''श्रुतलेखन'' और ''वाचन'' आयोजित की गयी । इन प्रतियोगिताओं में कुल मिला कर 92 अधिकारियों/कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया ।

दिनांक 18-9-2009 को सायं 3.30 बजे हिंदी पखवाड़ा का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ । श्री पी. राजा राव, केन्द्र निदेशक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की । सर्वप्रथम श्रीमती यू. गायत्री देवी, हिंदी अधिकारी ने समारोह में उपस्थित सभी अधिकारियों/कर्मचारियों का स्वागत करते हुए पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों/प्रतियोगिताओं की जानकारी दी । तदुपरांत हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भारत के गृह मंत्री श्री चिदम्बरम एवं प्रसार भारती, आकाशवाणी महानिदेशालय के महानिदेशक सुश्री नोरीन नक्वी द्वारा जारी अपीलों को प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त श्रीमती के. हेमलता, प्र. श्रे. लि. एवं श्री एम. वी. प्रसाद, अ. श्रे. लि. ने अधिकारियों/कर्मचारियों के सम्मुख पढ़ कर सुनाया । श्री पी. राजा राव, केंद्र निदेशक ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा ''केवल हिंदी पखवाड़ा मनाने से काम नही चलेगा बल्कि कार्यालय के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को यह समझना चाहिए कि हिंदी में काम करना हमारा संवैधानिक कर्तव्य है और इसका पालन करना चाहिए । हमें अपने दिन-प्रतिदिन के सरकारी कामकाज में सरल हिंदी का प्रयोग करना चाहिए । मैं चाहूँगा के भविष्य में सभी वर्गों के और अधिक अधिकारी और कर्मचारी प्रतियोगिताओं में भाग लेंगे । हम सबको मिल कर कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु भरसक प्रयास करना चाहिए ।'' इसके बाद उन्होंने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई देते हुए प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार तथा हिंदी शिक्षण योजना द्वारा आयोजित ''प्राज्ञ गहण और टंकण प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों'' में उत्तीर्ण कर्मचारियों को प्रमाण पत्र वितरित किए । इस अवसर पर श्री एस. एस. रेड्डी, अधीक्षण अभियंता ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए हरेक अधिकारी/कर्मचारी को प्रयास करना चाहिए ।

दक्षिण पश्चिम रेलवे प्रधान कार्यालय हिंदी अनुभाग केश्वापुर, हुबली

दिनांक 7-9-2009 से दिनांक 14-9-2009 तक श्री कुलदीप चतुर्वेदी अध्यक्ष/महाप्रबंधक, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली को अध्यक्षता में प्रधान कार्यालय, हुबली में हिंदी सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया । दिनांक 7-9-2009 से दिनांक 14-9-2009 तक अनेकों कार्यक्रम जैसे-हिंदी टिप्पण व प्रारूप लेखन, हिंदी वाक्, हिंदी निबंध, ''मानसून के पूर्वोपाय'' विषय पर हिंदी तकनीकी संगोष्ठीं, संपर्क अभियान, सुलेख प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान एवं राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता इत्यादि आयोजित की गई । इन प्रतियोगिताओं में अधिकारियों/कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया ।

दिनांक 14-9-2009 को आयोजित राजभाषा सप्ताह के समाप्रन समारोह को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक ने कहा कि पूरे राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को एक सूत्र में पिरोने वाली इस भाषा को भारतीय रेल और अधिक व्यापकता एवं समृद्धता प्रदान करती है । इस राष्ट्र की संस्कृति एवं सभ्यता भारतीय रेल और हिंदी के माध्यम से और सशक्त एवं समृद्ध बन जाती है । यह हिंदी और रेल ही तो है जो

एक दूसरे को संपर्क-सूत्र में बांधने का काम करती है । उन्होंने हिंदी भाषा को एक वैज्ञानिक एवं सशक्त भाषा बताया और इस नई सदी के व्यावहारिक पक्ष पर सोचने का सुझाव दिया। उन्होंने चिंता जताई कि आज के भूमंडलीकरण के परिवेश में विश्व के अधिकांश राष्ट्र भारतीय बाज़ार की प्रगति को देखते हुए, हिंदी सीखने को बाध्य हैं लेकिन बिडंबना की बात तो यह है कि हम भारतीय हिंदी के प्रयोग से परहेज कर रहें है और अंग्रेजी के अंधानुकरण को तरजीह दे रहे हैं ।

तदोपरांत कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य राजभाषा एवं मुख्य कार्मिक अधिकारी, श्री एन. स्वामीनाथन ने कहा कि कोई भी देश और समाज अपनी भाषा के माध्यम से ही प्रगति कर सकता है । इतिहास साक्षी है कि प्रत्येक देश अपने देश की राजभाषा का चयन करता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने हिंदी भाषा को इस देश की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की और इसी के परिणाम स्वरूप हिंदी सरकारी काम-काज की भाषा बन गई ।

श्री वी. के. वानखेडें, वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, प्रधान कार्यालय, हुबली ने दक्षिण पश्चिम रेलवे पर हो रहे राजभाषा कार्यान्वयन की प्रगति-रिपोर्ट प्रस्तुत किया तथा महाप्रबंधक को आश्वासन दिया कि रेलवे बोर्ड तथा गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम सतत् प्रयत्नशील रहेंगे । कार्यक्रम के अंत में महाप्रबंधक के कर-कमलों से विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों एवं हिंदी में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया । श्री सचिन जैन, राजभाषा अधिकारी ने धन्यवाद ज्ञापन किया ।

दक्षिण मध्य रेलवे मुख्यालय, प्रधान कार्यालय, सिकंदराबाद

दिनांक 10-9-2009 से दिनांक 16-9-2009 तक राजभाषा सप्ताह मनाया गया । इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । राजभाषा सप्ताह का मुख्य समारोह 'हिंदी दिवस' के अवसर पर दिनांक 14-9-2009 को भव्य रूप से मनाया गया । इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री प्रदीप कुमार, प्रमुख मुख्य इंजीनियर, दक्षिण मध्य रेलवे उपस्थित थे और समारोह की अध्यक्षता श्री ए. के. मित्तल, मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं भंडार नियंत्रक ने की । इस अवसर पर वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, प्रधान कार्यालय श्रीमती मंगला अभ्यंकर ने माननीय रेल मंत्री सुश्री ममता बैनर्जी के 'हिंदी दिवस संदेश' का पठन किया । इसके बाद मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष महोदय द्वारा राजभाषा संगठन की गृह पत्रिका 'रेल सुधा' का विमोचन किया गया, जिसमें छपी रचनाओं से रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों की लेखन प्रतिभा उजागर होती है । तत्पश्चात् वर्ष के दौरान, हिंदी में सराहनीय काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को महाप्रबंधक योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया गया । इसके बाद विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए ।

श्री प्रदीप कुमार ने आशा व्यक्त की कि इन कार्यक्रमों से प्रेरित होकर हमारे अधिकारी व कर्मचारी अपना अधिकाधिक काम हिंदी में करेंगे । समारोह के अध्यक्ष मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री ए. के. मित्तल ने अपने संबोधन में सप्ताह के दौरान आयोजित हिंदी प्रश्न-मंच, सांकृतिक कार्यक्रम, नाटक-मंचन आदि की सराहना करते हुए कलाकारों को बधाई दी । उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों से अपील की कि वे अपने सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें ।

मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय, चेन्नई टेलीफोन राजभाषा अनुभाग,10, मिल्लर्स रोड, चेन्नई -600010

चेन्नई टेलीफोन के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों व उनके बच्चों ने हिंदी पखवाड़ा बड़े धूम-धाम से मनाया । इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । शब्द शक्ति, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आलेखन व टिप्पण, शब्द रचना, गायन प्रश्नोत्तरी तथा पाठ -पठन आदि प्रतियोगिताओं में अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भाग लिया । कविता पठन, अनुलेखन, कहानी पठन, श्रुतलेखन, शब्द रचना व प्रश्नोत्तरी में बच्चों ने भाग लिया । समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. श्रीमती जानकी अनंत कृष्णन्, महाप्रबंधक, डाक लेखा व वित्त, तमिलनाडु परिमंडल तथा समारोह की अध्यक्षा श्रीमती बी. मीनलोचनी, महाप्रबंधक (प्रचालन) ने विजेताओं को पुरस्कृत किया ।

राजभाषा अनुभाग की वर्ष 2008-2009 की वार्षिक रिपोर्ट श्रीमती जया सूर्या चेल्लम, राजभाषा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई। तदुपरांत श्रीमती के.टी. अमृतवल्ली, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने हिंदी दिवस के अवसर पर माननीय गृह मंत्री, श्री पी. चिदंबरम के संदेश का पठन किया। श्रीमती वी. मीनलोचनी, महाप्रबंधक (प्रचालन) ने अपने अध्यक्षीय भाषण में अबाध गति से प्रवाहित हिंदी पखवाड़े की धारा की सराहना की।

समारोह के मुख्य अतिथि डॉ. श्रीमती जानकी अनंतकृष्णन, महाप्रबंधक, डाक लेखा व वित्त तमिलनाडु परिमंडल ने आग्रह किया कि हरेक व्यक्ति स्वेच्छा से हिंदी को सीखने का संकल्प लें जिससे हिंदी न केवल जन-साधारण की भाषा बने बल्कि कार्यालयीन कामकाज में उसका निर्विघ्न प्रयोग हो। रोज एक हिंदी शब्द सीखते-सीखते, शब्द भण्डार अनायास ही भरेगा। हिंदी में साहित्यिक कृतियों के अतिरिक्त तकनीकी रचना भी संभव होगी। मंच पर श्रीमती सुजाता वेंकटेश्वरन, महाप्रबंधक (वित्त) एवं श्री जी. आदम, उप महाप्रबंधक (प्रशासन) व मुख्य राजभाषा अधिकारी भी उपस्थित थे।

इस मौके पर चेन्नई वाणी के 13वें अंक का स्वास्थ्य विशेषांक के तौर पर विमोचन, श्रीमती वी. मीनलोचनी, महाप्रबंधक (प्रचालन) द्वारा किया गया। प्रथम प्रति को डॉ. श्रीमती जानकी अनंतकृष्णन ने ग्रहण किया। राजभाषा नीति के अत्युत्तम कार्यान्वयन का शील्ड, ईबी-II अंचल को दिया गया, जिसके महाप्रबंधक श्री जे. कृष्णमराजू हैं।

श्रीमती वी. मीनलोचनी, महाप्रबंधक (प्रचालन) ने शील्ड व वरिष्ठ अधिकारियों की प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। डॉ. श्रीमती जानकी अनंतकृष्णन, मुख्य अतिथि ने बच्चों के लिए पुरस्कार वितरित किए। श्रीमती सुजाता वेंकटेश्वरन, महाप्रबंधक (वित्त) ने चेंगलपट्टु प्रभाग के कर्मचारियों व अधिकारियों को पुरस्कार वितरित किए। श्री जी. आदम, उप महाप्रबंधक(प्रशासन) व मुख्य राजभाषा अधिकारी ने कर्मचारियों की प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। श्री एस. आर. चंद्रशेखरन, सहायक महाप्रबंधक (प्रशासन) व श्रीमती जया सूर्या चूल्लम, राजभाषा अधिकारी ने शब्द-रचना प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार वितिरित किए।

श्रीमती के. मृदुला, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक द्वारा धन्यवादार्पण प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण समारोह का संचालन श्रीमती मीरा श्रीनिवासन, वरिष्ठ हिंदी अनुवादक ने किया। समारोह राष्ट्रगीत से संपन्न हुआ।

इस तरीके से राजभाषा हिंदी का सफल कार्यान्वयन अनेकानेक आयामों से किया गया।

आकाशवाणी-गान्तोक

इस हिंदी पखवाड़े का आयोजन हर वर्ष की भान्ति अति उत्साहपूर्वक किया गया। महानिदेशालय के आदेश अनुसार पखवाड़े का आरंभ 01-09-09 को उद्घाटन समारोह के साथ हुआ। इस अवसर पर केंद्र अभियन्ता एवम् कार्यालय प्रमुख श्री जीतेन कुमार राय ने उपस्थित अतिथिगण तथा कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत करते हुए राजभाषा हिंदी की महत्ता पर प्रकाश डाला। प्रतियोगियों को प्रोत्साहित करते उन्होंने स्वयं प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने की अपनी इच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर विशेष अतिथि स्वरूप हिंदी पत्रकार सुश्री नीता निराश तथा भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही हिंदी शिक्षण योजना के प्राध्यापक श्री दिनेश सिंह को आमंत्रित किया गया था। उन्हें ही निर्णायक मंडली का सदस्य बनाते प्रथम प्रतियोगिता "कविता पाठ" का भी शुभारंभ किया गया। सभी प्रतियोगियों ने अत्यन्त रोचक एवं सामयिक विषयों पर अपनी-अपनी कविता पढ़ी। तीन वर्गों में विभक्त, हिंदीतर हिंदी एवं "घ" वर्गों की प्रस्तुति अत्यन्त सराहनीय रही।

14-09-09 हिंदी दिवस के अवसर पर पखवाड़े का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। इस अवसर पर महानिदेशक आकाशवाणी सुश्री नौरीन नकवी की अपील पढ़ी गई, अपने अभिभाषण में केंद्र अभियन्ता तथा कार्यालय प्रमुख श्री जितेन कुमार राय ने सभी प्रतिभागियों को बधाई दी तथा इसी प्रकार हिंदी की सेवा करने का अनुग्रह किया। इस अवसर पर जिन प्रतिभागियों ने कुछ भी पुरस्कार नही प्राप्त किया उन्हें प्रोत्साहन पुरस्कार दिए गये।

महाप्रबंधक, दूरसंचार का कार्यालय, कारवार-581301

उत्तर कन्नड जिले में वर्ष 2009-2010 के लिए हिंदी पखवाड़ा दिनांक 1 सितंबर से 15 सितंबर, 2009 तक मनाया गया। इस दौरान जिले में कार्यरत सभी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग, जिसमें हिंदी में हस्ताक्षर करना, अपने स्तर के

टिप्पणी तथा प्रारूप लेखन आदि में हिंदी का प्रयोग करना सुनिश्चित किया गया । पखवाड़े के उपलक्ष्य में दिनांक 1-9-09 से 15-9-09 तक विभिन्न प्रकार के कुल 15 हिंदी प्रतियोगिताएं बी एस एन एल कर्मचारियों एवं बच्चों के लिए अयोजित की गई ।

पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागी कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान करने हेतु, दिनांक 17-09-2009 को महाप्रबंधक का कार्यालय कारवार के सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया । समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री के. टी. रे, क्षेत्रीय प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, कारवार सुशोभित रहें । श्री एस बी खरे, महाप्रबंधक दूरसंचार बी एस एन एल कारवार की अध्यक्षता में आयोजित इस समारोह में श्री एम जी हेगडे, उप महाप्रबंधक (वित्त), मंच पर उपस्थित रहे । मुख्य अतिथि ने राजभाषा हिंदी का बहुभाषी भारत में स्थान, हिंदी की पात्रता, हिंदी का इतिहास, अन्य दक्षिण भारतीय भाषा के साथ हिंदी भाषा का मिलन तथा योगदान एवं केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में हिंदी के प्रचार- प्रसार तथा प्रयोग में वृद्धि के बारे में विस्तृत रूप से बताया । अध्यक्ष ने अपने भाषण में समस्त कर्मचारियों को आह्वान किया कि, राजभाषा हिंदी का कार्यान्वयन, हमारा परम दायित्व है । हिंदी भाषा न केवल कार्यालयीन कामकाज में, बल्कि अपने विचारों, व्यवहार की तथा सूचनाओं को आम जनता तक पहुंचाने वाली एक ससक्त सरल संपर्क माध्यम भाषा के रूप में इस भाषा को हमें प्यार से आत्मसाथ कर लेना चाहिए । सभी अधिकारी/कर्मचारियों से अपील की कि सभी अपने-अपने स्तर पर दैनिक कार्यालयीन कामकाज में सरल एवं बोलचाल की भाषा हिंदी का प्रयोग करना चाहिए ।

आकाशवाणी : कडपा (आं.प्र)

केंद्र में उन्नीसवां हिंदी पखवाडा 14 सितंबर से 30 सितंबर तक आकाशवाणी के प्रांगण में बडी उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया । इस समारोह के उपलक्ष्य में 14 सितम्बर 2009 को उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया था । इस पखवाडा के दौरान निम्न लिखित मुद्दें ध्यान में रखने के लिये एक परिपत्र भी जारी किया गया ।

1. उपस्थित रजिस्टर में हिंदी में हस्ताक्षर करना ।
2. अपने फाइलों में ज्यादा से ज्यादा टिप्पणी हिंदी में लिखना ।
3. पत्राचार भी ज्याद भेजना ।
4. हिंदी भाषा की विकास और वातावरण बनाने के लिए हिंदी में बात-चीत करना ।
5. हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारियों ने मूल कार्य हिंदी में ही करना ।

हिंदी पखवाड़ा के समापन समारोह 30 सितंबर 2009 को आकाशवाणी के प्रांगण में श्री टी.एस. गौरी शंकर के प्रार्थना गीत से सभा आरंभ हुआ । श्री पी. एम. हुस्सेन ने समारोह में पधारे सभी सदस्यों का स्वागत किया । बाद में हिंदी अनुवादक ने हिंदी एकक की ओर से हिंदी प्रगामी प्रयोग से संबंधित प्रगति रिर्पोट समर्पित की ।

समारोह की अध्यक्षता श्री बी.वी. रमण राव ने किया था । उन्होंने अपने भाषण में यह बताया कि भारत देश में अनेक प्रांत हैं और अनेक भाषाएं भी बोली जाती है । हिंदी एक सरल भाषा है, ज्यादातर भारतवासी इस भाषा को आसानी से समझ सकते हैं । इसीलिए हमारे संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की । देश की एकता और अखंडता को रखने की चेष्टा सिर्फ एक राजभाषा कर सकती है । सभा में उपस्थित सभी सदस्यों से यह निवेदन किया कि कार्यालय के काम को हर दिन कुछ न कुछ हिंदी राजभाषा में करें और केंद्र सरकार की नीति का पालन सुचारू रूप से कार्यान्वित करें ।

परमाणु ऊर्जा विभाग, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, ई सी आई एल, हैदराबाद

इस वर्ष नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद में दिनांक 01 सितंबर से 15 सितम्बर, 2009 के दौरान हिंदी-पखवाड़ा का आयोजन किया गया । इसके अंतर्गत अधिकारियों और कर्मचारियों हेतु विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई :

प्रतियोगिताओं में 147 अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया और 45 को पुरस्कार प्राप्त हुआ । हिंदी दिवस 15 सितंबर, 2009 को मनाया गया ।

प्रारंभ में श्री प्रणव कुमार बनर्जी, महाप्रबंधक (सीईडी एवं यू) एवं अध्यक्ष, राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि- हिंदी सम्पर्क की भाषा है, इस रूप में इसने दिलों की जोड़ने का काम किया है । उन्होंने आगे कहा कि-भाषा का विशेष महत्व होता है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मुझे पऊवि की सुदूर स्थित इकाई इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कल्पाक्कम में आयोजित संगोष्ठी में

देखने को मिला, जहाँ तमिल बोली जाती है फिर भी जिस उत्साह से प्रतिभागियों ने संगोष्ठी में भाग लिया वह प्रशंसनीय है। सम्मिश्र के मुख्य कार्यपालक श्री आर.एन. जयराज ने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि – हिंदी के प्रयोग में हमारा संकोच ही सबसे बड़ी बाधा है, इस संदर्भ में आपने उस संगोष्ठी का जिक्र किया जिसमें केवल रूसी प्रतिभागी ने अपना पेपर रशियन भाषा में प्रस्तुत किया था, अत: उन्होंने कहा कि-उनके समान, हमें भी अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए और अपना रोजमर्रा का कार्य अधिकाधिक हिंदी में करना चाहिए। आपने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी प्रदान किए। श्री सैयद इरफान अली, कनि. हिंदी अनुवादक ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम का संचालन श्री गजानन पाण्डेय, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने किया।

विजया बैंक क्षेत्रीय कार्यालय एपीएमसी गेस्ट हाऊस के सामने सागर रोड शिमोगा

दिनांक 14-09-2009 को क्षेत्रीय कार्यालय, शिमोगा द्वारा होटल मथुरा पैरडेस में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया था।

समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में प्रो. ए वी पद्मनाभ, हिंदी विभागाध्यक्ष, डी वी एस कला व विज्ञान महा विद्यालय, शिमोगा भारत के अलावा अन्य देशों में भी हमारी राष्ट्रभाषा व राजभाषा हिंदी की प्रमुखता बढ़ रही है और राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल रहा है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमें दिलचस्पी और स्वइच्छा से हिंदी भाषा को सीखने से भाषा का विकास होगा और आजकल भाषा सीखने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं व माध्यम भी उपलब्ध हैं।

सहायक महाप्रबंधक, श्री उदय कुमार जी ने सबको संबोधित करते हुए क्षे.का. द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन हेतु उठाए गए कदम के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हिंदी कार्यान्वयन के प्रगति -पथ पर निरंतर प्रयास करने की वजह से हमारा बैंक पुरस्कार लेता आ रहा है। हमें इस भाषा को और भी लोकप्रिय बनाने में सक्रिय भाग लेना है।

हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। मनोरंजन कार्यक्रम के बाद श्री अजित कुमार शेट्टी, वरिष्ठ प्रबंधक ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

विजया बैंक क्षेत्रीय कार्यालय, विजया टावर्स, एल एच एच, मंगलूर

क्षेत्रीय कार्यालय, मंगलूर के सभागृह में 14 सितंबर, 2009 को हिंदी दिवस मनाया गया। समारोह का शुभारंभ श्रीमती सुधा एन नायक एवं साथियों के ईश्वर वंदना से हुआ श्रीमती लक्ष्मी एन कुमारन, उप महा प्रबंधक, एम आर पी एल समारोह में मुख्य अतिथि रहे।

वरिष्ठ प्रबंधक श्री पार्थसारथी ने सभा का स्वागत किया। मुख्य अतिथि ने द्वीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि ने अपने वक्तव्य में बताया कि यद्यपि हमारे भारत में विभिन्न भाषाएं है हिंदी संपर्क भाषा का कार्य निभा रही है साथ ही हमारी राजभाषा ही है। भारत के पुराणों आदि में जो तत्व छिपा हुआ है हम उसे समझे नहीं। पर जब वह विदेशों से शास्त्रीय तत्व बनकर आते हैं तब हम उसकी महता की पहचान कर लेते हैं। हमें उसे पहचानने की शक्ति अपनानी है साथ ही हमारे देश के लिए एक पहचान बनाने में भाषा सहायक होती हैं।

मुख्य प्रबंधक श्रीमती रूपा बोंट्रा अपनी अध्यक्षीय भाषण में बताया कि जिस पर हिंदी दिवस प्रतियोगिता में भाग लेते हैं वही जोश के साथ दैनंदिन कार्य में भी हिंदी का प्रयोग जारी रखें।

प्रबंधक राजभाषा श्रीमती एस माया ने हिंदी दिवस के सिलसिले में वित्त मंत्री एवं गृह मंत्री के संदेश सभा में प्रस्तुत की तथा वर्ष 2008-09 के राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों का रिपोर्ट भी सभा में रखी। समारोह पर हिंदी दिवस के सिलसिले में आयोजित 5 विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किये। स्टाफ सदस्यों का रंगारंग कार्यक्रम भी रहा। क्षे. का. के. प्रबंधक श्रीमती वीणा जी ने कार्यक्रम का तथा श्रीमती सुचेत वै शेट्टी ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन किया। श्री चन्द्रशेखर बी वै, मुख्य प्रबंधक, संस्थापक शाखा ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

क्षेत्रीय कार्यालय, (ओड़िशा), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, एच आई जी -3 गंगाधर मेहर नगर, जयदेव विहार, भुवनेश्वर -13

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के भुवनेश्वर स्थित सभी कार्यालयों में दिनांक 01-09-2009 से 14-09-2009 तक राजभाषा पखवाड़ा तथा दिनांक 14-09-2009 को क्षेत्रीय कार्यालय में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया

गया । राजभाषा शाखा द्वारा दिनांक 24-08-2009 को जारी परिपत्र के जरिए सभी शाखा कार्यालयों एवं क्षेत्रीय कार्यालय की सभी शाखाओं में अधिकाधिक काम हिंदी में करने तथा हिंदी प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अनुरोध किया गया । उक्त अवधि के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों से व्यक्तिगत संपर्क के फलस्वरूप क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ-साथ शाखा कार्यालय के कर्मचारियों ने भी प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़ कर भाग लिया ।

14 सितंबर, 2009 को क्षेत्रीय कार्यालय, भुवनेश्वर में सादगीपूर्ण एवं उत्साहजनक ढंग से श्री टी. एन. नायक, क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी) की अध्यक्षता में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने मुख्यालय से प्राप्त महानिदेशक महोदय की अपील को पढ़कर सुनाते हुए अपील में व्यक्त विचारों का सम्मान कर उनका अनुपालन करने का सभी अधिकारियों /कर्मचारियों से अनुरोध किया । इसके पश्चात् श्री जे. प्रसाद, सहायक निदेशक (राजभाषा) ने हिंदी दिवस मनाए जानें का उद्देश्य एवं महत्व पर प्रकाश डाला । उन्होंने कहा कि इस समय 50 करोड़ से भी अधिक लोग हिंदी बोलते हैं । हिंदी भाषा इतनी विकसित और समृद्ध है कि विश्व के कोने-कोने से विद्यार्थी हमारी भाषा और संस्कृति को जानने के लिए हमारे देश में आ रहे हैं, फिर भी हम लोग अंग्रेजी के मोह में फंसे हुए हैं । हिंदी को अंग्रजी से कमजोर नही समझना चाहिए बल्कि हिंदी के प्रचार-प्रसार में सभी लोगों का योगदान होना चाहिए । दृढ़ संकल्प के द्वारा ही हम हिंदी को समृद्ध, व्यापक एवं लोकप्रिय बना सकते हैं ।

पुरस्कार वितरणं के बाद मुख्य अतिथि डॉ. पी.सी. महापात्र, राज्य चिकित्सा आयुक्त ने अपने भाषण में कहा कि हिंदी हमारी राजभाषा है । इसका सभी लोग सम्मान करें । हम लोगों को कुछ न कुछ हिंदी में कार्य करना चाहिए । अंत में माननीय महानिदेशक महोदय की अपील में व्यक्त विचारों को अनुपालन करने हेतु सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अनुरोध किया । श्री टी. एन. नायक, क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी) ने अपने अध्यक्षीय भाषण में हर्ष व्यक्त किया कि कार्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों ने पखवाड़े के दौरान आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़ कर भाग लिया । उन्होंने सभी विजयी प्रतिभागियों को उनकी सफलता के लिए बधाई दी और उतसाहवर्द्धन किया । हिंदी दिवस समारोह की सम्पूर्ण झांकी को स्मृति हेतु कैमरे में बंद किया गया ।

उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, 1897, पंचदीप कंप्लेक्स, त्रिची मार्ग, रामनाथ पुरम, कोयम्बत्तूर -641045

कार्यालय में 1 सितंबर से 15 सितंबर, 2009 तक की अवधि को हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया गया । इस संबंध में अधिक से अधिक लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर एक बैनर लगाया गया । साथ ही साथ सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए एक परिपत्र जारी किया गया जिसमें उनसे अनुरोध किया गया कि पखवाड़े की अवधि के दौरान वे अधिकाधिक कार्य हिंदी में करें ।

मुख्यालय के निर्देशानुसार चार हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । दिनांक 14 सितंबर, 2009 को हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया । इस वर्ष समारोह की मुख्य अतिथि शंकरा कॉलेज ऑफ आर्टस एण्ड साइंस की हिंदी व्याख्याता श्रीमती श्रीजयलक्ष्मी थी । मुख्य अतिथि का परिचय कराते हुए सहायक निदेशक (रा.भा.) ने बताया कि श्रीमती श्रीजयलक्ष्मी तीन-तीन विषयों में स्नातकोत्तर हैं । संप्रति वे हिंदी में एम. फिल भी कर रही हैं ।

श्री सूर्यप्रकाश, सहायक निदेशक (रा.भा.) ने मुख्य अतिथि सहित सभागार में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया । उन्होंने कहा कि भाषा बहुत संवेदनशील मुद्दा है । कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी देश के जिम्मेदार नागरिक हैं । उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे भाषा सहित किसी भी विषय पर संकीर्ण भावना न रखें । भाषा का इस्तेमाल एक जोड़ने वाले कारक के रूप में किया जाना चाहिए । आजादी की लड़ाई के दौरान उक्त भावना बहुत प्रबल थी इसी लिए माहत्मा गांधी ने बहुत पहले ही एक भारतीय भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की आवश्यकता महसूस की थी । आजादी से पहले कोई भी भारतीय भाषा ब्रिटिश सरकार के प्रशासन कार्य हेतु प्राधिकृत नही थी । इस दृष्टि से 14 सितंबर का दिन बहुत बड़े परिवर्तन का दिन है ।

अपने संबोधन के दौरान श्रीमती श्रीजयलक्ष्मी ने कहा कि यदि दक्षिण भारत के लोग हिंदी भाषा को नहीं अपना सके तो वे देश की मुख्य धारा से कट जाएंगे । उन्होंने यह भी सलाह दी कि राजनीतिज्ञों के वक्तव्य पर अमल करने की भूल नही करनी चाहिए क्योंकि वे स्वार्थ से प्रेरित होते हैं ।

श्रीमती पूर्णिमा नारायण, हिंदी अनुवादक ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

समारोह की अध्यक्षता श्री आर. मोहन कुमार, प्रभारी संयुक्त निदेशक ने की । उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यदि राजभाषा के तौर पर हिंदी को न लें तो भी एक अतिरिक्त भाषा सीखना हमेशा लाभदायक है । उन्होंने स्वयं के बारे में कहा कि व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण वे इस भाषा में कुशल नहीं हो सके हैं इसका उन्हें मलाल है ।

श्री यू. राजेन्द्रन, सहायक निदेशक एवं अधिकारी एसोसिएशन के महासचिव ने कहा कि सबके लिए अपनी मातृभाषा बहुत प्रिय होती है । अत: रोजमर्रा के काम में मातृभाषा का प्रयोग उपयुक्त है । परंतु कार्यालयी कार्य में सरकार के निर्देशों के अनुरूप हिंदी भाषा सीखना और उसका प्रयोग करना हमारा दायित्व है। उन्होंने स्वयं का उदाहरण देते हुए कहा कि अति व्यस्त होने के बावजूद भी उन्होंने प्राज्ञ पास कर ली है और हिंदी पत्रों/आदेशों पर हस्ताक्षर हिंदी में ही करते हैं ।

इस अवसर पर कर्मचारी राज्य बीमा निगम कर्मचारी संघ के संयुक्त सचिव श्री आर. पोय्यामोषि ने भी सभा को संबोधित किया और अपने विचार व्यक्त किए ।

समारोह के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार व प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए । जिन कर्मचारियों ने गत वर्ष प्राज्ञ परीक्षा पास की थी उनके प्रमाण-पत्र प्रतीक चिह्न के साथ दिए गए । समारोह की समाप्ति से पूर्व श्रीमती जी मेरी सेल्वमणी ने एक हिंदी गीत गाकर सबका मनोरंजन किया ।

सहायक निदेशक (रा.भा) ने मुख्य अतिथि सहित मंच पर आसीन सभी गणमान्य व्यक्तियों और सभागार में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित किया ।

हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लि. 75 सी, पार्क स्ट्रीट कोलकाता-700016

1 सितंबर, 2009 को हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन लि., कोलकाता के साल्टलेक स्थित मानव संसाधन विकास सभागार में राजभाषा माह उद्घाटन के अवसर पर कोलकाता महानगर हिंदी सम्मेलन का आयोजन निगम के अध्यक्ष सह-प्रबन्ध निदेशक श्री रजी फिलिप की अध्यक्षता में किया गया ।

समारोह के मुख्य अतिथि सुविख्यात साहित्यकार एवं भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता के निदेशक डॉ. विजय बहादुर सिंह ने दीप प्रज्ज्वलित कर समारोह का उद्घाटन किया । अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने कहा कि हिंदी एक सर्वग्राह्य एवं विकासशील भाषा है, जो सभी भाषाओं के शब्दों को समाहित करने की क्षमता रखती है । हिंदी के विकास से सारी भारतीय भाषाओं की ताकत बढ़ेगी तथा राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ होगी । हिंदी हमारी चेतना एवं कल्पना की भाषा होनी चाहिए ।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री रजी फिलिप ने कहा कि हमें अतिविशुद्धता एवं अतिउत्साहीपन से बचना चाहिये तथा हिन्दी के सरल, ललित, मिली-जुली व ग्राह्य रूप का प्रयोग करना चाहिए । आगे उन्होंने कहा कि भाषा मनोभाव-प्रवर्तन का मुख्य साधन है तथा हिंदी सभी अवरोधों को दूर कर एकता कायम करती है । अब हिंदी के प्रति प्रेम व सद्भावना बढ़ी है ।

मध्याह्न भोजनोपरान्त सम्मेलन का दूसरा महत्वपूर्ण सत्र श्री राकेश कुमार, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व क्षेत्र), राजभाषा विभाग की अध्यक्षता में खुली चर्चा के सत्र के रूप में सम्पन्न हुआ, जिसमें उपस्थित कोलकाता महानगर के 76 हिंदी अधिकारियों, अनुवादकों एवं हिंदी प्रेमियों के राजभाषा कार्यान्वयन, अनुवाद तथा शिक्षण योजना से संबंधित असंख्य प्रश्नों के सटीक उत्तर राजभाषा विभाग के अधिकारियों ने देकर उनकी समस्याओं का समाधान किया । समाधान करने वाले अधिकारियों में श्री राकेश कुमार के साथ डॉ. राम विनोद सिंह, केंद्र प्रभारी, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो तथा श्री राम नारायण सरोज, उप निदेशक (पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना रहे । दिनभर चले इस कार्यक्रम की भूरि-भूरि प्रशंसा की गई और उपस्थितों ने अपनी संतुष्टि व्यक्त की । चर्चा सत्र का संचालन श्री रावेल सिंह खानूजा, वरिष्ठ प्रबंधक, यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस ने किया जबकि धन्यवाद ज्ञापन डॉ. प्रमथनाथ मिश्र, प्रबंधक (राजभाषा) ने किया ।

दूरदर्शन केंद्र गुवाहाटी

दूरदर्शन केंद्र गुवाहाटी, में हिंदी पखवाडे तथा 14 सितंबर, 2009 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया । कर्मचारियों में हिंदी के प्रति जागरूकता पैदा करने के प्रयोजन से पखवाडे के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । केंद्र के कर्मचारियों ने उत्साह पूर्वक प्रतियोगिताओं के अवसर पर श्री के. पि. उपाध्याय, प्राध्यापक, हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वोत्तर ने कहा कि कर्मचारियों के उत्साह को देखते हूए लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं है जिस उद्देश्य की संविधान में अपेक्षा की गई है ।

दिनांक 14 सितंबर, 2009 को पखवाड़े के समापन समारोह का आयोजन किया गया। मालीगांव, गुवाहाटी हिंदी शिक्षण योजना के उप निदेशक श्री एस. एल. एस. पूर्ति और प्रध्यापक श्री के. पि. उपाध्याय को मुख्य अतिथि ने इस अवसर पर कंप्यूटरों पर हिंदी भाषा के कोडीकरण का मानक यूनीकोड सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को उपलब्ध करवाने के बारे में जानकारी दी। हिंदी ही भारत को एक सूत्र में बांधने की क्षमता रखती है इस अवसर पर प्रतियोगिताओं के सफल प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र वितरित किए गए।

समापन समारोह के अवसर पर चर्चा करते हुए दूरदर्शन केंद्र गुवाहाटी के निदेशक, श्री डी. एन. बसुमतारी ने कहा कि पूर्वोत्तर में हिंदी जानने और बोलने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है कर्मचारियों में हिंदी के प्रति इसी प्रकार उत्साह बना रहना चाहिए।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग महालनोबिस भवन, 164, गोपाल लाल ठाकुर रोड, कोलकाता -700108

दिनांक 14 सितंबर, 2009 को हिंदी दिवस मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉ. राजीव मेहता, अपर महानिदेशक ने की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा कि 'हिंदी दिवस' हमारे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस जैसा ही अहम है। उन्होंने तकनीकी शब्दावली को समृद्ध करने पर जोर दिया, ताकि तकनीकी कामकाज को राजभाषा में करने में कोई दिक्कत न हो।

मुख्य अतिथि के आसन पर श्री कौशल किशोर त्रिवेदी, सम्पादकीय प्रभारी, 'प्रभात खबर' विराजमान थे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए कहा कि वे विभिन्न भाषा-भाषी थे पर उन्होंने हिंदी भाषा को अपनाया। हमारे स्वतंत्रता सेनानी सोचते थे कि हिंदी भाषा से भारतवासियों के बीच निकटता कायम होगी। श्री त्रिवेदी ने कहा कि हमें हिंदी को साथ लेकर चलना है। हिंदी के बगैर हमारी कोई पहचान नहीं है। इससे पहले श्री अजय कुमार वर्मा, निदेशक (प्रशासन) ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि लोगों में यह गलत भ्रांति है कि अंग्रेजी के बगैर कामकाज नहीं किया जा सकता। श्री जी.सी. मन्ना, उप महानिदेशक ने हिंदी दिवस पर जारी केंद्रीय गृह मंत्री श्री पी. चिदम्बरम के संदेश को उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच पढ़ कर सुनाया। श्री पी.एस. बोस, उप महानिदेशक ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि हमें हिंदी में काम करते हुए कठिन शब्दों का प्रयोग न करके, आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। श्री परितोष चन्द्र सरकार, उप महानिदेशक ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हिंदी पखवाड़े के दौरान आगे आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं में हम सब को भाग लेना चाहिए।

राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, पुणे

दिनांक 14 सितंबर, 2009 को 'हिंदी सप्ताह समारोह' का उद्घाटन डॉ. ए. सी. मिश्रा, निदेशक की अध्यक्षता तथा डॉ. (श्रीमती) शैलजा मांडके, हिंदी विभाग प्रमुख, गरवारे कॉलेज ऑफ आर्टस, पुणे के प्रमुख की उपस्थिती में हुआ।

उद्घाटन के बाद डॉ. ए. सी. मिश्रा, ने कहा कि हिंदी देश की एकता की एक ऐसी कड़ी है जिसे मजबूत करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। हर गांव में, हर कदम पर तरह-तरह की भाषा बोली जाती है। उसमें से हिंदी एक ऐसी भाषा है जो हर गांव में, हर शहर में बोली जाती है और जनता उसे सम्मान के साथ अपनाती है। भाषा के साथ भारतीय संस्कृति भी जोड़ी जाती है। संस्थान के सभी वैज्ञानिकों तथा कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम हिंदी में करने का प्रयास करना चाहिए।

डॉ. मांडके ने "प्रयोजनमूलक हिंदी की विशेषताएं" विषय पर व्याख्यान दिया। अपने व्याख्यान में उन्होंने कहा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जो देश के कोने कोने में बोली जाती है। उन्होंने हिंदी के विविध रूपों का उल्लेख किया जैसे कि सृजनात्मक भाषा, संचारभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा संपर्कभाषा संविधानिक भाषा, प्रयोजनमूलक भाषा, मातृभाषा, विज्ञान की भाषा, माध्यम की भाषा तथा विश्वभाषा। राजभाषा का महत्व बताते हुए कहा कि हिंदी राजभाषा एक ऐसी भाषा है कि समूचे राष्ट्र को भावात्मक एकता में बांधने की शक्ति रखती है। यह भाषा अधिकांश जनसामान्य द्वारा प्रकट होनेवाली भाषा है। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग में लाई जाने वाली भाषा है। हिंदी अनुवाद का महत्व बताते हुए कहां कि हिंदी को व्यापक रूप से समझने का प्रयास करें और जब कभी हिंदी शब्दों का उपयोग कामकाज में मुश्किल लगे तब भी अंग्रेजी शब्दों का उपयोग कम से कम करें और इसके साथ हिंदी क्रियापदों का सहारा ले सकते हैं तथा संदर्भ के अनुसार पर्यायी शब्दों का प्रयोग या अनुवाद करना चाहिए। अंग्रेजी के स्थान पर हिंदी का उपयोग बढ़ाने के लिए पारिभाषिक शब्दावलियां, हिंदी से संबंधित कर्मचारी, आदी के संबंधी उन्होंने जानकारी दी।

उन्होंने आगे कहा कि हिंदी ऐसी भाषा है जो बोलने, समझने में सीधी और सरल है । इसलिए इस भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए ।

18 सितंबर, 2009 हिंदी सप्ताह समारोह के लिए डॉ. (श्रीमती) शुभदा मोघे, हिंदी विभाग प्रमुख, सेंट मिराज् कॉलेज, पुणे को आमंत्रित किया गया था । उन्होंने अपने भाषण में कहा कि हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक गावों से लेकर महानगरों तक राजभाषा हिंदी सभी जनता जानते हैं । आगे कहा कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान अनुसंधान के बारे में काफी परिचित है । वर्तमान स्थिति में इस संस्थान में स्वाईन फ्लू की बीमारी पर अनुसंधान चल रहा है । यह एक ऐसी संस्था है ज़ोकि सभी तरफ से स्वाईन फ्लू के सैंपल टेस्ट करने के लिए यहां आते हैं । बड़े गर्व की बात है कि यह संस्था अनुसंधान के काम में जुटी है फिर भी यहां पर समय निकालकर हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया है । सप्ताह के दौरान कर्मचारियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया था । भारतीय भाषा में हिंदी का बहुत महत्व है क्योंकि यह भारत के हर प्रांत को जोड़ने वाली भाषा है । उनके करकमलों द्वारा हिंदी सप्ताह के दौरान लिए गए प्रतियोगिताओं के लिए प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को नकद पुरस्कार की राशि तथा प्रमाणपत्र प्रदान किए गए ।

आकाशवाणी पणजी (गोवा)

14 सितंबर हिंदी दिवस के परिप्रेक्ष्य में आकाशवाणी पणजी में सितंबर के पहले पखवाड़े को हिंदी पखवाड़े के रूप में मनाया गया । 1 सितंबर 09 को हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन करते हुए केंद्र निदेशक श्री बी. डी. मजुमदार ने कहा कि हम भारतीय संविधान की भावना के अनुरूप भारतीय भाषाओं से शब्द ग्रहण कर हिंदी को समृद्ध करें जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके । आकाशवाणी पणजी से जहां कोंकणी, मराठी, हिंदी भाषाओं में उत्कृष्ट प्रसारण होता है वही भारत सरकार की राजभाषा हिंदी का उत्तम क्रियान्वयन होता है जिसके लिए लगातार पिछले दो वर्षों में आकाशवाणी पणजी को ''ग'' क्षेत्र हेतु आकाशवाणी वार्षिक राजभाषा पुरस्कार (प्रथम पुरस्कार) प्राप्त हुआ है । श्री मजुमदार ने विश्वास व्यक्त किया कि आकाशवाणी पणजी में हिंदी को उत्कृष्ट प्रयोग संसदीय राजभाषा सतिति के मार्गदर्शन के अनुरूप होता रहेगा । आकाशवाणी पणजी हिंदी पखवाड़े के उद्घाटन के अवसर पर त्रिदिवसीय हिंदी कार्यशाला आयोजित की गई । हिंदी कार्यशाला में व्याख्यान का विषय था 'भारत की सामासिक संस्कृति और हिंदी' । सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी विभाग की व्याख्याता श्रीमती मैग्डॉलिन डिसूज़ा को व्याख्यान हेतु मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था । पुष्प गुच्छ से मुख्य अतिथि का स्वागत श्री अशोक गवस ने किया । हिंदी पखवाड़े के उद्घाटन समारोह का संचालन श्री खगेश्वर प्रसाद यादव हिंदी अधिकारी ने किया । उन्होंने हिंदी पखवाड़े की भूमिका पर प्रकाश डाला । भारत की सामासिक संस्कृति और हिंदी विषय पर प्रस्तावना में उन्होंने कहा कि हिंदी का अर्थ है भारतीय । समारोह को श्री प्रदीप लोटलीकर, श्री व्यंकटेश म्हार्दोलकर, श्रीमती सुमेधा पडते आदि कार्यक्रम निष्पादकों तथा श्री कुबेर पी. बीडीकर प्रशासनिक अधिकारी ने संबोधित किया । भारत की सामासिक संस्कृति और हिंदी विषय पर अपने व्याख्यान में मुख्य अतिथि श्रीमती मैग्डॉलिन डिसूज़ा ने कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास के लिए निदेश है । इसके अन्तर्गत संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करें ताकि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी के और आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यत: संस्कृत से और गौणत: अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करे' ।

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, गोवा पचंदीप भवन, ई.डी.सी. प्लॉट नं. 23, पाटो, पणजी गोवा-403001

दिनांक 01 से 14 सितंबर, 2009 तक राजभाषा पखवाड़े का आयोजन किया गया । इस संबंध में पखवाड़ा प्रारम्भ होने एवं गणेश चतुर्थी के त्यौहार से पहले ही क्षेत्रीय कार्यालय की सभी शाखाओं एवं शाखा कार्यालयों को परिपत्र जारी करके सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पखवाड़े के दौरान अधिकाधिक काम हिंदी में निपटाने तथा पखवाड़े में आयोजित होने वाली प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का अनुरोध किया गया । राजभाषा पखवाड़े की सार्वजनिक सूचना के लिए कार्यालय के मुख्य द्वार पर बैनर लगाया गया ।

राजभाषा पखवाड़े क दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया :

प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

दिनांक 14-9-2000 को कार्यालय में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता क्षेत्रीय निदेशक श्री एस. एम. मोहिदीन जी ने की।

समारोह के दौरान हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 50% से अधिक कार्य हिंदी में करने के लिए 31 अधिकारियों/कर्मचारियों को मूल हिंदी टिप्पण आलेखन योजना के तहत 'ग' क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए निर्धारित 10,000 से अधिक हिंदी शब्द (वित्तीय वर्ष 2008-09 के दौरान) लिखने वाले 7 कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए गए। राजभाषा पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं-हिंदी निबंध लेखन, हिंदी टिप्पण/आलेखन, हिंदी वाक् प्रतियोगिता एवं हिंदी अन्ताक्षरी के विजेताओं को पुरस्कार, प्रमाण-पत्र एवं स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया जिससे कि कर्मचारियों का हिंदी प्रयोग के प्रति उत्साह बना रहे।'

दूरदर्शन केंद्रः नागपुर

दूरदर्शन केंद्र, नागपुर में दिनांक 1 से 14 सितंबर, 2009 तक हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। दिनांक 1-9-2009 को केंद्र अभियंता श्री अधीर गड़पाले ने दीप प्रज्वलित कर हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों से यह अपील की कि हिंदी के कार्यान्वयन के लिए प्रोत्साहित करने के अवसर ढूंढ़ने की बजाय इसे दिल से स्वीकार करें। श्रीमती प्रतिभा पांडे, सहायक केंद्र निदेशक तथा श्री सुधीर पाटणकर, सहायक केंद्र निदेशक ने भी इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों का मार्गदर्शन किया।

पखवाड़े के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हिंदी की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। दिनांक 14 सितम्बर का हिंदी दिवस समारोह मनाया गया जिसकी अध्यक्षता केंद्र अभियंता, श्री अधीर गड़पाले ने की। इस अवसर पर केन्द्र अभियंता महोदय ने माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में भेजे गए संदेश को पढ़कर सुनाया। हिंदी दिवस समारोह के पश्चात् सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें महाराष्ट्र शासन द्वारा नियुक्त तथा डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशिक्षण व विकास प्रबोधिनि, अमरावती में कार्यरत प्रशिक्षण समन्वयक श्री श्यामसुंदर मकरमपूरे को व्याख्याता के रूप में आमंत्रित किया गया। श्री श्यामसुंदर मकरमपूरे ने सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 पर सारगर्भित व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए उक्त विषय के संबंध में न केवल महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की बल्कि उपस्थितों की शंकाओं का निवारण भी किया। अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आयोजित इस कार्यशाला का लाभ दूरदर्शन केंद्र, नागपुर के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ प्रसार भारती के नागपुर स्थित अन्य कार्यालयों जैसे- आकाशवाणी, एस पी टी, सी सी डब्ल्यू, दूरदर्शन अनुरक्षण केंद्र इत्यादि के कर्मचारियों ने भी उठाया। कुल 52 अधिकारियों/कर्मचारियों को इस कार्यशाला में प्रशिक्षित किया गया।

कार्यशाला की समाप्ति के पश्चात् हिंदी पखवाड़ा समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया जिसमें मुख्य अतिथि श्री श्यामसुंदर मकरमपूरे, प्रशिक्षण समन्वयक, महाराष्ट्र शासन तथा केंद्र अभियंता श्री अधीर गड़पाले, एवं श्रीमती प्रतिभा पांडे, सहायक केंद्र निदेशक ने विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए। सभी कार्यक्रमों का संचालन श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा, हिंदी अनुवादक द्वारा किया गया तथा आभार प्रदर्शन क्रमशः श्री निरंजन पाठक, प्रस्तुति सहायक तथा श्री राजीव गायकवाड, कार्यक्रम निष्पादक ने किया।

सेमी-कडंक्टर लेबोरेटरी, अंतरिक्ष विभाग, सेक्टर-72, एस ए एस नगर- 160071 (पंजाब)

सेमी-कडंक्टर लेबोरेटरी में इस वर्ष हिंदी पखवाड़ा मनाने का सिलसिला 14 सितंबर, 2009 से आरम्भ हुआ। इस दौरान हिंदी सुलेख प्रतियोगिता – विशेषतः अन्य भाषा-भाषी लोगों के लिए, निबंध प्रतियोगिता एवं हिंदी व्यवहार प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 16-9-2009 को किया गया। तत्पश्चात् आशु-भाषण प्रतियोगिता एवं हिंदी प्रश्नोत्तरी (Quiz) प्रतियोगिता को आयोजन दिनांक 17-9-2009 को किया गया। इन सभी प्रतियोगिताओं में सेमी-कंडक्टर लेबोरेटरी के वैज्ञानिकों तथा कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर सोत्साह भाग लिया। इसके अतिरिक्त पूरे वित्तीय वर्ष में 'हिंदी में मूल रूप से कार्य करने पर लागू की गई प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 3 कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया और सेवा परिचर/समूह घ के लिए लागू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1 कर्मचारी को पुरस्कृत भी किया गया।

राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, नेहरू मार्ग, नागपुर-440020

संस्थान द्वारा दिनांक 1-14 सितंबर, 2009 तक 'हिंदी पखवाड़ा' का आयोजन किया गया, जिसके अन्तर्गत हिंदी के प्रचार -प्रसार एवं दैनिक कार्य में हिंदी के प्रयोग में

वृद्धि संबंधी प्रयास किए गए तथा हिंदी टिप्पण व आलेखन, हिंदी निबंध, पंचलाइन तथा प्रशासनिक शब्द प्रतियोगिता और कर्मचारियों एवं प्रशासनिक/तकनीकी/वैज्ञानिकों/आशुलिपिकों हेतु हिंदी कार्यशाला आदि का आयोजन भी किया गया ।

दिनांक 14 सितंबर, 2009 को हिंदी पखवाड़ा समापन समारोह का आयोजन किया गया । श्रीमती विनीता नरूला, प्राचार्य केंद्रीय विद्यालय, नागपुर मुख्य अतिथि ने अपने अभिभाषण में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तैयार किए गए धाराओं का उल्लेख करते हुए अंग्रेजी भाषाओं का सम्मान करते हुए हिंदी भाषा को भी आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया । मुख्य अतिथि के करकमलों द्वारा सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार की प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अधीन विशेष पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र प्रदान किया गया । वर्ष 2008-2009 में सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के लिए उत्कृष्ट योगदान हेतु सामान्य अनुभाग एवं बिल अनुभाग को संयुक्त रूप से संस्थान की महादेवी वर्मा चल वैजयंती प्रदान की गई ।

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास, प्रशासन भवन, शेवा, नवीं मुंबई -400707

जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास में हिंदी दिवस के अवसर पर दिनांक 1 सितंबर, 2009 से दिनांक 14 सितंबर, 2009 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया । इस पखवाड़े के दौरान हिंदी में टंकण, आशुलिपि, भाषा ज्ञान, शुद्ध लेखन, कविता वाचन, वर्ग पहेली, कहानी लेखन, कहानी कथन, निबंध लेखन, भाषण, अन्ताक्षरी एवं गीत गायन की कुल 14 प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं । हिंदी अन्ताक्षरी एवं गीत गायन प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों/अधिकारियों के परिवारजनों ने भी भाग लिया । पत्तन द्वारा संचालित विद्यालयों के छात्र/छात्राओं के लिए भी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया । विजेता रहे 57 कर्मचारियों व उनके परिवारजनों को 14 सितंबर, 2009 को आयोजित कार्यक्रम में पत्तन के पत्तन योजना एवं विकास विभाग के प्रभारी मुख्य प्रबंधक, श्री उपेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा पुरस्कृत किया गया जिनके विभाग/अनुभाग में राजभाषा कार्यान्वयन का प्रतिशत जनेप न्यास के औसत पत्राचार से अधिक था । समारोह की अध्यक्षता करते हुए प्रभारी मुख्य प्रबंधक (पयोवि), श्री शर्मा ने लगातार तीसरी वर्ष पत्तन को इंदिरा गाँधी राजभाषा पुरस्कार प्राप्त होने पर सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि पत्तन के कर्मचारी-अधिकारी जिस समर्पण भावना से हिंदी कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं वह सराहनीय है ।

क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, पंचदीप भवन, सेक्टर-19 ए, चण्डीगढ़

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यालय चण्डीगढ़ में 1 सितंबर से 14 सितंबर, 2009 तक राजभाषा पखवाड़े का आयोजन किया गया । इस संदर्भ में अगस्त, 2009 के अंतिम सप्ताह में जारी परिपत्र में अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक श्री जी.सी. जेना ने कार्मिकों से अपील की कि वे इस दौरान अपना अधिकाधिक काम हिंदी में ही निपटाएं ताकि निगम का पंजाब क्षेत्र हिंदी के प्रयोग की दृष्टि से निगम के अन्य कार्यालयों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण स्थापित कर सके । पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया जिसमें बड़ी संख्या में कार्मिकों ने भाग लिया । इसी उपलक्ष्य में महानिदेशक महोदय का संदेश भी परिचालित किया गया ।

14 सितंबर, 2009 को क्षेत्रीय कार्यालय के प्रांगण में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया । सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री टीकन लाल शर्मा ने सरकार की राजभाषा नीति और भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला । उन्होंने कहा हमें विश्व की प्रत्येक भाषा का सम्मान करना चाहिए । परंतु हिंदी तथा अपने देश की हर दृष्टि से सम्पन्न दूसरी भारतीय भाषाओं का महत्व सर्वोपरि है । अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक श्री जी. सी. जेना ने राजभाषा पखवाड़े एवं हिंदी दिवस समारोह के संदर्भ में प्राप्त महानिदेशक महोदय की अपील पढ़कर सुनाई । उन्होंने अपनी ओर से भी यह अपील की कि हम सबको अपना अधिकाधिक काम हिंदी में ही निपटाना चाहिए । तत्पश्चात् वरिष्ठ हिंदी अनुवादक श्रीमती स्वर्णजीत कौर ने कार्यालय में हिंदी के प्रयोग, प्रचार व प्रसार की विभिन्न गतिविधियों व अर्जित सफलताओं संबंधी विस्तृत रिपोर्ट पढ़ी । राजभाषा पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के पुरस्कार विजेताओं को भी नकद पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए ।

मुख्य अतिथि पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के रीडर श्री बैज नाथ प्रसाद ने अपने विद्वतापूर्ण संबोधन में हिंदी भाषा के महत्व, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं वैज्ञानिकता पर प्रकाश डाला । उन्होंने तकनीकी शब्दों के निर्माण की प्रक्रिया भी स्पष्ट की । श्री प्रसाद ने कहा कि हिंदी पर यह आरोप लगाना उचित नहीं है कि इसकी शब्दावली बहुत दुरुह तथा कठिन है । अंग्रेजी के विभिन्न तकनीकी शब्दों का उदाहरण देते हुए श्री प्रसाद ने यह स्पष्ट किया कि हिंदी ही नहीं प्रत्येक भाषा के तकनीकी शब्द आम बोलचाल के

शब्दों की उपेक्षा कहीं अधिक कठिन और दुरुह होते हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सरकारी कामकाज में आम बोलचाल के सरल सहज तथा प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

अपने अध्यक्षीय भाषण में अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक श्री जी. सी. जेना ने कहा कि निगम की अपनी लम्बी सेवा अवधि के दौरान वे अलग-अलग स्थानों पर विभिन्न पदों पर कार्य कर चुके हैं। वे उड़िया भाषी हैं तथापि विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न पदों के अनुभव के आधार पर वे यह कह सकते हैं कि मात्र हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो इस विशाल देश को एक सूत्र में पिरो सकती है। श्री जेना ने कहा कि अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी के अतिरिक्त किसी भी माध्यम से काम नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं का शब्द भण्डार अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं की तुलना में कहीं ज्यादा बड़ा है। हिंदी सहित सभी भारतीय भाषाओं मूल स्रोत संस्कृत है और संस्कृत में 1700 से 2000 तक धातुएं हैं जिनकी सहायता से असंख्य शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजकाज में हिंदी का प्रयोग हम सबका कानूनी व नैतिक दायित्व तो है ही पुनीत कर्त्तव्य भी है।

कार्यालय रक्षा लेखा, प्रधान नियंत्रक (प.क.) सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009

रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पश्चिमी कमान) चंडीगढ़ के कार्यालय में दिनांक 1-9-2009 से 15-9-2009 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए तीन प्रतियोगिताओं- हिंदी निबन्ध लेखन, हिंदी पत्र एवं टिप्पण लेखन और हिंदी कविता पाठ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कार्यालय के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य समारोह दिनांक 15-9-2009 को श्री नीरज कुमार गायगी, रक्षा लेखा संयुक्त नियंत्रक की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यालय में कार्यरत सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्रीमती इंदु लिबरहान, सचिव (रक्षा वित्त) की ओर से हिंदी दिवस पर भेजा गया संदेश श्री कृष्ण कांत सिंह, रक्षा लेखा उप नियंत्रक (प्रशासन) द्वारा पढ़कर सुनाया गया। इस संदेश में राजभाषा हिंदी का महत्व बताते हुए विचार व्यक्त किए गए कि लगनपूर्वक कार्य करते रहने से हम राजभाषा हिंदी में पूर्ण रूप से कार्य करने में सक्षम होंगे एवं अपने गंतव्य तक शीघ्र पहुंचने में सफल होंगे।

हिंदी दिवस के अवसर पर श्रीमती बुलबुल घोष, रक्षा लेखा महानियंत्रक की ओर से प्राप्त संदेश श्री दर्शन लाल, रक्षा लेखा सहायक नियंत्रक द्वारा पढ़ा गया। संदेश में माननीय महानियंत्रक महोदया ने विचार व्यक्त किए हैं कि हिंदी के विकास एवं समृद्धि के लिए पूरे मन से सरकारी काम हिंदी में करना हम सब की राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। हिंदी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है। इसलिए हमें अपना अधिकाधिक काम हिंदी में करना चाहिए।

हिंदी कविता मंच का संचालन श्री गंगादास बासिया, हिंदी अधिकारी ने किया। उन्होंने इस अवसर पर बताया कि हिंदी विश्व में दूसरी ऐसी भाषा है जिसे सबसे अधिक लोग बोलते हैं। इस प्रतियोगिता में प्रतियोगियों ने हिंदी संबंधी कविताएं तथा देश भक्ति के गीत प्रस्तुत किए। हिंदी पखवाड़े के दौरान कार्यालय में निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें विश्व में बढ़ते आतंकवाद को रोकने के उपाय, राजभाषा हिंदी के बढ़ते कदम एवं मंहगाई रोकने के उपाय आदि विषयों पर निबंध लिखे गए। हिंदी पत्र व कार्यालय टिप्पणी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया जिसमें कार्यालयीन विषयों में पत्र एवं कार्यालय टिप्पणी लिखी गई। उक्त सभी प्रतियोगिताओं में कार्यालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यालय में सितम्बर माह की पूरी अवधि में विशेष रूप से हिंदी में कार्य करने का प्रयास किया जाता है।

एनटीपीसी, दादरी

एनटीपीसी लि. के दादरी पावर प्रोजेक्ट में हिंदी दिवस समारोह भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। महाप्रबंधक (प्रोजेक्ट) श्री एस. के. पटनायक ने राजभाषा हिंदी के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। श्री पटनायक ने हिंदी को राष्ट्रीय एकता की कड़ी बताते हुए कहा कि हिंदी में काम करना हमारा संवैधानिक दायित्व है और अपनी भाषा के प्रयोग से आत्मविश्वास बढ़ता है। उन्होंने भारी संख्या में उपस्थित जनसमूह को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए शपथ दिलाई और 1 से 15 सितंबर, 2008 तक आयोजित हिंदी पखवाड़े की प्रतियोगिताओं के सफल विजेताओं को पुरस्कृत किया।

अपर महाप्रबंधक (मानव संसाधन) श्री ए. चिदंबरम ने राष्ट्र प्रेम की भावना से राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग को प्रोत्साहित करने पर बल दिया और स्टेशन में किए गए उल्लेखनीय हिंदी क्रियाकलापों पर प्रकाश डाला तथा उपस्थितों का स्वागत किया।

आकाशवाणी, इन्दौर

आकाशवाणी, इंदौर में प्रतिवर्ष हिंदी पखवाड़े का आयोजन राजभाषा विभाग और आकाशवाणी महानिदेशालय के निर्देशों के अनुपालन में किया जाता है। इस वर्ष हिंदी पखवाड़े का शुभारम्भ केंद्र के नवागन्तुक अधीक्षण अभियन्ता श्री सुधीर सोधिया ने माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि हम सब हिंदी भाषी हैं, भले की हमारी मातृभाषा मराठी, गुजराती या अन्य कोई भारतीय भाषा हो। हम वर्षों से हिंदी में बोलते, सोचते और लिखते आ रहे हैं। यहाँ तक कि हमें अंग्रेजी में लिखने के लिए भी पहले हिंदी में सोचना पड़ता है। अर्थात् हमारी मूल सोच अंग्रेजी नहीं है। श्री सोधिया ने आगे कहा कि हमारे मन में केवल एक हीन भावना रहती है और उसके कारण हम हिंदी में चाहकर भी काम करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए उन्होंने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों से अनुरोध किया कि वे न सिर्फ इस हिंदी पखवाड़े के दौरान, बल्कि वर्षभर अपना समस्त कामकाज हिंदी में ही किया करें। उन्होंने इस दौरान आयोजित होने वाली विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में भी सभी से बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की और इस हेतु अपनी शुभ कामनाएँ व्यक्त कीं।

इस पखवाड़े के दौरान कर्मचारियों को और अधिक प्रोत्साहन मिलने की दृष्टि से 1 से 4 सितंबर तक कुल 6 हिंदी प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। इनमें से चार प्रतियोगिताओं में हिंदीभाषी और हिंदीतर भाषी समूह बनाए गए। सर्वप्रथम 1 सितंबर को समूह 'घ' कर्मचारियों के लिए शब्द लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें 8 प्रतियोगियों ने भाग लिया।

समारोह में मुख्य अतिथि श्री संजय प्रसाद ने हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित 6 विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के 28 विजेता प्रतियोगियों को महानिदेशालय के निर्देशानुसार नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। विजेता प्रतियोगियों के अलावा प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले शेष 9 प्रतियोगियों को भी कार्यालय की ओर से प्रोत्साहन पुरस्कार वितरित किए गए।

अन्त में श्री राजीव श्रीवास्तव, हिंदी अधिकारी ने मुख्य अतिथि सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों, कलाकारों, प्रतिभागियों, मूल्यांकन अधिकारियों, पत्र सूचना कार्यालय तथा शेष सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया। हिंदी पखवाड़े की इन गतिविधियों का प्रेस एवं रेडियो के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार भी किया गया।

आकाशवाणी, इलाहाबाद

1 से 15 सितंबर, 2009 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। पखवाड़े के प्रारंभ में केंद्र अभियंता महोदय ने कर्मचारियों से पखवाड़े के दौरान समस्त सरकारी कार्य हिंदी में ही किए जाने की अपेक्षा व्यक्त किया अत: इसी उद्देश्य से उनकी ओर से कार्यालय में एक अपील जारी की गई। इसी दिन पूर्वाह्न में हिंदी टंकण प्रतियोगिता तथा अपराह्न में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

10 सितंबर, 2009 को एक दिवसीय हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय था राजभाषा अधिनियम एवं नियमों की जानकारी तथा देवनागरी हिंदी का मानकीकरण। इस विषय पर आयकर विभाग में कार्यरत सहायक निदेशक (राजभाषा) श्री प्रकाश चंद्र मिश्र ने रोचक एवं सारगर्भित व्याख्यान दिया। 14 सितंबर, 2009 को रेडियो पर एक परिचर्चा 'सरकारी कार्यालयों में हिंदी की स्थिति एवं संभावनाएं' का आयोजन किया।

14 सितंबर, 2009 को हिंदी दिवस एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। केंद्र अभियंता महोदय श्री प्रेम प्रकाश शुक्ल एवं कार्यक्रम प्रमुख महोदय श्री मंजुल किशोर वर्मा ने अपने कर कमलों से विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर केंद्र अभियंता महोदय ने अपने उद्बोधन में कहा कि यह केंद्र राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत एक अधिसूचित कार्यालय है। हमारे केंद्र के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपना अधिकांश कार्य हिंदी में ही करते हैं।

पश्चिम रेलवे, मुख्य कारखाना प्रबंधक, कार्यालय, दाहोद

लोको कैरिज एवं वैगन कारखाना दाहोद में हिंदी सप्ताह दिनांक 14-09-09 से 19-09-09 तक हर्षोल्लास से मनाया गया। इस आयोजन के अंतर्गत दिनांक 14-09-09 को मुख्य कारखाना प्रबंधक एवं अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने माननीय रेल मंत्री एवं महाप्रबंधक जी के हिंदी दिवस संदेश का वाचन किया।

इसके बाद अधिकारियों एंव कर्मचारियों को हिंदी कार्य के प्रति प्रोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे-हिंदी समाचार शीर्ष लेखन एवं हिंदी सूक्ति लेखन प्रतियोगिता, हिंदी वाक् प्रतियोगिता, शुद्ध लेखन प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन तथा हिंदी निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का चयन किया गया। दिनांक 19-09-09 को दाहोद कारखाना के मंथन सभागृह में प्रात: 11.00 बजे से हिंदी सप्ताह समारोह के समापन के उपलक्ष में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। अपर मुख्य राजभाषा अधिकारी एवं मुख्य कारखाना प्रबंधक श्री संजय अग्रवाल जी ने हिंदी में सराहनीय एवं प्रशंसनीय कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को एवं विभिन्न प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं सांत्वना स्थान प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद पुरस्कार प्रदान किए तथा कार्यक्रम में आमंत्रित कलाकारों को उनकी प्रस्तुतियों के लिए नकद पुरस्कार प्रदान किए गए।

सांस्कृतिक कार्यक्रम का संचालन राजभाषा अधीक्षक वी. पी. शर्मा ने किया तथा अन्त में कार्यक्रम में पधारे सभी अधिकारियों, प्रतियोगियों एवं कलाकारों के प्रति आभार व्यक्त किया।

पश्चिम रेलवे, मंडल रेल कार्यालय, कोठी कंपाउन्ड, राजकोट-360001

14 सितंबर 2009 को सभाकक्ष, मरेप्र कार्यालय, राजकोट में पूर्वाह्न 11.00 बजे हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में महाप्रबंधकजी के संदेश का वाचन श्री वेद पाल-मंडल रेल प्रबंधक द्वारा एवं मरेप्र के संदेश का वाचन श्री मुकेश कुमार गुप्ता-अमरेप्र द्वारा किया गया।

श्री वेद पाल-मंडल रेल प्रबंधक के करकमलों द्वारा राजभाषा पत्रिका 'राजभारती' के 7वें अंक का विमोचन कर उपस्थितों में इसका वितरण किया गया।

तदुपरांत प्रधान कार्यालय की सामूहिक पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत कर्मचारियों को मंडल रेल प्रबंधक के करकमलों द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया।

हिंदी दिवस से प्रारंभ की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के क्रम में अधिकारियों के लिए प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का संचालन श्री पी. बी. सिंह-राजभाषा अधिकारी द्वारा किया गया। राजभाषा विभाग के कर्मचारियों ने आयोजन की उत्कृष्ट व्यवस्था की।

केंद्रीय भण्डारण निगम, निगमित कार्यालय वेयरहाउसिंग भवन, 4/1 सीरी इन्स्टीच्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, हौजखास, नई दिल्ली-110016

केंद्रीय भण्डारण निगम, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा एक सितम्बर से 15 सितम्बर, 2009 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया। इस पखवाड़े के दौरान निबन्ध, टिप्पण-आलेखन, काव्य एवं राजभाषा नीति ज्ञान आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और हिंदी स्मारिका का प्रकाशन किया गया। दिनांक 12-9-2009 को हिंदी स्मारिका का विमोचन निगम के अध्यक्ष महोदय द्वारा किया गया। दिनांक 14-9-2009 को हिंदी दिवस एवं राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर हिंदी दिवस के उपलक्ष में मंत्रालय से प्राप्त माननीय गृह मंत्री जी एवं कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी का सन्देश पढ़कर सुनाया गया। इसके पश्चात् प्रबन्ध निदेशक महोदय द्वारा पखवाड़े के दौरान आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को, वर्ष 2008-09 में हिंदी में अधिक से अधिक टिप्पण एवं आलेखन करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तथा डिक्टेशन देने वाले अधिकारियों को पुरस्कृत करने के साथ-साथ निगमित कार्यालय में हिंदी का उत्कृष्ट काम करने वाले तीन विभागों को राजभाषा शील्ड प्रदान की गई। इस अवसर पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए प्रबन्ध निदेशक महोदय ने अपने संबोधन में कहा कि राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए सभी को आगे बढ़कर प्रयास करना चाहिए। इस अवसर पर निदेशक (कार्मिक) उप महाप्रबन्धक (कार्मिक) एवं सहायक महाप्रबंधक(प्रशिक्षण/राजभाषा) ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के अध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के वरिष्ठ रीडर, केंद्रीय हिंदी संस्थान, दिल्ली केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के उप निदेशक (राजभाषा), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के संयुक्त निदेशक (राजभाषा),

संसदीय राजभाषा समिति के अवर सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के उप निदेशक (राजभाषा), वरिष्ठ प्रबन्धक (राजभाषा) तथा सदस्य सचिव (नराकास) एवं विभागीय अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षणार्थियों को संबोधित किया ।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, ब्लाक 11, सी.जी. ओ. कम्पलैक्स, नई दिल्ली

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (गृह मंत्रालय) में दिनांक 1 सितंबर, 2009 से 15 सितंबर, 2009 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया । इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें हिंदी कार्यशाला के साथ-साथ कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई । इसमें ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया । प्रतियोगिताओं ब्यूरो के अधिकारियों/कर्मचारियों को नकद राशि व प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया गया । इस पखवाड़े का समापन समारोह 16 सितंबर, 2009 को ब्यूरो में आयोजित किया गया । ब्यूरो के निदेशक (एस.पी.) द्वारा अध्यक्षता की गई । इस अवसर पर गृह मंत्री जी द्वारा जारी अपील को भी पढ़ा गया । निदेशक महोदय ने इस अवसर पर सभी को शुभ कामनाएं देते हुए यह अपेक्षा की जिस प्रकार सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है उसी प्रकार वे भारत सरकार की राजभाषा नीति का सही रूप से अनुपालन करें ताकि इन उद्देश्यों व लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके । हिंदी पखवाड़े का पूर्ण संचालन ब्यूरो के संपादक हिंदी श्री दिवाकर शर्मा द्वारा किया गया ।

मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, सी आई जी मार्ग, नई दिल्ली

निगम मुख्यालय में 14-9-2009 को राजभाषा दिवस का आयोजन किया गया । आयोजन हिंदी भवन के सभागार में किया गया । इस कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री बी. के. साहू, अपर आयुक्त (का.एवं प्रशा.) ने की तथा समारोह के मुख्य अतिथि श्री ए.के सिंह, मुख्य सतर्कता अधिकारी थे । हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रशास्ति पत्र प्रदान किए गए । इसके पश्चात् मुख्य अतिथि का भाषण शुरू हुआ । मुख्य अतिथि श्री ए.के. सिंह, मुख्य सतर्कता अधिकारी ने कहा कि उन्हें आज के समारोह से बहुत प्रसन्नता हुई है । विशेष रूप से प्रतियोगिताओं में कार्यालय के सभी वर्गों ने अपनी भागीदारी दर्ज की है । उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए भी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि उनका मनोबल बना रहे । मुख्य अतिथि ने अपने पूर्व कार्यालय का उल्लेख करते हुए कहा कि हिंदीतर भाषी कार्मिकों को उनकी भाषा से इतर अंग्रेजी में हिंदी में अनुवाद संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाना चाहिए । निगम में हिंदी को बढ़ावा देने के बारे में उन्होंने कहा कि निगम के दूरदराज स्थित कार्यालयों में भी हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा दिया जाए । विशेष रूप से शाखा कार्यालयों के साथ हमारा संबंध बना रहना चाहिए ।

अध्यक्षीय भाषण बोलते हुए श्री बी.के. साहू, अपर आयुक्त (का.एवं प्रशा.) ने इस पर प्रसन्नता प्रगट की । उनके इन निदेशों का अक्षरश: अनुपालन किया गया कि राजभाषा दिवस 14 सितंबर को ही आयोजित किया जा रहा है । उन्होंने इसके लिए स्वयं श्रेय न लेते हुए इसका श्रेय आयोजन कर्ताओं को दिया । उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताओं में विजेता कर्मचारी तो बधाई के पात्र हैं ही किन्तु इनमें भाग लेने वाले कर्मचारी भी उतने की प्रशंसनीय हैं ।

भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड, 16वीं मंजिल, जवाहर व्यापार भवन, जनपथ, नई दिल्ली

भारत सरकार की प्रेरणा, प्रोत्साहन की नीति के अनुसरण में प्रत्येक वर्ष हिंदी सप्ताह/पखवाड़ा मनाया जाता है । राजभाषा नीति का पालन हमारा दायित्व है । राजभाषा के मामले में कोई आजादी नहीं है । इसका उल्लंघन गंभीर है । राजभाषा हिंदी गंगा के बहतेनीर की भांति है । सभी भाषाओं के शब्द इसमें समाहित होकर इसकी श्रीवृद्धि कर रहे हैं । यह उद्गार भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक श्री एम.एस. राणा ने हिंदी पखवाड़े के पुरस्कार वितरित करते हुए व्यक्त किए । आपने आगे कहा-राजभाषा विषयक कार्यक्रम हमें जागरूक बनाते हैं, हमारे अंदर चेतना जागृत करते हैं ।

कार्यक्रम के प्रारम्भ में निदेशक (मा.सं.) डा. मनोरंजन दास ने अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया । इस अवसर पर निबंध, तात्कालिक भाषण

तथा टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता के विजेताओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया । आपसे निगम ने हिंदी में भी चैक जारी करने की एक नई शुरूआत भी हुई ।

इस पखवाड़े के दौरान हिंदी कार्यशाला का दूसरा सत्र भी चलाया गया जिसमें वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के निदेशक (राभा.) श्री अमरनाथ, भाषाविद् श्री बी.के. सिन्हा, डॉ. आलोक कुमार रस्तोगी, श्री आर. एस. शुक्ला ने व्याख्यान दिए ।

कार्यक्रम का संचालन करते हुए सहायक निदेशक, डॉ. रस्तोगी ने राजभाषा विषयक प्रावधानों से परिचित कराया । श्री एस.एस. साहू, उप-महाप्रबन्धक (टकसाल) ने आभार व्यक्त किया है ।

आकाशवाणी, भोपाल

आकाशवाणी, भोपाल में दिनांक 14 से 29 सितंबर, 2009 तक हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया जिसमें आकाशवाणी भोपाल, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी भोपाल और उपमहानिदेशक कार्यालय मध्य क्षेत्र-II आकाशवाणी भोपाल के प्रतिभागियों ने संयुक्त रूप से भाग लिया । हिंदी पखवाड़े का उद्घाटन समारोह हिंदी दिवस के अवसर पर दिनांक 14-9-2009 को और समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह दिनांक 29-9-2009 को आयोजित हुआ ।

उद्घाटन समारोह के अवसर पर, साहित्य अकादमी, मुल्ला रमूजी संस्कृति भवन, भोपाल के निदेशक, प्रख्यात लेखक, साहित्यकार, कवि श्री देवेन्द्र दीपक मुख्य अतिथि के रूप में पधारे । मुख्य अतिथि ने उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि आकाशवाणी ने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है तथा विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रति ललक बढ़ रही है जिससे हिंदी का प्रचार-प्रसार बढ़ रहा है । उन्होंने कहा कि हिंदी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए ताकि हिंदी माध्यम से पढ़े-लिखे लोग अच्छी नौकरियां पा सकें ।

उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता और धन्यवाद ज्ञापन श्री रवीन्द्र गोयल, केंद्र अभियंता, आकाशवाणी भोपाल ने किया । आकाशवाणी भोपाल के कार्यक्रम निष्पादन, डॉ. बैजनाथ गौतम ने कार्यक्रम का सफल संचालन किया । केंद्र के हिंदी अधिकारी, श्री सुरेन्द्र प्रसाद पाण्डेय ने आकाशवाणी महानिदेशालय नई दिल्ली से प्राप्त महानिदेशक आकाशवाणी की हिंदी दिवस के अवसर पर अपील का वाचन किया ।

भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण, हवाई अड्डा, जयपुर

हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 14-9-2009 को जयपुर हवाई अड्डे के निदेशक श्री अनुज अग्रवाल एवं मंच पर उपस्थित वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्जवलित कर हिंदी पखवाड़े का शुभारम्भ किया गया ।

निदेशक विमानपत्तन श्री अनुज अग्रवाल ने उपस्थित सभी कार्मिकों को हिंदी पखवाड़े की शुभकामनाएं देते हुए कार्मिकों को सूचित किया कि जयपुर विमानपत्तन पर पूरी तौर से हिंदी में काम करने में कुछ तकनीकी कठनाईयां आ रही थी पर उसे भी धीरे-धीरे दूर कर लिया गया । उन्होंने हिंदी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से आशान्वित रहते हुए उपस्थित जनों से आग्रह किया कि सभी कार्मिक हिंदी में काम करने के प्रति समर्पित एवं वचनबद्ध रहें । साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार हिंदीतर भाषी बड़ी गम्भीरता पूर्वक हिंदी सीखते हैं उसी तरह हिंदी भाषियों को भी अन्य भाषाएं अपनानी चाहिएं तभी हम हिंदी के विकास में अपना सार्थक योगदान कर पाएंगे ।

इस अवसर पर श्री एच.एस. पारीक, वरिष्ठ प्रबंधक (राजभाषा) ने उपस्थित सदस्यों का स्वागत करते हुए हिंदी भाषा के संबंध में और संविधान में की गई व्यवस्थाओं पर सारगर्भित भाषण देते हुए कहा कि प्रत्येक राष्ट्र के जनमानस को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी, एक सफल माध्यम है तथा हम सबका नैतिक दायित्व है कि इसके विकास में अपना योगदान दें ताकि अपने विचारों को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकें ।

पखवाड़े के दौरान आयोजित की गई प्रतियोगिताओं में लगभग 120 कर्मचारियों ने भाग लिया । मुख्य अतिथि ने विजयी प्रतियोगियों को प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किए ।

आई टी आई लिमिटेड, रायबरेली

राजभाषा हिंदी सप्ताह के उद्घाटन समारोह का आयोजन परम्परागत ढंग से किया गया । इस समारोह के मुख्य अतिथि अपर महाप्रबंधक-ईपीडी श्री ए. के. मित्रा ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो सम्पूर्ण राष्ट्र को

एक सूत्र में पिरोने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि हिंदी की व्यापकता को देखते हुए सभी कर्मचारी एवं अधिकारी अपने-अपने कार्य क्षेत्र में बेहिचक अपना कार्य हिंदी में ही करें। उन्होंने कहा कि भाषा प्रयोग से आगे बढ़ती है। हममें से प्रत्येक को बोल-चाल एवं काम काज दोनों ही स्तरों पर उन्मुक्त हृदय से इसे अपनाना होगा। तभी हम हिंदी को विश्व पटल पर आलोकित कर सकतें हैं। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने इकाई प्रमुख श्री एन.एन. बाला महाप्रबन्धक द्वारा जारी राजभाषा हिंदी संदेश का लोकार्पण किया।

समारोह के मुख्य वक्ता डॉ. राम नरेश ने अपने संबोधन में कहा कि उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण के दौर में हिंदी भाषा एवं देवनागरी लिपि की प्रासंगिता बढ़ गई हैं हमें ज्ञान-विज्ञान एवं टेक्नॉलाजी के क्षेत्र में हिंदी को सार्वभौमिक बनाना है। उन्होंने कहा सभी भारतीय भाषाओं के एक संवाद सूत्र में न जुड़ने के कारण इसकी प्रगति को वह गति नहीं मिल रही है, जितनी आज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा हमें हिंदी भाषा की प्रगति के साथ उसकी देवनागरी लिपि के संवर्धन के लिए अभी बहुत कार्य करने है। उन्होंने सभी का आवाहन किया कि वे राजभाषा हिंदी के प्रति कट्टर प्रेम जरूर रखें परन्तु अन्य प्रान्तीय एवं लोक भाषाओं का सम्मान और उपयोग अवश्य करें।

कार्यालय पोस्टमास्टर जनरल, इन्दौर क्षेत्र, इन्दौर-452001

दिनांक 14-9-2009 से 28-9-2009 तक हिंदी दिवस व हिंदी पखवाड़ा मनाया गया। दिनांक 14-9-2009 को हिंदी दिवस के अवसर पर प्रारम्भ में माननीय पोस्टमास्टर जनरल श्री एस. आर. मीना ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके दीप प्रज्जवलित किया। हिंदी दिवस के अवसर पर प्राप्त माननीय गृह मंत्री जी, भारत सरकार का हिंदी दिवस संदेश व सचिव (डाक) की हिंदी दिवस अपील का वाचन माननीय पोस्टमास्टर जनरल श्री एस. आर. मीना ने सभी कर्मचारियों के समक्ष किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि, वैसे तो हम सभी अपना सरकारी कामकाज हिंदी में करते हैं पर आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर वे कर्मचारी जो अंग्रेजी में सरकारी कार्य करते हैं उनसे आग्रह किया कि वे भी आज से अपना सरकारी कामकाज हिंदी में ही करने का संकल्प लें। कार्यक्रम के प्रारंभ में हिंदी अनुवादक श्री पी. एस. कोटवाला ने हिंदी पखवाड़े की महत्ता और पखवाड़े के दौरान आयोजित की जाने वाली हिंदी प्रतियोगिताओं/हिंदी कार्यशाला की संक्षिप्त जानकारी सभी को दी।

दिनांक 30-9-2009 को हिंदी पखवाड़ा का समापन एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम माननीय पोस्टमास्टर जनरल श्री एस. आर. मीना और निदेशक डाक सेवाएं श्री वी. सी. राय की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

माननीय पोस्टमास्टर जनरल श्री एस.आर. मीना ने विजेताओं को अपनी बधाई दी तथा हिंदी पखवाड़ा के सफल आयोजन हेतु सभी को बधााई दी। अपने उद्बोधन में आपने अपनी कुछ विदेश यात्राओं के संस्मरण में हिंदी की महत्ता को प्रतिपादित किया और कहा कि हिंदी की महत्ता सर्वव्यापी है और विदेशों में निवास कर रहे भारतीय भी इसके विस्तार में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व है कि हम हिंदी का अधिकाधिक प्रचार प्रसार करें और अपना अधिकाधिक सरकारी कार्य हिंदी में ही करें, ताकि हमारा राजभाषा के प्रति लगाव बना रहे। अपने उदबोधन में उन्होंने कहा कि हमें संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपना सारा कार्य हिंदी में करना चाहिए। अंत में उन्होंने कहा कि, जिन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला, वे आगे प्रयास करें।

दी ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय-1, जीवन भारती बिल्डिंग, नौवी मंजिल, टावर-1, 124, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001

दिनांक 14-9-2009 को दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-1 द्वारा हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित कार्मिक वृन्द को क्षेत्रीय कार्यालय-1 के प्रभारी उप महाप्रबंधक श्री सी. एस. टण्डन ने संबोधित किया। अपने संबोधन भाषण में उन्होंने संविधान में उल्लिखित सभी राष्ट्रीय भाषाओं में हिंदी को शिरोमणि राष्ट्रभाषा बताया। राजभाषा हिंदी के संवैधानिक महत्व का उल्लेख करने के साथ-साथ राजभाषा हिंदी की तुलना मां और जननी से की। उनके अनसुार हिंदी दिवस

को 14 सितंबर, 2009 को मनाने और याद करने के साथ-साथ बाकी दिनों में भी हिंदी को यथोचित महत्व दिया जाना चाहिए । उन्होंने सभी कार्मिकों से अपना अधिकतम कार्यालयी कार्य हिंदी में करने का अनुरोध किया । इसके साथ-साथ हिंदी की विश्व-स्तरीय उपस्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने हिंदी को एक सशक्त सम्पर्क-भाषा के रूप में सराहा ।

आकाशवाणी, राजकोट

आकाशवाणी राजकोट में दिनांक 14-9-09 से हिंदी पखवाड़ा बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया । पखवाड़े के दौरान विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया ।

8 प्रतियोगिताओं में कुल 188 कार्मिकों ने भाग लिया तथा 122 पुरस्कार प्राप्त किए । दिनांक 24-9-09 को 15.30 बजे हिंदी पखवाड़ा-2009 का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह रखा गया । मुख्य अतिथि श्री राजेश जैन, अधीक्षण अभियंता, अतिथि विशेष श्री विजय कुमार, कार्यपालक अभियंता, सी.सी.डब्ल्यू श्री भगवान महिरचंदानी, सहायक केंद्र निदेशक, श्री एस. बी. कुलकर्णी, सहायक केंद्र अभियंता ने पुरस्कार विजेता कार्मिकों को पुरस्कार व प्रमाण-पत्र वितरित किए । मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के महत्व को रेखांकित किया तथा सभी पुरस्कार विजेता कार्मिकों को बधाई देते हुए आह्वान किया कि वे अपने कार्यालयीन कामकाज में राजभाषा हिंदी का प्रयोग कर अपने कर्तव्य का पालन करें । उन्होंने अपने संबोधन में आगे कहा कि हिंदीतर भाषी प्रदेश के नेताओं ने जैसे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाषचन्द्र बोस, सरोजनी नायडू, बालगंगाधर तिलक आदि ने भी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का ही समर्थन किया था तथा स्वतंत्रता के दौरान पूरे देश को एकता सूत्र में पिरोने के लिए सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदी का ही अधिकाधिक प्रयोग किया था ।

अतिथि विशेष के रूप में पधारे श्री विजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी एक सरल भाषा है तथा हम अपनी अभिव्यक्ति इसके माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। केवल तकनीकी काम में थोड़ी कठिनाई आती है बाकी का कामकाज आसानी से हिंदी में किया जा सकता है । उन्होंने भी सभी पुरस्कार विजेता कार्मिकों को बधाई दी व हिंदी में काम करने की अपील की । श्री भगवान महिरचंदानी सहायक केंद्र निदेशक, श्री एस. बी. कुलकर्णी ने भी अपने-अपने संबोधन में कार्मिकों से कहा कि वे वर्ष भर हिंदी में काम कर हिंदी प्रचार-प्रसार में अपना योगदान दें ।

केंद्रीय रेशम बोर्ड, विनोद विला, वेस्ट एण्ड पार्क हेहल, रांची-834005

क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान केन्द्र, हेहल रांची में हिंदी दिवस सह पखवाड़ा का आयोजन दिनांक 14-9-2009 से 29-9-2009 तक किया गया । दिनांक 14-9-2009 को हिंदी दिवस सह पखवाड़े का उद्घाटन किया गया तथा साथ ही हिंदी दिवस भी मनाया गया । पखवाड़े का उद्घाटन द्वीप प्रज्जवलित करके मुख्य अतिथि डॉ. ए. के. सिन्हा, संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, राँची एवं केंद्र के वैज्ञानिक डी डॉ. पी. एन. मिश्रा ने किया । कार्यक्रम में क्षे.रे.उ.अ.के. रांची के अलावा अधीनस्थ केन्द्र, गुमला, भंडारा आदि के प्रभारी अधिकारी भी उपस्थित थे । मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी एक समृद्ध भाषा है जो भारत में सर्वत्र बोली एवं समझी जाती है । हिंदी पखवाड़े मनाए जाने के परिपेक्ष्य में केंद्र के वैज्ञानिक सी. डॉ. ए. एच. नकवी ने विशेष तौर पर प्रकाश डाला तथा कर्मचारियों का उत्साहवर्धन करते हुए शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने पर बल दिए । पखवाड़े के दौरान दो प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें केंद्र के कर्मचारियों ने भाग लिया । इस अवसर पर केंद्र के वैज्ञानिक सी डॉ. ए. एच. नकवी ने अपने कर्मचारियों द्वारा किए गए हिंदी में कार्यों की जानकारी से मुख्य अतिथि को अवगत कराया । समापन समारोह दिनांक 29-9-2009 को किया गया । इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. डी. एन. प्रसाद, संयुक्त निदेशक (सेवानिवृत्त), केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, राँची ने अपने अध्यक्षीय भाषण में राजभाषा के विकास के लिए उठाए गए कार्य पर प्रकाश डाला । इस दौरान आयोजित सभी प्रतियोगिताओं का पुरस्कार का वितरण उनके द्वारा किया गया । केंद्र के वैज्ञानिक डी. डॉ. पद्म नारायण मिश्रा ने अनुसंधान/तकनीकी एवं अन्य कार्यों में अधिकाधिक लक्ष्य प्राप्ति का आह्वान किया । समापन के अवसर पर सहायक निदेशक (रा.भा.) श्री एस. के. उपाध्याय, केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नगड़ी, राँची ने राजभाषा नियम/अधिनियम की भी जानकारी दी ।

क्षेत्रीय कार्यालय, क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, शिवपुरी प्रेमनगर, देहरादून

दिनांक 01-09-2009 से दिनांक 14-09-2009 तक की अवधि के दौरान आचार्य द्रोण की नगरी देहरादून में राजभाषा पखवाड़े का आयोजन किया गया । दिनांक 14-09-09 को 3.00 बजे अपराह्न में श्री उपेंद्र शर्मा, क्षेत्रीय निदेशक की अध्यक्षता में हिंदी दिवस समारोह का आयोजन किया गया ।

अध्यक्ष महोदय ने राजभाषा के संबंध में अपने विचार रखते हुए कहा कि भारत प्रजातांत्रिक देश है और निगम कार्यालय की कार्य प्रणाली के मूल में श्रमिक वर्ग ही है जिसकी भाषा हिंदी है । ऐसी स्थिति में हिंदी का प्रयोग कर हम सही मायने में समाज और राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं ।

डॉ. एस. एफ. हंस, राज्य चिकित्सा आयुक्त ने कहा कि उनकी शिक्षा-दीक्षा अंग्रेजी माध्यम से ही हुई है और अब तक वे केवल अंग्रेजी में ही काम करते आए हैं । किंतु जब से इस क्षेत्र में उनकी तैनाती हुई है, उन्होंने पूरी तरह हिंदी में काम करने का प्रयास किया है । इस क्रम में उन्होंने हिंदी में आधुनिक वैज्ञानिक एवं चिकित्सीय संकल्पनाओं को जनसुलभ बनाने पर भी बल दिया ।

श्री राजकुमार अग्रवाल, उपनिदेशक (राजभाषा अधिकारी) ने मुख्यालय से प्राप्त महानिदेशक महोदय की अपील को पढ़कर सुनाया तथा राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में किए गए कार्यों की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की और राजभाषा के संबंध में अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास राजभाषा हिंदी को कार्यालय के कामकाज में अधिकाधिक प्रयोग में लाने का है और इस दिशा में सीमित साधनों के बावजूद अब तक हमारी प्रगति उत्साहवर्धक रही है गुणवत्ता एवं प्रमात्रा दोनों की दृष्टि से हिंदी विकास पथ पर अग्रसर है ।

परमाणु ऊर्जा विभाग, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, पश्चिमी क्षेत्र, ए. एम. डी. काम्प्लैक्स, प्रताप नगर सेक्टर V, विस्तार बंबाला सांगानेर, जयपुर

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर में दिनांक 14-09-2009 से 18-09-2009 तक हिंदी सप्ताह का आयोजन किया गया जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । उद्घाटन भाषण में विचार व्यक्त करते हुए मुख्य अतिथि श्रीमती प्रज्ञा पालीवान ने हिंदी के महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला । अपने उद्बोधन में श्रीमती पालीवान ने कहा कि आज हिंदी ने विश्व भर में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है । जीवन के हर क्षेत्र में हिंदी अपना वर्चस्व प्रदर्शित कर रही है चाहे वह मीडिया का क्षेत्र हो या वैज्ञानिक संगठन, हिंदी ने सभी जगह अपनी पहचान एक विश्व भाषा का स्थान ग्रहण कर चुकी है । श्रीमती प्रज्ञा पालीवान ने कार्यालय में हिंदी में किए जा रहे कार्यों की प्रगति पर अपना संतोष व्यक्त किया साथ ही इस दिशा में और प्रगति करने के लिए सभी कार्मिकों को प्रोत्साहित भी किया एवं अपने सुझाव भी प्रस्तुत किए व हिंदी सप्ताह के दौरान आयोजित की जा रही प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएँ भी दीं ।

मुख्य अतिथि श्री अब्दुल करीम एवं क्षेत्रीय निदेशक महोदय ने हिंदी सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजयी रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया । पुरस्कार वितरण के पश्चात क्षेत्रीय निदेशक श्री ललित कुमार नंदा एवं श्री ओमप्रकाश यादव, वैज्ञानिक अधिकारी-जी ने मुख्य अतिथि को स्मृति चिह्न प्रदान किया । कार्यक्रम के अंत में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव श्री अभिषेक जैन, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक ने राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया ।

महाप्रबंधक भारत संचार निगम लि., मदुरै - 625002

01-09-2009 से 15-09-2009 तक हिंदी पखवाड़ा पूर्ण उत्साह के साथ मनाया गया ।

राजभाषा हिंदी में सरकारी काम-काज को प्रोत्साहित करने और इसके प्रति अधिकारियों और कर्मचारियों में रूचि पैदा करने के उद्देश्य से हिंदी पखवाड़े के दौरान मदुरै, दिण्डुक्कल, तेनी और पलनी में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके बच्चों ने बड़े उत्साह से भाग लिया ।

हिंदी पखवाड़े का समापन एवं मुख्य समारोह श्री वी. के. संजीवी, महाप्रबंधक, भा. सं. नि. लि. मदुरै की

अध्यक्षता में दिनांक 15-09-2009 को अपराह्न 4.00 बजे आयोजित किया गया । महाप्रबंधक ने अपने भाषण में कहा कि हिंदी बहुत ही सरल और मधुर भाषा है और आसानी से सीखी जा सकती है । राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में हिंदी को बनाए रखना सबका दायित्व है । हिंदी हमारी राजभाषा है । सरकारी कामकाज सरल, सहज और आम बोल-चाल की भाषा में निपटाया जाना चाहिए । उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से अपना अधिकाधिक काम हिंदी में करने की अपील की । अंत में उन्होंने मदुरै एस एस ए में हो रहे राजभाषा-कार्यान्वयन को सराहा । बाद में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे श्री ए. एल.के.बी. चाँद ने अपने भाषण में कहा कि हिंदी भाषा की महत्ता दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है । हिंदी भाषा सीखने से हम हर प्रांत और हर क्षेत्र में आसानी से घूम सकते हैं । संपर्क भाषा के रूप में हिंदी बहुत ही उपयोगी है । सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग करना न केवल संवैधानिक बल्कि सामाजिक आवश्यकता है । इसलिए हिंदी में काम करने से देश का विकास और उन्नति होगी । उन्होंने बी. एस. एन. एल. में किए जा रहे राजभाषा-कार्यान्वयन और 'संचार सुरभि' पत्रिका के विमोचन पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की ।

प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि ने पुरस्कार और प्रमाण-पत्र प्रदान किए । इस अवसर पर हिंदी में अपना मूल कार्य करने वाले कर्मचारियों, राजभाषा-कार्यान्वयन समिति के सदस्य अधिकारियों और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को हिंदी में काम करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले अधिकारियों को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया ।

कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक-12, केंद्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने एवं कर्मचारियों में इसके प्रति रुचि उत्पन्न करने के उद्देश्य से कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) में दिनांक 14 सितंबर, 2009 से 28 सितंबर, 2009 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया ।

दिनांक 15 सितंबर, 2009 को हिंदी टंकण प्रतियोगिता, 16 सितंबर, 2009 को हिंदी टिप्पण एवं प्रारूप लेखन प्रतियोगिता, 18 सितंबर, 2009 को हिंदी निबंध प्रतियोगिता, 22 सितंबर, 2009 को हिंदी काव्य पाठ प्रतियोगिता, 23 सितंबर, 2009 को वाद-विवाद प्रतियोगिता तथा दिनांक 24 सितंबर, 2009 को राजभाषा प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । इन प्रतियोगिताओं में आयोग के कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया । हिंदी पखवाड़े का मुख्य समारोह दिनांक 30 सितम्बर, 2009 को कर्मचारी चयन आयोग (मुख्यालय) के तृतीय तल पर स्थित हॉल में पूर्वाह्न 11.30 बजे आयोजित किया गया । इस अवसर पर आयोग मुख्यालय के सभी उच्च अधिकारी एवं अन्य गणमान्य अतिथि भी मौजूद थे । हिंदी पखवाड़े के सभी विजेताओं को पुरस्कार क.च. आ. के अध्यक्ष श्री एन. के. रघुपति के कर कमलों से दिए गए । इसके अतिरिक्त सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने की योजना के अंतर्गत विजेताओं को भी नकद पुरस्कार प्रदान किए गए । ■

> भाषा के जरिए ही हम एक आदर्श समाज की कल्पना कर सकते हैं ।
>
> —डॉ. मनमोहन सिंह, प्रधान मंत्री, भारत

सम्मेलन/संगोष्ठी

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह

दिनांक 9 अक्तूबर, 2009 को जिपमेर प्रेक्षागृह, पुडुचेरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम क्षेत्र के लिए आयोजित एक दिवसीय संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में पुरस्कार वितरण करते हुए समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन ने बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि पुरस्कार विजेता हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे । साथ ही इससे अन्य कार्यालयों को भी हिंदी में अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा मिलेगी । उन्होंने कहा कि विशाल भारत में कई भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं किंतु भारत की सभी भाषाओं की आत्मा एक ही है, जो भारतीयता का समान संदेश देती रही हैं । हमारी सामाजिक संस्कृति का केंद्र बिन्दु एक ही रहा है, भले ही इसकी अभिव्यक्ति का माध्यम विभिन्न भाषाएं रहीं हों । देश में भाषाओं की विभिन्नता इनकी मूलभूत एकता में कभी बाधक नहीं रही है । इनके भीतर भारतीय सतत् रूप से प्रवाहित रहीं है । भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती । अपितु इसमें बोलने वालों की संस्कृति और संस्कार भी जुड़े होते हैं ।

उन्होंने कहा कि संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का व्यापक प्रयोग सदैव से ही होता रहा है । यहां तक अंग्रेजी को भी अपना शासन चलाने के लिए टूटी-फूटी हिंदी ही सही पर हिंदी ही हितकर लगी और आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पादकों को बेचने के लिए हिंदी व अन्य भाषाओं का प्रयोग कर रही हैं । उन्होंने आगे कहा कि हिंदी और भारतीय भाषाओं के संवर्धन एवं विकास में दक्षिण भारत के संतों, मनीषियों तथा हिंदी प्रचार-प्रसार कार्य में स्वैच्छिक हिंदी संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । परिणाम स्वरूप हिंदी भाषी लोगों में हिंदी के प्रति आकर्षण बढ़ा और हिंदी पढ़ने वालों की संख्या में वृद्धि हुई । सूचना प्रौद्योगिकी युग में कंप्यूटर पर यूनिकोड में हिंदी प्रयोग करने की प्रवासी सुविधा उपलब्ध है । इन सुविधाओं के प्रयोग करने संबंधी जागरूकता की आवश्यकता है ।

संघ के राजकीय कार्यों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाना हमारा संवैधानिक व नैतिक दायित्व है । केंद्रीय कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं । सरकार की कल्याणकारी योजनाएं तभी प्रभावी मानी जाएंगी जब आम जनता उनसे लाभान्वित होगी । इसके लिए आवश्यक है कि शासन का काम-काज आम जनता की भाषा में निष्पादित किया जाए ।

उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा हिंदी कार्यान्वयन की देख रेख के लिए देश में 8 क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय स्थापित हैं । इन कार्यालयों के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय कार्यालयों, सार्वजनिक उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों को राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए पुरस्कार-प्रदान करने तथा हिंदी कार्य में सहायक साफ्टवेयरों के बारे में नवीनतम जानकारी देते हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है । इस सम्मेलन में दक्षिण एवं दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रों (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य व लक्षद्वीप और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र) में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति के लिए राजभाषा पुरस्कारों से सम्मानित किया गया ।

डॉ. प्रदीप कुमार, सचिव भारत सरकार ने समारोह की अध्यक्षता करते हुए कहा कि संविधान सभा में 14 सितंबर, 1949 को संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी को स्वीकार किया था और इसके प्रचार-प्रसार और प्रयोग में वृद्धि करने का उत्तरदायित्व संघ सरकार को सौंपा है । इस संबंध में उन्होंने कहा कि हिंदी के शिक्षण-प्रशिक्षण के अनेक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई । प्रशासनिक व तकनीकी

विषयों की शब्दावलियां तैयार की गई। हिंदी में कार्य के लिए यांत्रिक/इलेक्ट्रानिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इन सभी प्रयासों के बावजूद उतनी प्रगति नहीं हुई जितनी अपेक्षित है। उन्होंने राजभाषा हिंदी की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए व्यक्तिगत रुचि लेकर कार्यालयाध्यक्षों से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्रवाई करने का सुझाव दिया जिनमें राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) नियम 5 और 12 का अनुपालन, राजभाषा हिंदी के प्रयोग के संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा, टिप्पण व पत्राचार, प्रशिक्षित कर्मचारियों की सेवाओं का सुमुचित उपयोग, कार्यशालाओं व वैज्ञानिक/तकनीकी सांगोष्ठियों व सम्मेलनों में लेख/शोध पत्र हिंदी में तैयार करना, गृह पत्रिकाओं में संगठन के विषयों पर लेख/शब्द कोश आदि देना तथा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर भेजना आदि।

विशिष्ट अतिथि डॉ. के.एस. वी. के. सुब्बाराव, अध्यक्ष पाण्डिचेरी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति एवं निदेशक, जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (जिपमेर) ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि संस्थान में आयोजित सम्मेलन होने से प्रसन्नता हुई है। हिंदी का विकास करने में हम सबका सवैधानिक कर्त्तव्य है। आने वाले समय में हिंदी विश्व की भाषा होगी, इसमें कोई संदेह नहीं।

इससे पूर्व अपने स्वागत भाषण में राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव डी. के. पाण्डेय ने कहा कि राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिए किए जा रहे सम्मेलनों/समारोह की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें केंद्र सरकार के कार्यालयों/ग्राहकों बैंकों आदि के अधिकारी भाग लेकर एक दूसरे के अनुभवों का लाभ उठाते हैं। इससे राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समारोह के द्वितीय सत्र में मुख्य अतिथि श्री पी.के. चतुर्वेदी, अध्यक्ष, चेन्नई (बैंक), नराकास एवं महाप्रबंधक, इंडियन ओवरसीज बैंक केंन्द्रीय कार्यालय चेन्नई ने कहा कि इस तरह के कार्यालयों से हिंदी को बढ़ावा मिलेगा।

अन्य वक्ताओं में विख्यात लेखक श्री बालशौरि रेड्डी, अध्यक्ष, हिंदी अकादमी चेन्नई ने "तमिलनाडु में हिंदी का उद्भव और विकास" पर अपने जोशपूर्ण विचार प्रस्तुत किया। श्री राकेश कुमार, निदेशक (तकनीकी), राजभाषा विभाग ने "राजभाषा प्रचार-प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका" पर प्रकाश डाला। डॉ. विश्वनाथ झा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, बेंगलूर ने "दक्षिण क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन: एक समीक्षा" पर अपने विचार व्यक्त किए। डॉ. एम.के. श्रीवास्तव, मनोवैज्ञानिक, जिपमेर ने "भाषा, संस्कृति, समाज तथा स्वास्थ्य–एक दृष्टिकोण" पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार देकर श्रोताओं को नई जानकारी देने का प्रयास किया।

डॉ. बाल कृष्णन, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, कोचीन ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

इस समारोह में राजभाषा विभाग द्वारा पत्रिकाओं की प्रदर्शनी लगाई गई जिसे श्रोताओं ने काफी पसंद किया।

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा दिल्ली व उत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार वितरण समारोह

दिनांक 8 जनवरी, 2010 को देहरादून में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा उत्तर क्षेत्र के लिए ओ. एन.जी. सी., देहरादून में आयोजित एक दिवसीय संयुक्त क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में पुरस्कार वितरण करते हुए समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन ने पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि आज के पुरस्कार प्राप्त करने वाले कार्यालयों के कार्य से प्रेरणा पाकर आप सभी अपना ज्यादा से ज्यादा काम हिंदी में करके अपना संवैधानिक दायित्व निभाएंगें। उन्होंने कहा कि भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी देश में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता रहती है जिसमें सारा देश आपस में बात कर सके। देश में हिंदी भाषा अधिकांश प्रांतों में बोली व समझी जाती है इसलिए इसे संघ की राज-काज की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। सरकार की योजनाएं तभी उपयोगी मानी जाएंगी जब आम जनता को उनका लाभ मिलेगा। इसके लिए आवश्यक है कि शासन का काम-काज आम जनता की भाषा में किया जाए। हिंदी इस दायित्व को बखूबी निभाती है। शायद महात्मा गांधी जी के मन में यही विचार रहा होगा जब उन्होंने यह कहा "आज की पहली और सबसे बड़ी समाज सेवा यह है कि हम देशी भाषाओं की ओर मुड़े और हिंदी को राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करें

हमें अपनी प्रादेशिक कार्रवाइयां अपनी-अपनी भाषाओं में चलानी चाहिए और हमारी राष्ट्रीय कार्रवाई की भाषा हिंदी होनी चाहिए ।''

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कार्यालयों/ उपक्रमों/बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश, अनुदेश जारी किए जाते हैं । हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए संसदीय राजभाषा समिति भी अपनी रिपोर्ट में सिफारिशें करती हैं । अब तक समिति की रिपोर्ट के आठ खण्डों पर आदेश जारी किए जा चुके हैं । सभी केंद्रीय कार्यालयों का दायित्व है कि वे इन आदेशों का अनुपालन निष्ठा व कटिबद्धिता से करें ।

उन्होंने आगे कहा कि आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग है । हिंदी को विज्ञान से जुड़े नए विचारों और वैज्ञानिक शब्दों को ग्रहण करना होगा । यदि हिंदी को विश्व की एक प्रमुख भाषा बनाना है तो इसे आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का माध्यम बनाना होगा । भूमंडलीकरण और सूचना क्रांति से संपूर्ण विश्व-परिदृश्य बदल रहा है । हिंदी के विकास का एक आयाम जनसंचार माध्यम है । फिल्मों में, रेडियों और टी.वी. पर हिंदी का वर्चस्व मज़बूत होता जा रहा है । विज्ञापन की भाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ है । हिंदी की पत्र-पत्रिकाओं का तेजी से विकास हो रहा है । कंप्यूटर के आगमन ने इस क्षेत्र में एक नई क्रांति का सूत्रपात किया है । केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों ने अपनी वेबसाइट हिंदी में तैयार कर ली हैं । जनता की एक बहुत बड़ी आवश्यकता की इससे पूर्ति होती है । यदि कोई प्रार्थना-पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हो और ऑनलाईन उसे भरकर प्रस्तुत किया जा सके तो जनता का समय और आने-जाने का व्यय दोनों ही बचेंगे । सूचना तकनीक से हिंदी के प्रसार के लिए अनुकूल वातावरण तैयार हो रहा है । यह प्रसन्नता का विषय है कि गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग कंप्यूटर की सहायता से सरकारी कामकाज हिंदी में कराने के लिए सुविधाएं मुहैया कराने के प्रति पूर्णतः सजग और सक्रिय है ।

समारोह की अध्यक्षता करते हुए भारत सरकार के सचिव श्री बी.एस. परशीरा जी ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि भारत सरकार नीति का कार्यान्वयन प्रेरणा, प्रोत्साहन व सद्भावना से करना चाहती है । इसीलिए मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों/वित्तीय संस्थानों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं लागू की गई हैं । साथ ही राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं । आज हम यहां पर राजभाषा हिंदी के प्रयोग व प्रचार-प्रसार में गति लाने और इसके लिए प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से एकत्रित हुए हैं । यह सर्वविदित है कि भाषा किसी भी समाज अथवा राष्ट्र की सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होती, वह पूरी ''संस्कृति'' को परिलक्षित करती है । भारतीय संस्कृति ऋषियों और मुनियों के समय से चली आ रही है । इसके प्रवाह में शक, हूण, यवन, पठान, तुर्क, मुगल, अरब सभी का योगदान है । भारतीय संस्कृति ''सामासिक संस्कृति'' का एक ज्वलंत उदाहरण है । संस्कृति में दर्शन, धर्म, कला, साहित्य, ज्ञान-विज्ञान, माननीय मूल्य, आचार-विचार सम्मिलित है ।

उन्होंने कहा कि आज की आवश्यकता यह है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों आदि में कामकाज मूल रूप से सरल और सहज हिंदी में किया जाए । उच्च अधिकारियों को चाहिए कि वे भी फाइलों पर हिंदी में टिप्पण लिखें । यदि वे हिंदी बहुत अच्छी नहीं जानते तो भी कम से कम सरलतम क्षेत्रों में हिंदी का ही प्रयोग करें और इसके प्रयोग के लिए बढ़ावा दें । इस प्रकार के प्रयास से ही कार्यालयों में हिंदी में काम करने के लिए बढ़ावा दें । इस प्रकार के प्रयास से ही कार्यालयों में काम करने का वातावरण बन सकता है । जो अधिकारी हिंदी नहीं जानते और कक्षाओं में जाने के लिए समय नहीं निकाल सकते उन्हें चाहिए कि कंप्यूटर का उपयोग हिंदी सीखने के लिए करें व राजभाषा विभाग के पत्राचार पाठ्यक्रमों का भी लाभ उठाएं । प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ स्तर की हिंदी सीखने के लिए अब साफ्टवेयर उपलब्ध हैं । इनका भरपूर लाभ उठाया जाना चाहिए । सरकारी कामकाज में हिंदी हो सके, इसके लिए यह बहुत आवश्यक है कि सभी अंग्रेजी के आशुलिपिकों/टंककों को हिंदी आशुलिपिकों/ टंककों का प्रशिक्षण दिलाया जाए । अब नए कम्प्यूटरों पर हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधा उपलब्ध हैं ।

राजभाषा विभाग के संयुक्त सचिव श्री डी.के. पाण्डेय ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि किसी भी राष्ट्र की

पहचान उसकी भाषा एवं संस्कृति से होती है । राजभाषा हिंदी हमारे राष्ट्र की पहचान है । यह भारत की जन-भाषा होने के कारण पूरे देश की सम्पर्क भाषा भी है जो समग्र राष्ट्र को एकता के सूत्र में जोड़ती है । हिंदी राष्ट्र चेतना के जागरण के लिए एक आवश्यक संबल और साधन है । हिंदी का व्यवहार और प्रयोग एक राष्ट्रीय आवश्यकता है । देश के सभी भाषा-भाषियों को हिंदी को वैसे की सबल और सशक्त बनाना है जैसा संविधान के अनुच्छेद 351 में निर्दिष्ट किया गया है ।

राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए विभाग द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं । इसी क्रम में संघ के राजकीय कार्यों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर इंदिरा गांधी राजभाषा पुरस्कार और राजीव गांधी राष्ट्रीय ज्ञान विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार तथा क्षेत्रीय स्तर पर राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा उसमें काम करने का वातावरण बनाने के लिए विभाग द्वारा देश के कोने-कोने में अब तक 67 सम्मेलनों का आयोजन किया गया है और 68वें सम्मेलन में आप सभी उपस्थित हैं ।

उन्होंने आगे कहा कि कंप्यूटर के माध्यम से हिंदी भाषा का प्रशिक्षण तथा कंप्यूटर की सहायता से हिंदी में काम करने के लिए विभाग ने लीला, मंत्र राजभाषा, श्रुतलेखन राजभाषा, वाचांतर राजभाषा साफ्टवेयर बनवाए हैं साथ ही में ई-महाशब्दकोश भी अब उपलब्ध है । तकनीकी दृष्टि से हिंदी अंग्रेजी से पीछे न रहे, इसके लिए राजभाषा विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग प्रयत्नशील हैं । फलस्वरूप आज कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए अधिकांश आवश्यक साफ्टवेयर सरकार ने निःशुल्क उपलब्ध कराए हैं । मेरा आग्रह है कि आप सभी को इसका लाभ उठाना चाहिए ।

इससे पहले, प्रथम सत्र में अलग-अलग विषयों पर अनेक विद्वानों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए । डॉ. दिनेश चमोला ने हिंदी में वैज्ञानिक लेखन पर व्याख्यान, डॉ. हेमंत दरबारी ने राजभाषा प्रचार-प्रसार में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, श्री रजिंदर सिंह बेवली ने जीवन में वाक कला का महत्व तथा डॉ. सरोज कुमार त्रिपाठी ने उत्तर क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की ।

इस समारोह में राजभाषा विभाग द्वारा पत्रिका की प्रदर्शनी लगाई गई जिसे श्रोताओं ने काफी पसंद किया ।

मुख्य महाप्रबंधक का कार्यालय, चेन्नई टेलीफोन राजभाषा विभाग, 10, मिल्लर्स रोड, चेन्नई-10

चेन्नई टेलीफोन का वार्षिक सम्मेलन, दिनांक 24-06-2009 को क्रमबद्ध तरीके से, मुख्य महाप्रबंधक एवं जिला राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, श्री एम. पी. वेलुसामी, की अध्यक्षता में "हाल ऑफ इंस्पिरेशन" में आयोजित किया गया । श्री नवनाथ कांबळे, उप निदेशक (दक्षिण), हिंदी शिक्षण योजना को मुख्य अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया । सम्मेलन में चेन्नई टेलीफोन के वरिष्ठ अधिकारियों, अधिकारियों व कर्मचारियों ने भाग लिया ।

श्री के. चंद्रन, उप महाप्रबंधक(प्रशासन)व मुख्य राजभाषा अधिकारी ने भरी सभा का विधिवत् स्वागत किया । श्रीमती जया सूर्या चेल्लम, राजभाषा अधिकारी ने पवर पॉइंट शो के जरिए वार्षिक रिपोर्ट 2008-09 को प्रस्तुत किया । इस मौके पर राजभाषा अनुभाग द्वारा संकलित पुस्तिका "राजभाषा मार्गदर्शिका" का विमोचन किया गया । अपने अध्यक्षीय भाषण में चेन्नई टेलीफोन के मुख्य महाप्रबंधक, श्री एम. पी. वेलुसामी, ने कहा कि कार्यालय में दैनिक कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें ।

अपने प्रवचन में मुख्य अतिथि, श्री नवनाथ कांबळे, उप निदेशक (दक्षिण), हिंदी शिक्षण योजना ने कहा कि हिंदी हमारे देश प्रेम व अस्मिता का द्योतक है एवं हिंदी के प्रति चाव अंतर्रात्मा से उभरना चाहिए ।

प्रथम सत्र के दौरान, अतिथि प्रवक्ता के तौर पर पधारे श्री पी. नागरत्नम, सहायक निदेशक (राजभाषा), कार्यालय मुख्य महाडाकपाल, ने "राजभाषा नीति व वार्षिक कार्यक्रम" के सैद्धांतिक व व्यावहारिक पक्षों पर प्रकाश डाला । तत्पश्चात्, श्रीमती ममता रजनीश, हिंदी अध्यापिका ने "तमिलनाडु में हिंदी की स्थिति" पर प्रवचन प्रस्तुत किया । उन्होंने कहा कि हिंदीतर क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में हिंदी प्रशिक्षण दिलाना, हिंदी के प्रगामी प्रयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके बाद खुला मंच का आयोजन किया गया जिसके दौरान प्रतिभागियों के वेतन संबंधी संदेहों का श्री नवनाथ कांबळे, उप निदेशक (दक्षिण), द्वारा निवारण किया गया ।

दूसरे सत्र के दौरान, हिंदी अंत्याक्षरी का आयोजन किया गया, जिसकी संचालक व जज रहीं, डॉ. एस. विजया,

प्रबंधक (हिंदी), स्टेट बैंक ऑफ इंडिया । विजेताओं को पुरस्कार से सम्मानित किया गया । श्रीमती एम. सुल्ताना शाहीन, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक द्वारा ज्ञापित धन्यवाद के साथ सम्मेलन संपन्न हुआ ।

सद्भावना दिवस के अवसर पर पश्चिम रेलवे राजकोट मंडल के राजभाषा विभाग द्वारा साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन

प्रधान कार्यालय के निर्देशानुसार राजकोट मंडल के राजभाषा विभाग द्वारा दिनांक 20-8-2009 को अपराह्न 15.30 बजे मंडल कार्यालय के सभाकक्ष में साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया । संगोष्ठी के प्रारंभ में श्री पी.बी. सिंह राजभाषा अधिकारी ने उम्दा व्यक्तित्व एवं निष्ठावान नेता के रूप में राजीव गांधी को याद किया ।

तदुपरांत मुंशी प्रेमचंद पर तीन वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें श्री नोरंगलाल-सांख्यिकी निरीक्षक ने मुंशी प्रेमचंद को एक कहानीकार के तौर पर तो श्रीमती अर्पणा मिश्रा-सदस्या प. रे. महिला समाज सेवा समिति ने और श्री एस. पी. सिंह सेक्शन इंजीनियार (रेलपथ) राजकोट ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त किए । श्री ओ. पी. पाठक-मंडल कार्मिक अधिकारी ने निदा फाजली के जीवन एवं कथन पर विशेषकर उनके दोहे एवं गजलों का उदाहरण देकर रोशनी डाली । श्री एस. पी. सिंह-वरि. सेक्शन इंजीनियर (रेलपथ) हापा ने शिवानी को 'उक लोकप्रिय कहानीकार' के तौर पर प्रस्तुत किया । डॉ. राजीव मिश्रा-वरि. मंडल चिकित्सा अधिकारी ने राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त के जीवन एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला । श्रीमती अवनी व्यास स्टाफ नर्स ने दुष्यंत कुमार को हिंदी गजलों को नई दिशा देनेवाले आम आदमी के कवि के तौर पर प्रस्तुत किया । श्री जेड. एच. सिद्दीकी -वरि. मंडल सिगनल एवं दूरसंचार इंजीनियर ने अमीर खुसरों को सुवाक्यों एवं पहेलियों के साथ प्रस्तुत किया और बताया कि अमीर खुसरों की हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना गया है ।

इस साहित्यिक संगोष्ठी में निर्णायक के तौर पर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता, वरि. मंडल बिजली इंजीनियर ने विजेता वक्ताओं को पुरस्कार प्रदान किए और साहित्य रसिक श्रोताओं ने इस संगोष्ठी का भरपूर आनंद लिया ।

संगोष्ठी का संचालन श्री पी.बी. सिंह-राजभाषा अधिकारी ने किया ।

पश्चिम रेलवे, मुख्य कारखाना प्रबंधक कार्यालय-दाहोद

प. रे. के दाहोद स्थित लोको, कैरेज एवं वैगन कारखाना के राजभाषा विभाग के तत्वाधान में दिनांक 21-07-2009 को मुख्य कारखाना प्रबंधक की अध्यक्षता में कार्यालय अधीक्षकों की बैठक आयोजित की गई उक्त बैठक में मुख्य कारखाना प्रबंधक श्री संजय अग्रवाल जी ने संबोधित करते हुए सभी कार्यालय अधीक्षकों से अनुरोधा किया कि वे पश्चिम रेलवे के राजभाषा विभाग द्वारा तैयार कार्य योजना के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित करें और अगर किसी कर्मचारी को हिंदी के प्रयोग-प्रसार को बढ़ावा देने में किसी प्रकार की कठिनाई हो तो राजभाषा विभाग की मदद लें । बैठक की समाप्ति के पश्चात् मधुमेह विषय पर हिंदी में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया । इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में डॉ. एस. के. गुप्ता मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा अध्यक्ष के रूप में श्री संजय अग्रवाल, मुख्य कारखाना प्रबंधक उपस्थित थे ।

इस संगोष्ठी में डॉ. सुधाकर शर्मा, व.म.चि. अधि-दादोह ने मधुमेह से उत्पन्न होने वाली बिमारियों की रोकथाम के विषय में अपने विचारों को व्यक्त करने के साथ ही सी. डी. द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया तथा कर्मचारियों द्वारा विविध बीमारियों के बारे में पूछी गई शंकाओं का समाधान किया । इसके अलावा इन विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया । इस समारेह में स्लाईड के माध्यम से दर्शाए व व्यक्त विचारों की सभी ने भूरि-भूरि प्रशंसा की । समारोह में स्थानीय अधिकारियों के अलावा कारखाना के सभी अनुभागों के प्रभारी कार्यालय अधीक्षकों, शॉप अधीक्षकों एवं अन्य संबद्ध कार्यालयों के अधिकारियों व वरिष्ठ पर्यवेक्षकों एवं कर्मचारियों को मिलाकर लगभग 80 पदाधिकारी उपस्थित थे ।

कार्यक्रम के आरंभ में इस कार्यक्रम के आयोजक श्री वी.पी. शर्मा, राजभाषा अधीक्षक ने सभी का स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजन का संक्षिप्त परिचय दिया । इस अवसर पर मुख्य कारखाना प्रबंधक ने सभी कर्मचारियों से अपील की कि वे इस सेमिनार में मधुमेह से उत्पन्न विभिन्न बिमारियों के निजात के बाने में बताई बातों

का पालन करते हुए दृढ़ संकल्पित होकर स्वस्थ जीवन अपनाएं तथा स्वयं एवं अपने परिवार को सुखी बनाएं रखने में सहायता करें। इसी के साथ स:धन्यवाद के साथ संगोष्ठी का समापन किया गया।

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में "राजभाषा हिंदी विशिष्ट व्याख्यानमाला" के दूसरे व्याख्यान का आयोजन

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में "राजभाषा हिंदी विशिष्ट व्याख्यानमाला" के द्वितीय पुष्प में मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रो. रवि कुमार 'अनु', हिंदी विभाग, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला ने इस धारणा को मिथ्या बताया कि हिंदी की दशा दयनीय है। इस धारणा का मुख्य कारण सरकार की ओर से किए जा रहे हिंदी भाषा संवर्द्धन संबंधी प्रयत्न है, जिनसे यह लगता है कि हिंदी सरकारी अवलंब पर ही जीवित है। सत्य तो यह है कि भाषा पर अधिकार लोक का है। लोक ही भाषा का पोषण करता है। भाषा का वर्चस्व लोक के पास होता है, सरकार के पास नहीं। भाषा लोक की संपत्ति है। भारत की साठ प्रतिशत से अधिक जनता हिंदी समझती है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंदी बोलने वालों की संख्या अंग्रेजी बोलने वालों से दस करोड़ अधिक है। विश्व के 165 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। अंग्रेजी विश्व के मात्र पांच देशों में राजकीय रूप से अपनाई गई है। इस पर भी जहां अंग्रेजी अपनाई गई है, उन देशों में भी अंग्रेजी का संपूर्ण वर्चस्व नहीं है। प्रो. 'अनु' ने भाषाशास्त्रीय आधार प्रस्तुत करते हुए कहा कि हिंदी अंग्रेजी से भी अधिक वैज्ञानिक भाषा है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भी संस्कृत से विकसित है, किंतु ध्वनि परिवर्तन लोक करता है, जिससे भाषा में विविधता आती है। इन ध्वनि परिवर्तनों को सरकारों को भी स्वीकार करना पड़ता है। हिंदी हमारी पहचान का परिचय है, संकोच का आधार नहीं है, यह हमारी राष्ट्रीयता का भी परिचय है। संस्थान के वैज्ञानिक स्वरूप का उल्लेख करते हुए प्रो. 'अनु' ने फ्रांस, जर्मनी, इटली, चीन आदि देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि वैज्ञानिक अनुसंधान भी हिंदी के माध्यम से हो सकता है। प्रो. 'अनु' ने यह भी सूचित किया कि संयुक्त राष्ट्रसंघ में की मान्यताप्राप्त भाषाओं के बाद अब हिंदी भी स्वीकृत होने वाली है। प्रो. 'अनु' ने आह्वान किया कि हम अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर भाषा को आगे बढ़ाएं। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संस्थान के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी डॉ. दिनेश चमोला ने कहा कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग स्वाभिमान का प्रतीक है। संस्कारधानी हिंदी जीवन मूल्यों की भाषा है जो अनेकता में एकता के संदेश को सन्निहित किए रहती है। हिंदी किसी भी अर्थ में कमजोर नहीं है और विशेषत: संस्थान के संदर्भ में वैज्ञानिक अनुसंधान का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने के लिए भी हिंदी ही एक समर्थ माध्यम है। चिंतन की जड़ता, चैतन्यता में परिवर्तित हो, इस व्याख्यानमाला का मूल मंतव्य है।

बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, जीवन भारती, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001.

दिनांक 25-08-2009 को अंचल के सहायक महाप्रबंधकों/मुख्य प्रबंधकों हेतु 'राजभाषा संगोष्ठी' का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का मुख्य विषय : 'कासा जमाराशियों में वृद्धि हेतु राजभाषा का हिंदी का योगदान' था, जिसपर समस्त प्रतिभागियों से लेख मंगवाए गए थे। इस संगोष्ठी में श्री राकेश कुमार, निदेशक (नीति एवं तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार मुख्य अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित थे। श्री गिरीश तिवारी, महाप्रबंधक, श्री ए.पी. घुघल, महाप्रबंधक एवं श्री सी.एम. भनोत, उप-महाप्रबंधक उपस्थित रहे। महाप्रबंधक श्री गिरीश तिवारी ने उपस्थित सहायक महाप्रबंधकों/मुख्य प्रबंधकों को हिंदी में अधिक से अधिक कार्य करने हेतु प्रेरित किया तथा भारत सरकार की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन की नीति के अनुसार दैनंदिन कार्यों में हिंदी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री राकेश कुमार, निदेशक (नीति एवं तकनीकी), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी नीतिगत एवं तकनीकी अपेक्षाओं से अवगत कराया तथा राजभाषा में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए संबोधित किया। उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सहायक महाप्रबंधकों/मुख्य प्रबंधकों हेतु आयोजित ऐसी राजभाषा संगोष्ठी की सराहना की और कहा कि अन्य बैंकों के लिए भी ऐसी संगोष्ठियां आदर्श साबित होगी जिसमें राजभाषा कार्यान्वयन पर पूर्ण बल दिया गया हो।

पुरस्कार/प्रतियोगिताएं

आकाशवाणी, इंदौर

आकाशवाणी, इंदौर को वर्ष 2008-09 के दौरान किए गए उत्कृष्ट हिंदी कार्यों के लिए केंद्रीय कार्यालयों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इंदौर की ओर से तृतीय पुरस्कार के रूप में राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई । यह शील्ड नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इंदौर के अध्यक्ष डॉ. पी. डी. गुप्ता, निदेशक, राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर की अध्यक्षता में 5 अक्तूबर, 2009 को सम्पन्न समिति की 50वीं बैठक में कार्यक्रम अनुभाग प्रमुख श्री प्रकाश शुजालपुरकर, सहायक केंद्र निदेशक एवं श्री त्रिम्बक विष्णु चांदोरकर, हिंदी अनुवादक को श्री हरीश सिंह चौहान, अनुसंधान अधिकारी (कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल द्वारा प्रदान की गई । श्री सुधीर सोधिया, अधीक्षण अभियन्ता ने केंद्र की इस विशेष उपलब्धि के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई दी ।

इसके पूर्व भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इंदौर द्वारा आकाशवाणी, इंदौर को केंद्र के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में (वर्ष 2006 में) प्रकाशित गृह पत्रिका 'वाणी' के स्वर्ण जयंती विशेषांक 'मालववाणी' के लिए सर्वश्रेष्ठ गृह पत्रिका के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था । समिति की 16 अगस्त, 2007 को सम्पन्न 46वीं बैठक में, केंद्र को पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड समिति के अध्यक्ष डॉ. विनोदचंद्र साहनी, निदेशक राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, इंदौर तथा मुख्य आयकर आयुक्त, इंदौर श्री एस.पी. सिंह ने प्रदान की थी ।

उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी केंद्र को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से कई बार सम्मानित होने का अवसर प्राप्त हुआ है । समिति ने इस केंद्र को वर्ष 1989 और 1996-97 के उत्कृष्ट हिंदी कार्यों के लिए प्रथम, 1992-93 के कार्यों के लिए द्वितीय, 1991-92, 1994-95 और 1995-96 के लिए तृतीय एवं 1988, 1993-94 और 1997-98 के कार्यों के लिए प्रोत्साहन पुरस्कारों से सम्मानित होने का अवसर दिया है । इसी प्रकार वर्ष 1998-99 के दौरान समिति ने इस केंद्र को (जबकि केंद्र में हिंदी अधिकारी का पद रिक्त था), प्रशंसनीय कार्यान्वयन पुरस्कार से सम्मानित कर यहाँ के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को गौरवान्वित किया ।

केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, मुख्यालय, नागपुर ने पुरस्कार प्राप्त किया

केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, मुख्यालय, नागपुर को नागपुर में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों की श्रेणी के अंतर्गत राजभाषा नीति के उत्कृष्ट कार्यान्वयन में तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया ।

बोर्ड के अपर निदेशक श्री टी.सी. दास ने **श्री डी. के. वलेचा**, कार्यपालक निदेशक, पॉवरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया, नागपुर तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर के अध्यक्ष एवं भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कार्यालय, नागपुर के महा निदेशक, नागपुर **श्री मंटू मजूमदार** के करकमलों से दिनांक 24-09-2008 को राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर अकादमी, नागपुर के ऑडिटोरियम में पुरस्कार के रूप में शील्ड एवं प्रमाणपत्र प्राप्त किए ।

साथ ही नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नागपुर द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में टिप्पण-आलेखन प्रतियोगिता हेतु हमारे कार्यालय के श्री समीर कुमार दास, उच्च श्रेणी लिपिक को प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्राप्त हुआ ।

आकाशवाणी, पणजी में स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रध्वज तले राजभाषा हिंदी के पुरस्कार

आकाशवाणी, पणजी में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2009 को केंद्र निदेशक, श्री बी.डी. मजुमदार ने ध्वजारोहण किया। इस अवसर पर उन्होंने वर्ष 2008-09 के लिए हिंदी टिप्पण-आलेखन प्रोत्साहन योजना के पुरस्कार राष्ट्रध्वज के तले आकाशवाणी कार्मिकों को प्रदान कर उनका सम्मान किया। पुरस्कार प्रदान कर अपने उद्बोधन में केंद्र निदेशक, श्री बी.डी. मजुमदार ने कहा कि सरकारी माध्यम होने के कारण संवैधानिक निर्देशों का अनुपालन आकाशवाणी का विशेष दायित्व है। जिस तरह राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान के प्रति हम निष्ठावान हैं उसी तरह संविधान के अनुच्छेद 343 (1) में हिंदी को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में सम्मान दिया गया है उसके प्रति भी हम निष्ठावान हैं। यही कारण है कि 28 फरवरी, 2009 को आकाशवाणी, पणली को ग क्षेत्र हेतु आकाशवाणी वार्षिक राजभाषा पुरस्कार प्रथम पुरस्कार, स्वरूप ग्यारह हजार रूपए नकद, राजभाषा ट्राफी तथा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। 28 फरवरी को ही भारत सरकार राजभाषा विभाग द्वारा आकाशवाणी पणजी को ग क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार के कार्यालयों की श्रेणी में तृतीय पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड प्रदान की गई। श्री मजुमदार ने कहा कि आज स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रध्वज के नीचे राजभाषा हिंदी के पुरस्कार प्राप्त करना गौरव का विषय है। श्री मजुमदार ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देते हुए राजभाषा हिंदी के पुरस्कार प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई दी। समारोह का संचालन श्री प्रदीप लोटलीकर, कार्यक्रम निष्पादक ने किया।

केनरा बैंक, दिल्ली अंचल कार्यालय, 7वां तल, अंसल टावर, 38 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली

अंतः बैंक बैंकिंग जीवन में सफलता की कहानी अपनी जुबानी लिखो प्रतियोगिता दिनांक 20 जुलाई, 2009 को दिल्ली अंचल कार्यालय के परिसर में बैंक नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, दिल्ली के तत्वाधान में अंतः बैंक बैंकिंग जीवन में सफलता की कहानी अपनी जुबानी लिखो प्रतियोगिता आयेजित की गई। प्रतियोगिता के उद्घाटन सत्र में उपस्थित अंचल कार्यालय के उप महप्रबंधक श्री गोपाल गणिगा ने दिल्ली स्थित विभिन्न बैंकों के उपस्थित प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार की राजभाषा नीति का हम सभी को अनुपालन करना बहुत जरूरी है। साथ ही यह भी जरूरी है कि हम हिंदी के प्रचार- प्रसार के लिए तत्पर रहें। हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए इन प्रतियोगिताओं का महत्व है। श्री आई. सी. बंसल ने केनरा बैंक अंचल कार्यालय द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि केनरा बैंक का समिति की गतिविधियों में सराहनीय योगदान रहा है। यह प्रतियोगिता भी ऐसा ही केनरा बैंक का एक प्रशंसनीय कदम है। उन्होंने राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रतिभागियों से अपील की, साथ ही यूनिकोड के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यदि राजभाषा के प्रचार-प्रसार में किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो नगर समिति इसके लिए तत्पर है। ■

हिंदी का प्रयोग करने से कार्य क्षमता, गुणवत्ता, उत्पादकता और योग्यता में वृद्धि होती है।

प्रशिक्षण

गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, 2-ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली

विषय :–वर्ष 2010 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली एवं उप संस्थानों में चलाए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में ।

राजभाषा विभाग के दिनांक 10-09-1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-18015/6/86-रा.भा.ई. में दिए गए निदेशों के अनुसार केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप संस्थानों द्वारा मंत्रालयों/विभागों/स्वायत्त संस्थानों, संगठनों एवं बैंकों में नए भर्ती हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ पाठयक्रमों के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं । मूलत: ये पाठयक्रम नए भर्ती हुए अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हैं, किंतु हिंदी प्रशिक्षण के लिए पहले से सेवारत अप्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों को भी नई प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए नामित करने पर उन्हें भी प्रवेश दिया जाएगा, ताकि संबंधित कार्यालय राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि तक प्रशिक्षण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकें ।

अत: सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि (अनुलगनक-1) में उल्लिखित पाठयक्रमों के लिए अपने अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित कर इस सुविधा का लाभ उठाएं ।

2. **प्रोत्साहन** :–राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने तथा हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर 12 महीने के लिए, एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैक्तित्व वेतन दिया जाता है । हिंदी प्रबोध परीक्षा में 70%, 60% तथा 55% अंक प्राप्त करने पर अधिकारी/कर्मचारी क्रमश: रुपये 800 रुपये तथा 400 रुपये 200 तथा प्रवीण और प्राज्ञ परीक्षा में 70%, 60% तथा 55% अंक प्राप्त करने पर क्रमश: रुपये 1200 रुपये तथा 800 रुपये तथा 400 के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार पाने के हकदार होंगे । इस राशि का भुगतान प्रशिक्षार्थियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता है ।

3. कृपया यह सुनिश्चित करें कि पूर्णकालिक गहन हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ प्रशिक्षण पाठयक्रमों में नामित सभी प्रशिक्षार्थियों की सूची, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली तथा इसके उप संस्थानों के संबंधित सहायक निदेशकों (अनुलग्नक-II) को पाठ्यक्रम प्रारंभ होने से कम से कम 15 दिन पूर्व अवश्य भिजवा दी जाएं ।

4. हिंदी भाषा का प्रशिक्षण प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ के तीनों पाठ्यक्रमों को मिलाकर पूरा होता है, जिसकी अवधि क्रमश: 25, 20 तथा 15 दिन होती है । ये पाठ्यक्रम इस प्रकार रखे गए हैं कि संबंधित कार्यालय जहां तक संभव हो, पात्रतानुसार प्रशिक्षार्थी को प्रथम पाठ्यक्रम से लेकर अंतिम पाठ्यक्रम तक संपूर्ण अवधि के लिए एक ही बार मे नामित और कार्यमुक्त कर सकें ।

प्रशिक्षण के लिए योग्यता एवं पात्रता :–

(क) **प्रबोध** :–यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड़,मलयालम, तमिल, तेलगु और अंग्रेजी (मणिपुरी/मिजो) भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं । वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर तक का नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं ।

(ख) **प्रवीण:**–यह पाठ्यक्रम उन कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए है, जो प्रबोध पास कर चुके हैं या जो प्राइमरी स्तर तक हिंदी पढ़ चुके हैं या जिनका हिंदी का ज्ञान 8वीं कक्षा से कम है । इसमें मराठी, गुजराती, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी सीधे प्रवेश ले सकते हैं ।

(ग) **प्राज्ञ** :–यह अंतिम पाठ्यक्रम है । यह उन सभी कर्मचारियों के लिए है, जो प्रवीण पास कर चुके हैं या जिन्हे मिडिल/माध्यमिक स्तर तक हिंदी का ज्ञान है या जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक या 10वीं कक्षा से कम है । उर्दू, सिंधी, पंजाबी तथा पश्तो भाषा-भाषी अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण अनिवार्य है ।

5. संस्थान के ये पाठ्यक्रम पूर्णकालिक होते हैं और इन्हें नियत कार्यदिवसों में पूरा किया जाता है । **कक्षाएं सोमवार से शुक्रवार सुबह 9.30 बजे से सायं 6.00 बजे तक चलाई जाती हैं** । प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्रशिक्षार्थी अपनी ड्यूटी पर माने जाते हैं तथा पाठ्यक्रम की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र दिए जाते हैं । ये सभी पाठ्यक्रम निःशुल्क हैं, किंतु बैंकों तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि को प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ प्रत्येक परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क 50 रुपए प्रति प्रशिक्षार्थी के हिसाब से उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से देना होता है ।

6. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली स्थित गहन प्रशिक्षण केंद्र पर दिल्ली से बाहर के प्रतिभागियों के लिए सीमित संख्या में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध है, जो कि "पहले आओ पहले पाओं" के आधार पर दी जाती है । हॉस्टल पहुँचने के लिए दिल्ली में बस सेवा उपलब्ध है ।

छात्रावास का पता इस प्रकार है :–

सहायक अभियंता (विद्युत)का कार्यालय,
सब डिवीजन VII, डिवीजन XI,
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.)
फ्लैट नं. 2, गवर्नमेंट हॉस्टल, तीसरा तल,
देवनगर, करोल बाग के पास
नई दिल्ली 110005 (फोन नं. 011-28715289)

(बस रूट – नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से बस रूट सं. 181
बस स्टाप का नाम-खालसा कालेज)

(पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से बस रूट सं. 926, बस स्टाप का नाम -लिबर्टी सिनेमा हॉल)

(हॉस्टल से प्रशिक्षण केंद्र उद्योग भवन तक आने के लिए बस रूट सं. 610 है ।

स्टाप का नाम -उद्योग भवन)

7. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों के अनुसार हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है और इसे विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यानुसार पूरा किया जाना है । अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रशिक्षण हेतु दिल्ली से बाहर के सभी संबद्ध नियंत्रणाधीन निगमों/उपक्रमों/अभिकरणों/संगठनों, स्वायत्त संस्थाओं आदि के प्रशिक्षण के पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में नामित करें । सभी अधिकारियों से यह अनुरोध है कि प्रशिक्षण के लिए नामित **प्रशिक्षार्थियों को संबंधित प्रशिक्षण केंद्र पर सीधे ही सहायक को रिर्पोट करने के लिए निदेश दें । साथ ही यह भी अनुरोध है कि प्रशिक्षार्थियों को हॉस्टल के पते के बारे में, बस रूट सं. कार्यालय और प्रशिक्षण केंद्र के फोन नं. आदि के बारे में पूरी-पूरी जानकारी उपलब्ध करवाने की कृपा करें ।**

8. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली का गहन (भाषा) प्रशिक्षण केंद्र, उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली में स्थित है।

दिल्ली स्थित प्रशिक्षण केंद्र का पता :
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय,
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
कमरा नं. 449 ए (चौथा तल),
उद्योग भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011
दूरभाष: 011-23063321 एक्सटेंशन 2207
फैक्स 011-23062626

अनुलग्नक-I

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली एवं इसके चेन्नै, हैदराबाद, बेंगलूर, मुंबई एवं कोलकाता स्थित उप संस्थानों द्वारा वर्ष 2010 में आयोजित किए जाने वाले हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पाठ्यक्रम की सत्रावधि

सत्र	गहन पाठयक्रम	कार्यदिवस	प्रशिक्षण की तिथियाँ
प्रथम	प्रबोध	25	1 जनवरी , 2010 से 5 फरवरी, 2010 तक
	प्रवीण	20	8 फरवरी , 2010 से 8 मार्च, 2010 तक
	प्राज्ञ	15	9 मार्च, 2010 से 30 मार्च, 2010 तक
द्वितीय	प्रबोध	25	3 मई, 2010 से 8 जून, 2010 तक
	प्रवीण	20	9 जून, 2010 से 6 जुलाई, 2010 तक
	प्राज्ञ	15	7 जुलाई, 2010 से 27 जुलाई, 2010 तक
तृतीय	प्रबोध	25	1 सितम्बर, 2010 से 6 अक्तूबर, 2010 तक
	प्रवीण	20	7 अक्तूबर, 2010 से 3 नवम्बर, 2010 तक
	प्राज्ञ	15	4 नवम्बर, 2010 से 26 नवम्बर, 2010 तक

अनुलग्नक-II

1. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, कमरा नं.-449 ए, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110011. (दूरभाष 011-23063321 एक्सटेंशन-2207) फैक्स 011- 23018740, फैक्स-011-23062626
2. सहायक निदेशक (भाषा) केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप-संस्थान, द्वितीय तल, राजाजी भवन, ई-3सी ब्लॉक, बेसंट नगर, चेन्नै-600090 (दूरभाष 044-24918904)
3. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, द्वितीय तल, केंद्रीय सदन कोटि, सुल्तान बाजार, हैदराबाद-500095 (दूरभाष 040-24747211)
4. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, बी विंग, 5वाँ तल, द्वितीय तल, केंद्रीय सदन, 17वाँ मेन रोड, दूसरा ब्लॉक, कोरमंगला, बेंगलूर-560034 (फैक्स-080-25537089) (दूरभाष-080-25537087)

5. सहायक निदेशक (भाषा), केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण उप संस्थान, केंद्रीय सदन, ''सी विंग'' छठा माला, सी.बी.डी. बेलापुर, नवीं मुंबई-400614 (दूरभाष-022-27572705, 27572706) फैक्स 022-27565417

6. उप निदेशक (पूर्व), हिंदी शिक्षण योजना, निजाम पैलेस परिसर, 234/4, द्वितीय बहुतलीय भवन, 18वाँ तल, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता-700020 (दूरभाष-033-22870793 और 22890038) फैक्स 033-22870793

ग्रुप केंद्र, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, नीमच (मध्य प्रदेश) में 21 दिवसीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

ग्रुप केंद्र, केरिपुबल, नीमच में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के माध्यम से दिनांक 1-7-2009 से 25-7-2009 तक 21 दिवसीय संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को आयोजन किया गया जिसमें स्पेशल सैक्टर केरिपुबल तथा नीचम स्टेशन स्थित 31 कर्यालय के कुल 55 कार्मिकों ने भागीदारी की ।

दिनांक 1-7-2009 को प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का उद्घाटन डा. एन. एस. गंगरिया, पुलिस उप महानिरीक्षक (चिकित्सा), नीचम की अध्यक्षता में तथा समापन दिनांक 24-7-09 को श्री गुरदीप सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र, नीचम की अध्यक्षता में किया गया । प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के दौरान केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के अनुभवी प्रशिक्षण अधिकारियों ने प्रशिक्षणार्थियों को अनुवाद संबंधी गुर सिखाए । समापन समारोह श्री गुरदीप सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केंद्र केरिपुबल, नीचम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ ।

उद्घाटन एवं समापन समारोह में केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो के विभिन्न वक्तओं ने राजभाषा हिंदी के संबंध में अपने विचार प्रकट किए । इस अवसर पर श्री गुरदीप सिंह, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केंद्र केरिपुबल, नीचम ने अवगत कराया कि भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक विविधताओं के होते हुए भी अद्भूत एकता पाई जाती है । किसी देश में प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उस देश का कामकाज उसकी जनता की भाषा में हो । इस बात को ध्यान में रखकर ही हमारे संविधान में 22 प्रांतीय भाषाओं को मान्यता दी गई हैं तथा देश का राजकाज चलाने के साथ-साथ केन्द्र व राज्यों के बीच सम्पर्क बनाए रखने की भूमिका निभाने का दायित्व हिंदी को सौंप कर 14 सितम्बर, 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकार किया गया । हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अधिनियम/नियम के तहत बनाई गई राजभाषा नीति का समुचित अनुपालन किया जा रहा है । सैद्धांतिक मान्यताओं के होते हुए भी प्रयोग के क्षेत्र में हम अंग्रेजी का मोह पूरी तरह नहीं छोड़ पाये हैं, जिसके फलस्वरूप पांच दशक बीत जाने के बाद भी हिंदी को वह स्थान नहीं दिला पाए हैं, जिसकी वह अधिकारिणी है ।

हिंदी कार्य कुशलता बढ़ाती है ।

पाठकों के पत्र

"राजभाषा भारती" (जुलाई-सितंबर, 2007) अंक 123 पत्रिका के अंक में कई स्तम्भ देकर राट्रभाषा हिंदी को अत्यन्त रूचिकर बना दिया है। इस अंक में सम्मिलित सभी रचनाओं में सभी वस्तुओं का समाविष्ट है। विशेषकर "राजभाषा के हित में", "असम में हिंदी की स्थिति", "नदी और सागर-हमें जीवित चाहिए अथवा मृत", जैसे आलेख सुन्दर लगे। पत्रिका में प्रकाशित सभी सामग्री ज्ञानवर्धक एवं पढ़ने योग्य हैं। यह पत्रिका "राजभाषा भारती" हिंदी की दशा और दिशा दोनों को सफलता पूर्वक निर्धारित करती है। इन्हीं शब्दों के साथ सुन्दर अंक के प्रकाशन के लिए "नार्थ इस्टर्न कोल फिल्ड्स" परिवार की ओर से संपादक मंडल को ढेर सारी शुभकामनाएँ।

—डॉ बी. सी. राजकुमार
कार्मिक प्रबन्धक
नार्थ इस्टर्न कोल फिल्डस, कोल इंडिया लि., ब्लैक डायमण्ड टावरस जी एस रोड, गुवाहाटी-781005

"राजभाषा भारती" का 124वां अंक पुष्प हिंदी के महत्व को प्रगट तो करता ही है तथा साथ ही चिंतन, साहित्यिकी, पुरानी यादें-नए परिप्रेक्ष्य, विश्व हिंदी दर्शन, पत्रकारिता, विविध आदि के माध्यम से राजभाषा हिंदी के विभिन्न आयामों/रूपों एवं ज्ञानवर्द्धन जानकारियों को पढ़ने के पश्चात् वैसी ही सुखद अनुभूति प्राप्त होती है। इस पत्रिका मैं ही नहीं, राजभाषा के पाठन में रुचि रखने वाले मेरे स्टाफ के सभी सदस्यगण बेसब्री से इन्तजार करते हैं। यह अंक भी सामग्री की दुष्टि से अति उत्तम रहा, विशेषकर डॉ. मुक्ता महोदया का लेख "कामयानी" का सौंदर्य-दर्शन निःसन्देह पढ़कर कृतित्व में उनकी गहरी, पैठ का परिचायक है। छायापाद के प्रमुख कवि श्री जय शंकर प्रसाद जी की इस कृति को पुनः पढ़ने को मन कर गया जो महोदया द्वारा उल्लेखित लेख के परिप्रेक्ष्य में, मैं और ज्ञानयुक्त हो सकूँ। विवेकशीलता और उनकी स्वः अनुभूति उनके लेख में स्पष्ट झलकती है।

पत्रिका के सफल संपादन के लिए प्राधिकरण की ओर से विशेषकर मेरी ओर से बहुत-बहुत बधाई।

—ओम प्रकाश वर्मा
हिंदी अनुवादक
नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, (जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार), नर्मदा सदन, स्कीम-74, सेक्टर-बी, विजय नगर, इंदौर (म.प्र.)-452010

"राजभाषा भारती" का दिसम्बर, 2008 अंक में भी राजभाषा पर प्रचुर सामग्री दी गई है। नई विश्व भाषा ग्लोबिश, जानकारीपूर्ण लेख है। सांप्रदायिक सौहार्द और मीडिया इस अंक का एक और अच्छा लेख है। इसके अलावा, कार्यालयों की गतिविधियों पर अवश्य ही जानकारी दी जाती है।

—गजानन पाण्डेय
सहायक निदेशक (राजभाषा)
परमाणु ऊर्जा विभाग, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, पो ई सी आई एल, हैदराबाद

त्रैमासिक पत्रिका राजभाषा भारती का अक्तूबर-दिसंबर, 2008 अंक में प्रकाशित सभी रचनाएं सारगर्भित ज्ञानवर्धक हैं। संगोष्ठी/सम्मेलनों की चर्चा पठनीय व हिंदी की प्रचार संबंधी गतिविधयों से हमें अवगत कराती है। सम्पूर्ण पत्रिका पढ़ने योग्य है, इसके साहित्यिक अभिरुचि वाले लेख इसे अन्य संगठनों आदि के द्वारा प्रकाशित गृह पत्रिकाओं से एक भिन्न रूप देते हैं। संपादक मंडल को हमारी ओर से शुभकामनाएं।

—डॉ. अमर सिंह सचान
हिंदी अधिकारी
राष्ट्रीय आवास बैंक, कोर-5ए, तृतीय तल, इंडिया हैबीटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली-3

राजभाषा भारती पत्रिका के 123वें अंक (अक्तूबर- दिसंबर, 2008) में प्रकाशित सभी लेख ज्ञानवर्धक तथा पठनीय हैं, विशेषत: "राष्ट्रभाषा और राजभाषा–द्वंद्व क्यों ?" नामक लेख काफी ज्ञानवर्धक लगा । यह पत्रिका राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े कर्मचारियों के लिए मार्गदर्शक है और हिंदी के प्रचार संबंधी विविध गतिविधियों से अवगत कराती हैं ।

हमारी ओर से पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए संपादक-मंडल को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं ।

—सुश्री कमल भोजवानी
सहायक महाप्रबंधक-राजभाषा कृते नेशनल एविएशन कंपनी ऑफ इंडिया लि.
ओल्ड एयरपोर्ट कालिना, सांताक्रुज (पूर्व), मुंबई-40029

"राजभाषा भारती" का अंक 125 भी पिछले अंकों की तरह ही बहुत सुन्दर बना है । प्रत्येक दृष्टि से उत्कृष्ट स्तर का है । इसके लिए आप लोगों ने बहुत परिश्रम किया है । सभी लेख आदि अच्छे और ज्ञानवर्धक हैं । राजभाषा सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारी भी मिली और दिए गए चित्रों से कुछ अन्य गतिविधियों का परिचय भी मिला ।

—कृष्ण कुमार ग्रोवर
पूर्व सचिव, संसदीय राजभाषा समिति,
एफ-बी/16, टैगोर गार्डन, नई दिल्ली

"राजभाषा भारती" का अक्तूबर–दिसंबर, 2008 अंक में संपादकीय व लेख हिंदी ही क्यों से लेकर राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन तक तथा साहित्यिकी व विविध आदि सभी सामग्री पठनीय और प्रभावशाली है । इसके लिए सभी हस्ताक्षरों को हार्दिक बधाई ।

—डॉ. ताराचन्द पाल "बेकल"
महागुण मेंशर-1, क्रीमा ब्लॉक, III फ्लोर, फ्लैट संख्या-319, वैभव खण्ड,
इंदिरापुरम (गाज़ियाबाद), उत्तर प्रदेश

त्रैमासिक पत्रिका "राजभाषा भारती" (जनवरी–मार्च) अंक : 124 वर्ष 31, 2009 अन्य अंकों की तरह सभी ज्ञानवर्धक लेखों से ओतप्रोत है । सभी लेख अभूतपूर्व प्रभावशाली छाप छोड़ते हैं । विशेष तौर पर श्री वीरेन्द्र कुमार यादव द्वारा किया हुआ रहस्योद्घाटन कि "हिंदी शब्द का प्रयोग भाषा के संदर्भ में सर्वप्रथम विदेशी विद्वानों द्वारा हुआ और हिंदी के अध्ययन तथा व्याकरण लेखन की परम्परा भी विदेशी विद्वानों द्वारा ही शुरू हुई ।" आज हिंदी भाषा की विश्वव्यापक अभिरूचि के द्योतक हैं । सामूहिक रूप से अभिप्रेरणादायक विचार डॉ. पांचाल के हैं कि किसी संस्था या निगम के उच्चाधिकारियों की हिंदी प्रयोग की पहल अहम स्तर की होती है, क्योंकि उससे निचले दर्जे के मानव संसाधन के लिए अनुकरणीय व प्रेरणादायी माहौल स्वमेव बनता हैं ।

—हरिश्चन्द्र सागरमल अग्रवाल
शिवकृपा भवन, वानखेडे नगर, डाबकी रोड,
अकोला (विदर्भ)-444002 (महाराष्ट्र)

"राजभाषा भारती" अंक अप्रैल–जून, 2009 में आपके प्रभावशाली संपादकीय के लिए तथा विभिन्न लेखों भाषा संस्कृति विवेचनाओं एवं आकर्षक चित्रों युक्त कार्यक्रमों के समाचारों के संबंध में संकलन व संपादन हेतु आपके कुशल संपादक मंडल को हार्दिक बधाईयाँ ।

—डॉ. ताराचन्द पाल "बेकल"
महागुण मेंशर-1, क्रीमा ब्लॉक, III फ्लोर, फ्लैट संख्या-319, वैभव खण्ड,
इंदिरापुरम (गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश

MGIPRRND—383 HA/10—5,000

दिल्ली तथा उत्तर क्षेत्रों हेतु देहरादून में क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह में पुरस्कार प्रदान करते हुए माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन जी ।

देहरादून में आयोजित दिल्ली तथा उत्तर क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन एवं पुरस्कार समारोह में पुरस्कार प्रदान करते हुए माननीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय माकन जी ।

पं.सं. 3246/77
आई एस एम एन 0970-9398

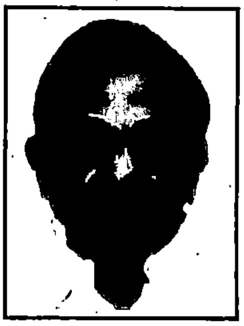

सत्यमेव जयते

पी. चिदम्बरम
P. CHIDAMBARAM
गृह मंत्री, भारत
HOME MINISTER, INDIA

प्रिय देशवासियो,

हिंदी दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामनाएं ।

वैश्वीकरण, उदारीकरण और सूचना-प्रौद्योगिकी के इस युग में, भाषा, साहित्य और संस्कृति का महत्व कई गुना बढ़ गया है । जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा और बहु भाषा-भाषी देश है । हिंदी ने हमारे स्वतंत्रता प्राप्त करने के संघर्ष में एक नई जान डाल दी । अन्य भाषाओं की तरह, कई संत, बुद्धिजीवी और कुलीन लोग हिंदी में बोलते और लिखते हैं, इन्होंने हमारे राष्ट्र में एकता लाने की दिशा में लगातार काम किया है ।

हमें सरकारी कामकाज करने में हिंदी का प्रयोग बढ़ाना जारी रखना चाहिए । हमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करके, आम बोल-चाल के शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए । यह मेरा पक्का विश्वास है कि सरकारी कामकाज में आसान हिंदी का प्रयोग किए जाने से हिंदी भाषा की स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी ।

मॉरिशस में एक विश्व हिंदी सचिवालय स्थापित किया जा चुका है । यह सचिवालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन करेगा तथा पूरे विश्व में हिंदी भाषा का प्रचार-प्रसार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी पुस्तकालय को स्थापित किया जाना सुनिश्चित करेगा ।

कंप्यूटरों पर हिंदी का प्रगामी प्रयोग करने में महसूस की जा रही समस्या, उपलब्ध सुविधाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी और भाषा के कोडीकरण के मानक यूनीकोड को न अपनाए जाने के कारण हैं । संघ सरकार के मंत्रालयों/विभागों के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को हिंदी के प्रयोग के बारे में सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं और कंप्यूटरों पर भाषा के कोडीकरण का मानक यूनीकोड अपनाए जाने के लाभ के बारे में जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है ।

आजकल वेबसाइटें सभी लोगों को उपयोगी जानकारी और ज्ञान उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निबाह रही हैं और बहुमूल्य योगदान कर रही हैं । ज्यादातर मंत्रालयों/विभागों की हिंदी वेबसाइटें, अंग्रेजी वेबसाइटों की तुलना में पूरी और अद्यतन जानकारी उपलब्ध नहीं करवातीं । हिंदी वेबसाइटों पर पूरी और अद्यतन जानकारी उपलब्ध करवाने के क्रम में तत्काल प्रभावी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है ।

सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल किए जाने पर जोर देते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को प्रति वर्ष एक वार्षिक कार्यक्रम जारी किया जाता है । मैं केंद्रीय सरकार के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से इन लक्ष्यों को हासिल करने के सच्चे प्रयत्न करने का आग्रह करता हूँ ।

हमें हिंदी को बढ़ावा देने और उसका प्रचार-प्रसार करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है । आइए, हम सब मिलकर हिंदी के प्रगामी प्रयोग को इस तरह बढ़ावा देने का संकल्प करें जिससे कि यह भाषा जन-साधारण की भाषा बनकर हमारे राष्ट्र के विकास में सहायक हो सके ।

जय हिंद,
नई दिल्ली
14 सितंबर, 2009

(पी. चिदम्बरम)

भारत सरकार, राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय), लोकनायक भवन, नई दिल्ली-110003 के लिए शान्ति कुमार स्याल, सहायक संपादक द्वारा प्रकाशित तथा प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, मायापुरी, नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित ।